राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का पांचवां दिवस [संख्या : 5

शुक्रवार;

26 फरवरी, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 51, श्री रामनारायण मीणा।

तारांकित प्रश्नोत्तर

आमेर (जयपुर) की पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक इमारतों का अवैध बेचान

51. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में आमेर सहित विभिन्न स्थानों में पिछले समय हवेलियों की खरीद-फरोख्त के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो कितने मामले? विगत 5 वर्ष की अवधि के विक्रय पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त हवेलियां पुरातत्व एवं ऐतिहासिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं तथा उक्त में से कुछेक सरकारी सम्पत्ति भी हैं? यदि हां, तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण हवेलियों की सुरक्षा, देखभाल एवं संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा आगे क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या हवेलियों में निवास एवं व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को अतिक्रमी मानकर उन्हें खाली करने के नोटिस सरकार की ओर से जारी किये गये थे? यदि हां, तो ऐसी श्रेणी की हवेलियों को बेचान करने तथा निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के संरक्षण में देने के प्रकरणों में किस स्तर पर किस

(श्री रामनारायण मीणा)

अधिकारी/कर्मचारी से लापरवाही/त्रुटि हुई है तथा उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? की गई कार्यवाही के ब्यौरे सहित वस्तुस्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या हवेलियों के क्रय करने में आमेर विकास प्राधिकरण के सदस्य भी सम्मिलित रहे हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा अब क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

(5) क्या सरकार द्वारा उक्त हवेलियों के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही एवं रजिस्टर्ड दस्तावेजात को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती बीना काक): (1) विगत पांच वर्ष की अवधि में विक्रय पत्रों की प्रतियां संबंधित विभाग से प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रखी जाएंगी।

(2) विभाग द्वारा संरक्षित कोई हवेली नहीं बेची गयी है। संरक्षित हवेलियों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार पुरातत्व विभाग द्वारा बजट की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

(3) राज्य सरकार द्वारा आमेर में संरक्षित स्मारक/क्षेत्र में अवैध कब्जे खाली करने एवं पुरा सम्पदा पर नवनिर्माण रोकने हेतु नोटिस दिए गए थे।

(4) ऐसा कोई प्रकरण राज्य सरकार की जानकारी में नहीं है।

(5) किसी भी संरक्षित हवेली का बेचान नहीं किया गया है। अत: निरस्त करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ लूंगा। माननीय मंत्री राजस्थान मंत्रीमण्डल की सदस्या हैं और हमारे रूल्स आफ प्रोसिजर में साफ है कि कोई भी मंत्री किसी भी डिपार्टमेंट का जवाब देगा और सरकार का प्रतिनिधि है। यदि रजिस्ट्रेशन होता है और आमेर यहां से पन्द्रह किलोमीटर दूर है, क्या हम पन्द्रह किलोमीटर से डाकूमेंट मंगाकर नहीं दे सकते, वो भी तीन या चार साल का? तो प्रश्न के भाग संख्या-1 में आपने जो बताया, माननीय मंत्रीजी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि

(श्री रामनारायण मीणा)

पांच साल के हम कागजात बता नहीं सकते जिस डाकूमेंट में 8, सिविल लाइंस का वर्णन हो, एड्रेस हो, इतना इम्पोर्टेंट डाकूमेंट। माननीय मंत्रीजी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं आप पुरातत्व विभाग, पयर्टन विभाग की मंत्री हैं, आपने गजट नोटिफिकेशन देखा होगा 16 मार्च, 1974 का, उसमें साफ लिखा है कि आमेर का महल संरक्षित महल है। आमेर का किला ही नहीं वहां की पठारी की सारी हवेलियां संरक्षित हैं और पुरातत्व विभाग के एक नहीं चार दफा के नोटिस मेरे पास हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए माननीय मंत्रीजी की तैयारी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अधिकारी आपके उसमें नहीं हैं, अधिकारियों से आप डाकूमेंट तक नहीं मंगा सकतीं, उसमें कुछ नहीं कहना है। मेरा आपसे स्पष्ट प्रश्न है, साफ मेरा अर्ज करना है, क्या यह सही है कि इन दोनों नोटिफिकेशंस के आधार पर जिसमें वर्णन दिया गया है, आमेर होकर दिल्ली जाने वाले राज मार्ग पर पार्वती-गौरी मंदिर, उन रजिस्ट्रियों में भी वर्णन है। एक साधारण सदस्य इस विधान सभा का मैंने प्रश्न वैसे ही डाला था माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं साफ कहना चाहता हूं, मैं अखबारों में पढ़ता था, मेरी नालेज थी, मैंने डाल दिया क्योंकि मैं सम्मानित कार्यकर्ता हूं मेरी पार्टी का, विधान सभा 2008 के चुनाव घोषणा पत्र में ...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न करें।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न साफ है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, पाइंटेड सवाल करें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, नहीं, आप इंटरवीन क्यों कर रहे हैं?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आपके मंत्री कह रहे हैं, कोई हवेली नहीं बेची, जवाब दो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह सवाल गम्भीर है। सारी पोल सामने आ जाएगी। सारी पोल सामने आ जाएगी, मंत्रीजी तो छुपा रही हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सब सामने आ जाएगी।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मुझे पूछने तो दो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, ये मंत्रीजी कुछ छुपा रही हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): जब कोई पूछ रहा है सदस्य तो सुन लो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इसकी असलियत आनी चाहिए। पिछली बार भी इस सदन में हमने सवाल किया, गोल-मोल जवाब दिया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट सदन में पेश क्यों नहीं की जाती?

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीणा।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): चूडसिंह की हवेली पर किसका कब्जा है, वो भी बता दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। माननीय सदस्य, कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। श्री रामनारायण मीणा।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। बताना पड़ेगा। सारी स्थिति सदन में स्पष्ट करनी चाहिए। (व्यवधान) आमेर की हवेलियों पर कब्जा किसने किया, बता दो सारा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आमेर को लेकर समाचार पत्र रंगे रहे लम्बे समय तक, सुखियों में रहा। तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आज भी हवेलियों पर कब्जा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीणा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जांच करायी जाए।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी ने निर्देश दिया है ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ...(व्यवधान) ये बीना किलाचंद हवेली खरीद रहे हैं और सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, इसको स्पष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष: खाली रामनारायणजी मीणा निवेदन कर रहा हूं मैं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मैंने, मेरी पार्टी ने, मेरे नेता ने ...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ललित मोदी का नाम तो लो, ललित मोदी का नाम।

श्री अध्यक्ष: स्पेसिफिक प्रश्न पूछें।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): नाम भी लूंगा मैं।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ललित मोदी का नाम लो आप।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): लूंगा, सब लूंगा। 8, सिविल लाइंस आ गया उसकी आप जांच करा सकते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: आप कृपया पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मेरा साफ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि हमने पृष्ठ संख्या 7, और हमारी पार्टी ने शासन में आने के बाद चीफ सैक्रेटरी को घोषणा पत्र दिया है, यह सरकारी डाकूमेंट हो गया है। यह चुनाव का सवाल नहीं है, उसमें साफ लिखा है कि आमेर की हवेलियां कौन खरीद रहा है, इसकी जांच की जाएगी, सीबीआई इंक्वायरी की जाएगी। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब हमारे घोषणा पत्र में यह है तो हवेलियों के खरीददार को बचाने के लिए सरकार किस कारण से प्रयास कर रही है? नहीं कर रही है तो जिसमें राजस्थान का मुख्य सचिव गुनहगार हो फ्राइूलेंट डाकूमेंट, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछें।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): स्पेसिफिक प्रश्न है, मेरा साफ प्रश्न है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का घोषण पत्र का लागू होना यहां हाउस माध्यम बनेगा क्या?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह प्रश्न है, प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। आप विचलित क्यों हैं? प्रश्न का जवाब आने दीजिये सरकार की तरफ से

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछिये कृपया।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हर चीज में आप सरकार से जवाब चाहते हैं इसलिए इसमें सरकार का जवाब आने में आपको आपत्ति क्या है?

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): क्या, माननीय मंत्रीजी इन हवेलियों के संरक्षित होने के बारे में आपके पुरातत्व विभाग के आमेर महल के अधीक्षक ने नोटिस जारी किये? जारी किये, तो कितनी दफा किये, किस वर्ष में, कब-कब किये? और इन हवेलियों के मालिकों ने जब कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि हम केवल मंदिर के पुजारी हैं, इसलिए इन संरक्षित हवेलियों में रह रहे हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं है तो आप तो यह बता दीजिये कि उसका मालिक कह रहा है और रजिस्ट्रार बिना डाकूमेंट के रजिस्ट्री कर रहा है, तो रजिस्ट्रार के खिलाफ आईपीसी के तहत आपने कार्यवाही क्यों नहीं की, उसको सज़ा क्यों नहीं दी? जिसमें 8, सिविल लाइंस का जिक्र हो और हवेलियां खरीदने वाले के नाम के आगे और रजिस्ट्रेशन में उनके दस्तख्त ही नहीं हों तो फर्जी डाकूमेंट है। यह सरकार फर्जी डाकूमेंट करने वालों के खिलाफ...

श्री अध्यक्ष: अब जवाब आने दो। माननीय मंत्री महोदया।

श्री ओम जोशी (फलौदी): ...(व्यवधान) इसकी जांच करायी जानी चाहिए और दोषी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये चूडसिंह की हवेली कौन सी है माननीय मंत्रीजी? सदन को गुमराह मत करिये आप, आप जवाब दीजिये और विस्तार से जवाब दीजिये ...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): यह बहुत बड़ा घपला है, इसकी जांच होनी चाहिए।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): इस घोटाले की जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदया जवाब दे रही हैं।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): पिछली सरकार के अन्दर पुरातत्व की हवेलियों की जो खरीद-फरोख्त की गई है, यह कौन है ललित मोदी? कौन है ललित मोदी? किस सरकार ने पुरातत्व की हवेलियों की खरीद करवायी है, उसकी जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदया जवाब दे रही हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई साधारण मामला नहीं है। राजस्थान के ...(व्यवधान) पुलिस थानों को लगाया गया है इस काम के लिए ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): इसकी जांच की जाए। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): लोगों को धमकाया गया है ...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): इसकी जांच होनी चाहिए सदन में ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह साधारण मामला नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न का जवाब आने दें।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): अध्यक्ष महोदय, इसमें ललित मोदी का भी नाम है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदया जवाब दे रही हैं, कृपया विराजें। (व्यवधान) मंत्री महोदया जवाब दें, बाकी लोग कृपया विराजें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सारी स्थिति की सीबीआई से जांच करा लो, जो लोग दोषी हैं उनको जेल भेजो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदया जवाब दें, कृपया बाकी लोग विराजें। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान) जांच करानी चाहिए ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): दोषी व्यक्ति को सदन में लाना चाहिए ...(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। मंत्री महोदया को जवाब देने का अवसर प्रदान कर दिया गया है, कृपया विराजें। (व्यवधान) कृपया विराजिए, मंत्री महोदया जवाब दे रही हैं। (व्यवधान) कृपया मंत्री महोदया को जवाब देने दें, व्यवस्था बनाये रखें।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मेरा जवाब तो आने दें, सप्लीमेंट्री का जवाब तो देने दें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदया का जवाब आने दें। कृपया व्यवस्था बनाये रखें, मंत्री महोदया को जवाब देने दें। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

(कांग्रेस पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग दें, मंत्री महोदया जवाब दें। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जवाब तो आने दो मेरा, सप्लीमेंट्री का जवाब तो आने दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया मंत्री महोदया को पूरक प्रश्न का उत्तर देने दें। कृपया, माननीय सदस्यगण, विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, सरकार को जवाब देना है, सरकार जवाब दे। सरकार ने ना कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदया जवाब दें, मैं निवेदन कर रहा हूं । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सरकार जवाब नहीं देना चाहती । अध्यक्ष महोदय, सरकार को जवाब देना है, सरकार ने ना कर दिया है कि कोई बेचान नहीं हुआ है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मंत्रीजी जवाब चाहिये, जोरदार जवाब चाहिये। राजस्थान की जनता जानना चाहती है, आमेर किसने बेचा, आमेर की हवेलियों पर कब्जा किसका है, किस किसने बेइमानी की, सारी स्थिति स्पष्ट करो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदया जवाब दे रही हैं, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है, कृपया विराजिए। माननीय सदस्य, कृपया आप विराजिए, आसन पांवों पर है। मैंने केवल अलाउ किया है मंत्री महोदया को, सरकार की ओर से उत्तर दें।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन की बहुत इज्जत करती हूं और सदन को यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि किसी भी तरह से मैं किसी को प्रोटैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हूं। जैसा कि माननीय सदस्य रामनारायण मीणाजी ने कहा कि हम बचाना चाह रहे हैं या 15 दिन में इन्फार्मेशन नहीं आ सकती थी, मैं

(श्रीमती बीना काक)

आपसे बहुत नम्र निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो सवाल था यह कुछ वेग था। जैसा इसमें लिखा है, "क्या यह सही है कि राज्य में आमेर सहित विभिन्न स्थानों में पिछले समय में हवेलियों की खरीद-फरोख्त के कितने प्रकरण सामने आये।" आमेर एवं आमेर सहित विभिन्न स्थानों में। तो, माननीय सदस्य, आमेर के साथ विभिन्न स्थानों में पूरा राज्य आ जाता है। दूसरा आपका सवाल था कि हवेली, अब यह हवेली क्या है? राज्य सरकार द्वारा प्रोटैक्टेड हवेलियों की आप बात कर रहे हैं या निजी स्वामित्व की हवेलियों की बात कर रहे हैं या निजी स्वामित्व की जो प्रोटैक्टेड भी होती हैं, उन हवेलियों की बात कर रहे हैं? अगर यह सीधी तरह से कैटेगराइज हो जाता तो मैं निश्चय ही आपको बिलकुल स्पेसिफिक जवाब देती। फिर आपने बात की, विक्रय पत्रों की प्रतियां, क्रय-विक्रय का लेखा-जोखा, तो, माननीय सदस्य, कला संस्कृति विभाग के पास नहीं होता है यह पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के पास होता है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह आप सरकार के बिहाफ पर जवाब दे रही हैं न।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): एक मिनट, एक मिनट।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, कोई मिनट नहीं। आप सरकार की तरफ से जवाब दे रही हैं न।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैं आगे दे रही हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, राजस्व विभाग अलग है क्या गवर्नमेंट से? यह जवाब सही नहीं है।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैं आगे बोल रही हूं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप तो यह बताओ, किसका कब्जा है, कब-कब कब्जा किया, और कैसे किया, पूरे राजस्थान की जनता जानना चाहती है, मंत्रीजी।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): दूसरा मैं यह बताना चाहती हूं कि हवेली, हवेली का जो स्वरूप है वह भी रीजन-टू-रीजन

(श्रीमती बीना काक)

बदलता रहता है। परशियन में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो एनक्लोज्ड पैलेस कहलाती है। प्राइवेट मेंशन पैलेस कहलाती है। जैसे-जैसे जिसकी हैसियत, उतनी बड़ी हवेली होती है। (व्यवधान) लेकिन, लेकिन ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले मंत्रीजी का उत्तर आ जाए, मैं आपको पूरक प्रश्न की इजाजत दे दूंगा।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): फिर भी इतना वेग होने के बावजूद भी आज मैंने जिम्मेदारी से यह क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है और मैं यह समझ सकती हूं कि आपका तात्पर्य कुछ उन हवेलियों से होगा जो गत वर्षों में बहुत अधिक चर्चा में रहीं, ऐसा मैं मानती हूं, ऐसा मैं समझती हूं। तो मैं जवाब दे रही हूं आपका, मैं समझती हूं...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास : ...(व्यवधान)... मंत्रीजी, कई गरीब लोगों की हवेलियों पर कब्जे हुए हैं। प्रोटैक्टेड हवेलियों पर कब्जे हुए हैं, लोग धक्के खा रहे हैं अपनी हवेलियों पर कब्जा लेने के लिये।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ...(व्यवधान) अंदाजा तो यही लगाएंगे और मैं जवाब दे रही हूं। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): प्रोटैक्टेड हवेलियों पर जबरन कब्जे किये गये हैं, सरकारी इमारतों पर कब्जे हैं, सरकारी हवेलियों पर कब्जे हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): थानेदारों की ड्यूटियां लगाई गईं। पुलिस थाने से धमकाया गया लोगों को।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): पिछली वसुंधरा राजेजी की सरकार में जो पुरातत्व की हवेलियों की खरीद-बेच हुई है, यह ललित मोदी कौन है? (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ...(व्यवधान) जो हवेलियां 8, सिविल लाइन्स के माध्यम से बेची गईं उन हवेलियों के बारे में बताया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आज प्रश्न आवर नहीं चलने देना क्या? (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ...(व्यवधान) जो हवेलियां 8, सिविल लाइन्स के माध्यम से बेची गईं ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, पुलिस थानों को इस्तेमाल किया गया है इस काम के लिये। मुख्य मंत्री निवास से इंस्ट्रक्शन जाते थे पुलिस थानों को। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान) हवेलियों पर तो आपके कार्यकाल में ही कब्जे हो गये और बिकी हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी जवाब दे रही हैं, कृपया आप विराजिए।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय मंत्रीजी जोरदार जवाब चाहिये, पूरा राजस्थान देख रहा है, बेइमानी हुई है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लाइए ।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): राजस्थान स्मारक पुराशेष विधेयक, 1968 में आमेर को संरक्षित घोषित किया गया है। इसमें प्राचीन महल और पहाड़ियों के नीचे के जितने भी प्रासाद थे, उनको लिया गया। प्राचीन महल और पहाड़ी के ऊपर के हिस्से को प्रोटैक्ट किया गया और नर्सिंग जी के मंदिर को प्रोटैक्ट किया गया। 1974 में कुछ एरिया को आमेर महल के संरक्षित और कंट्रोल्ड एरिया, जैसा कि माननीय सदस्य ने फर्माया, जयपुर से आमेर होकर जाने वाले राष्ट्रीय राज-मार्ग पर बायीं ओर की हवेलियां और यह सब, राष्ट्रीय राज-मार्ग से मुड़ने वाली सरहद, तहसील और तहसील से ऊपर आगे राज प्रासाद को जाने वाली सड़क व दोनों ओर से समस्त स्थानों को आमेर महल सहित प्रोटैक्टेड घोषित किया गया और उसके आस-पास जो 50 गज की परिधि का चातुर्दिक क्षेत्र, उसको भी नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया। माननीय सदस्य, मैं बिलकुल इस चीज को जानती हूं। अध्यक्ष महोदय, 1961 के अधिनियम में जो भी स्मारक को नष्ट करता है, हानि पहुंचाता है, विकृत करता है, बिगाड़ता है, परिवर्तित करता है, विक्षीण करता है, उसका दुरुपयोग करता है और उसको खतरे में डालता है तो वह दंडनीय है। यह मानते हैं, यह मैं आपकी बात की पुष्टि कर रही हूं। 1974 का जो कंट्रोल्ड एक्ट है उसमें यह दिया हुआ है कि नियंत्रित क्षेत्र में जमीन के ऊपर के भवनों, संरचनाओं, अन्य निर्माण कार्यों, स्थिति, रंग इत्यादि निर्धारित कर सकेगी, राजस्थान सरकार कर सकती है तथा उनके बाह्य रूप को नियंत्रित करने के लिये वह करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह सब हुआ, चर्चाएं हुई तो विभाग के द्वारा करीब 30 लोगों को एक नोटिस दिया गया कि आप

(श्रीमती बीना काक)

इनका स्वरूप बिगाड़ रहे हैं, आप इन पर टिन शेड लगा रहे हैं, आप इन पर कब्जा करा रहे हैं। 1.5.2007 को यह नोटिस दिया गया। इन सब चीजों पर तो रोक है लेकिन प्रापर्टी ट्रांजेक्शन के ऊपर रोक नहीं होती है। निजी स्वामित्व की हवेली को कोई बेच सकता है क्योंकि वह दूसरे एक्ट से गवर्न होती है, इस एक्ट के अन्दर नहीं आता है। जैसा कि तीन हवेलियां जो बहुत चर्चा में रहीं, बाकियों का तो लेखा- जोखा कि मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग से आएगा। शम्भूराम भट्टाचार्य की एक हवेली बिकी हैरिटेज सिटी कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। विकास भट्टाचार्यजी की का एक मकान खंडहर था, लेकिन विकास भट्टाचार्यजी का एक मकान बिका जो भी हैरिटेज सिटी कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज हुआ और एक सत्यनारायण बैराठी पुत्र सरोज गुप्ता एवं शकुंतला बैराठी गोर मे आन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर जो चर्चा में आई, वह यह दर्ज हुआ। कुछ जो असल नजर थी वह तो एक और हवेली ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): मंत्री महोदय, आप यह घुमा-घुमा कर जवाब मत दीजिए।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदया को जवाब देने दीजिए कृपया। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): जो जवाब है उसको स्पष्ट कीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदया जवाब दे रही हैं, कृपया आप लोग व्यवस्था बनाये रखें। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): आप ऐसे घुमा-घुमा कर जवाब दे रही हैं इससे सदन को स्पष्ट नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं आप किसी को अलाउ नहीं करूंगा, केवल मूल प्रश्नकर्ता। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ...(व्यवधान) सरकार इसकी सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराती है? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह बीना किलाचंद की जो हवेली है उसका क्या हुआ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ...(व्यवधान) इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: केवल मूल प्रश्नकर्ता और कोई नहीं। (व्यवधान) और किसी को इजाजत नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रही हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिये, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।

एक माननीय सदस्य : पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए, कौन-कौन लोग थे उजागर किया जाए। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: (व्यवधान) और किसी को इजाजत नहीं है। मूल प्रश्नकर्ता के अलावा और कोई नहीं। (व्यवधान) केवल मूल प्रश्नकर्ता को सप्लीमेन्ट्री पूछने के लिए मैंने इजाजत दी है, मेहरबानी करके आप लोग विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह क्या है, सत्ता पक्ष के लोगों का व्यवहार देखिये आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: केवल मात्र मूल प्रश्नकर्ता को मैंने निवेदन किया है, बाकी के लोग कृपया विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): संसदीय कार्य मंत्री क्या इशारा कर रहे हैं? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है, पुलिस के थानों को, कचहरियों को लोगों को बेचान करने के लिए मजबूर करने के लिए इस्तेमाल किया गया । (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): अध्यक्ष महोदय, कम्पनी किसकी है, किसी व्यक्ति की है, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है उसका नाम सदन के समक्ष रखा जाए। कम्पनी के कौन-कौन सदस्य हैं, इसकी स्थिति स्पष्ट की जाए। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपकी नजरों के सामने सत्ता पक्ष के लोग...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपकी नजरों के सामने सारा काम गलत कर रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): गलत काम हम नहीं कर रहे हैं, गलत काम आपकी सरकार ने किया। जब आपकी सरकार थी तब जयपुर की राजधानी आमेर को बेच दिया। (व्यवधान) हवेलियों पर कब्जे हो गये, गरीब आदमी की हवेलियों पर कब्जे हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कोई तथ्य नहीं है इन बातों का।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हवेलियों पर कब्जा हो गया, गरीब आदमी की हवेलियों पर कब्जा हो गया। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): कम्पनी के सदस्यों का नाम सदन में रखा जाए। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सदन में सीबीआई से जांच कराने की बात हो रही है, आगे बढ़कर, आदरणीय तिवाड़ीजी से अनुरोध करूंगा कि बीजेपी यदि चाहती है तो बीजेपी विधायक दल आगे बढ़कर सदन के नेता से ...(व्यवधान) कह दें कि हम जांच कराने को तैयार है।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): कौन उसका अध्यक्ष है, कौन सदस्य है, वह कम्पनी किसकी थी? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपको परेशानी क्या है अगर इसकी जांच होती है, परेशानी किस बात की है? (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): मंत्री महोदय, जवाब दीजिए इस बात का।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): भाजपा विधायक दल यह लिखकर दें, जांच कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। (व्यवधान) फैसला हो जाएगा इस बात का कि किन लोगों ने हवेलियों को बेचा। फैसला हो जाएगा इस बात का कि किन लोगों ने हवेलियों को बेचा, कौन लोग बेइमान हैं, किन लोगों ने जयपुर की जनता के साथ धोखा किया। सीबीआई से जांच कराई जाए। बीजेपी के लोग सीबीआई से जांच कराने से डर रहे हैं। आपके राज में हवेलियां बिकीं। हवेलियां कांग्रेस के राज में नहीं बिकीं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सब विराजिये, मैं केवल मूल प्रश्नकर्ता को इजाजत दे रहा हूं (व्यवधान) केवल मूल प्रश्नकर्ता को इजाजत दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): संसदीय कार्य मंत्री इशारा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): संसदीय कार्य मंत्री क्या करेंगे, हवेलियां बेची आपने हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: केवल मूल प्रश्नकर्ता पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। कृपया विराजिये, विराजिये। कृपया आप लोग विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलेगा। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, जांच करा लें कि हवेलियों पर कब्जा किसका था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सत्ता पक्ष प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहता। कई महत्वपूर्ण सवाल बाकी हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): जब यह जांच कराओगे कि हवेलियों पर कब्जा किसका था तो फैसला हो जाएगा ।

श्रीमती जाहिदा (कामां) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से जवाब मांगिये। (व्यवधान) 8, सिविल लाइन से इस सबका क्या सम्बन्ध है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह सदन को चलने नहीं देना चाहते। यह सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलेगा। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): स्पष्ट कराइये सदन में कि उस कम्पनी के मालिक का क्या नाम है? कौन-कौन व्यक्ति उस कम्पनी में सदस्यता रखते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती जाहिदा (कामां): 8, सिविल लाइन से इस सबका क्या सम्बन्ध है? (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हमारे मुख्य मंत्रीजी से मत पूछो, यह फैसला आपको करना है, हवेलियों पर कब्जा आपके लोगों का

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

है, आपके लोगों ने कब्जा किया, हवेलियां आपके कार्यकाल में बिकी हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में हवेलियां नहीं बिकी हैं। (व्यवधान)

श्रीमती जाहिदा (कामां): हम तो चाहते हैं इसका स्पष्ट जवाब दें। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हमारे राज में नहीं बिकी हैं। (व्यवधान) घनश्यामजी, कटारियाजी खड़े होकर बता दें कि हवेलियां उनके राज में नहीं बिकीं। हवेलियां आपके राज में बिकी हैं तो जवाब आप दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक प्रश्न के उत्तर में 24 मिनट जा चुके हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी पड़े हुए हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): जवाब नहीं दे सकते। (व्यवधान) हम तो वैल में नहीं आ रहे। यह सदन का माहौल बिगाड़ रहे हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष चाहता ही नहीं है कि सही स्थिति प्रदेश की जनता के सामने आए, यह प्रतिपक्ष चाहता ही नहीं है। (व्यवधान) चोर की दाढ़ी में तिनका।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, उस कम्पनी के मालिक का नाम स्पष्ट कीजिए, कौन उस कम्पनी के अन्दर मालिक है? (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष/प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(भाजपा के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.25 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

(समय : 12.25 बजे)

(पुन: समवेत् होने पर)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अर्ज करना चाहती हूं कि राजस्थान में हैरिटेज कंजर्वेशन और प्रोटैक्शन के लिये सरकार कमिटेड है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्वेश्चन-आवर में कोई भी... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, किस नियम के तहत बोल रही हैं मंत्रीजी? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): और वह पुरा महत्व के काम ले रही है। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप तो जांच की घोषणा कर दें मंत्रीजी कि जांच करवाएंगे।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): कंजर्वेशन के काम, खास तौर से जयपुर में...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): फैसला हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): मंत्री महोदय, आप तो उसकी जांच पर बात कह दीजिए सदन में। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रही थी, जो हवेलियों की खरीद-फरोख्त का मामला था उसकी जांच सरकार करवाएगी। (व्यवधान) इसमें सरकार जांच करवाएगी। और जो अवैध कब्जे, कई हुए हैं...(व्यवधान) किसी भी ऐतिहासिक इमारत के ऊपर, उसके ऊपर एन्क्रोचमेंट्स को हटाया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह काहे पर बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सरकार जो भी पुरा महत्व की हवेलियों में खरीद-फरोख्त में प्राइमा फेसी वित्तीय गड़बड़ी हुई है, किसी भी तरीके की, और एन्क्रोचमेंट्स को हटाने की पूरी कार्यवाही करेगी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): कौन से नियम के तहत बोलना चाह रहे हैं लोग, अध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): मंत्रीजी, सी.बी.आई. से जांच की मांग है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। कोई चर्चा नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा आग्रह है, हम निवेदन करना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, आसन का आदर करते हुए निवेदन करना चाहते हैं, यह सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलेगा।

श्री अध्यक्ष: कोई चर्चा नहीं होगी, किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी। (व्यवधान) स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह क्या +++ कर रही हैं सदन में? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंत्रीजी ने किस हैसियत से यह बात कही, अध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): क्या बात है, क्या बात कर रहे हैं आप? शालीनता तो रखिये। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मंत्रीजी ने जांच की घोषणा कर दी, अब तो जांच होगी, कर दी घोषणा। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): शालीनता तो रखिये कम से कम, माननीय सदस्य। +++ अच्छा लगता है क्या? (व्यवधान) आपको शोभा नहीं देता इस तरह की बात करना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप जिस जगह पर खड़ी हैं। (व्यवधान) यह बिना परमीशन से नहीं होगा। (व्यवधान) यही होगा बिना परमीशन बोलेंगे तो। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है : -

1. श्री पवन दुग्गल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से श्रीगंगानगर के उप श्रम आयुक्त के पद को जयपुर स्थानान्तरित कर देने से मजदूर वर्ग को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है, जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

2. श्री शिवजीराम मीणा एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से नगर पालिका क्षेत्र जहाजपुर को अभावग्रस्त घोषित करने के उपरान्त भी अकाल राहत कार्य स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से जिला कोटा में बिजली विभाग की लापरवाही से हो रही दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

4. श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 16 मेवात आवासीय बालिका विद्यालय प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इस पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी माननीय सदस्य श्री कटारिया को राज्य के आय-व्ययक पर चर्चा के समय इस विषय पर बोलने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है।

5. श्रीमती अनीता सिंह, सदस्य की ओर से भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के पक्षियों के लिए पांचना बांध से पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

6. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जयपुर की हैरिटेज पहचान जलमहल को बेचे जाने एवं पुरातत्व महत्व समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से प्रदेश में भीषण अकाल के कारण चारे का भारी संकट उत्पन्न होने तथा पशु व चारा अनुदान राशि नहीं बढ़ाने एवं रुके हुए अनुदान का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से राज्य के अभावग्रस्त घोषित ग्राम के किसानों को केन्द्र सरकार की नीति अनुसार डीजल में 50 प्रतिशत सब्सिडी दिये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती अनीता सिंह, श्री हनुमान बेनीवाल, श्री ज्ञानचन्द पारख एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

1. श्री ओम जोशी के द्वारा
2. श्री मदन प्रजापत के द्वारा
3. सुश्री सिद्धि कुमारी के द्वारा
4. श्री प्रदीप कुमार सिंह के द्वारा
5. श्री छोटू सिंह भाटी के द्वारा
6. श्रीमती संजना आगरी के द्वारा
7. श्रीमती मंजु देवी के द्वारा
8. श्री मोहन लाल गुप्ता के द्वारा
9. श्री महावीर प्रसाद जीनगर के द्वारा
10. श्री सुखराम कोली के द्वारा
11. श्री ज्ञानदेव आहूजा के द्वारा
12. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल के द्वारा

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्रीमती अनीता सिंह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल आज समाप्त हुआ एक घंटे के लिये, सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने..

श्री अध्यक्ष: अब बात हो गई, क्यों उस बात को, खतम करो न बात।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, बात खतम नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह समाप्त हो गया, फिर खड़ा हो जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, माननीय मंत्रीजी ने खड़े होकर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो भूत बोतल में चला गया, उसको वापस उखाड़ करके खड़ा करने से क्या फायदा?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : नहीं, मैं भूत को नहीं निकाल रहा हूं। जो भूत बाहर निकला उसको वापस बोतल में डालने के लिये मंत्री महोदय... उसको वापस... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कृपया इसको समाप्त करिये। श्रीमती अनीता सिंह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उसको वापस डालिये। माननीय मंत्रीजी ने जो कुछ कहा है बिना परमीशन के कहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं निवेदन करुंगा आपसे कि इसको अननैसेसरीली से लम्बा करने से कोई मतलब नहीं है। फिर यह बढ़ेगी, फिर यह उछलेगी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय प्रतिपक्ष के नेता यह बता रहे हैं ...(व्यवधान) जिसमें मुख्य सचिव हो, 8, सिविल लाइन्स का उदाहरण हो, वह स्टेट की कमेटी से इन्क्वायरी नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष: इसको आप समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): केवल भारत सरकार का पैसा ही नहीं, इस पूरे पब्लिक का शेयर लगा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इसको समाप्त करें। चर्चा समाप्त। श्रीमती अनीता सिंह। चर्चा समाप्त हो चुकी है । चर्चा समाप्त। प्रकरण समाप्त। आप कृपया रहने दीजिए। आप कृपया विराज जाएं। चर्चा समाप्त करिये। कृपया आप विराजिये। कृपया आप विराजिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): तो केवल सी.बी.आई. से इन्क्वायरी हो सकती है, यह कहना चाहते हैं? आप कृपा करके व्यवस्था दीजिए। सी.बी.आई. इन्क्वायरी करवाइये। जो बात सामने आयी है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिये। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री अध्यक्ष: हां, श्रीमती अनीता सिंह।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही ज्वलंत विषय के बारे में आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि भरतपुर के अन्दर केवलादेव उद्यान है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है। माननीय श्रीमती अनीता सिंह केवल बोलेंगी। कोई अंकित नहीं होगा। श्रीमती अनीता सिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पानी की व्यवस्था

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): भरतपुर स्थित जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसके विषय के बारे में, ज्वलंत विषय के बारे में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि केवलादेव जिसको घना के नाम से जाना जाता है, और कभी साइबेरियन सारस के भी पर्यायवाची शब्द के रूप में इसको जाना जाता था, यह पूरे भारत देश में एक ऐसा इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है जहां जलाशयों की भूमि है, जिसको वैट लैण्ड भी कह सकते हैं जो आज भी पक्षियों के लिए स्वर्ग की भांति है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि 29 वर्ग किलोमीटर में फैले इस विहार को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। भारत में

(श्रीमती अनीता सिंह)

कई जगह ऐसी जलाशयों की भूमि है लेकिन राष्ट्रीय उद्यान की भूमि कहीं पूरे देश में है तो वह अकेली एक केवलादेव है इसलिए इसको 1984 में यूनिस्को ने भी विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। मैं यह कहना चाहती हूं कि यहां पर जो प्रवासी पक्षियों की तादाद पर्यटकों की लगातार आवाजाही बनाये रखती है और यह जो हमारे भरतपुर हमारे राजस्थान, का ही नहीं पूरे विश्व में इस पर हम गर्व करते हैं। यह जो गर्व है यह खतरे के निशान पर आया हुआ है क्योंकि यूनिस्को की वैबसाइट के अन्दर यह साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर 01 फरवरी, 2011 तक उद्यान में पानी की समस्या का निपटान नहीं हुआ तो खतरे में जो विश्व धरोहर है, उस मार्क के अन्दर इसको डाल दिया जाएगा। जो टीम आयी थी यहां पर यूनिस्को की, इसने भी पानी की कमी को देखा है और इस बात को कहा है कि पानी की कमी से जूझ रहे हैं और पक्षी जो यहां पर आते थे, कलरव करते थे, उन पक्षियों से यह घना लगभग खाली होता जा रहा है। इस उद्यान को बचाने के लिए सरकार कोई भी प्रयास नहीं कर रही है।

मेरा निवेदन है और मैं आपके ध्यान में डालना चाहती हूं कि पिछला जो मुख्य मंत्री का बजट भाषण हुआ था उसके पैरा 106 में ईको ट्यूरिज्म, में, होटल इंडस्ट्री को प्रोत्साहन की बात की थी।

107 में उन्होंने कोई 42 करोड़ 54 लाख रुपये से जल स्रोतों को उत्पन्न करने की बात कही थी। लेकिन केवलादेव में आज तक जल स्रोतों के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। यदि उद्यान इसी तरीके से खतरे में जाएगा, वहां पक्षी नहीं आएंगे, तो मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमारे यहां पर जो ट्यूरिस्ट्स आते हैं, होटल में ठहरते हैं, खाना खाते हैं, रिक्शे वाले हैं, एक बहुत बड़ा व्यवसाय का रूप केवलादेव उद्यान की वजह से बना हुआ है भरतपुर, वह बिलकुल नीचे चला जाएगा। वह खतम हो जाएगा। पहले इस उद्यान को पांचना बांध से पानी दिया जाता था लेकिन अब विगत वर्षों से उसको वहां से पानी नहीं दिया जा रहा है और पानी की कमी की वजह से इस उद्यान की रौनक खतम होती जा रही है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि सरकार को सिंचाई विभाग, राज्य जल बोर्ड और पक्षी वैज्ञानिकों, पर्यावरणविद् व अन्य विशेषज्ञों की एक बैठक बुलानी चाहिए जिससे उस उद्यान में पानी की जो जरूरत है, उस जरूरत को पूरा कर सके। इसके

(श्रीमती अनीता सिंह)

लिए विभिन्न योजनाओं पर काम भी हो सकता है। इसमें नहर है, उसके लिए पैसे की जरूरत है, वहां पर उसे बनाया जाए तो वहां से पानी आए। मामले की गम्भीरता देखकर पिछली सरकार ने 55 करोड़ रुपये इन योजनाओं में डाले थे लेकिन मेरा यह आरोप है कि इनमें एक नया पैसा घना के लिए, उसके जल स्रोतों के लिए यूज नहीं किया गया। आज यहां पर पानी की समस्या गम्भीर रूप लेती जा रही है और उस नुकसान की भरपाई भी सम्भव नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए हमारे भरतपुर की जो शान है, जो हमारे देश की शान है पूरे विश्व में, उसको बचाया जाना चाहिए। यहां पर नलकूप भी खोदने चाहिए। पीने के पानी की जो योजना चम्बल नदी से हमारे यहां पर शुरू है, उस चम्बल नदी से भी पानी हमारे इस घना के लिए लाना चाहिए।

मेरा आपसे निवेदन है कि इस कार्य को कराने से चम्बल का 62 एम.सी.एफ. पानी मिल सकता है, और पाइप लाइन से इसमें डाला जा सकता है इसके लिए जल संसाधन विभाग को ध्यान देना चाहिए।

मेरा निवेदन है कि जब यहां के जलाशय पानी से लबालब थे तब वारैठ, गीज, कामनटिल, पिटेल, सरवर पक्षियों के असंख्य जोड़े यहां पर भारी संख्या में दिखते थे और देशी और विदेशी पर्यटक यहां पर उनको देखने आते थे। 2001 में इन प्रवासी पक्षियों का आना धीरे-धीरे बंद होने लगा और पक्षियों की तादाद आज की तारीख में कम होती जा रही है। इसका मेन कारण पानी की कमी है, इसमें पानी नहीं है, जलाशय सूख रहे हैं। पक्षियों के लिए भोजन रूप वनस्पति भी जो इसमें पैदा होती थी वह नष्ट हो रही है। यह विहार पूरे भारत में श्रेष्ठ माना जाता है। यहां पर 300 पक्षी और 379 पेड़-पौधे अलग-अलग प्रजातियों के पाये जाते हैं। 96 प्रकार की प्रजातियां वैट लैण्ड वाली हैं जो घना के अन्दर आती हैं। इस विहार में रोजाना 500 और 600 पर्यटक आते हैं लेकिन पानी की वजह से पक्षी आने लगातार कम हो गये हैं और पक्षियों के लगातार कम होने की वजह से पर्यटकों की संख्या में भी गिरावट आ रही है। अगर यह पानी की समस्या सुलझ जाएगी और यहां पर यह पानी आ जाएगा तो हमारे घना का और भरतपुर का विकास ईको ट्यूरिज्म डवलपमेंट है, यह भी हो जाएगा। मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पांचना बांध से घना को पानी दिलवाने का प्रबंध करें और सरकार से इसका जवाब जरूर दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष: थैंक यू। विराजिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गत सरकार को कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका नाम नहीं है इसमें, आपका है ही नहीं। ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इस घना बर्ड सैंक्चुरी के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ...(व्यवधान) 62 करोड़ का एक प्रोजेक्ट ...(व्यवधान) आप सुनिये ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप सुनिये, एक मिनट, 62 करोड़ रुपये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इसको बजट के वक्त उठाएं। डिमांड के वक्त उठाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरे को तो बोलने दो।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): घना बर्ड सैंक्चुरी का बजट में प्रोविजन करवाया था। सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इसको बजट के वक्त उठा लें, डिमांड के वक्त उठा लें। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): डाक्टर साहब, विराजो न आप। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): फालतू की बात हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। अध्यक्षजी, आप व्यवस्था दो। इनको बोलने दीजिए। आप विराजिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप एक मिनट सुन लीजिए न, आपको काहे की पीड़ा हो रही है?

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल, आपका समय जा रहा है, आप शुरू करिये। आपके दल के हैं। श्री हनुमान बेनीवाल, आपका समय जा रहा है। हनुमानजी, आप शुरू करें। श्री हनुमान बेनीवाल।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए स्वीकृति हुई थी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह कोई बात है क्या? एक मिनट, डाक्टर साहब, बोलने दो न हमारे को। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन स्वीकृत हुई थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप शुरू करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं बोलूं क्या, साहब, कोई यह बीच में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका समय जा रहा है, फिर समय सीमित है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इसके टेंडर की प्रक्रिया भी स्वीकृत हुई, उसमें डिले यह सरकार क्यों कर रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। आप शुरू करो। आज समय की कमी है, आप जरा शुरू कर दो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हनुमानजी बेनीवाल पर ज्यादा ही मेहरबानी रखते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान के अन्दर एक ऐसे लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप सहयोग करें हनुमानजी बेनीवाल को। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हनुमान बेनीवाल पर इतनी मेहरबानी क्यों है?

जयपुर स्थित जलमहल का बेचान

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): राजस्थान की सरकार एक ओर तो जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी और हैरिटेज सिटी बनाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जलमहल को निजी कम्पनी के हाथों में बेच दिया गया। आज जयपुर के अन्दर मुख्य पीने के पानी के मुख्य स्रोत तालकटोरा, आमेर का मावठा और रामगढ़ बांध पूरी तरह से सूख चुके हैं। अगर कोई आशा की किरण नजर आती है तो जलमहल। पुरातात्विक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से भी जयपुर आज वर्ल्ड के अन्दर हवामहल और जलमहल की वजह से विख्यात है। इस कहानी की शुरूआत होती है 2002 से, जब प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री के इशारे पर जलमहल को एक निजी कम्पनी को बेचने की तैयारी की गयी। उसके ग्लोबल टेंडर करवाये गये और के.वी.के. कंसोर्टियम, एक निजी कम्पनी को जलमहल को बेच दिया गया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती। आज पानी के लिए पूरे राजस्थान में त्राहि-त्राहि मच रही है, अगर जलमहल अपने हाथों से चला गया तो अध्यक्ष महोदय, जयपुर की जनता के सामने बहुत बड़ी विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। अब्दुल कलाम बनाम राजस्थान सरकार के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है कि किसी भी नदी-नाले और जलाशय के अंगार में या उन पर कोई अतिक्रमण नहीं किया जाएगा, उनके मूल स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उसके बाद के.वी.के. कम्पनी ने 54 हजार स्क्वायर मीटर के बजाय 1 लाख 30 हजार स्क्वायर मीटर के अन्दर काम-काज शुरू कर दिया, पानी की आवक रोक दी गयी। अध्यक्ष महोदय, यह कौमी एकता की सबसे बड़ी पहचान है। साम्प्रदायिकता की बहुत बड़ी मिसाल जलमहल के महलों के अन्दर है जहां सेज बाबा की दरगाह और हनुमानजी का मंदिर भी है। अगर निजी कम्पनी के हाथों में बेच दिया गया तो लोग वहां दर्शनों को नहीं जा सकेंगे। बहुत बड़ी विकट समस्या इस जयपुर के अन्दर आने वाली है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस जलमहल को जो 99 साल की लीज पर राजस्थान की सरकार ने प्राइवेट कम्पनी को सौंपा है, उस लीज को रद्द किया जाए। और जयपुर को वापस उसके पुरातत्व महत्व को ध्यान में रखते हुए जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिये आप राजस्थान सरकार को निर्देश जारी करें। प्रदूषण मण्डल ने अभी भी इसकी एन ओ सी जारी नहीं की है, उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार के अन्दर बैठे हुए ताकतवर लोग जबरदस्ती उस कम्पनी को दे रहे हैं। मैं तो यह कहना चाहूंगा, उस कम्पनी का जो मालिक है, वह कांग्रेस के कई मंत्रियों को चंदा देता है और विधान सभा में क्वेश्चन ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें प्लीज। विराजें प्लीज। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और इस लीज को रद्द किया जाए। आज भी बहुत से स्वयं सेवी संगठन ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कुछ और भी निगाहें हैं जो उनको देख रही हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज स्वयंसेवी संगठन जन जागरण के माध्यम से झील को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हनुमानजी बेनीवाल ने जो मामला उठाया है, यह जलमहल ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज बैठें। प्लीज, आप विराजें। नहीं, अंकित नहीं। मेहरबानी करके, गलत बात है, अंकित नहीं करवाऊंगा। (व्यवधान) न, न, अंकित नहीं होगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पर्यटन मंत्री पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करती हैं और दूसरी तरफ इस जलमहल के साथ मुझे लग रहा है .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कि जयपुर की सारी ऐतिहासिक धरोहरों को एक-एक करके बेच दिया जाएगा। ये लोग यही करने वाले हैं।

(श्री हनुमान बेनीवाल)
इसलिये, अध्यक्ष महोदय, इस लीज को रद्द करवाने के लिये जयपुर की जनता विधान सभा अध्यक्ष की ओर देख रही है।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आप उधर परफार्मेन्स दिखा रहे हो क्या? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): परफार्मेन्स ठीक नहीं है क्या, बढ़िया परफार्मेन्स है।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आज आप उधर परफार्मेन्स दिखा रहे हैं, नम्बर वहां से लेने हैं। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): इनको मालूम नहीं है, यह लीज बीजेपी के राज में ही दी गयी थी।

श्री अध्यक्ष: आज विराजें, माननीय मंत्री महोदय।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): लीज इनको पूछकर दी गयी थी। इनका एरिया पड़ता है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आज आप उधर से नम्बर ले रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख। आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आप इनको टोक रहे हो, इस देखा-देखी से आदतें और बिगड़ेंगी न । इनको पता है कैसे बिठाना है इनको, सीख जाएंगे तो दिक्कत होगी हमेशा के लिये। इसलिये बोलने देते, दिक्कत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप आपने माननीय सदस्य के साथ अन्याय कर दिया। अब इनको पता लग गया, इनको किस तरह ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं बार-बार इनको बैठने के लिये भी कह रहा था, लेकिन उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। श्री पारख साहब।

पशु व चारा अनुदान राशि में वृद्धि

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबको पता है, इस बार प्रदेश में भीषण अकाल है और सरकार खुद मानती है कि पूरे प्रदेश में चारा कहीं पर भी नहीं है। जो बाहर से चारा आता है उसकी दरें भी इतनी मंहगी हो गयीं कि किसी भी पशुपालक के लिये सम्भव नहीं कि इतने मंहगे

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

भाव पर चारा खरीदकर चारा खिलाकर अपने पशु के जीवन की रक्षा कर सके। मैं धन्यवाद दूंगा उन गौ-शालाओं को जो इस संकट के समय किसानों के पशुओं को अपनी गौ-शालाओं में लेकर उनको पानी, पशु आहार, सब उपलब्ध कराकर उनके जीवन की रक्षा कर रही हैं। सरकार भी अपना कुछ दायित्व निभा रही है। सरकार ने घोषणा कर दी कि जितनी भी गौ-शालाएं हैं हम प्रति पशु छोटे पशु 10 रुपये और बड़े पशु 20 रुपये अनुदान के रूप में देंगे। पांच साल पहले यही अनुदान था जब चारे के भाव ढाई या तीन रुपये किलो थे। किन्तु अब जब चारे का भाव सात-आठ रुपये पहुंच गया तब भी सरकारी अनुदान की राशि में एक रुपये का भी इजाफा नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो गौ-शालाओं वालों की हिम्मत है कि इतने मंहगे भाव में चारा लाकर भी पशुओं को बचा रही हैं, वर्ना सरकार के भरोसे रहे तो एक भी गाय नहीं बचे। फिर भी यदि सरकार ने मदद नहीं की, सरकार ने साथ नहीं दिया तो हो सकता है, आने वाले कल में गौ-शाला वालों की हिम्मत भी टूट जाए। मेरा सरकार से आग्रह है, अनुरोध है कि जिस अनुपात में चारे के भाव बढ़े, उसी अनुपात में सरकार भी अनुदान राशि बढ़ाएं।

इसके साथ ही जो चारे के ऊपर सब्सिडी है, चारा डिपो चला रखे हैं, सरकार ने कुछ समाजसेवी संस्थाओं से आग्रह किया कि चारा डिपो चलाओ, चारा डिपो में सब्सिडी वह की वह है, जो छह साल पहले दी जाती थी। जिस समय 200 रुपये प्रति क्विंटल चारा आता था तब भी सब्सिडी अन्तिम 100 रुपये तक थी और आज चारा 600 रुपये क्विंटल है तब भी आपकी सब्सिडी वह की वह 100 रुपये है। 500-600-700 में भी आता है, 400 में जितनी गाड़ी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज कृपया व्यवस्था बनाये रखें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, मैं खुद चारा डिपो चलाता हूं। 400 रुपये में यदि माननीय सदस्य चारा दिलवा दें जितनी गाड़ी यह दें, मैं लेने को तैयार हूं।

एक माननीय सदस्य : चारा डिपो चला रहे हो, इसलिये 600 रुपये में बेच रहे हो।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): सब्सिडी दूरी के अनुसार है, 70 से लेकर 100 से ज्यादा नहीं है। उसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अनुदान देने की घोषणा कर दी। गौ-शालाओं को और चारा डिपो ... (व्यवधान)

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मेरे घर में एक भी गाय नहीं है, न मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति के पास एक भी गाय है। हम तो गांव की गाय सम्भालते हैं। ऐसी बात मत करो आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप चालू रखो, इधर ध्यान मत दो। कृपया शांति रखें, डिस्टर्ब नहीं करें। आप तो चालू रखो।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल पड़े हुए बहुत लम्बा समय हो गया था, सरकार की जानकारी में कभी का आ गया था कि चारे का बहुत बड़ा संकट राजस्थान की धरती पर है, सरकार ने अपनी ओर से अनुदान की घोषणा नहीं की थी और जब चारों तरफ से माननीय मुख्य मंत्री पर दबाव पड़ा तो एक नवम्बर को जाकर सरकार ने पहले वाला जो अनुदान था ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): उसी के अनुसार अनुदान की स्वीकृति जारी कर दी। सरकार ने अनुदान की स्वीकृति जारी कर दी, लेट की, पर आपके जो अधिकारी हैं, उनके बारे में मैं बता दूं, तीन महीने हो गये, सरकार ने अनुदान देने की स्वीकृति जारी कर दी लेकिन तीन महीनों में गौ-शालाओं को अनुदान के रूप में एक भी पैसा नहीं दिया गया। स्वीकृति जारी हो गयी पर चारा डिपो में एक भी पैसा नहीं दिया गया। (व्यवधान) ऐसा नहीं है, स्वीकृति है। मंत्री महोदय, अनुदान के बिल जो हैं उनकी हालत फुटबाल की तरह बनी हुई है- तहसीलदार कार्यालय से एस डी एम कार्यालय, फिर वहां से फुटबाल बनकर तहसीलदार कार्यालय, वहां से टी ओ और फिर टी ओ दो कमी निकालता है, फिर वापस तहसील में। एक महीने से बिल इधर-उधर घूम रहे हैं। चारा डिपो वालों ने आगाह किया कि आप हमारे बिल स्वीकार करो। सुनकर आश्चर्य होगा, आपका तहसीलदार नोटिस देता है एक समाजसेवी संस्था को, जो कि साठ साल पुरानी संस्था है, उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, जिसने हर अकाल के समय हजारों पशुओं को बचाया है, जिस संस्था की इज्जत स्वयं मुख्य मंत्रीजी करते हैं उसको तहसीलदार नोटिस देता है कि आप यह फार्मल्टी करो वर्ना आपके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): संस्था वाले तो उस चारा डिपो को बन्द करने वाले थे। मैंने जाकर आग्रह किया उनसे कि आप ऐसा नहीं करें क्योंकि इससे सरकार का नुकसान नहीं होगा, उससे किसानों को भारी नुकसान होगा, पशु मर जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को निर्देश दें कि वह सब्सिडी बढ़ाएं।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): चारे में अनुदान बढ़ाएं और जो अधिकारी ऐसे पवित्र काम में भी रोड़े अटकाते हैं, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मुद्दा है, वर्ना आपकी गौ-शालाएं बन्द हो जाएंगी।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप समाप्त करें। सारी बातें आ चुकी हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): चारा डिपो बन्द हो जाएंगे। यह कोई मामूली बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट का समय देते हैं और आपको नौ मिनट तो हो गये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय शिक्षा मंत्रीजी बैठे हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आप तो खुद गौ-पालक हैं, कम से कम गायों पर तो मेहरबानी रखें।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): समाजसेवी संस्थाओं को अधिकारियों ने नोटिस दिए हैं, वहां के जिला कलक्टर खुद मानते हैं कि ये नोटिस गलत हैं। छोटे अधिकारी कहते हैं कि वह तो पागल हो गया है। वह खुद कहते हैं कि यह पागल हो गया है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, आप वह नोटिस मंगवा लें।

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उनका समय जाया हो रहा है, उनको पूरा समय नहीं मिल पाएगा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): एक ही मिनट की बात है। आप वहां से नोटिस मंगवा लें, यदि आपको लगे कि वह भाषा सम्मानजनक नहीं है तो अधिकारियों को सबक सिखाएं।

श्री अध्यक्ष: आप खुद ही देख लें घड़ी में। कृपया समाप्त करें, आपकी पार्टी के व्हिप खड़े हो गये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आपकी सरकार को बदनाम कर देंगे वह। इससे आपकी भी बदनामी होगी। अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अभावग्रस्त गांवों के किसानों को डीजल हेतु सब्सिडी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने किसानों का हमदर्द बनने के लिए कई प्रकार के ढोंग रचे। कभी चुनाव घोषणा पत्र में कृषि बीमा की ग्राम इकाई पंचायत को बनाने की बात कही, कहीं उचित मुआवजा नीति बनाने की घोषणा की। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने गिरदावरी करायी 25 अगस्त को, उस गिरदावरी में 33464 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया और सितम्बर माह के अन्दर मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक हुई। केन्द्रीय अध्ययन दल आया और 12690 करोड़ रुपये का ज्ञापन इस सरकार ने केन्द्र की सरकार को दिया। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अन्दर इस बार सूखे की स्थिति थी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार ने एक अनूठी योजना राज्य सरकार को चलाने के लिए भेजी। एक निर्देश और आदेश भेजे 03 अगस्त, 2009 को, कि जिन भी गांवों को सरकार अभावग्रस्त घोषित करे, जो भी गांव अकाल की चपेट में आ जाएं, उन सब गांवों में किसानों को लेने वाले डीजल में पचास फीसदी सब्सिडी राज्य सरकार दे। उसका एक फार्मूला बनाया। केन्द्र सरकार ने लिखा राज्य सरकार को कि इस सब्सिडी के अन्दर आधी राशि राज्य सरकार वहन करे और आधी केन्द्र सरकार वहन करे। अध्यक्ष महोदय, 09 अगस्त को राज्य की तत्कालीन मुख्य सचिव दिल्ली जाती हैं, प्रधान मंत्रीजी बैठक लेते हैं और निर्देश देते हैं कि इस नीति को लागू करो। वहां वह यह आश्वासन देकर आती हैं कि हम इस नीति को लागू करेंगे, परन्तु यह सारा पैसा केन्द्र सरकार दे। अध्यक्ष महोदय, पंजाब सरकार ने इस नीति के अनुसार अपने किसानों को आधी दर पर पचास प्रतिशत सब्सिडी देकर राहत दी साढ़े चार सौ करोड़ की।

अध्यक्ष महोदय तीन अगस्त के केन्द्र सरकार के आदेश से 33464 गांवों में रहने वाले तीन करोड़ इकतीस हजार किसानों को 35 रुपये 51 पैसे के स्थान पर 17 रुपये 76 पैसे लीटर के हिसाब से डीजल मिलना चाहिए था। किसान की हमदर्दी का ढोंग रचते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन की तरफ देखकर बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यही बात नहीं, 28 अगस्त को इनकी सर्वेसर्वा जिनकी तस्वीर दिल में लिये घूमते हैं, सोनिया गांधीजी के सामने जब एक शिष्टमण्डल जाता है तो वह कहता है कि राजस्थान की सरकार इसको लागू नहीं कर रही। एक सीधा पत्र सोनिया गांधीजी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को लिखती हैं सात पृष्ठ का, जिसमें वह कहती हैं कि जो केन्द्रीय सरकार की योजनाएं हैं उनको यथावत् लागू करो।

श्री अध्यक्ष: क्या यह पत्र वही है या दूसरा है कोई?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, सोनिया गांधीजी इस सदन की सदस्य नहीं हैं और माननीय उप नेता महोदय ने कहा है कि जो सदन का सदस्य नहीं हो उनके नाम से चर्चा नहीं कर सकते।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, कल ये ज्ञान दे रहे थे कि जो सदन में नहीं हैं उनका नाम नहीं लिया जाए और वही सदस्य आज चर्चा कर रहे हैं। इनको दिशा-निर्देश दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मुझे यह मालूम नहीं था कि ये इतने निष्ठुर हैं कि इनके मन में इनकी राष्ट्रीय नेता की छवि नहीं है। मैंने तो यही कहा कि जिनकी दिल में आप तस्वीर लिये घूमते हो।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि 28 अगस्त के सोनिया गांधीजी के पत्र को दरकिनार कर दिया गया। यह प्रसन्नता की बात है...

श्री अध्यक्ष: नहीं, इस बात की आथैंटिसिटी क्या है?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, यह आप व्यवस्था दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत में कांग्रेस संगठन करेगा मदद। क्या फोटो है?

श्री अध्यक्ष: यह तो अख़बार की कटिंग है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इन अखबारों की कटिंग से सदन में वक्तव्य नहीं दिया जाता है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अख़बार पढ रहे हैं, पत्र कहां है?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का हथकण्डा बन्द करिए आप। आप या तो पत्र रखिए सोनिया गांधी का यहां पर।...(व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): पत्र नहीं है, अख़बार की कटिंग लेकर बोल रहे हैं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): यह किसानों के हित की बात है, इस पर दो घंटे की चर्चा होनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं सरकार से कि क्या 03 अगस्त, 2009 को चिट्ठी लिखी, आदेश दिया केन्द्र सरकार ने, 09 अगस्त को आपकी मुख्य सचिव दिल्ली में हां भरकर आयीं और 28 अगस्त को राष्ट्रीय नेता पत्र लिखती हैं कि राजस्थान के तीन करोड़ इकतीस हजार किसानों को सब्सिडाइज रूप में क्यों नहीं डीजल देना चाहते? क्यों ढोंग रचते हैं आप किसानों के हमदर्द होने का? यह किसका कसूर है? अध्यक्ष महोदय, यह छोटा विषय नहीं है, यह बहुत बड़ा विषय है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह संवेदनहीन सरकार है जबाव तो शायद नहीं दे, क्योंकि पराकाष्ठा हो गयी है, अपनी सरकार के निर्देश को नहीं माने, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं....

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सैस किसने लगाया था? आप ही ने तो लगाया था। इतनी जल्दी भूल गये आप?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अगर वाकई सरकार हमदर्द है तो सरकार के मंत्री खड़े होकर बताएं कि केन्द्रीय सरकार की योजना को लागू क्यों नहीं करना चाहते। अध्यक्ष महोदय, किरीट पारीक समिति की सिफारिशें लागू हो गयीं, दिल्ली के अन्दर जिस तरह की बातें हो रही हैं कि यह डीजल और महंगा हो जाएगा तो किसान बर्बाद हो जाएगा, इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती, इसलिए मेरी मांग है सरकार से कि सरकार केन्द्र सरकार ने जो घोषणा की, उसके अनुरूप राजस्थान के अभावग्रस्त इलाकों में जो किसान रहते हैं उनको आधी दर पर डीजल दे।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि यह गूंगी-बहरी सरकार जबाव दे या फिर यह एडमिशन हो जाएगा कि सरकार किसान विरोधी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। कृपया शांत रहें। अभिभाषण पर जो वाद-विवाद चला उसमें इण्डियन नेशनल कांग्रेस को जो समय आबंटित था वह था आठ घंटे आठ मिनट, जिसमें से छह घंटे अठारह मिनट उपयोग किया गया है, एक घंटा पचास मिनट बचा है। भारतीय जनता पार्टी को छह घंटे उन्नीस मिनट था, उन्होंने सात घंटे बाईस मिनट का उपयोग किया है। एक घंटा तीन मिनट अधिक समय का उपयोग किया है। ...(व्यवधान) कृपया शांति रखें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को पन्द्रह मिनट का समय था, उन्होंने तेरह मिनट अधिक समय का उपयोग किया है। जनता दल पांच मिनट, इन्होंने 12 मिनट का उपयोग कर सात मिनट ज्यादा समय का उपयोग किया है। समाजवादी पार्टी को पांच मिनट का समय था, उन्होंने पूरा पांच मिनट का ही समय लिया है। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी को पांच मिनट का समय था, उन्होंने 6 मिनट लिया है, केवल एक मिनट अधिक लिया है। निर्दलीयों को एक घंटा तीन मिनट थे, 11 मिनट काम में लिये हैं और 52 मिनट बचे हैं।

(समय : 13.00 बजे)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मेरा निवेदन करना है कि आज इधर से भी बोलना है, माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी वक्तव्य आएगा और कुछ माननीय सदस्य मुझे व्यक्तिगत रूप से यह भी कह कर गये हैं कि होली का त्यौहार है, किसी तरह से समय पर निपट जाए, तो इन सब चीजों को देखते हुए कुछ माननीय सदस्य और अधिक बोल सकें, उनको समय मैं दे सकूं, मजबूरी के बावजूद भी जितना समय सम्भव हो, इसलिए मैंने यह निर्णय किया है आप लोगों की इजाजत से कि प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(पढ़ी हुई मानी गयीं सूचनाओं के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज केन्द्रीय बजट में ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, आप विराजें। ...(व्यवधान)... आसन पांवों पर है, आप इतने सीनियर, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आसन पांवों पर है फिर भी आपको मुझे टोकना पड़े। ...(व्यवधान)....

आज दिनांक 26 फरवरी, 2010 को शून्य काल में बोलने हेतु 15 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका, द्वारा चार पर्चियां निकाली गयीं जो

(श्री अध्यक्ष)

निम्नांकित हैं- एक श्री शाले मोहम्मद जी की, दूसरी श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास जी की, तीसरी श्री बाबू सिंहजी राठौड़ की, चौथी श्री अमराराम जी की। श्री शाले मोहम्मद जी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न काल का बहिष्कार किया ...

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। आप विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)... आप समय खराब कर रहे हैं, आपका बोलने का समय आएगा तब आप बोलियेगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): शून्य काल में बोलने के लिए ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप समय खराब कर रहे हैं, माननीय सदस्य। ... (व्यवधान)... आप समय खराब कर रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आपने मुझे शून्य काल में बोलने के लिए कहा था। मैं पांच दिन से बोला नहीं हूं, किसी को टोका नहीं है।

श्री अध्यक्ष: लोगों को समय अधिक दे सकूं, इस बात के लिए मैं चिंतित हूं ...(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा, माननीय सदस्य, आप इतना समय खराब कर रहे हैं। अधिक लोगों को बोलने का अवसर दे सकूं, इस बात की चिंता है। ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले का राष्ट्रीय मरु उद्यान जो डी.एन.पी. क्षेत्र है, जैसलमेर जिले के 34 गांव ...(व्यवधान) जो राष्ट्रीय डैजर्ट पार्क के इस एरिया में आ रहे हैं उन गांवों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मूलभूत सुविधाएं ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको समय नहीं दिया, कहां दिया है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अब यदि वाद-विवाद पर बोलने का समय आपकी पार्टी की लिस्ट में होगा तो मिल जाएगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप समय खराब कर रहे हैं, बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। ...(व्यवधान)... समय की सीमा है, आप समय खराब कर रहे हैं। अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान जैसलमेर जिले के बहुत बड़े भू-भाग में 34 गांव ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): उस डी.एन.पी. क्षेत्र में पड़ते हैं और मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले के 1962 ...(व्यवधान)... जो बहुत बड़ा एरिया पड़ता है, जिसमें हजारों, लाखों लोग निवास कर रहे हैं उन लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो आपने ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती हैं तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है जबकि जिस प्रकार से ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): जिस प्रकार से डी.एन.पी. क्षेत्र बताया गया है, जिस प्रकार से उन्होंने बताया है ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): पर मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आसन की तरफ से व्यवस्था हो गयी, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): आपको वापस टाइम मिल जाएगा, क्यों बीच में मेरा टाइम ले रहे हो?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: यदि आप आसन को इस प्रकार धमका कर व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मैं क्षमा पूर्वक कह रहा हूं आपसे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र के निवासियों की समस्याएं

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान राष्ट्रीय मरु उद्यान की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस डी.एन.पी. क्षेत्र में जो लाखों लोग रह रहे हैं, उन लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं डी.एन.पी. क्षेत्र में होने की वजह से नहीं मिल पा रही हैं इसलिए उन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उस क्षेत्र में पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे वहां सड़क जानी हो, चाहे सब-सेण्टर खोलना हो, सब के लिए राष्ट्रीय वन अधिकारी बोर्ड से परमिशन लेकर उनको सुविधाएं दी जाती हैं और कहीं तो उनको परमिशन भी नहीं मिल पाती है। आज वो लोग वर्षों से वहां रह रहे हैं, उनका मूलभूत सुविधाओं का हक बनता है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से वन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, वन मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, पूर्व में इस प्रकार का प्रश्न इस विधान सभा में उठाया गया था, उस समय भी सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि इस क्षेत्रफल का एक बटा दस भाग ही डी.एन.पी. क्षेत्र में घोषित किया जाएगा जबकि आज 34 गांव जैसलमेर जिले के इस डी.एन.पी. एरिया में आ रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत बड़ा एरिया है इस एरिया को

(श्री शाले मोहम्मद)

कम किया जाए और इसके साथ में जो मूलभूत सुविधाएं उन लोगों को देनी चाहिए, वो सुविधाएं भी मिलनी चाहिए।

इसके अलावा हमें यह भी जानकारी मिली है कि इसमें कुछ जो गांव हैं उन गांवों को, आबादी को हटाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग वर्षों से निवास कर रहे हैं, जिनके पूर्वज भी यहां रहते थे, उन लोगों को यहां से हटाया नहीं जाए, उनको मूलभूत सुविधाएं भी दी जाएं। पांच गांव पूर्ण रूप से हटाने की बात आ रही है, उन लोगों को वहां बसाया जाए। कुल मिलाकर 9 गांव ऐसे हैं जिनमें से पांच गांव तो पूरा हटा रहे हैं और चार गांवों को आंशिक रूप से हटाया जा रहा है।

हमारा इलाका पशुपालक इलाका है, उस इलाके के लोग पिछड़े इलाके के लोग हैं, गरीब लोग हैं उन, लोगों को सुविधाओं की बहुत बड़ी जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि जो डी.एन.पी. एरिया के लोग बसे हुए हैं, जो लोग वर्षों से वहां काबिज हैं उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी देनी चाहिए और उन लोगों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो। हमारे वन मंत्रीजी बैठे हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो डी.एन.पी. का एरिया है उस एरिया में विशेष रूप से ध्यान देकर उन लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। वहां बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उन गांवों को सड़कों से जोड़ा जाए, चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। हर गांव को जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं जो डी.एन.पी. क्षेत्र में लोग रहे हैं उनको भी मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। धन्यवाद। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास जी।

सूरसागर के खनन क्षेत्र की अप्रोच रोड व अन्य समस्याएं

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर शहर की बात करना चाहूंगी। जोधपुर शहर में तीन विधान सभा क्षेत्र हैं उनमें से जिस क्षेत्र से मैं चुनी गयी हूं वो सूरसागर क्षेत्र है। वह क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है जहां जोधपुर पत्थर की सैंकड़ों खानें हैं जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपयों का राजस्व प्रति वर्ष प्राप्त होता है। परन्तु आज इन खानों से पत्थर उत्खनन हो रहा है, इस कारण एक सरकारी निर्देश ...

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगी कि मेरे को टोकना नहीं क्योंकि मैं फिर मेरी बात भूल जाऊंगी। अगर आप मेरे को टोक दोगे तो मैं बात भूल जाऊंगी।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, कितने मिनट बोलेंगी आप?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): भले ही मैं पांच मिनट बोलूं, दो मिनट बोलूं मेरी बात जरूर कहूंगी।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, ऐसा करें आप, सुनिये, सामने घड़ी देख लें, पांच मिनट घड़ी में ही देख लेना।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मेरी बात अगर दो मिनट में ही खतम हो जाए तो, मेरे को तो तकलीफ नहीं, पांच मिनट लगें तो भी नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरसागर क्षेत्र में सभी खानें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक-दूसरी पास-पास हैं। वहां पर खानों से निकलने वाले पत्थरों को परिवहन के लिए बीच में एक एप्रोच रोड बनायी हुई है। जो बनी हुई है, इस एप्रोच रोड पर पूर्व 40 वर्षों से ये खानें काम कर रही हैं। और दोनों 25-25 फुट जगह रोड हेतु छोड़नी पड़ती है जिससे इस एप्रोच रोड की चौड़ाई कुल मिलाकर 50 फुट हो जाती थी जो कि खान पत्थरों के परिवहन के लिए पर्याप्त से अधिक है। परन्तु पिछले कुछ अरसे से सरकारी निर्देश का हवाला देकर खान मालिकों को खान के दोनों ओर 45-45 मीटर की जगह एप्रोच रोड हेतु छोड़ने के लिए कहा गया है। अब 45 मीटर का अर्थ होता है 135-135 फीट दोनों ओर खान की साइज है सौ फीट, तो इतनी जगह कैसे छोड़ेंगे? अगर इस तरीके से करेंगे तो खान वाले अपनी खान का क्या धंधा करेंगे, इनका धंधा सारा चौपट हो जाएगा। खान मालिकों के विरोध से उक्त नियम को बदल कर 25-25 मीटर दोनों ओर कर दिया, अब 75-75 फीट दोनों ओर जगह छोड़ने से कुल स्थान छोड़ना पड़ेगा 150 फीट, जो कि खान चौड़ाई से भी अधिक है। तो फिर खनन कार्य किस क्षेत्र में होगा? खनन कार्य के लिए खान बचेगी या नहीं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊपर से पर्यावरण विभाग का तीस प्रतिशत स्थान वृक्षारोपण के लिए छोड़ने का आदेश, इस नियम का पालन कैसे होगा? जब उक्त दोनों ही नियमों का पालन नहीं होगा तो खान मालिकों के लिए रोजी-रोटी चलाने हेतु खनन कार्य के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

इन्सपैक्टर अपनी जेब गरम करते रहेंगे, जैसे तैसे खनन कार्य चलाये जाएंगे। ये दोनों ही नियम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे विश्व प्रसिद्ध जोधपुर पत्थर उद्योग से जुड़े हजारों लोगों का रोजगार छिन जाएगा और श्रमिक रोड पर आ जाएंगे।

दूसरा व्यावहारिक बिन्दु इसमें यह है कि एप्रोच रोड पत्थर की ढुलाई के लिए काम में आता है, यह हाई-वे नहीं है अत: पचास फीट की रोड पर्याप्त है, पचास फीट की रोड होनी चाहिए। जोधपुर में तीन विधान सभा क्षेत्र हैं, एक विधान सभा क्षेत्र से माननीय मुख्य मंत्रीजी चुनकर आते हैं, और दो क्षेत्र रहे। मैं सूरसागर से आयी हूं, मैं जब सूर सागर के अन्दर जाती हूं तो जो भी खान चलाते हैं उन्होंने अपनी समस्या रखी, मेरे को सही आप पूछें, जिस तरीके से उन्होंने मेरे को बताया, मैं कोई बिजनसमैन नहीं हूं, मैं गृहिणी हूं, मगर मेरे को जिस तरीके से उन्होंने बताया, हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है तो मेरे तो वहीं आंखों में आंसू आ गये कि इनके ट्रक कहां से जाएंगे, खान मालिक कैसे खनन करेंगे। इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय सामने विराजमान हैं। मैंने मंत्री महोदय को लिख कर भी दिया है, मगर उन्होंने कोई पत्र पढ़ा नहीं है खाली ऐसे देखकर रख दिया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि खान मालिकों को इस एप्रोच रोड़ के लिए जो चालीस वर्ष पुराने नियम थे, वहीं लागू करें तो खान मालिक अपना खनन अच्छी तरह से कर सकेंगे। जो कोई भी नियम लागू किया है उसको वापस सुधारा जाए और खान मालिकों को सुविधा दी जाए। उस नियम को व्यावहारिक बनाने के पूर्व में चालीस सालों का पच्चीस फीट दोनों ओर का नियम वापस लागू करें, यह हजारों लोगों से जुड़ी समस्या है। माननीय सदन के नेता का गृह जिला है, जो खनन करने वाले हैं, व्यवसायी और विशेष तौर से मजदूर लोग हैं, उनको इतनी असुविधा से काम देखना पड़ रहा है, उनके मास्क तक लगाने को नहीं होते हैं, उनके दमे की बीमारी हो जाती है, तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से यह भी चाहूंगी कि वहां पर एक डिस्पेंसरी का नियम रखा जाए, अब के बजट के अन्दर वहां एक डिस्पेंसरी लगाई जाए। खान को चलाने वाले तो मालिक होते हैं मगर जो मजदूर लोग वहां काम करते हैं उनको बड़ी भारी असुविधा होती है, उनके लिए एक डिस्पेंसरी का प्रपोजल रखा जाए और उनको वहां जैसे तैसे भी सहूलियत दी जाए।

मैं यह चाहूंगी कि चालीस साल पुराना जो एप्रोच रोड का नियम था, उसको वापस लागू किया जाए। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से, सदन के

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

नेता से यह कहूंगी, मेरी बात मैं हर समय रखती हूं मगर आज तक कुछ हुआ नहीं है। मैं यह चाहूंगी कि जिस क्षेत्र से मैं अभी आयी हूं चुनकर उस क्षेत्र की बहुत दुर्दशा है, उसको सुधारने के लिए आप मेरा सहयोग करें। सदन के नेता से भी यह निवेदन आपके माध्यम से करूंगी कि वह सूरसागर क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करें और विशेष तौर से खनन करने वाले इन लोगों का बहुत ध्यान रखें।

आपने मेरे को मौका दिया, मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया.....

श्री अध्यक्ष: मैंने टोका नहीं है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): और आपने मेरे को टोका नहीं इसलिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

जोधपुर सम्भागीय आयुक्त का रिक्त पद

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की सुस्ती की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जोधपुर सम्भाग में सम्भागीय आयुक्त का पद पिछले साढ़े तीन चार महीने से रिक्त है1 सर्वप्रथम आई ए एस अधिकारी श्रीमती किरण सोनी गुप्ताजी के स्थानान्तरण के बाद श्री जे पी चंदेलिया साहब स्थानान्तरण होकर वहां लगे, वह सात महीने तक रहे। उनका स्थानान्तरण होने के बाद श्री संदीप जी वर्मा लगे, तीन साढ़े तीन महीने का समय पूरा नहीं हुआ, उनको भी हटा दिया गया और साढ़े तीन-चार महीने से जोधपुर सम्भाग आयुक्त का पद रिक्त है।

अध्यक्ष महोदय, जोधपुर सम्भाग में छह जिले हैं और छह जिलों में अधिकतर सीमावर्ती क्षेत्र हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। मैं कहना चाहूंगा वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से सम्भागीय आयुक्त का पद इतना महत्वपूर्ण है कि सम्भागीय आयुक्त स्वयं पुलिस अधीक्षक, जिला कलक्टर सबका समन्वय करके वहां सुरक्षा की चिन्ता करते हैं, उसकी निगरानी करते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से सारा काम क्रियान्वित करते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। सम्भागीय आयुक्त का सबसे ज्यादा काम जो होता है वह काम होता है राजस्व मण्डलों का। छह जिलों के जितने भी राजस्व मामले हैं, सोमवार और मंगलवार को उनकी सुनवाई होती है और सम्भागीय आयुक्त ही निर्णय कर सकते हैं। चार महीने से पद रिक्त होने की वजह से जिला कलक्टर के पास

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

अतिरिक्त प्रभार है। चूंकि जिनके पास अतिरिक्त प्रभार होता है, उनको न्यायालय की निर्णय लेने की शक्तियां नहीं होती हैं, इस कारण जितनी भी समस्याएं जनता की आती हैं, वे निस्तारण के लिए प्रभावित हो रही हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी सरकार की सुस्ती राजस्थान पत्रिका के प्रसंगवश में छपी है। साढ़े तीन-चार महीने से जो पद रिक्त हैं, शासन सचिवालय में जोधपुर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि सम्भागीय मुख्यालय का पद जल्दी से जल्दी भरा जाए जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो। सम्भागीय आयुक्त के पास हर तरीके की शक्तियां होती हैं, चाहे वह जोधपुर विकास प्राधिकरण हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे स्थानीय निकाय हों, चाहे जिला परिषद हों, उनसे सम्बन्धित मामले भी हमारे संभागीय आयुक्त सुनते हैं। जितनी योजनाएं बनती हैं वे योजनाएं भी उनके माध्यम से बनाकर सरकार को भिजवाई जाती हैं। जितनी योजनाओं के काम चल रहे हैं उनका क्रियान्वयन भी उनके माध्यम से होता है। सम्भागीय आयुक्त जिला कलक्टर, एस पी साहबान सबको बुलाकर, समन्वय करके काम कर सकते हैं। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, स्वयं माननीय अशोक जी गहलोत जोधपुर के हैं और राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, लेकिन जोधपुर का क्या हाल है, वह आपके सामने है।

मैं तो खास तौर से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, चिकित्सा हो, उच्च अधिकारियों के माध्यम से समस्याओं का समाधान होता है। जिस प्रकार से सम्भाग मुख्यालय होता है उसी प्रकार से उप खण्ड अधिकारी का मुख्यालय होता है, उनके पास भी वहीं शक्तियां उनके स्तर की रहती हैं। लेकिन मुझे बड़ी दुःख भरी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि शेरगढ़ का उपखण्ड अधिकारी भी नहीं है, हमारे यहां शेरगढ़ में ब्लाक शिक्षा अधिकारी नहीं है, बालेसर में ब्लाक शिक्षा अधिकारी नहीं है, कहीं एक्स ई एन नहीं है, कहीं ए ई एन नहीं है। विद्यालयों के अन्दर आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं- ए ई एन नहीं हो, एक्स ई एन नहीं हो, उप खण्ड अधिकारी नहीं हो। मैं कहना चाहूंगा, जब से सरकार बदली है और कांग्रेस की सरकार आयी है, बदले की भावना से स्थानान्तरण किये गये हैं अब सरकार आएगी, स्थानान्तरण का काम तो करेगी, विकास का काम हो चाहे नहीं हो। लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार किसके भरोसे चल रही है? धक्का मार सरकार है, मैं कहूंगा, आप सैल्फ स्टार्ट सरकार करिये, इसको सैल्फ स्टार्ट

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

करिये जो काम हमारे उलझे पड़े हैं, उन अधिकारियों को कम से कम लगा दीजिए जिससे काम तो बढ़े। विकास तो हो नहीं रहा है लेकिन अधिकारियों के नहीं होने से उनकी सुनवाई भी कोई नहीं कर रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितने पद जोधपुर सम्भाग के अन्दर खाली हैं उन पदों को भरा जाए, पद भरने से यह सरकार भी आगे बढ़ेगी, विकास भी होगा। योजनाएं बनेंगी, सरकार के पास आएंगी, मंजूर होगी। अब कोई योजना मंजूर करने वाला नहीं है, योजना बनाने वाला नहीं है। सम्भागीय आयुक्त जहां पर नहीं है तो वहां कैसे काम आगे बढ़ेगा? मेरा तो आप सबसे यही खास तौर से निवेदन रहेगा कि जोधपुर सम्भाग ऐसा संवेदनशील सम्भाग..(व्यवधान) आप सबकी मांग है, वहां आम जनता की मांग आयी है और आज खास तौर से 'सरकार की सुस्ती' राजस्थान पत्रिका में भी प्रसंगवश छपा है, इसलिये मेरा यह निवेदन रहेगा सरकार से, शासन सचिवालय से, स्वयं सदन के नेता माननीय अशोक जी गहलोत से के पद रिक्त होने के कारण जोधपुर के जो हालात हुए हैं उन हालात को सुधारा जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चाहूंगा कि जोधपुर की तरफ आप ध्यान दें। इतना ही मेरा निवेदन रहेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम।

सीलिंग कानून से प्राप्त अधिशेष भूमि का भूमिहीनों में वितरण

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान की सरकार में बैठे हुए लोग बार-बार इस बात का बयान करते हैं, बखान करते हैं कि राजस्थान की सरकार ने आम आदमी को केन्द्र बिन्दु रखकर राजस्थान की सरकार चलाने का काम किया है। आम आदमी, राजस्थान के आखिरी छोर, गरीबी के आखिरी छोर पर बैठे हुए आदमी को केन्द्र बिन्दु मानकर राजस्थान की सरकार ने निर्णय किये हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज से नहीं, पहले से लेकर आज तक जहां सीलिंग कानून बने हुए...

(समय : 13.21 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

राजस्थान में, माननीय सभापति महोदय, सीलिंग कानून बने हुए पांच दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है और राजस्थान में आज की तारीख में

(श्री अमराराम)

छह लाख एकड़ से ज्यादा भूमि सीलिंग कानून से सरप्लस है। छह लाख एकड़ जमीन पांच दशक पहले राजस्थान के उन छह लाख परिवारों को जो भूमिहीन हैं, आखिरी छोर पर बैठे हुए थे, अगर एक-एक एकड़, पिछले सत्र में राजस्व विभाग ने उत्तर दिया है उसके अन्दर छह लाख एकड़ से ज्यादा भूमि सीलिंग सरप्लस राजस्थान में उपलब्ध है, 50 साल पहले दी जाती जो उनका हक था। सीलिंग में जो भी सरप्लस भूमि होती है उस गांव के जहां भी भूमि उपलब्ध है, उसके भूमिहीनों का सबसे पहला अधिकार है। मैं समझता हूं, 50 साल पहले अगर छह लाख एकड़ जमीन छह लाख परिवारों को दी जाती तो आज उनके परिवार का नक्शा और चेहरा दूसरा होता लेकिन उस ओर सरकार का ध्यान नहीं है।

मंदिर-मूर्ति जमीनों के किसानों को खातेदारी

दूसरा, राजस्थान में आज लाखों किसान जो मंदिर-मूर्ति के नाम से जमीनें हैं जिनको पीढियों से वे जोत रहे हैं, कोई कब्जा धारी नहीं है इस देश में वन भूमि पर जो केन्द्र का कानून है, उसके अनुसार जो आदिवासी उस जमीन पर बैठे हुए थे, खेती करते थे, देश की सरकार द्वारा कानून में प्रोविजन करके उनको खातेदारी अधिकार दिया जा रहा है। राजस्थान में लाखों किसान परिवार हैं जो सदियों से, पीढ़ियों से उस जमीन को जोतते आये हैं, आज भी जोत रहे हैं। जिस तरह से आज लिटिगेशन हो रहे हैं, उस जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकता, वह उसको खरीद-बेच नहीं सकता। उस पर बिजली कनेक्शन लेता है तो उसको देवस्थान विभाग से लेकर तहसील तक चक्कर काटने पड़ते हैं। आज इसी का लिटिगेशन है कि जमीन के भाव बढ़े हैं। राजस्थान के न्यायालयों में और राजस्व बोर्ड में लाखों मुकदमे हैं, किसान को चीट करने के लिये हैं। आज उस जमीन से जो मंदिर-मूर्ति के नाम से खातेदारी की है, एक नया पैसा नहीं आ रहा है। जो किसान पीढ़ियों से जोत रहा है, उसको खातेदारी हक मिले तो निश्चित रूप से राजस्थान के कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी और उस जमीन पर वह किसान क्रेडिट भी बना पाएगा। जब उस व्यक्ति को केन्द्र बिन्दु लेकर सरकार निर्णय करेगी तो मैं समझता हूं, यह कोई असंभव नहीं है कि जो पीढियों से काश्त कर रहा है वह उस भूमि को विकसित भी कर पाए, बिजली का कनेक्शन भी ले सके, कर्जा भी ले सके और जरूरत हो तो उसका बेचान भी कर सके। मैं समझता हूं मंदिर के स्वास्थ्य पर

(श्री अमराराम)

कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन परिवारों पर आज भी तलवार लटकी हुई है। मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने लाखों की संख्या में मुकदमे कर रखे हैं जिसके कारण किसान को कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है और अपनी खून-पसीने की कमाई वकीलों को देनी पड़ती है।

मेरा तो आपके माध्यम से पूरी सरकार और राजस्व मंत्रीजी से यही निवेदन है, हो सकता है यह हार्ड निर्णय हो, मंदिर के नाम पर निर्णय करते हुए इधर वालों से आप डरते हों, लेकिन लाखों परिवार जो पीढ़ियों से जोतते आये हैं उनको अगर आप खातेदारी हक देंगे कानून में प्रोविजन करके, बदल करके तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वे आपको याद रखेंगे। छह लाख एकड़ जमीन सीलिंग कानून के अनुसार सरप्लस है, बहुत-सी खुर्द-बुर्द कर दी, लेकिन आज की तारीख में भी जितनी जमीन है, मैं समझता हूं कि आने वाले एक साल में गांव के भूमिहीन परिवारों को आप देंगे तो उसके भविष्य को सुधारने का काम करेंगे। मंदिर-मूर्ति के नाम से जो जमीन है, जो पीढ़ियों से जोतते आये हैं उनको आप कानूनी प्रोविजन करके खातेदारी हक देंगे तो निश्चित रूप से सरकार जो यह घोषणा कर रही है, बार-बार कह रही है कि आम आदमी और आम गरीब को केन्द्र बिन्दु रखकर सरकार निर्णय करती है, उसके अनुसार काम होगा और राजस्थान के लाखों किसान आपको हमेशा-हमेशा के लिये याद रखेंगे। यही बात कहते हुए, धन्यवाद देते हुए मेरी बात को समाप्त करूंगा।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद। सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को मेरा प्रणाम। Hon’ble Minister of Industries Mr. Rajendra Pareek.

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

आबकारी विभाग

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आबकारी विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.11 (76) एफडी/ ईएक्स/2003, दिनांक 3 फरवरी, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति (क्र. सं. 12 से 26)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2009-2010 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

1. जन लेखा समिति, 2006-07 के 157वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2009-2010 का बारहवां प्रतिवेदन ;
2. जन लेखा समिति, 2007-08 के 201वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2009-2010 का तेरहवां प्रतिवेदन ;
3. जन लेखा समिति, 2007-08 के 208वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2009-2010 का चौदहवां प्रतिवेदन ;
4. जन लेखा समिति, 2007-08 के 240वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2009-2010 का पन्द्रहवां प्रतिवेदन ;
5. जन लेखा समिति, 2006-07 के 145वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2009-2010 का सोलहवां प्रतिवेदन ;
6. जन लेखा समिति, 2006-07 के 147वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2009-2010 का सत्रहवां प्रतिवेदन ;

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

7. जन लेखा समिति, 2007-08 के 221वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2009-2010 का अठारहवां प्रतिवेदन ;

8. जन लेखा समिति, 2007-08 के 248वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2009-2010 का उन्नीसवां प्रतिवेदन ;

9. जन लेखा समिति, 2007-08 के 214वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2009-2010 का बीसवां प्रतिवेदन ;

10. जन लेखा समिति, 2007-08 के 259वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2009-2010 का इक्कीसवां प्रतिवेदन ;

11. जन लेखा समिति, 2007-08 के 209वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2009-2010 का बाईसवां प्रतिवेदन ;

12. जन लेखा समिति, 2004-05 के 33वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2009-2010 का तेईसवां प्रतिवेदन ;

13. जन लेखा समिति, 2004-05 के 32वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2009-2010 का चौबीसवां प्रतिवेदन ;

14. जन लेखा समिति, 2005-06 के 116वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट भूमि एवं भवन कर विभाग से संबंधित सिफारिशों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2009-2010 का पच्चीसवां प्रतिवेदन, एवं

15. जन लेखा समिति, 2004-05 के 99वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों (जिनका संबंध राज्य सरकार द्वारा घोषित आबकारी नीति के अन्तर्गत बन्दोबस्त सम्पादित करवाया जाकर राज्य की आबकारी एवं मद्य संयत नीति के क्रियान्वयन से है), पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2009-2010 का छब्बीसवां प्रतिवेदन ।

श्री सभापति : श्री भगवान सहाय सैनी।

याचिका समिति (क्र. सं 2 व 3)

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार याचिका समिति, 2009-2010 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में याचिका समिति, 2009-2010 का द्वितीय प्रतिवेदन ; एवं
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में याचिका समिति, 2009-2010 का तृतीय प्रतिवेदन ।

श्री सभापति : श्री वासुदेव देवनानी।

याचिकाओं का उपस्थापन

किशनगढ़ (अजमेर) के मदनगंज थाने के अधीन गांधी नगर चौकी का क्रमोन्नयन

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा किशनगढ़ (अजमेर) के मदनगंज थाने के अधीन गांधीनगर चौकी को थाने में क्रमोन्नत किये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं ।

श्री सभापति : श्री महेन्द्र सिंह चौधरी। (अनुपस्थित) श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के सवा वर्ष के शासन के बाद राज्यपाल महोदय ने राजस्थान की सरकार द्वारा इन सवा वर्षों में जन हित में जो कार्य किये गये, नयी योजनाएं बनायी गयीं, उन योजनाओं को सदन में रखा। यह सदन राजस्थान के लोकतन्त्र का सबसे बड़ा मंदिर है। लोक सभा और विधान सभा में जब भी चर्चा होती है, बहस होती है अभिभाषण और बजट पर, तो राजस्थान की जनता यह उम्मीद करती है कि सदन से कुछ निकलकर बाहर आएगा, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों बैठकर कुछ ऐसी चर्चा करेंगे जिस चर्चा में प्रतिपक्ष कोई ठोस मुद्दे, कोई अच्छे मुद्दे जो राजस्थान के हित में हैं, जनता के हित में हैं, यदि रखेगा तो हमारी सरकार भी उसमें आत्मावलोकन करेगी। जहां सुधार की जरूरत है वहां सुधार करेगी लेकिन जन हित में कुछ फैसले लेकर जनता के बीच में जाएगी।

आज तक अभिभाषण पर बहस हो रही है, हमारा मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि हम सिर्फ हमारी सरकार का पक्ष रखना चाहते हैं लेकिन हम यह बात जरूर कहेंगे कि जो हमने किया है वह सदन में रखना चाहते हैं।

2008-09 में राज्य की वार्षिक योजना का आकार 14 हजार करोड़ रुपये था जिसको बढ़ाकर 2009-10 में 17322 करोड़ रुपये किया गया, परिवर्तित बजट में की गयी घोषणाओं में यह और बढ़कर 18635 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिसको अब संशोधित कर 17333.17 करोड़ किया जाना प्रस्तावित है।

सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत और कांग्रेस की सरकार के मन में एक सपना है, जब हमें बहुमत मिला, जब हम 96 सीटों पर जीतकर आये, इसको राजस्थान के मुख्य मंत्री ने, राजस्थान के कांग्रेसी विधायकों ने और पूरी सरकार ने एक चुनौती के रूप में लिया कि आखिर ऐसे क्या कारण थे, ऐसी क्या संभावनाएं रहीं जिसके कारण हमको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हमें अब जनता का विश्वास जीतना है, जनता का दिल जीतना है और जनता हमारे प्रति ओवर एक्सपक्टैशन कर रही है। जनता ने जब कांग्रेस को सत्ता सौंपी तब जनता के मन में एक विश्वास था कि हम जब

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

सत्ता में आएंगे तो कुछ नया करेंगे। निश्चित रूप से बार-बार चुनाव आचार संहिता लगी, कभी एम.पी. के चुनाव आ गये, कभी नगरपालिका के चुनाव आ गये, कभी पंचायतों के चुनाव आ गये, हमारी सरकार राजस्थान में बहुत कुछ करना चाहती थी, हम राजस्थान की जनता के काम करना चाहते थे लेकिन यह तो अभी शुरूआत है, इन कम दिनों में भी बहुत कुछ करके दिखाया।

सभापति महोदय, उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं, पिछली सरकार ने 2007 में एक योजना शुरू की थी उस योजना का नाम था अक्षत योजना उसमें उन्होंने कहा था बेरोजगारों को भत्ता देंगे। जाते-जाते उन्होंने योजना शुरू की, लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार ने उस योजना को बदला नहीं, उस योजना का नाम परिवर्तित किया और उस योजना का नाम रखा गया अक्षत कौशल योजना। उस योजना के अन्तर्गत कांग्रेस सरकार के मन में था कि यदि पिछली सरकार ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको हम आगे बढ़ायेंगे और 60 हजार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने नारा दिया- संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार, निश्चित रूप से सरकार जवाबदेही स्थापित करना चाहती है, उसी का परिणाम है कि जब चुनाव घोषणा-पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया था तब हमने कहा था कि राजस्थान के लोगों! हमको वोट दो, हम जीतकर आएंगे तो राजस्थान में गृह कर खत्म कर देंगे। आजादी के 60 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब राजस्थान की सरकार ने वादा निभाया और गृह कर पूरी तरह से खत्म कर दिया। साढ़े 700 करोड़ गृह कर के खत्म हुए, 400 करोड़ रुपये अकेले जयपुर से गृह कर के रूप में विदड्रा किये गये थे। जयपुर की जनता को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने हमको पार्लियामेंट भी जितायी, उन्होंने हमको नगर निगम भी जिताया। हमने धन्यवाद दिया जनता को।

सभापति महोदय, अब जब विकास की बात हो रही है तो मन में एक सपना है, नये राजस्थान के निर्माण का मन में एक विचार है कि जनता के बीच में जायें तो जनता निश्चित रूप से यह कहे कि कांग्रेस सेवा की भावना लेकर आयी है। कांग्रेस काम करना चाहती है।

सभापति महोदय, पिछले कई दिनों से यहां पर बहस चल रही है और बहस में बार-बार मुद्दे उठाये जाते हैं, बार-बार यह कहा जाता है कि नरेगा में भ्रष्टाचार है। किसने कहा नरेगा में भ्रष्टाचार नहीं है? हिन्दुस्तान के हमारे पंचायत मंत्री जी डॉ.सी.पी.जोशी ने लोकसभा में यह माना कि नरेगा में

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

भ्रष्टाचार है। लेकिन नरेगा में भ्रष्टाचार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, सी.पी. जोशी जी ने नहीं कहा, मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा, सोनिया गांधी जी ने नहीं कहा, लोक सभा ने भी नहीं कहा, विधान सभा ने भी नहीं कहा। यदि नरेगा में भ्रष्टाचार है तो उसके लिए अकेले कोई सदन जिम्मेदार नहीं है, नेता जिम्मेदार नहीं है। गांव की चौपाल में बैठकर यह फैसला होता है, पंचायत में होता है। और पंचायत में निर्णय होगा विकास के कामों का, वहां पर यदि पूरे गांव के बीच में भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की भी है, एम.पी.की भी है, एमएलए की भी, प्रधान की भी है, सरपंच की भी है, गांव की जनता की भी है। आज नरेगा का नाम लिया जाता है, हिन्दुस्तान आगे बढ़ रहा है विकासशील देशों की श्रेणी में, आज पूरी दुनिया इस योजना का स्वागत करती है। हर मां आर्शीवाद देती है। गांव में जाकर के देखो, मां की आंखों में चमक नजर आती है। आज झोंपड़ी से रोने की आवाज नहीं आती है, झोंपड़ी में अँधेरा देखने को नहीं मिलता, झोंपड़ी में हंसने की आवाज आती है। हर मां को उम्मीद है कि हिन्दुस्तान में कांग्रेस की सरकार ने नयी योजना तैयार की है, सौ दिन के रोजगार की गारंटी दी है। आज हम उस योजना में कमियां निकाल रहे हैं। यह योजना पार्टीबाजी से ऊपर उठकर है। अब इस योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। आदमी काम करे या नहीं करे, लेकिन वह यदि पंचायत में जाकर के नाम लिखायेगा तो उसको रोजगार का पैसा देना पड़ेगा। बात यह आती है कि कहीं पर 20 रुपये मिल रहे हैं, कहीं 60 मिल रहे हैं, कहीं 70 मिल रहे हैं, कहीं 80 मिल रहे हैं। लेकिन आदमी भूखा नहीं सो रहा है उसकी झोंपड़ी में अनाज की व्यवस्था हो गयी है, उसको गांव में रोजगार की व्यवस्था हो गयी है। समाज में सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति, मजदूर, पहले उसको चोखटी में काम नहीं मिलता था। आज चोखटी में मजदूर नहीं हैं, उसकी मजदूरी बढ़ गयी। मजदूरों का मानदेय बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो इस ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना ने किया है।

सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप होते हैं। हमारी कमियां होंगी तो हम दूर करेंगे। हम सिर्फ यह तय करके आरोप लगाएं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ये कमियां हैं, कमियों के अलावा अच्छाइयां ज्यादा हैं और भ्रष्टाचार की जब बात

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

आयी तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए सामाजिक संस्थाएं आगे आ गयीं। उन लोगों को आगे लाया गया जो आज तक आंदोलन किया करते थे और वह लोग आज जाकर जांच कर रहे हैं। उस जांच की शुरूआत यह मंत्रीजी बैठे हैं, इनके भीलवाड़ा से सी.पी. जोशीजी ने शुरू करवायी। उसमें जो सामने आया, बहुत लोगों को निलंबित किया। सरकार किसी को बचाना नहीं चाहती है। सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ाना नहीं चाहती है, सरकार भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है।

सभापति महोदय, आज विकास की बात हो रही है, राजस्थान की राजधानी जयपुर के बारे में मजाक की जा रही है, लोग कह रहे हैं कि जयपुर वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बनेगा, यह वर्ल्ड क्लास क्या होता है, आप करना क्या चाहते हैं। हम आपको बता दें कि वर्ल्ड क्लास का मतलब यह नहीं है कि हम जयपुर में बीआरटीएस शुरू करना चाहते हैं। जब हमारी सरकार आयी तो हमने हमारे मुख्य मंत्री से कहा कि इस बीआरटीएस योजना को आप रद्द कर दें। यदि यह बीआरटीएस चल गयी, पिछले सरकार ने पूरे जयपुर में जाम लगा दिया। आज जयपुर में आम आदमी को घर पहुंचने के लिए एक-एक, डेढ़-डेढ़ घंटा लगता है, रास्ते जाम रहते हैं। आप बीआरटीएस की सीकर रोड की हालत देखें, आज वह अधूरा पड़ा है, उस सीकर रोड पर 49 लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है क्योंकि वह बीआरटीएस पूरा नहीं हुआ। दोनों सरकारों में अंतर करने की जरूरत है। एक सपना था उस सरकार का, उस मुख्य मंत्रीजी का, एक हमारे मुख्यमंत्री का। एक सरकार बीआरटीएस लेकर के आती है और एक कांग्रेस की सरकार जयपुर में मैट्रो रेल लेकर के आती है कि हम मैट्रो परियोजना शुरू करेंगे। आपको पता है, इस मैट्रो रेल पर कितना खर्च होगा? साढ़े 6 हजार करोड़ की परियोजना है। आज तक आजादी के बाद जयपुर में 2 हजार करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए विकास पर, एक ही योजना साढ़े 6 हजार करोड़ रुपये की आने वाली है। दस वर्ष तक जयपुर में मजदूरों को रोजगार मिलेगा। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, छोटा दुकानदार, लोहे वाला, कोई भी हो, सबको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और जिस दिन मैट्रो चलेगी, उस दिन जयपुर में ट्रेफिक की अव्यवस्था का समाधान भी होगा और जयपुर वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में नजर आएगा। जयपुर में टनल से रास्ते निकालने की तैयारी हो रही है। काम करने का सपना है। मैं यह मानता हूं कि जिस उम्मीद के साथ, बहुत बड़ा सपना लेकर हम जीतकर आते हैं, नयी सरकार होती है तो

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

उम्मीद ज्यादा बढ़ती है। इस उम्मीद को पूरा करने के लिए हमारी सरकार, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे मुख्य मंत्रीजी काम करेंगे।

सभापति महोदय, एक बात मैं आज खुलकर कहता हूं इस सदन में, एक बात का संकल्प होना चाहिए कि सरकार चाहे हमारी हो, सरकार चाहे उनकी हो, लेकिन बेइमान अधिकारी को किसी भी कीमत पर हमें नहीं बचाना चाहिए। कोई भी सरकार हो, सदन में सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, मंत्रियों का काम रह गया है कि चाहे अधिकारी ने गलती की है तो भी हमें उसको बचाना है। सही किया है तो भी हमें उसको बचाना है। यदि कोई गलत है तो निश्चित रूप से उस अधिकारी की सच्चाई सदन में आनी चाहिए और उसमें सुधार होना चाहिए।

सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि जब बात हुई महंगाई की, हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने कल जब हंगामा किया तो हमारे किसी भी साथी ने खड़े होकर हंगामा नहीं किया। हम स्वीकार करते हैं कि इस देश में महंगाई बढ़ रही है। यह देश महंगाई से जूझ रहा है। आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है। लोक सभा में हमारी नेता मानती हैं, हमारे प्रधान मंत्री मानते हैं, पूरा देश मानता है कि महंगाई बढ़ रही है। लेकिन यह महंगाई क्यों बढ़ रही है? जमाखोरी कहां हो रही है? क्या इस महंगाई को रोकने के लिए सिर्फ सरकार की ड्यूटी है? क्या अकेले सरकार महंगाई को रोक सकती है? हम सबको मिलकर महंगाई को रोकने के लिए प्रयास करने होंगे। पार्टीबाजी से ऊपर उठकर विचार करना होगा कि इस महंगाई को कैसे रोका जा सकता है। और मैं बता भी दूंगा, आदरणीय घनश्यामजी तिवाड़ी और कटारियाजी, आपकी मांग पर बहस की बात हुई तो इन्होंने आगे बढ़कर कहा कि कैसी भी बहस करा लो, लेकिन बहस करवाओ। बहस के लिए हम भी तैयार हैं, हम भी महंगाई से लड़ना चाहते हैं। इसीलिए महंगाई से लड़ने के लिए किसी के मन में यह गलतफहमी हो तो राज सिर्फ मंत्री और मुख्य मंत्री से नहीं चलता, राज की जितनी जिम्मेदारी मुख्य मंत्री और मंत्री की है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी हम एम एल एज की भी है, उन्हें भी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा। किसी भी एम एल ए को डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी एम एल ए के मन में यह सपना लेने की जरूरत नहीं है कि मंत्री और एम एल एज के बीच में बहुत दूरी बढ़ गई है, कहीं भी पीछे भागने की

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

जरूरत नहीं है। जो विधायक अपने अधिकारों को समझेगा, विधायकों के बहुमत से मुख्य मंत्री बनते हैं, विधायकों के बहुमत से मंत्री बनते हैं और दो सौ विधायकों के बहुमत से यह सदन बनता है तब लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण होता है, अपने आप लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण नहीं होता है। आज जहां भी जरूरत हो, जिस विधान सभा क्षेत्र में भी, मैं निवेदन करूं कि मैं सत्ता में बैठा हूं, सत्ता का प्रतिनिधि हूं, मेरी सरकार के प्रति मोरल ड्यूटी है, सरकार की तारीफ करने की भी मेरी मोरल ड्यूटी है, सरकार की सच्चाई को सामने लाने की भी मेरी मोरल ड्यूटी है। मैं विधायकों से और मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि जिस विधान सभा क्षेत्र में काम की जरूरत हो, उन विधायकों का सम्मान बढ़ाइए, उनको साथ बैठाइए, उनको चर्चा में शामिल कीजिए और थोड़ी कड़प को कम कीजिए, तब राजस्थान विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। आज मंत्री भी हमारे साथी हैं, मुख्य मंत्रीजी भी हमारे नेता हैं, प्रतिपक्ष के लोग भी हमारे नेता हैं।

श्री सभापति : विधायक महोदय, संक्षेप में करें, कनक्लूड करें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, इनको बोलने दीजिए।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी हमारे नेता हैं। आज इस सदन में कुछ मुद्दों पर चर्चा हो रही है, महंगाई की बात आई तो राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने निश्चित तौर पर गांधीवादी सोच का परिचय दिया और मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने बुलाया मंत्री बाबूलालजी नागर को और बुलाकर कहा कि महंगाई से लड़ने की तैयारी करो। हिन्दुस्तान में पहली सरकार है जो गई जनता के बीच में, दुकान पर जाकर सरकार आटो बेचरी है, दालां बेचरी है, अब कांई कपड़ा भी बेचां के म्हाका खुद का? रास्तो लड़बा को, मन म भावना है लड़बा की कि महंगाई सूं लड़ा। माननीय बाबूलालजी नागर साहब कोनी, म बाने भी रिक्वैस्ट करूंला कि नागर साहब, ओ मौको है, थाने वाहवाही लूटबा को।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, हमारी पार्टी के टाइम में से ही बोल रहे हैं, हमारा टाइम काफी है। माननीय अध्यक्ष महोदय,

(डा. रघु शर्मा)

कह कर गए हैं कि हमारा टाइम ज्यादा बचा हुआ है, माननीय सदस्य को बोलने दीजिए आप, टाइम पार्टी का है हमारे पास।

श्री सभापति : वह ठीक है, लेकिन 20 मिनट हो गये हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आदरणीय नागर साहब नहीं हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि, नागर साहब, आप इस नीति पर और काम कीजिए, सरकार को वाह वाहवाही मिल रही है। गरीब आदमी जो आटा ले रहा है उसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसमें और सुधार हो सकता है। आप दुबारा टेण्डर काल करें, दुबारा आवेदन मांगें, मैं गारण्टी से कहता हूं कि हम आटा और सस्ता बेच सकते हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। यदि आटा सस्ता हो सकता है, उस नीति पर कहीं विचार हो सकता है तो हमें निश्चित रूप से इस पर विचार कर सुधार करना चाहिए। आज हालत क्या है? राजस्थान में पिछली बार से जो राशन डीलर थे आज तक भी वही हैं। मैं यह नहीं कहता कि बेइमान इस पार्टी का होता है या दूसरी पार्टी का होता है। आज राशन डीलर जितने भी हैं, वे हमारी सरकार से पुराने हैं, वह गरीबों का आटा घर में लेकर जा रहे हैं, गरीबों का आटा ब्लैक हो रहा है। उस गरीब के आटे की कालाबाजारी को रोकने का काम किसका है? हमारा है। हम हमारी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। हमारे विधायक यह कहते हैं मान लो कि अधिकारी मेरी नहीं मानता है, यदि हम यह कहकर काम निकाल लेंगे तो इससे पार नहीं पड़ेगी। आप इस लोकतंत्र के मंदिर में आओ, आदरणीय घनश्यामजी भाई साहब और गुलाबजी भाई साहब जानते हैं कि आपका प्रोटोकाल चीफ सैक्रेटरी से भी ज्यादा है, यदि कोई अधिकारी आपकी बात नहीं मानता है तो यह सदन हमारे लिए है और इस लोकतंत्र में यदि हम विधायक उन अधिकारियों को कोई रास्ता नहीं दिखा सकते तो कल हमें कोई माफ नहीं करेगा। हम यह समझें कि हम सरकार में बैठे हैं इसलिए कहीं चोर अधिकारी राशन की बेइमानी कर रहा है, आटे की बेइमानी कर रहा है और हम खुले आम इसको देख लेंगे, मैं खुद जाता हूं, आप भी जाइए, जाकर ऐसे लोगों को हमें पकड़ना होगा। आज जब बात हो रही है, यहां पर मैं तारीफ करूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी की और हमारी सरकार की, उन्होंने एक नया फैसला किया है कि राजस्थान में तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा और प्रबन्ध की शिक्षा, एम बी ए के जितने भी छात्र हैं, जो यहां पर पढ़ रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं उनको

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

पांच सौ रुपए महीने के यह सरकार देगी। इससे बड़ा फैसला कोई हो नहीं सकता उस स्टूडेंट के लिए जो आज गांव से चलकर आया है और इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ रहा है, उसको पांच सौ रुपए महीने सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी। गांव से पढ़ने के लिए वह गरीब आदमी चलकर आता है उसको आप इतनी बड़ी सहायता देंगे इसके लिए मैं बधाई दूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को।

श्री सभापति : आनरेबल मैम्बर, प्लीज कनक्लूड नाउ।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं जल्दी कर रहा हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हमारी पार्टी का टाइम है, माननीय सभापति महोदय, वह एक्सेस टाइम है।

श्री सभापति : आ गया, लेकिन और भी लोग हैं आपके।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): बस समाप्त कर रहा हूं।

राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को मैं इसलिए बधाई दूंगा कि उनके मन में दर्द था राजस्थान में और पूरे देश में बी पी एल का सर्वे बहुत लम्बे समय से नहीं हुआ तो उन्होंने एक नई योजना शुरू की, उसमें उन्होंने तय कर लिया, गरीब जिसकी 24 हजार रुपए की आय सीमा अब तक थी, उसको 40 हजार रुपए कर दिया और 40 हजार रुपए तक की जिनकी आय है उनकी भी हम सहायता करेंगे। मुख्य मंत्री बी पी एल जीवन रक्षा कोष योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2009 तक कुल 24 लाख 5 हजार रोगियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई, इनमें 24 लाख 47 हजार ओ पी डी में और 2 लाख 58 हजार आई पी डी रोगी थे। इस अवधि में इस योजना में गरीबों की सेवा में 23 करोड़ 81 लाख रुपए व्यय किये गये। यह एक बहुत बड़ी बात है कि गरीबों के लिए मुख्य मंत्रीजी के मन में दर्द है। कोई भी गरीब जाएगा कि मेरे पास दवाई के पैसे नहीं हैं, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं, मुख्य मंत्रीजी का दरवाजा उनके लिए खुला है। उसके इलाज के लिए चाहे बी जे पी के विधायक ने लिखा है, चाहे कम्युनिस्ट विधायक ने लिखा है, चाहे निर्दलीय विधायक ने लिखा है, चाहे कांग्रेस के विधायक ने लिखा है, मुख्य मंत्रीजी के यहां पर कोई भेदभाव नहीं हुआ, यह मैं गारण्टी से कह सकता हूं और उस गरीब को सहायता मिली बिना किसी भेदभाव के।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन में एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर एक फैसला करना चाहिए, अभी सब जगह, जयपुर से लेकर दिल्ली तक 6-लेन का काम चल रहा है और 6-लेन से हमें फायदा होगा, सरकार की बड़ी उपलब्धि है लेकिन यहां सदन में आदरणीय प्रतिपक्ष के हमारे सीनियर विधायकगण बैठे हैं, हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, यहां से एक फैसला होना चाहिए, अंत-पंत सब जगह सब जगह होनी है तो अभी से पूरे राजस्थान में बार-बार समाचार पत्रों में आता है कि पेड़ों की कटाई हो रही है। हमने हरित राजस्थान चलाया, पूरे राजस्थान में करोड़ों पौधे लगाये, हमारे मन में खराबी नहीं थी, बेइमानी नहीं थी, सरकार ने साफ मन से पेड़ लगाये। लेकिन राम रूठ गया, बरसात नहीं हुई लेकिन सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं था, ईमानदारी से पेड़ लगाये। मैं मानता हूं कि पेड़ जल गये, ईमानदारी से लगाये थे, मैं आज आपको कह रहा हूं कि टाइम आवेलो, मोको आवेलो, ओ भगवान मेहरबानी करेलो, सिर्फ नेतावा सूं देश कोनी चाले।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया समाप्त करें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): पूरे राजस्थान में हरियाली होगी। जो पेड़ लगाकर गिनीज बुक में इस सरकार ने रिकार्ड बनाया है, यह राजस्थान की जीत है, यह पूरे राजस्थान की जनता की जीत है, इसमें एक साथ लाखों पेड़ लगे ...(व्यवधान) कितने पेड़ लगे? साढ़े चार करोड़ पेड़ एक साथ लगे। यह पूरी दुनिया का रिकार्ड है। (व्यवधान) मैं मान गया, कमियां मैं बोल चुका हूं, और बोल दूंगा। राजस्थान में एक साथ साढ़े चार करोड़ पेड़ लगे। मेरा निवेदन है कि 8-लेन के आपके राज मार्ग बनेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें, बहुत टाइम हो गया।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं दो मिनट में खतम कर दूंगा।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, बहुत टाइम हो गया। देखिए, अभी सी एम साहब को भी बोलना है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): एक घंटा 50 मिनट हैं माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : और भी लोग हैं आपके।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हां हैं, मालूम है, फिर भी टाइम बचेगा।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, टाइम का शिड्यूल भी देखा जाएगा। आप एक मिनट और बोलिए, बस।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय सभापति महोदय, मैं कंस्ट्रक्टिव सुझाव की दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। आज राजमार्ग 8 लेन के बन रहे हैं, अभी 6-लेन जयपुर से दिल्ली बन रहा है, मेरा एक निवेदन है, और सदन इसको बहुमत से पास कर सकता है, कि जो 8-लेन बनेंगे, अभी जो पेड़ लगाये हैं 4-लेन के लिए लगाये, अब हम इनको 6-लेन के लिए एक साथ काटेंगे, इस बारे में एक नीति बन जाए राजस्थान में कि अभी के 4-लेन 6-लेन बनेंगे, लेकिन जो पेड़ लगेंगे उनके साथ में वे 8-लेन की जगह छोड़कर लगेंगे। यदि हम प्राइवेट जमीन नहीं ले सकते तो उनके साथ कोलेबोरेशन करें, उनको पेड़ गोद दें जिससे उन पेड़ों को बचाया जा सके।

श्री सभापति : श्री ओम बिरला।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में अपनी बात खतम कर दूंगा। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, सरकार की उपलब्धियों में कोई कमी नहीं है लेकिन यह चुनौती हमारे लिए है, आने वाले साढ़े तीन वर्ष चुनौती के हैं और सरकार इस चुनौती को स्वीकार करती है। हमें भी आत्मावलोकन करने की जरूरत है, हमें भी सुधार करने की जरूरत है, कहीं हम में कमी है तो वह कमी दूर होनी चाहिए, कहीं सुधार की गुंजाइश है तो वहां सुधार होना चाहिए। हमारे मन में जो सपना है, हम जो सुधार करना चाहते हैं, हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसकी नेता सोनिया गांधी है, जिन्होंने यह कहा था कि मैं कभी भी प्रधान मंत्री नहीं बनूंगी। उस पार्टी में जहां युवा नेता राहुल गांधी को लेकर पूरे देश में चर्चा है, कल तक लोग जिसके लिए कहा करते थे कि राहुल गांधी नहीं चलेगा, उसने रिजल्ट दे दिये। मैं इतना विश्वास करता हूं कि इस सदन में निश्चित रूप से हम सब की मोरल ड्यूटी है, उस मोरल ड्यूटी को हम निभाएं और इस लोकतंत्र के मंदिर से कुछ ऐसा संदेश जाए...

श्री सभापति : श्री ओम बिरला।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): जिससे लोग यह कहें कि हम सिर्फ लड़ने के लिए नहीं आये हैं, राजस्थान का निर्माण करने के लिए आये हैं।

श्री सभापति : Hon'ble member, I request you to please conclude now. You have taken too much of time.

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): और नये राजस्थान का निर्माण करें। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री ओम बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार के विकास और योजनाओं का दर्पण होता है। महामहिम हिमाचल से आयीं कि, राजस्थान का गौरवपूर्ण इतिहास होगा, विकासशील राजस्थान होगा और विकासशील राजस्थान की सरकार की विकासशील गाथा होगी लेकिन, सभापति महोदय, 14 महीने की सरकार, सुस्त, धीमी गति और अनिर्णय की सरकार राजस्थान की जनता आज देख रही है। आज चहुमुखी विकास की बात की जा रही है, सब क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है, लेकिन पिछली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट का भाषण पढ़ा, ऐसा लगा जैसे वह राजस्थान के मुख्य मंत्री नहीं हैं, जोधपुर के मुख्य मंत्री हों। क्षेत्रीय संतुलन की बात कर रहे थे, राजस्थान के सर्वांगीण विकास की बात कर रहे थे लेकिन 30 में से बजट की 22 घोषणाएं जोधपुर की थीं। ठीक है कि 22 घोषणाओं में से दो घोषणा भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। कोटा में पूर्ववर्ती सरकार ने आईआईटी का प्रस्ताव भेजा, केन्द्र में दिल्ली की सरकार ने प्रस्ताव मंजूर नहीं किया और व्यास कमेटी बनाई जिसका कोई औचित्य नहीं और आज कोटा के हक को माननीय मुख्य मंत्री जोधपुर ले गये। सभापति महोदय, राजस्थान की जनता के मुख्य मंत्री हैं, कोटा की जनता के साथ इन-जस्टिस किया, अन्याय किया। आज स्थिति राजस्थान की यह हो गई है कि ग्रामीण विकास मंत्री बने तो ग्रामीण विकास का सबसे ज्यादा बजट भीलवाड़ा के अन्दर राजस्थान की जनता पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रही है, फ्लोराइडयुक्त पानी मिल रहा है, हैंडपम्प नहीं खुद रहे हैं, ट्यूबवैल नहीं खुद रहे हैं और एक करोड़ रुपये का खर्च करके रेल से पानी भीलवाड़ा ले जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान की जनता देख रही है। आज क्या हालत है किसान की? आपने घोषणा पत्र में कहा था, हम किसान

(श्री ओम बिरला)

को 8 घंटे बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। किसान ने बड़ी प्रसन्नता से फसल बोई कि सरकार परिवर्तित हुई है, हो सकता है कि हमें थ्री फेस बिजली मिले, हमारे अंधेरे में रोशनी हो। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, सरकार बनने के बाद ही 8 घंटे को छोड़ कर जो सरकार 7 घंटे बिजली दे रही थी, वह 3 से 4 घंटे किसान को बिजली नहीं मिली। पूर्ववर्ती सरकार ने 35 हजार गांवों को 24 घंटे बिजली दी थी कि किसान का बच्चा गांव में पढ़ेगा। लालटेन से नहीं, बत्ती से, उसकी बत्ती को बंद कर दिया। माननीय सभापति महोदय, किसान की फसल नष्ट हो गई, किसान के खेत में पानी नहीं, किसान को बिजली नहीं, किसान को ऋण नहीं, 18 लाख किसानों ने क्रेडिट कार्ड ले लिया है लेकिन लोन नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश के अन्दर, कर्नाटक के अन्दर, छत्तीसगढ़ के अन्दर किसान को फसल पर 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाता है, राजस्थान 7 प्रतिशत पर भी उनको ऋण नहीं दे रहा है। माननीय सभापति महोदय, आज स्थिति बदतर होती जा रही है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल कहा कि पेयजल के बारे में गम्भीर हैं, उनको पता था कि मैं मुख्य मंत्री बनूंगा तो बरसात नहीं आएगी। आज पेयजल की स्थिति खराब हो चुकी है। गांव के अन्दर जिन योजनाओं की यह बात कर रहे थे, 12 बड़ी योजनाएं, 30 छोटी पेयजल की योजनाएं इन्होंने बजट में घोषित की थीं। आज एक भी योजना इनकी पूरी नहीं हुई, धन का अभाव है, पैसा नहीं है। जिस गति के आधार पर ये योजनाएं चलनी चाहिए, टाइम बाउण्ड होनी चाहिए, वह एक योजना नहीं बनी। और तो और, माननीय सभापति महोदय, गांव के अन्दर किसान हैंडपम्प के लिए भी तरस गया है, पीने के पानी के लिए भी तरस गया है। आप क्या योजनाएं बनाओगे, हालत बद से बदतर होती जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा की कर रहे थे, माननीय सदस्य प्रताप सिंह जी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि मुख्य मंत्रीजी ने गरीब का इलाज कराया, बेहतर सुविधाएं दीं। आज सरकार की नाक के नीचे, मैं इस साथ आरोप लगा रहा हूं, जो बीपीएल का कार्डधारी गरीब व्यक्ति गांव से चलता है, यह सोच कर कि मेरा मुफ्त में इलाज होगा, उसका बेटा उसके हाथ में होता है, 8 साल का, वह सोचता है कि मुफ्त में वाल्व चेंज कराऊंगा, जब यहां आता है तो वाल्व नहीं है। वेटिंग चलती है ओपन हार्ट सर्जरी के लिए, जिसके अटेक हो चुका है, जो 24 घंटे के अन्दर अगर सर्जरी नहीं हुई तो मौत के मुंह

(श्री ओम बिरला)

में जाएगा, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी 6-6 महीने एसएमएस अस्पताल में नहीं होती। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले विधान सभा सत्र में जवाब दिया, क्या स्थिति करेंगे? यह सारे माननीय विधायक जानते हैं, गांव-ढाणी के अन्दर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत पैसा आ गया, बिल्डिंग बन गई, भवन बन गया, जयपुर से आदेश हुए, यंत्र पहुंच गये पर डाक्टर नहीं। जहां डाक्टर हैं, वहां यंत्र नहीं, स्थिति बदतर है। आपके पास अगर धन का अभाव है तो आप उन डिस्पेंसरीज को पहले पूरा करें जहां डाक्टर हैं, जहां आपरेशन हो सकता है, वहां पूरे यंत्र लगाओ। आज एक्स-रे मशीन जंग खा रही है, टैक्निशियन नहीं है। स्थिति इतनी बदतर है कि गांव के अन्दर जो बीपीएल कार्डधारी गरीब है जिसने मन में सपने संजोये थे कि मेरा इलाज होगा, वह आज इलाज के लिए तरस रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा, हम मजदूर का हक करेंगे, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम मजदूर को 125 रुपये मजदूरी करेंगे। आज पूरे देश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर व्यक्ति की आय बढ़ गई है लेकिन शायद इस सरकार को ध्यान नहीं कि मजदूर भी हमारा है। आज उसको दो टाइम की रोटी नहीं। महंगाई की हालत खराब हो चुकी है पर राजस्थान की सरकार महंगाई पर चिंता नहीं कर रही है। माननीय सभापति महोदय, आप टोको मत। दिल्ली की सरकार में बैठकर प्रधान मंत्री कहता है कि राज्य महंगाई कम करेगा, राज्य कहता है कि दिल्ली करेगी। आज 17 साल बाद इस राजस्थान की ......(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता से समय पूछ लें। मैं कहना चाहता हूं आज महंगाई की हालत यह है, अच्छा होता, एक कदम बढ़ाते। एक बदम बढ़ाया कि चीनी पर वेट समाप्त करेंगे, माननीय मंत्री महोदय को पता नहीं कि चीनी पर वेट नहीं है। मंत्री महोदय, सूची उठाकर मांग लेते, अच्छा होता। चीनी पर नहीं तो गुड़ पर जो 4 परसेंट टैक्स है, उस वैट को ही कम कर देते। आज स्थिति इतनी खराब है कि मंत्रियों को पता नहीं वैट किस पर है, किस पर नहीं है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, मैं वैसे ही निवेदन कर रहा हूं आपसे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, 5 मिनट बाद समाप्त कर दूंगा। एक कदम बढ़ाया गया महंगाई को रोकने के लिए, वह भी गलत तरीके से बढ़ाया गया। माननीय सभापति महोदय, यह कह रहे थे, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं, कौन सी सिटी बनाना चाहते हैं? आज, माननीय सभापति महोदय, 12 घंटे के अन्दर जहां राजधानी में 4-4 कत्ल होते हैं...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, इसी सदन के अन्दर ......(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री पदमाराम मेघवाल।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था।

श्री सभापति : अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति : श्री पदमाराम मेघवाल।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

(समय : 14.00 बजे)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। श्री पदमाराम मेघवाल।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। माननीय सदस्य, कृपया विराजें। आसन पांवों पर है, आपकी परम्परा है यह, बैठिये आप। आप अंगुली दिखाकर धमकाने की कोशिश मत करें। माननीय सदस्य, बैठिये आप। बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति : देखिये, आसन पैरों पर है। Would you please sit down and occupy your seat. I expect your co-operation. Please sit down.

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति : अंकित नहीं हो रहा है। आपकी पार्टी का जो बाकी समय है, वह आपको अलाट नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति : आपकी पार्टी के और सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति : अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, आसन की अवहेलना हो रही है।

श्री पदमाराम (चौहटन): आसन पैरों पर है और आप खड़े होकर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, यह कौनसा अनुशासन है?

श्री सभापति : देखिये, I would request each hon'ble member here to please co-operate with me. I will be very strict with you. Out of the time allotted to your party, only 18 minutes are left. At 4 o'clock, hon'ble Chief Minister would arrive here and at 3.15 हमारे घनश्यामजी तिवाड़ी को बोलना है, इससे पहले मेरे पास में यहां पर 16 लोग हैं उनको पांच मिनट से ज्यादा अगर दिये जाएंगे तो हम इस टाइम शिड्यूल को स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं कंस्ट्रेन के साथ आप लोगों से रिक्वैस्ट कर रहा हूं. I will be very strict towards every one but I will be honest to everyone also. You will have to finish within 5 minutes because I have time constraint. You must stick to the time schedule. You have already taken more time, as far as BJP is concerned. They have not taken more than, they have taken less time. That's why sometimes they have been given relaxation. That misunderstanding also should not prevail. Please carry on. श्री पदमाराम मेघवाल।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, आपने हमको राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): राष्ट्रपतिजी का अभिभाषण थोड़े ही है।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सूर्यकांताजी, नये सदस्य हैं।

श्री पदमाराम (चौहटन): भूल में हो गया है, नये सदस्य हैं, आप ज्यादा उतावली क्यों हो रही हो? आप क्या बोल रही हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं कि राष्ट्रपति का मैंने नाम लिया।

(श्री पदमाराम)

राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया उसके धन्यवाद प्रस्ताव का मैं जोरदार स्वागत करता हूं। 14 महीने की कांग्रेस की सरकार ने गरीब, किसान और गांव के पिछड़े लोगों के लिए जो विकास की नीति बनाई है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं फर्स्ट टाइम इस विधान सभा में चुनकर आया हूं, हम जब नये-नये आये थे उस समय हमको यह मालूम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, बहुत धुरंधर जीतकर आये हैं। हमको यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने कई साल तक राज के अन्दर जनता की सेवा की है, हमको उनसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हम उनसे कुछ सीखेंगे और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कुछ काम करेंगे। पर जब इस विधान सभा में हम आये और इनका रवैया सुना तो हमको यह मालूम हुआ कि गांव के अन्दर आपस में एक-दूसरे जैसे झगड़ते हैं, एक-दूसरे पर छींटाकशी करते हैं उसी प्रकार से इनका रवैया है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि चार दिन से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, सब माननीय सदस्य सरकार के इस अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा मानकर चल रहे हैं, परन्तु किसी माननीय सदस्य ने यह नहीं सोचा कि गरीब जनता जिसने आपको प्रेम से वोट देकर यहां भेजा है, उस जनता के विकास के लिए आप क्या बोले, जनता आपसे क्या उम्मीद करती है। पूरे विश्व के अन्दर भयंकर अकाल है, पूरे भारत के अन्दर अकाल है, सभी माननीय सदस्य कहते हैं कि सरकार ने बिजली की व्यवस्था नहीं की, पानी की व्यवस्था नहीं की। आपकी ही सरकार थी, हमारी सरकार आये हुए 14 महीने हुए हैं, इससे पहले आप जो बहुत वाहवाही कर रहे थे कि हमने बहुत कर दिया, पानी की व्यवस्था कर दी, बिजली की व्यवस्था कर दी, तो पहले जो योजनाएं थीं वो क्या 14 महीनों के अन्दर हमने बन्द कर दीं? आपने जो स्कीमें चालू की थीं वो क्या हमने बंद कर दीं? बिजली पानी के बिना पैदा नहीं होती और पानी बरसात के बिना नहीं आता, भूमि के अन्दर यदि पानी नहीं होगा तो सरकार कहां से पैदा करेगी? कल हमारे माननीय सदस्य महोदय बोल रहे थे कि पिछली सरकार में हमने बहुत बड़ी योजना लागू कर दी थी और वह पानी हमने पीना स्टार्ट कर दिया था तो वह पानी स्टार्ट कर दिया था तो हमारी सरकार आने ही क्या आपकी वो स्कीम बंद कर दी? हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने देखा कि पानी का अभाव है, महाराष्ट्र से खरीदने वाली बिजली, हरियाणा से खरीदने वाली बिजली की

(श्री पदमाराम)

मनमानी के उपरांत भी किसानों की खरीफ और रबी की फसल नहीं जलने दी। 8 घंटे की घोषणा की थी, आपके समय तो तीन घंटे भी नहीं मिलती थी। सही कह रहे हैं, कल जो माननीय सदस्य बोले, आप फर्मा रही थीं कि छबड़ा तो हमारा है, हमारा यहां से 750 किलोमीटर दूर है और वहां पर भी 6 घंटे, साढ़े 6 घंटे बिजली मिल रही है तो आपके यहां कैसे बंद हो गई? (व्यवधान) कांग्रेस आपको नहीं चाहती तो किसको चाहती है? आप जिस जगह पर बैठे हो, आपको मालूम नहीं है। आप किस जगह पर बैठे हो, आपको इस चीज का होश नहीं है। आप अभी कह रहे थे कि किसान विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, इसके अन्दर जो किसान के बारे में लिखा है इसलिए आप विरोध कर रहे हो। पूंजीपतियों के बारे में नहीं लिखा है, सेठ-साहूकारों के बारे में नहीं लिखा है इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बीच-बीच में व्यवधान नहीं करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी किसान, गरीब और गरीब की, पिछड़ों की झोंपड़ी के विकास के लिए काम कर रहे हैं इस कारण से उनको लोक सभा में भारी बहुमत मिला, निकाय चुनावों के अन्दर भारी बहुमत मिला, पंचायती राज के अन्दर भारी बहुमत मिला। कल हमारे यहां पर माननीय सदस्य फर्मा रहे थे कि मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया, विधायकों ने कह दिया कि कड़ी से कड़ी जोड़ दो इस कारण से जनता ने आपको वोट दिया है पर आपकी कड़ी अब टूटने वाली है। माननीय सदस्य महोदय, आप क्या सो रहे थे, आपने कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश नहीं की? आपने यह नहीं सोचा कि हमारा वोट बैंक कमजोर हो रहा है? आपने भी बहुत मेहनत की होगी।

माननीय सभापति महोदय, रोजगार गारंटी योजना विश्व में भारत के अन्दर पहली गारंटी योजना लागू हुई है। यह तो कोई योजना नहीं है, इसके अन्दर भ्रष्टाचारवाड़ा है, यह कहा। पर यह शुरूआत आपके टाइम में ही हुई। ढाई साल तक आपने रोजगार गारंटी योजना का अंकेक्षण नहीं कराया। एक-एक सरपंच के पीछे 17-17, 18-18 करोड़ रुपये बाकी निकल रहे हैं, आपने सोचा कि गवर्नमेंट का पैसा है, कांग्रेस सरकार ने, सोनिया गांधी ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए योजना लागू की है, इसको फेल करो और जनता के अन्दर यह मैसेज भेजो कि कांग्रेस की सरकार लोगों को रुलाने वाली सरकार है। इस कारण से आपने इस योजना को लागू किया, भ्रष्टाचार को लागू किया।

(श्री पदमाराम)

भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए समय भी चाहिए होगा, एकदम से कोई भ्रष्टाचार हो या दूसरी चीज हो, उसको मिटाने की कोशिश करें तो वह नहीं मिट सकती। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 14 महीने के अन्दर 6 महीने तो आचार संहिता के अन्दर निकाले और उसके बाद में जो जनता के......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें और समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): ...कल्याण के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं और नीतियां बनाई हैं, जो घोषणा की है वह जनता के सामने है और जनता ने यह करके दिखाया है कि माननीय मुख्य मंत्री गरीब, किसान और गांवों के हर आदमी की समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार हैं। उनकी जो सादगी है, उनका जो जनता से मिलने का स्नेह है, उसको जनता कभी भूल नहीं सकती है। कल हमारे माननीय सदस्य महोदय कह रहे थे कि पहले 156 सीटें आई थीं तो फिर 33 पर कैसे जाकर रुक गये। आपने जो विकास की गंगा बहा दी थी, पैसों की कभी कमी नहीं आई, आपके जमाने में हमेशा अकाल नहीं आया, जमाना ही जमाना आया। अशोकजी गहलोत साहब के लिए कहा कि अशोकजी अकाल लेकर आ रहे हैं...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): तो 14 महीनों के अन्दर आपकी सुविधाएं खतम कैसे हुईं, आपको इतनी सुविधाएं दी हुई थीं? स्कूलों के अन्दर मास्टर्स की कमी है, 14 महीनों के अन्दर हमने एक कभी मास्टर नहीं हटाया... (व्यवधान) सुनो तो सही। माननीय सदस्य, आप तो हमेशा कहते रहते हैं, एक दिन मुझे भी बोलने दो। मैं भी आपके यहां का ही हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। व्यवधान नहीं करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): आपने कहा कि स्कूलों की हालत बहुत दयनीय है। स्कूलों की हालत तो दयनीय होनी ही है...

श्री सभापति : बीच में व्यवधान नहीं करें। उससे आपका समय खराब होगा।

श्री पदमाराम (चौहटन): चुनावों से तीन महीने पहले आपने ढाई लाख मास्टर्स के ट्रांसफर कर दिये और सिटीज में भेज दिये, अब स्कूल तो खाली

(श्री पदमाराम)

होनी ही थीं। नई भर्ती हुई नहीं। हमने एक भी स्थानान्तरण नहीं किया तो स्कूल खाली कैसे हो गये?

श्री सभापति : अब, माननीय सदस्य, समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, द्वारा राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने जनता के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए और हर गांव-गली के लोगों का विकास करने के लिए योजनाएं बनाई हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पहले ज्ञानदेवजी आहूजा थे।

श्री सभापति : देखिये, व्यवस्था जो मैंने दी है, वही लागू रहेगी। कृपया बैठिये आप, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पहले ज्ञानदेवजी आहूजा का नाम था।

श्री सभापति : कोई बात नहीं। तो जो मैंने बोल दिया, वही सही होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ठीक है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय राज्यपाल महोदया का अभिभाषण सामान्यत: इस जनता की आकांक्षाओं का, अपेक्षाओं का और अभिलाषाओं का दर्पण होता है और सरकार की दिशा और दृष्टि दोनों को प्रतिबिम्बित करते हुए इस प्रदेश को विकास के सतत् मार्ग पर प्रशस्त करने का साहसी कार्य संघीय प्रणाली के माध्यम से सदन के बीच में स्थापित किया जाता है। मैं आज आपके माध्यम से एक बात नि:संकोच विवेचन स्वरूप करना चाहूंगा कि संघीय प्रणाली के माध्यम से दल की परिस्थिति और दल की आवश्यकता व्यवस्था मात्र तक सीमित रहनी चाहिए, लेकिन धीरे-धीरे एक ऐसी परम्परा पड़ गई है कि समस्त प्रजातंत्र किसी दलतंत्र के सामने, उसकी परिधि और सीमाओं से बहककर अपने घुटने टेक चुका है। आज कुछ बातें इस दलतंत्र की सीमाओं से बाहर हैं, जो कुछ सच इस सीमा से बाहर है, वह बेबस होकर वहां का वहां रह जाता है और जनता अपनी अपेक्षाओं का, आकांक्षाओं का सत्यता का सरोकार करने के लिए

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

भीख मांगती नजर आती है। आज इस सदन की रूपरेखा और सदन की विवेचना का अगर हम संकल्पित रूप से सार निकालना चाहें तो हां या ना के अलावा इनके पास में कोई और सत्य प्रमाणित करने के लिए नहीं है। मैं आज इस विषय पर इसलिए ज्यादा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यहां इस सदन में आने के उपरांत दल की सीमाओं से बाहर निकलकर जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के प्रति जो मेरा चरित्र है, वह प्रतिपादित करने का मुझे जो दायित्व मिला है, उस दायित्व का निर्वाह करने का हम पूरे साहस के रूप में कार्य करते हैं।

मैं आज इस बात के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, महामहिम के माध्यम से व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान सरकार ने अपने पिछले एक वर्ष के कार्यकलापों का उल्लेखनीय अभिभाषण के स्वरूप में कार्य प्रस्तुत किया है, उसका एक मैं छोटा-सा उदाहरण विनम्रतापूर्वक आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह कतई गलत नहीं है कि किसी सच्चाई को अगर आपके बीच में प्रस्तुत किया जाए और अगर वह नकारात्मक हो और कहीं उसमें आलोचना की व्यवस्था हो तो भी उसे इसलिए भी स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि वह सरकार के विवेक का ध्यान आकर्षित करती है, कभी निंदा के स्वरूप में कही हुई बात सत्यता को परिलक्षित करने के लिए उच्च कोटि तक पहुंचाने का एक सतत् प्रयास करती है। मैं इस बात के प्रति सत्ता पक्ष के लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे अभिभाषण के अन्दर पिछले एक वर्ष की जो कुछ भी आपकी योजनाएं थीं, जो आपने जिस प्रकार से क्रियान्वित कीं, उसके बाद में आपने उल्लेखनीय प्रयास किया और उसके सम्बन्ध में आप लोगों ने अपने अपने तरीके से उस वक्तव्य को प्रस्तुत किया, जब यहां से किसी माननीय सदस्य ने उसके बारे में कहीं नकारात्मक प्रतिक्रिया जाहिर की तो सिर्फ इस वजह से उसको टोक दिया गया क्योंकि वह विपक्ष का था तो मैं एक विपक्ष के सदस्य के नाते नहीं, मैं उस पत्र का उल्लेख करना चाहता हूं जो इस सरकार के माननीय मुख्य सचिव ने लिखा है और वह इस बात को साबित कर देगा कि क्या इस सरकार ने 12 महीनों में कोई कार्य किया था या इनका कार्य सिर्फ घोषणा मात्र रह गया था। मैं उस पत्र को, उस प्रारूप को आपकी इजाजत से पढ़ना चाहूंगा, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। माननीय मुख्य सचिव महोदय ने दिनांक 16.1.2010 को यह पत्र लिखा है समस्त प्रिंसिपल सैक्रेटरीज को और डिपार्टमेंट्स को और यह

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

कहते हुए लिखा है - "Hon'ble CM has taken a serious note of the slow progress in the implementation of the Budget announcements, particularly in the context of the following - (i) Of the 10 policies announced, no policy has been brought so far (Annex.A); (ii) Of the 21 Commissions/Centres/Bodies to be created in pursuance of the Budget announcements, 7 Commissions/Centres/ Bodies have so far been created; (iii) Of the 21 Institutions/Buildings announced, only 3 have been completed; (iv) Of the 4 Acts and Amendments, not even one has been brought." मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, सरकार के मुख्य सचिव यह बात कह रहे हैं, फिर हम यह कहें कि 13 महीनों की रफ्तार इतनी ज्यादा तीव्र थी कि लोगों की अभिलाषाओं की और आकांक्षाओं की हमने पूर्ति की। नौ दिन बाद में इस सरकार का दूसरा बजट पेश होने जा रहा है, मैं इस सरकार का उस वक्त भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं लेकिन आज उस बात के लिए भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं आल इण्डिया का जब इकोनोमिक रिव्यू आया तो अख़बार में खबर छापी कि राजस्थान की भी बल्ले-बल्ले यानी राजस्थान को 405 करोड़ रुपया और अधिक मिलेगा। मैं आपको आर्थिक विश्लेषण का भी बता दूं .... अच्छा, बिहार को नहीं मिल रहा है यह, राजस्थान को मिलेगा? यह राजस्थान को सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि राजस्थान की जी.एस.डी.पी. ग्रोथ बिहार की जी.एस.डी.पी. से भी कम है। यह सही है कि इस बार यह आपको मिल रहा है।

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम अगर अपनी आर्थिक समीक्षा करें, आपने बहुत दमखम से यह बात कही थी कि हम 17,322 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को 18,500 करोड़ रुपये पर ले जाएंगे। आदरणीय, 1,300 करोड़ रुपये की कटौती तो यह कर चुके हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 31 मार्च से पहले-पहले इसमें इनको और कटौती करनी पड़ेगी। यह आखिर आपका और हमारा, सबका धर्म संकट है। जिस योजनाओं को गांव के किसान के, गरीब के घर तक पहुंचना था, उन योजनाओं पर कार्य नहीं हुआ। उदाहरण के लिए अगर मैं प्रस्तुत करूं तो कृषि और संबंधित सेवाओं में जहां 890 करोड़ रुपये खर्च होना था, अब तक सिर्फ 664 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। जहां ग्रामीण विकास पर 1,740 करोड़ रुपया होना था, अब तक सिर्फ 1,258 करोड़ रुपया हुआ है। अब कटौती कितनी की है योजनाओं में? कृषि पर 234.99 करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास पर 462.4 करोड़ रुपये। अब ग्रामवासी और किसान की कर दी तो 70 प्रतिशत मामला जनता का यहां हो

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

गया ठीक, बाकी तो 30 प्रतिशत बचे। अब बाकी 30 प्रतिशत का और 70 प्रतिशत का हश्र जिसको कहते हैं, फाइनेंशल मैनेजमेंट जो हुआ है, वह मैं आपको बताता हूं। यह मेरा रिव्यू नहीं है, यह फाइनेंशल रिव्यू है। जब आपका छह महीने का इकोनोमिक रिव्यू आ गया, उसके बाद में यह लिखा है - "It shows that the buoyancy in the revenue receipts registered a negative trend ..." बोएंसी अगर डेसिमल में होती है तब भी कम मानी जाती है, होल फिगर में होनी चाहिए। यहां "... buoyancy in the revenue receipts registered a negative trend against an increase of revenue expenditure by 3.61%." यानी रेवेन्यू ग्रोथ बोएंसी तो निगेटिव में जा रही है और हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3.61 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रहा है।

दूसरी चीज मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं - "The issue also showed stagnancy in registering a mere 0.29% growth." अगर हम ओवरआल ग्रास काम्प्रिहेन्सिव ग्रोथ की बात करें, तब भी आधा प्रतिशत भी नहीं है, it is only 0.29%.

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। I seek your cooperation.

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): Please give me 2 minutes, I will just conclude.

श्री सभापति : Then I will have to cut short your timings only. आपके मैम्बर का टाइम शार्ट करना पड़ेगा। फिर आप सबकी इजाजत होनी चाहिए आपकी तरफ से।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): Just one more minute.

श्री सभापति : देखिये, मैं तो इसीलिए कह रहा हूं, आप कर ही नहीं पाएंगे, Some of you will have to suffer.

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): Please give me half a minute to conclude my statement.

आपने तो कड़ी से कड़ी जोड़ दी, पंच से लगाकर राष्ट्रपति तक की कड़ी जोड़ दी, Central Grants declined by 18.96%. इस सरकार को सेंटर से पैसा लाना चाहिए था। मैं यह बात इसलिए याद दिलाना चाहता हूं, बहुत दुःख के साथ कह रहा हूं, हमारे सदन के नेता का मैं भी आदर करता हूं, लेकिन सदन के नेता का जो पहली बार अपना अभिभाषण हुआ था गवर्नर के एड्रेस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

के बाद में, उन्होंने कहा था कि जब राजस्थान पर विपत्ति आई थी और बाड़मेर पर जब हमको सेंटर की आवश्यकता थी तो यहां के मुख्य मंत्री ने यह बात कही थी कि मैं छाती पर चढ़कर लाऊंगी। यह राजस्थान है, अगर सेंटर नहीं देगा तो छाती पर चढ़ कर नहीं, छाती फाड़ कर भी लेकर आएंगे। इस बात का भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता, आप जिस पृष्ठभूमि से पधारते हैं, आपने अधिकतर अपना समय फौज में गुजारा है, पांच प्रतिशत की जनसंख्या वाले इस प्रदेश ने नौ से दस प्रतिशत फौजी दिये हैं, आज वीरांगनाएं ग्यारह से बारह प्रतिशत हैं, आज उस फौज के देश को, जो सीने पर गोली खाता है, अगर उसको मिल जाता है विशेष दर्जा, तो इसके लिए मैं आपका ध्यान सिर्फ सरकार के उस मामले पर आकर्षित करना चाहता हूं, जस्टिस मार्कण्डेय काटजू, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने पानी के ऊपर एक कमेटी का गठन करवाया है और केन्द्र सरकार को बाध्य किया है कि आप हर दो महीने के बाद साइंटिफिक मैथड से जहां पानी की कमी है, आप उसको करके लाइये। राजस्थान सरकार को गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, उसमें अपने आप पार्टी बन जाए, सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित कर देगा कि राजस्थान कम से कम इस भीषण विपत्ति से...

श्री सभापति : I request you to please conclude now. Kindly conclude.

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आपने, हुकुम, टाइम दिया उसके लिए बहुत, लेकिन एक आपके माध्यम से सूचना जरूर पहुंचा दूं...

श्री सभापति : नहीं...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आज हमारे केन्द्र की सरकार ने इस राजस्थान की जनता को इतना बड़ा तोहफा दिया है कि साढ़े सात प्रतिशत एक्साइज तो पैट्रोल पर बढ़ा कर पैट्रोल को पचास रुपये से ऊपर कर दिया है और पांच प्रतिशत एक्साइज डीजल पर बढ़ा कर डीजल को ढाई रुपये महंगा कर दिया है। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : प्लीज। श्रीमती मंजू देवी।

श्रीमती मंजू देवी (जायल): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन व धन्यवाद करती हूं। मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार लोक कल्याण कार्यों में सर्वोपरि रही है। राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी व

(श्रीमती मंजू देवी)

उत्तरदायी प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध रही है जिसके परिणामस्वरूप जनता ने हमको तीन-तीन चुनाव में अपना भारी समर्थन दिया है। प्रदेश में ग्रामीण एवं विकास की नई पहल के लिए नई नीति बनाई जिससे आम जनता व किसान को लाभ होगा। पहले सरकार ने 'प्रशासन गांवों के संग' के आधार पर भी गांवों की आम जनता को सुविधा प्रदान की उसी के साथ में वर्तमान सरकार ने हमारे लोकप्रिय नेता अशोकजी गहलोत ने शहरों में सुनियोजित विकास के लिए 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान चलाया जो अपने आप में एक महती योजना है और इस योजना के तहत पहले जो गांवों में आम जनता को सुविधा मिली, वैसे ही शहर में निवास करने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी। मुझे इस बात को कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे प्रदेश में वित्तीय प्रबंध सही करते हुए विकास जारी है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी, दो-तीन दिन से यहां वाद-विवाद चल रहा है, सामने जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वह भी अपनी भूमिका में बहुत ही अपनी तरफ से प्रयास करके भरपूर हमें बराबर जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपकी जब सरकार थी, आपने भी अपने भरपूर प्रयास किये होंगे, जनता के विकास के लिए नई-नई योजनाएं दी होंगी, लेकिन उन वादों और विकासों को आपने पूरा नहीं किया। हमारी सरकार ने किया जिसका परिणाम आपके समक्ष है कि आप विपक्ष में बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं।

इसी के साथ में, माननीय, देवनानीजी राज्य मंत्री रहे हुए हैं शिक्षा के, परसों मुझे सुनकर बड़ा दुःख हुआ। आप शिक्षा के मंत्री थे, शिक्षा का ढर्रा आपके ही कारण बिगड़ा है। हमारी सरकार में जो मंत्रीजी बैठे हैं, उन्होंने उस शिक्षा के ढांचे को सुधारने के लिए बहुत ही प्रयास किये हैं। आपने बस इतना ही गांव को, लोगों को प्रलोभन दिया कि हमारी सरकार आई है, हम स्कूलों को क्रमोन्नत करते जाएंगे। इसलिए आपने प्राइमरी को मिडिल में कर दिया, मिडिल को सैकण्डरी में कर दिया, सैकण्डरी को सीनियर में कर दिया, जिसका परिणाम आप यहां विराजमान हैं, आप सब जान रहे हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है। इस बिगड़े हुए ढर्रे को हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी सुधार रहे हैं जिस पर भी आप आरोप लगा रहे हैं कि आपने शिक्षा का ढर्रा खराब कर दिया है। आपने देखा होगा, तेरह महीने के कार्यकाल के अन्तर्गत माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने सबसे पहले स्कूलों का सही ढर्रे से विकास करने के लिए उन्होंने मिडिल स्कूलों में एच.एम. लगाये हैं, सीनियर स्कूलों में प्रिंसीपल लगाये हैं। लेकिन ये चीजें आपको दिखाई नहीं देती हैं, बस अपनी प्रतिपक्ष की भूमिका

(श्रीमती मंजू देवी)

आप अदा कर रहे हैं। इस बात को कहते हुए मुझे बहुत ही दुःख हो रहा है कि करनी आपकी है लेकिन आरोप आप हमारे ऊपर लगाये जा रहे हैं।

इसी के साथ पानी की बात भी दो दिन से लगातार आ रही है, पेयजल के लिए मैं कहना चाहूंगी। पहले हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मातासुख लिग्नाइट प्रोजेक्ट के लिए। हमारे साथ के परसों विधायक बैठे थे तब बात उठाई थी, आपको शायद याद नहीं होगा, हमारी सरकार ने इस योजना को लागू किया था। मैं बताना चाहूंगी, यह योजना मेरे क्षेत्र में चल रही है बल्कि मेरे ससुराल में चल रही है। मैं यह भी भली-भांति जानती हूं कि कि इस योजना को कैसे-कैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। इसका श्रेय आप ही को जाता है जिसके कारण वर्तमान में यह आज बंद पड़ी है। इस योजना को सन 2000 में चालू किया गया था उस वक्त हमारी कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। बीच के समय में जब बीजेपी की सत्ता काबिज हुई तो इस योजना की गति में अवरोध पैदा कर दिया जिसके परिणामस्वरूप कार्य धीरे-धीरे हुआ। मीठा पानी और कोयले का उत्पादन अब जाकर शुरू होने को आया है। यदि सही तरीके से काम चलता तो 2007-08 तक हमें मीठा पानी मिल जाता, गरीब जनता को शायद पानी उपलब्ध हो जाता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती मंजू देवी (जायल): बात नरेगा की चल रही है, नरेगा में भ्रष्टाचार बीजेपी के ही कार्यकाल में बढ़कर हुआ था, आप शायद जानते नहीं हैं। नरेगा का काम जब आपकी सत्ता थी, आपकी सरकार थी तब सरकार ने इसको चालू किया था, लेकिन आपकी एक ही मंशा थी कि इस नरेगा के कार्यक्रम को कैसे फेल किया जाए। भ्रष्टाचार का नाम देकर इसको आम जनता के बीच में लाकर इसको प्रचारित किया लेकिन जनता आपको भी जानती है और हमारे को भी जानती है। आप यह बार-बार कह रहे थे कि भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए, रोकने के माध्यम भी सरकार ने अपनाये हैं, सामाजिक अंकेक्षण का काम किया है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती मंजू देवी (जायल): सर, एक मिनट। सामाजिक अंकेक्षण का भी काम किया है लेकिन उसको भी आप लोगों ने सही तरीके से पेश नहीं आने दिया। हमारी बांसवाड़ा से आने वाली माननीय विधायक, कांता गरासिया

(श्रीमती मंजू देवी)

ने आपको एक उदाहरण भी पेश किया था कि किस प्रकार से जब टीम वहां पर गई, आप लोग उसके साथ में बदतमीजी से पेश आये थे। इस प्रकार मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हर काम के अन्तर्गत हमारी सरकार अग्रणी रही है और विकास की पहल करते हुए आम जनता तक उन्होंने सोचा है जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूं कि हमारी सोच, हमारे लोकप्रिय माननीय नेता अशोकजी गहलोत की सोच आम जनता को साथ लेकर, छत्तीस कौमों को साथ लेकर विकास करने की है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती मंजू देवी (जायल): इतना ही कह कर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन आपके..

श्री सभापति : श्री ज्ञानदेव आहूजाजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन, मैं तो आपको इन्फार्म ही कर रहा हूं।

श्री सभापति : अभी ज्ञानदेव आहूजाजी को बोलने दीजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आहूजाजी बोलें, मैं तो एक ऐसे...

श्री सभापति : देखिये, मैं बता रहा हूं, टाइम नहीं है, बहुत से लोगों को मौका नहीं मिलेगा बोलने का। मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह परम्परा तो है लेकिन पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन, आप बैठिये, प्लीज। (व्यवधान) देखिये, मैं खड़ा हुआ हूं और वह खड़े हुए हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जो कल ही...

श्री सभापति : देखिय, मैं फिर बता रहा हूं कि यह आपका शिड्यूल नहीं चल पाएगा, आप में से बहुत से लोग नहीं बोल पाएंगे। आप तो इतने वरिष्ठ हमारे सदस्य हैं, सब लोग आपको इतना मौका दे रहे हैं, दूसरों को मौका दें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): एक ही सैकण्ड। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, श्री ज्ञानदेव आहूजाजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आहूजा जी...(व्यवधान)

श्री सभापति : अमरारामजी, प्लीज, बैठिये आप, कृपया विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, कोई गम्भीर घटना है...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, इतना इम्पोर्टेंट मामला है..

श्री सभापति : नहीं, यह तो आपको भी मालूम है टाइम आपका था नहीं, मैंने पहले आपसे कह दिया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): टाइम कहां ले रहा हूं? सभापति महोदय, आप विराजें मैं तो एक मिनट...

श्री सभापति : देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं? कि आप ज्ञानदेव आहूजाजी को बोलने दीजिए।

सूचना

नागौर जिले के गांव कापड़ोद के 72 लोग अशुद्ध पेयजल के कारण डीडवाना अस्पताल में भर्ती

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पांच मिनट की बात है। माननीय सभापति महोदय, नागौर जिले के डीडवाना तहसील का कापड़ोद एक गांव है, जलदाय विभाग के माध्यम से वहां पानी सप्लाई किया जाता है, एक छोटे से गांव में कल 72 लोग डीडवाना के बांगड़ हास्पिटल में भर्ती हो गए। उनकी जान के साथ जलदाय विभाग और सरकार आपराधिक कार्य कर रही है। जयपुर में भी पहले अशुद्ध पानी से मौतें हो चुकी हैं, और फिर राजस्थान में नहीं हो इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि एक गांव के 72 लोग उल्टी और दस्त के कारण बांगड़ हास्पिटल डीडवाना में भर्ती हैं...

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री ज्ञानदेवजी आहूजा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इसलिए उस ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करे और वहां पानी की व्यवस्था करे।

श्री सभापति : कृपया अब आप विराजें, कृपया विराजें।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): हमारे विद्वान सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर पिछले चार-पांच दिन से वाद-विवाद चल रहा है। अब महामहिम हैं तो ज्यादा कुछ कहना नहीं है लेकिन सत्तारुढ़ पार्टी ने उनसे असत्य से भी असत्य, दिन में भी और रात में भी शुद्ध रूप से असत्य, चलाया युद्ध फार शुद्ध और है ये पूरी तरह अशुद्ध, जो अभियान चलाया उसके तहत सत्तापक्ष के लोगों ने और विपक्ष के लोगों ने बोला है। वैसे तो तंबूरे का एक तार जो बोलता है, बाकी तार भी उसके स्वर में स्वर मिलाते हैं। धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, किस बात का धन्यवाद दे रहे हैं? क्या कर दिया 13 महीने में आपने? 13 महीने में तेरहवां हो गया इस सरकार का। वैसे तो हालत यह है, सत्ता में आकर नेताजी ने कमाल कर दिया, सभी दोस्त-रिश्तेदारों को थोड़े दिनों में माला-माल कर दिया, यह स्थिति इनकी हुई है। अब उसके गुणगान कर रहे हैं। गुणगान कर रहे हैं तो देखिए जरा, इन्होंने जो किया, मैं उसकी ही जानकारी दे रहा हूं। कहीं 13 महीने में 13 बीडीओ और कहीं मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में 8 एसडीएम, क्या काम होगा और क्या काम करेंगे? इससे आगे बढ़े तो एक थाने में 6 थानेदार, 13 महीने में कितना काम हो पाएगा? ये आपके आकड़े जो अखबारों में आये हैं। एक तहसील में 7 तहसीलदार, एक हैण्डपम्प लगाया नहीं, एक स्कीम हुई नहीं। मेरे यहां तो हुई नहीं, आपके यहां हुई तो आप बल्ले-बल्ले करिए, भंगड़ा डालिए, खूब नाचिए, कूदिए। कुछ अच्छी तरह से एक शेयर सुनाता हूं फिर बाद में और प्रारम्भ करुंगा क्योंकि समय कम है।

''सरकारी नेताओं। पहले चुनाव जिताने के लिए जनता को मुर्गे खिलाते हो,

फिर सत्ता में आकर उनको ही मुर्गा बनाते हो।''

काम कोई किया नहीं, भंगड़ा कर रहे हैं और बल्ले-बल्ले कर रखी है, किस बात की? कोई काम आपने किया हो तो बताइए। एक पाइन्ट दिया औद्योगिक शांति, मैं मजदूर नेता रहा हूं और दो दशक रहा हूं। माननीय विद्वान सभापति महोदय, दो दशक रहा हूं। आप कहते हो दीर्घ शांति, अरे! ठेके पर

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

रख दिया राजस्थान को, पूरे मजदूरों को आपने ठेके पर रख दिया। मेरे अलवर जिले में 18 औद्योगिक क्षेत्र है- भिवाड़ी है, टपूकड़ा है, तिजारा है, भटीला है। आप भी अलवर जिले से हैं, माननीय सभापति महोदय, शाहजहांपुर है, नीमराणा है। दो लाख मजदूर हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी राज में नहीं हुआ, आपके भी शासन रहे हैं, कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे भी रहे हैं, दो लाख मजदूर पूरे ठेके पर हैं। न वहां आईडी एक्ट लागू है, न इण्डस्ट्रीज डिस्पुट एक्ट और न वहां फैक्ट्री एक्ट लागू है। वहां मजदूर तरस रहा है और तड़प रहा है। न पीएफ लागू है और न ईएसआई लागू है। आप भी एक छोटे से उद्योगपति है सभापति महोदय, वहां क्या दुर्गति हुई है मजदूरों की? ठेकेदारी के अन्दर बंधुआ मजदूर, बाउण्डेड लेबर बना दिया आपने। मजदूरों की भलाई की बात करते हो, किसानों की भलाई की बात करते हो, आप झोपड़ी की भलाई की बात करते हो, तड़प-तड़प कर मर रहा है मजदूर। हमारे विद्वान सदस्य ने कहा कि नरेगा योजना महात्मा गांधी के नाम से रखी जाए। महात्मा गांधी का चित्र आपने सारे आफिसों में लगा दिया। कहीं भ्रष्टाचार कम हुआ क्या? आप सिर पर हाथ रखकर कहिए, कहीं पर भ्रष्टाचार कम हुआ क्या? बड़े-बड़े फोटो लगा रहे हैं महात्मा गांधी के, अब नरेगा का नाम और महात्मा गांधी का नाम रख दिया है आपने। राष्ट्रीय रोजगार योजना, महात्मा गांधी रोजगार योजना, आप लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया है? दिल्ली के नेताओं ने क्या किया? राजस्थान के नेताओं ने क्या किया?

वाह रे महात्मा गांधी! खूब चली तेरी आंधी।
वाह रे महात्मा गांधी! खूब चली तेरी आंधी।
तुम तो खुद रहे जिंदगी भर लंगोट में ।
और अब नजर आते हो कांग्रेसी नेताओं की
कृपा से पांच सौ रुपए और एक हजार रुपए के नोट में।

यह रही महात्मा गांधी के नाम से प्रोग्रेस आपकी। ऐसे पवित्र व्यक्ति को भी आपने कितना कलंकित किया है! अपने मुंह पर तो कालिख पोती और उनको भी कालिख पोतना चाहते हो! यह हम होने नहीं देंगे। इसलिए कृपा करिए, कम से कम करोड़ों-करोड़ों, अरबों रुपए जो नरेगा का घोटाला हो रहा है उसमें तो महात्मा गांधी का नाम हटाएं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपने राजीव गांधी मिशन रखा है। इसी में पेज नम्बर-2 पर है और पाइन्ट

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

नम्बर-1 है। मुझे राजीव गांधी से चिढ़ नहीं है, देश के प्रधान मंत्री रहे हैं। जो भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहे हैं, हमारे लिए सम्माननीय हैं परन्तु क्या इस देश में लाला लाजपतराय नहीं हुए, इस देश में भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद नहीं हुए? इस देश में क्या रामप्रसाद बिस्मिल, सुखदेव राजगुरु नहीं हुए? अशफाकऊल्ला खां नहीं हुए, क्या इस देश में डा. राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. जाकिर हुसैन नहीं हुए? क्या इस देश में आचार्य कृपलानी जैसे लोग नहीं हुए? पट्टाभि सीतारमैया जैसे लोग नहीं हुए? रफीक अहमद किदवई, मौलाना अब्दुल आजाद नहीं हुए? क्या हमारे गोविन्द वल्लभ पंत नहीं हुए? क्या चन्द्रभान गुप्त, कमलापति त्रिपाठी, डा. सुब्रहमण्यम नहीं हुए? ऐसे महापुरुषों के नाम पर तो आपने कुछ पट्ट भी नहीं लगाया। सिर्फ नेहरु परिवार का स्तुतिगान। हे मम्मी! आप हमें कृपा करे। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आपने कहा नाम नहीं लेना, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। +++ ...(व्यवधान) मैंने किसी को नहीं टोका, बीच में मत बोलिए। +++ आप हमारे ऊपर कृपा करे, आपके पतिदेव के नाम से हमने सारे मिशन चला दिए। आपको गुरु गोविन्द सिंहजी से चिढ़ है। आपको संपूर्ण विश्व में एक हीरों जो कभी झुके नहीं महाराणा प्रताप के नाम से चिढ़ है। आपको चिढ़ है शिवाजी के नाम से। उनके नाम पर तो आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं लेकिन आजादी के बाद और आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जो महापुरुष हैं, उनको तो कम से कम पट्ट देते। उनका नाम होता, उनके नाम पर कोई मिशन होता, कोई काम होता। माननीय सभापति महोदय, मैं 5 दिन से सुन रहा हूं, बीजेपी में फूट है इसलिए हुई लूट है। पांच दिन से सुन रहा हूं। नागौर जिले में क्या हुआ, आप बताइए? कोटा में क्या हुआ? हमारे एक मंत्री हैं, नाम नहीं ले रहा हूं। वे उपस्थित नहीं हैं, होते तो नाम लेता। उनके इशारे पर कांग्रेस के सांसद के घर पर पत्थर फेंके गये। पत्थर फेंके गये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपसे तो अपेक्षा है ज्यादा सहयोग करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): कर रहा हूं। उन्होंने पत्थर फेंके और कांग्रेस सांसद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब यह आपका राज है? चारों तरफ गुण्डागर्दी है, अपराध है, लूट है। राजधानी जयपुर में चेन लूटी जा रही हैं, हत्याएं हो रही हैं और आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो रही हैं। माननीय सदस्य, सबसे ज्यादा आपके क्षेत्र में हो रही हैं और उसके

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बाद में बल्ले-बल्ले कर रहे हो, नाच रहे हो, उछल रहे हो, भंगड़ा कर रहे हो, किस बात के लिए, आप बताइए? कांग्रेसी सांसद आपके हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, थोड़ी कृपा करें। मैं तो पांच दिन से बोला ही नहीं हूं।

श्री सभापति : मैं तो बोल रहा हूं पांच दिन से, लेकिन आप पहले ही टाइम ज्यादा ले चुके हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अब मैं घोटालों की बात करता हूं। आरटीडीसी का घोटाला मुझे खोलने दीजिए, बाकी घोटाले तो बहुत हैं। छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, नागवाला काण्ड, बैंक घोटाले से लेकर अब तक कितने घोटाले आपके रहे हैं लेकिन आरटीडीसी का घोटाला मैं लाया हूं। एक पचास लाख का सामान बिना आईएसआई का, बिना आईएसआई का पचास लाख का किचन का सामान नौ करोड़ में खरीदा गया है। चिमनी खरीदी गई है जो साठ हजार की मार्केट में आती है चाइनीज, जो खरीद नहीं सकते, आईएसआई मार्का नहीं है, डेढ़ लाख में। एक मशीन आटा गूंदने की बाजार में 1600 की आती है, उसको 16000 में खरीदा गया है। सारा सामान, पूरी डिटेल है मेरे पास, इसकी जांच कराएं। माननीय मंत्री बहुत उछल रहे थे, हमारे विभाग भी सुन्दर है, माननीय मंत्री भी सुन्दर हैं, दोनों ही सुन्दर हैं। इसलिए मेरा कहना है ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय मेरे जिले के हो, कृपा करें। मैं बोला ही नहीं हूं पांच दिनसे, मैं आपको कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें अब आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): एक शेर आखिर में बस। ''सत्ता के निर्वाचित प्रतिनिधियों, सत्ता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सम्मुख जनता की भाषा में इतना ही कहना है, वक्त बड़ा निष्ठुर है, सत्ता का सिंहासन जाने क्या। और यहां कितने दिन आपके पास रहना है।'' इसलिए इतराइए मत, आप घमण्ड मत करिए।

बहुत सारा मसाला लाया था परन्तु सभापति महोदय का आदेश मान कर मैं बैठ रहा हूं, आप सबको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय को धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री गोपाल मीणा।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, 13वीं विधान सभा के चौथे सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते समय मुझे प्रसन्नता अनुभव हो रही है। हाल ही में सम्पन्न स्थानीय निकाय, सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं के चुनाव परिणामों में राजस्थान सरकार की नीतियों की जीत हुई है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में आम आदमी के उत्थान की जो योजना बनायी, उस पर जनता ने मोहर लगायी। आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के लिए विपक्ष में बैठे सदस्य हर बात को अलग-अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि महामहिम राज्यपाल से असत्य बुलाया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए, हमारे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की सरकार जो बात कहती है, उसमें करनी और कथनी में अन्तर नहीं है। आपको पता है कि जब केन्द्र में चुनाव हो रहे थे 2004 में लोक सभा के, उस समय एकमात्र हमारी कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी पूरे देश में सब जगह जाकर एक बात कह रही थीं कि हम आम गरीब आदमी को रोजगार देंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के नाम से एक कानून बनाएंगे। उस समय पूरे देश में विपक्षी दल और पूरे विश्व में सब लोग यह मान रहे थे कि यह क्या योजना बनाएगी, यह भारत की जनता को असत्य बोल कर, धोखा देकर वोट लेना चाहती है। लेकिन जब यूपीए की सरकार बनी और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कानून बनाया गया, तब भारत की जनता में यह महसूस हुई, भारत के आम गरीब लोगों को यह महसूस हुआ कि कांग्रेस सरकार जो बात कहती है वो काम करती है। इसलिए यह बात निराधार है विपक्ष के सभी सदस्यों की। यह कांग्रेस सरकार जो काम बोलती है, जो काम करने के लिए बात करती है वो काम करती है। आपको भी महसूस है। आज पूरे देश में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के नाम से कानून बना। पूरे देश के आम गरीब लोग जो गांव में, ढाणियों में बैठे थे, शहरों तक किराया खर्च करके चौखटी पर आकर बैठते थे और उनको काम नहीं मिलता था। बीड़ी पीकर बैठकर इधर-उधर देखकर शाम को खाली हाथ घर जाना पड़ता था। लेकिन आज यह स्थिति हमारे देश की गरीब जनता की नहीं रही, क्योंकि घर बैठे रोजगार उनको मिल रहा है। एक पैसा किराया नहीं लगता, एक पैसा कोई खर्च नहीं करना पड़ता। घर बैठे रोजगार दे रही है, यह कांग्रेस सरकार की देन है।

मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूंगा, आप लोग बार-बार यह बात कह रहे हैं कि राजीव गांधी के नाम से योजनाएं क्यों चलायी जा रही

(श्री गोपाल मीणा)

हैं। वो एक भारत रत्न हैं ...(व्यवधान) बोलेंगे क्या, बोलने की बात ही नहीं है आपके पास। देश के महान नेता हैं देश के लिए उन्होंने अपनी जान न्योछावर की है। ऐसे महान आदमी के नाम से कोई योजना शुरू करे सरकार, तो आपको समर्थन करना चाहिए। बीजेपी सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं होगी जो कोई नेताओं के ऊपर या और किसी के ऊपर हो। योजनाएं वो बनाते हैं, योजना उन नेताओं के नाम पर की जाती है, जब योजना ही आपके पास नहीं थी तो नाम किसका लेकर बनाते? आप बनाते न महाराणा प्रताप के नाम से, बनाते शिवाजी के नाम से, या और आप कोई बड़े नेता के नाम से बनाते तो हम आपका समर्थन करते। आप लोग विरोध की बात क्यों करते हैं? आप लोगों ने केवल नाम बदला है इसलिए आप केवल योजनाओं के बारे में देखें। योजना क्या बनायी, सरकार की क्या नीति है, उस बात पर ध्यान दें। राज्य सरकार किसानों के कल्याण, श्रमिक एवं महिला कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा राज्य का समग्र विकास उसकी पहली प्राथमिकता है।

दूसरा, हमें इस बात की बेहद खुशी है कि अभिभाषण में ग्राम पंचायत एवं कृषि विकास का प्राथमिकता से उल्लेख किया है गया । इसमें गांवों के लिए मास्टर प्लान का प्रावधान कर ग्रामीण विकास के लिए रास्ता खोला गया है। ऐसी योजना बनायी है, ग्रामों तक मास्टर प्लान बनाया गया है यह इस सरकार की सोच है। आज तक केवल शहरों में ऐसी योजनाएं बनायी गयी हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि गांवों में भी मास्टरप्लान बनाये जाएंगे। गांवों में शहरों की स्थिति ले जाई जा रही है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप ऐसे आक्षेप, ऐसी बातें नहीं करें। आज तक राजस्थान की जनता का भरोसा कांग्रेस की सरकार पर है वो इसलिए है कि संवेदनशील सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में आपके वरिष्ठ लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले एक बात कही, आपको ध्यान भी होगा, अख़बार में भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है कि कांग्रेस के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ईमानदार मुख्य मंत्री हैं। बीजेपी के नेताओं ने कहा है, ईमानदार हैं, ईमानदार सरकार है ...(व्यवधान) क्यों नहीं, जब ईमानदार मुख्य मंत्री हैं तो ईमानदार सरकार भी होगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। कृपया व्यवधान न करें।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): एक मिनट। जयपुर विश्वस्तरीय शहर बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी को नहीं है। शीघ्र ही मैट्रो रेल यहां

(श्री गोपाल मीणा)

चलेगी। अभी जब सरकार आयी तब आते ही हमारे जयपुर शहर की गूणी की सुरंग योजना के लिए उद्‌घाटन मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने किया और आने-जाने का साधन सरल हो। आप विपक्ष के लोग यह बता रहे थे कि यह वर्ल्ड क्लास सिटी क्या है, वर्ल्ड क्लास सिटी के कोई अलग अजूबा थोड़े ही लगता है। पन्द्रह साल तक नगर निगम में बीजेपी का महापौर रहा, कल कह रहे थे जयपुर के माननीय सदस्य कि यहां की गंदगी कैसे मिटे, गंदगी पर आपने पन्द्रह साल तक आपके महापौर रहते हुए जयपुर शहर पर ध्यान नहीं दिया, सरकार बीजेपी की आयी तो भी ध्यान नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी ने आते ही वर्ल्ड क्लास सिटी की घोषणा कर दी।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): पहली बार महापौर आया है जयपुर जिले में पन्द्रह साल से, इसलिए अब आने वाले समय में थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन जयपुर शहर आपके लिए और जयपुर की जनता के लिए आप देखेंगे तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा, जयपुर वर्ल्ड क्लास सिटी क्या है। आपके खुद के ...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): एक मिनट, साहब। पहली बार तो बोल रहा हूं।

श्री सभापति : बोलिये। बोलिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): ...राज्य की कांग्रेस सरकार ...विद्युत उत्पादन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानती है। इसको देखते हुए जब राजस्थान की सरकार बनी और सोनिया गांधीजी जब यहां राजस्थान की जनता को धन्यवाद देने जयपुर आईं तब माननीय अशोकजी गहलोत ने कोई कदम पीछे नहीं रखते हुए किसानों के लिये एक ऐतिहासिक बात कही। उन्होंने पांच साल तक किसानों का बिजली का बिल न बढाने की घोषणा की।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने आपको

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सम्मिलित करना चाहती हूं। दिसम्बर, 2009 में नई सरकार चुन कर आई उसके बाद सदन के आदरणीय नेता ने पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम सैंक्शंड थे, जो काम करवाये थे, जो काम अधूरे पड़े थे, उन सब कामों के ऊपर रोक लगा दी। अगर उन कामों को भी यह सरकार मान्यता दे देती और वह काम शुरू रखती तो मैं समझती हूं इस सरकार का एक अच्छा मैसेज जाता और शहरों में अच्छा काम होता। सभापति महोदय, सरकार ने सभी विकास के कार्यों की जांच के लिये माथुर, आयोग बनाया। माथुर आयोग का गठन किया गया जिसको उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया और कह दिया। यह काम का नहीं है। इस आयोग को नकार दिया। सभापति महोदय, इस तरीके से अगर यह सरकार काम करेगी तो कैसे काम चलेगा। मैं न तो कोई विवाद में जाना चाहती हूं, न मैं कोई तेरी मेरी करना चाहती हूं। मगर मैं यह जरूर चाहूंगी कि अगर यह सरकार अच्छा काम करे तो हम इनकी प्रशंसा करने को भी तैयार हैं। मगर आज 13 महीने हो गये, सभापति महोदय, आप थोडा सुने तो मैं बोलूं, नहीं तो मैं नहीं बोलूं। सभापति महोदय का ध्यान दूसरी जगह है। सभापति महोदय, 13 महीने हो चुके हैं मगर आज तक मेरे एमएलए फण्ड का जो पैसा है, उसको भी पूर्ण करने में सरकार ने अभी तक सहयोग नहीं किया है, इससे ज्यादा कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। सभापति महोदय, मैं वह महिला हूं, मैं कोई बिजनस करने वाली नहीं हूं। मेरे पास विकास के अलावा कोई काम नहीं रहता है। मैं विकास के लिये हर अफसर से मिलती हूं, पत्र व्यवहार करती हूं। मगर मेरे को पत्रों का उत्तर तक ये लोग नहीं देते हैं। एक चीफ सैक्रेटरी साहब का जरूर पत्र आता है, बाकी एक भी अधिकारी मेरे को पत्र का उत्तर तक नहीं देता है। क्या एमएलए की यह अहमियत है, एमएलए का प्रोटोकोल देखें आप एमएलए कहां पर स्टैंड करता है। मगर आज तक यह सरकार मेरे पत्रों का उत्तर तक नहीं देती है। सभापति महोदय, मैं स्वयं एक महिला हूं और गृहिणी हूं और घर को चलाती हूं मेरे को यह समझ में आ रही है, अभी माननीय खाचरियावासजी ने अपना स्टेटमेंट दिया और बोले कि अपन सब मिल कर महंगाई को दुरुस्त करेंगे। सब मिलकर क्या करेंगे, राजस्थान सरकार करेगी। सरकार क्यों नहीं महंगाई को कंट्रोल कर रही है? सरकार महंगाई तो कंट्रोल कर नहीं रही है, महंगाई दिनों-दिन बढ़ रही है। लोगों का दाल-रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। आपको इस बात को मानना पड़ेगा। आप इस बात को नकारो मत, आप इस बात को समझो कि वास्तव में शहरों

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

की स्थिति क्या है। कहते हैं शुद्ध के लिये युद्ध, कहां शुद्ध के लिये युद्ध कर रहे हो? युद्ध तो हम कर रहे हैं। जो गरीब जनता खाने के लिये मर रही है, उसको खाने के लिये कुछ नहीं मिल रहा है युद्ध तो हम कर रहे हैं। सभापति महोदय, शुद्ध करने के लिये मैं आपको सही बता रही हूं लेबोरेटरीज में अधिकारी ही नहीं हैं, कौन टैस्ट करेगा? जोधपुर में सबसे बड़ी लेबोरेटरीज है, इतनी बढ़िया लेबोरेटरीज है और उसमें इतने उपकरण हैं, मगर काम में कौन लें? कोई जानकार हो तो काम में लेवे, वर्ना कौन काम में लेवे?

श्री सभापति : नागर साहब को कही रही हैं आप?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, नागर साहब तो हैं नहीं, वह तो कल जवाब ही नहीं दे सके थे। सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आई हूं, मैं उस क्षेत्र की बात करूंगी, मैं अभी वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहती हूं क्योंकि मैं मेरा काम चाहती हूं। सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आई हूं वह क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है सभापति महोदय, सदन के नेता अगर मेरी बात को स्वीकार कर लें और उस क्षेत्र के बारे में विचार कर लें तो मैं समझती हूं, इससे ज्यादा बढ कर और कोई कार्य नहीं होगा। वह क्षेत्र इतना पिछडा हुआ हैं, कि जहां पैर रखो वहां खड्डा है। (व्यवधान) अभी हमारे विपक्ष के उप नेता कह रहे हैं और वह अभी हमारे नेता का कार्य भी करेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप जल्दी समाप्त करें, एक मिनट रह गया है आपका।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति, मुझे मेरी बात तो कहने दें।

श्री सभापति : मैं क्षमायाचना कर रहा हूं, दो-दो मिनट हैं आपके।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): पांच मिनट तो आपने देने का कहा ही है।

श्री सभापति : दे दिये पांच मिनट आपको।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हुए ही नहीं साहब पांच मिनट तो। सभापति महोदय, यह सही है कि मुख्य मंत्री जोधपुर के हैं इसलिए हमें घमंड भी है। कांग्रेस का राज था, मुख्य मंत्री तो कोई भी बनता मगर जोधपुर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

के बने हैं तो हमें इस बात का तो गर्व है। मगर वह गर्व मेरा अभी कायम नहीं रह रहा है जब तक सूरसागर क्षेत्र और जोधपुर में काम नहीं होगा। तो मेरा घमंड पूरा नहीं होगा क्योंकि सरदारपुरा क्षेत्र से वह खुद चुन कर आते हैं, वहां तो बंगले बने हुए हैं। शहर में हवेलियां हैं। मगर सूरसागर में गरीब झोंपड़ी वाला रहता है, गरीब कालोनियां हैं, वहां पर कोई विकास नहीं होता है तो हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगी कि सदन इसमें विचार करे। सभापति महोदय, दो-तीन मिनट और लूंगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्या आप समाप्त करें, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, मैं सूरसागर क्षेत्र की बात करूंगी। मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रही हूं, पूरे राजस्थान की बात नहीं कर रही हूं। सूरसागर क्षेत्र में शिक्षा के प्रति भावना रखने वाले सदन के नेता कहते हैं कि सबको पढ़ाओ। कहां से पढ़ाओ, वहां हायर सैकण्डरी स्कूल तक नहीं है। वहां जो डिस्पेंसरीज हैं वे स्टेट के टाइम की हैं, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। सभापति महोदय, यह राजस्थान की बात कर रहे हैं कि पेड़-पौधे लगा रहे हैं, मगर इतने बड़े-बड़े पार्क हैं वे कचरों से भरे पड़े हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या समाप्त करो, कृपया समाप्त करो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, मैं एक मिनट और लेना चाहूंगी। यह शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्कूलें बगीचों में चल रही हैं, स्कूल नहीं हैं। मैं यहां तक कहना चाहूंगी, अभी राजीव गांधीजी के नाम ....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। अब अंकित नहीं होगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्या, विराजिए, आपका टाइम समाप्त हो गया है। कृपया विराजिए, आसन पांवों पर है, कृपया विराजिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री सभापति : श्री प्रेमचन्द नागर।

श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा): सभापति महोदय, आज आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। सभापति महोदय, हाल ही में

(श्री प्रेमचन्द)

स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं और पंचायती राज के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी व राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहूंगा। सभापति महोदय, इन चुनावों के नतीजे आये नहीं थे। राजस्थान सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से सरकार की जो तस्वीर उभर कर सामने आई है उसमें राजस्थान की जनता ने आस्था प्रकट की है राजस्थान की सरकार पर, उसकी नीतियों पर, उसके कार्यक्रमों पर। चुनाव में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है।

(समय : 15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत की जो भागीदारी दी गई है, उसने महिलाओं के विकास को नई दिशा दी है, यह कार्य भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगा। शहरी क्षेत्र में तो महिलाएं काफी विकसित हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जहां से मैं आया हूं, मेरा विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण अंचल का है, वहां पर महिलाएं बहुत कम शिक्षित हैं। आज तो फिर भी महिलाओं, बच्चियों की शिक्षा पर काफी ध्यान दिया जाता है और हमारी आने वाली पीढ़ी काफी शिक्षित है, लेकिन जो लोग आज इस राजनीति में आ सकते हैं उनमें महिलाओं की शिक्षा का काफी अभाव है इसलिए मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने यह पहल की और महिलाओं को 50 प्रतिशत भागीदारी पंचायती राज संस्थाओं में दी। (व्यवधान) बहुत अच्छी बात है।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं करें। टाइम नहीं है आपके पास बिलकुल।

श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा): गत एक वर्ष में राज्य सरकार ने आम आदमी, गरीब किसान के विकास को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां व कार्यक्रम बनाये हैं। प्रदेश के ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के विकास की नई नीति बनाई जा रही है जैसे गांवों के मास्टर प्लान बनाना, ग्रामवासियों को आबादी के पट्टे दिये जाने की व्यवस्था करना, स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई के लिए प्राथमिकता से विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना। महोदय, नरेगा वह राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब किसानों, खेतिहर मजदूरों के जीवन स्तर के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों की यह स्थिति थी कि किसान, खेतिहर मजदूर को अपनी आजीविका कमाने के

(श्री प्रेमचन्द)

लिए शहरों में पलायन करना पड़ता था, लेकिन आज स्थिति बिलकुल विपरीत है, लोगों को अपने क्षेत्र में अपने गांव में रोजगार उपलब्ध है। यह क्रांतिकारी कदम है, इसके लिए मैं प्रधान मंत्रीजी और माननीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

चार दिन से लगातार विधान सभा में वाद-विवाद चल रहा है इसमें विपक्ष के माननीय सदस्यों ने नरेगा के लिए काफी आपत्तियां की है, भ्रष्टाचार के लिए भी कहा है लेकिन नरेगा भ्रष्टाचार नहीं है, न ही केन्द्र सरकार और राज्य सरकार यह कहती है कि भ्रष्टाचार करवाया जाए। मैं सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर हम सब लोग मिलकर एक सामूहिक प्रयास करें इस योजना को सफल बनाने के लिए,इसका भ्रष्टाचार रोकने के लिए, तो मैं समझता हूं कि निचले स्तर पर कहीं भी एक प्रतिशत भी भ्रष्टाचार नहीं होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, अभी तो बोलना शुरू किया है, अपनी बात तो कह लेने दीजिए।

श्री सभापति : दूसरे लोगों को बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा इसलिए मैं कह रहा हूं।

श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा): बस एक मिनिट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : हां, एक मिनिट बोलिए आप।

श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा): किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए अप्रैल 2010 से पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व अभियान चलाना इस बात को प्रमाणित करता है कि राज्य सरकार किसानों के विकास के लिए कटिबद्ध है। माननीय सभापति महोदय, शहरों के विकास के लिए प्रत्येक शहर का सिटी डवलपमेंट प्लान बनाने का निर्णय व शहरी नवीनीकरण के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। वहीं शहरवासियों की समस्या के समाधान के लिए 26 जनवरी, 2010 से पूरे प्रदेश में 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने व जयपुर शहर में मैट्रो.....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया समाप्त करें।

श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और....

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा): महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री लालशंकर घाटिया। श्री रामस्वरूप कसाना। माननीय सदस्य, आज आपको समाप्त संक्षेप में करना पड़ेगा, टाइम नहीं है।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): सम्मानीय सभापति महोदय, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में मैं आज अपनी बात कहना चाहता हूं। पिछले एक साल में राजस्थान में जो काम हुए हैं, राजस्थान का जो विकास हुआ, राज्यपाल के अभिभाषण में जो-जो बाते बताई गई वह राजस्थान के विकास के बारे में बताई गई। पिछले एक साल में राजस्थान में विकास की गति बढ़ी है। सरकार ने निष्पक्ष होकर राजस्थान के अन्दर पिछली सरकार की तुलना में कार्य किये हैं, पिछली सरकार ने पाँच सालों में नहीं किया वह इस सरकार ने एक साल में हमें करके दिखाया। मैं राजस्थान की जनता का धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता ने पिछली सरकार को विपक्ष में बिठाकर राजस्थान में सुशासन के लिए कांग्रेस सरकार को चुना। इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। जो विपक्ष में बैठे हैं मेरे साथी सदस्य, उनको आज अनुभव है राजस्थान की जनता के बारे में, आज वह सोचते हैं कि राजस्थान में पानी की किल्लत है, आज उनको जानकारी है कि राजस्थान में बिजली नहीं मिल रही है, मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को आपने विपक्ष में बिठाकर अच्छा कार्य किया है। मगरों में पिछली सरकार से अगर कोई पानी मांगता था तो गोलियां चलाती थी, आज उसी पार्टी के सदस्य कह रहे हैं कि राजस्थान में पानी की समस्या है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की जनता को कि आज इनको अपने कर्तव्यों का मालूम पड़ा है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने, आप लोगों ने राजस्थान पर अत्याचार किये, जिस प्रकार आपने राज के नशे में मदहोश होकर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जिस प्रकार आपने भाई को भाई से लड़ाने की बात कही और उनको लड़वाया भी, जिस प्रकार आपने राज के खजाने का दुरुपयोग किया, जिस प्रकार आपने राजस्थान में भय ओर भ्रष्टाचार को पनपाया, पिछले वर्ष राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो सदन के नेता,

(श्री रामस्वरूप कसाना)

सम्माननीय गहलोत साहब ने एक ही बात कही कि राजस्थान में भय और भ्रष्टाचार नहीं रहेगा और उसी के अनुरूप राजस्थान सरकार काम कर रही है। आपने राजस्थान की जनता को ठगा और आज आप राजस्थान की जनता के बारे में सोचते हैं तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है? अगर आप राजस्थान की जनता के बारे में पहले सोचते तो इस वक्त शायद आप लोग विपक्ष में नहीं होते।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सदन के नेता को कि वह इस राजस्थान में विकास का कार्य कर रहे हैं। राजस्थान की जनता किसी के कहने के अनुसार नहीं, बल्कि जो उनका काम करता है जो उनके सुख और दु:ख की बात सुनता है, उसके पक्ष में अपना मतदान करती है। लोक सभा, नगरपालिका और पंचायती राज के जो चुनाव हुए हैं, चुनाव में कांग्रेस की जीत इसलिये हुई कि कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। कांग्रेस सरकार जो कहती है वह कर दिखाती है और भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और कर कुछ दिखाती है। जैसे कहा जाता है कि हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ होते हैं, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की राय होती है। कांग्रेस सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने यह विश्वास दिलाया है लोगों को कि सौ प्रतिशत अगर गारण्टी कोई दे सकता है तो नरेगा योजना के तहत कांग्रेस सरकार कि सभी को रोजगार मिलेगा। कोई भी गरीब किसान न भूखा उठेगा और न भूखा सोएगा। यह राजस्थान की सरकार नरेगा के तहत प्रत्येक गांव में प्रत्येक गरीब किसान को रोजगार दे रही है। नरेगा योजना में साथी सदस्य कह रहे थे कोई भ्रष्टाचार, यह तो अपनी-अपनी सोच का तरीका है। एक साल में विकास के कार्य हुए हैं, जिस प्रकार से राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान के विकास के लिये हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान के विकास के लिये उनकी सोच है कि राजस्थान में हवाई जहाज से सफर करने वाले से लेकर रिक्शा चलाने वाले तक को पूर्ण सुविधाएं मिलें। यह कांग्रेस सरकार की सोच है। कांग्रेस सरकार चाहती है कि सभी को अपना पूर्ण अधिकार मिले। आज 13 महीने बाद राजस्थान में जिस प्रकार से कार्य हुए, ज्यादा मैं अपने कोटपूतली क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने कोटपूतली क्षेत्र की अनदेखी की। इस बार राजस्थान के सम्माननीय सदन के नेता ने पहली बार कोटपूतली में ट्रोमा हास्पिटल दिया, 11 करोड़ रुपये का

(श्री रामस्वरूप कसाना)

हास्पिटल बी.डी.एम. हास्पिटल में दिया है। इस बात के लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): कसानाजी, आप तो कोटपूतली को जिला बनाने की बात कर रहे थे। (व्यवधान) कोटपूतली को जिला बनाने की मांग है आपकी तो, आपकी मांग मंजूर हो गई क्या?

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न करें, माननीय सदस्य को बोलने दें। आप समाप्त करें, माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है, समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): बिजली के अन्दर पिछली सरकार ने जिस प्रकार कोटपूतली क्षेत्र की अनदेखी की, उसको राजस्थान का हिस्सा ही नहीं माना। इन 13 महीनों में राजस्थान के सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 64 करोड़ रुपये की लागत से 33 के.वी. के 13 सब स्टेशन और एक 132 के.वी. का बड़ा सब स्टेशन हमारे कोटपूतली के क्षेत्रवासियों को दिया, मैं इस बात के लिये उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

कोटपूतली में सड़क पिछले 10 सालों से जिस स्थिति में थी, जब सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से बात की, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज उनको भी कि उन्होंने कोटपूतली क्षेत्र में 24 करोड़ रुपये का बजट हमें दिया है, हम सदैव उनके ऋणी और आभारी रहेंगे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): सम्माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बता सकता हूं कि पिछले 5 साल के अन्दर पिछली सरकार ने सिर्फ दो करोड़ रुपये सैंक्शन किये थे, वे भी हास्पिटल के लिये और उसमें भी इतना भ्रष्टाचार किया कि वहां 25 लाख रुपये भी नहीं लगाये। दो करोड़ रुपये सैंक्शन करने के बाद मंत्री महोदय ने अपने यहां से टेण्डर करवाकर ऐसा ठेकेदार भेजा उसकी ऐसी मरम्मत करवाई दो करोड़ रुपये में कि आज भी छतों से पानी गिरता है। यह स्थिति है, ठीक हुई नहीं। हम ठीक करवाएंगे और करवा रहे हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, कृपया समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): सम्माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके

(श्री रामस्वरूप कसाना)

लिये मैं पुन: आपको धन्यवाद देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिन्द, जय किसान।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्यामजी तिवाड़ी साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, एक हनुमान बेनीवाल।

श्री सभापति : नहीं, अब जो टाइम है, उसके मुताबिक तो यही स्थिति है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, एक आखिरी वक्ता, आखिरी वक्ता।

श्री सभापति : ठीक है, हनुमानजी बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं पिछली 22 फरवरी को राजस्थान की विधान सभा में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया था, उस अभिभाषण का सिरे से विरोध करता हूं, पुरज़ोर विरोध करता हूं।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आप दिल से विरोध कर रहे हैं ना?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सदन में हमारे केकड़ी से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने उस अभिभाषण के समर्थन में जो कशीदे पढ़े, वह उनकी मजबूरी थी, दिल से वह भी इस अभिभाषण के समर्थन में नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचारों में सबसे गम्भीर अगर कोई भ्रष्टाचार है तो वह राजनीतिक भ्रष्टाचार है जिसकी शुरूआत सदन के नेता, मुख्य मंत्रीजी ने की है और एक नया इतिहास राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार का बना है। राजस्थान के अन्दर हाथी पर सवार होकर, बहन मायावती को राखी बांधकर और 25-25 लाख रुपये टिकट के देकर बसपा के जो छह विधायक बसपा से चुनकर आये थे, उन छह के छह विधायकों को अशोकजी गहलोत ने, सदन के नेता ने अपनी लंगड़ी सरकार को दो टांगों की सरकार बनाने के लिये, सबको मंत्री पद देकर एक बहुत बड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार राजस्थान की धरती पर राजस्थान के इतिहास के अन्दर किया है।

सभापति महोदय, चुनाव घोषणा पत्र के अन्दर कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में युवाओं से इस बात के वोट लिये थे कि राजस्थान में सरकार

(श्री हनुमान बेनीवाल)

कांग्रेस की बनी तो राजस्थान के अन्दर छात्र संघ के चुनाव करवाये जाएंगे। मैं यह बात मानता हूं कि कांग्रेस सरकार राजस्थान के अन्दर छात्र संघों के चुनाव करवाने जा रही है, लेकिन ये छात्र संघों के चुनाव असलियत में छात्र संघों के चुनाव नहीं है। लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों को मानकर चुनाव करवाये जा रहे हैं और अगर लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों को एज इट एज मान लिया गया तो छात्र संघों के पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे। सिर्फ मैरिट में आने वाले स्टूडेंट्स या 24-23 साल से जो पपलू टाइप के बच्चे हैं, वे छात्र संघ के अध्यक्ष बनेंगे। वे छात्र हितों के लिए लम्बी लड़ाई नहीं लड़ सकते।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ...(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांति बनाये रखें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप राजस्थान की सरकार को निर्देश जारी करें कि घोषणा पत्र में जिस बात को लेकर राजस्थान के युवाओं को भ्रमित करके छात्र संघ चुनाव करवाने की बात ...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, यह 'पपलू' क्या होता है? यह 'पपलू' क्या है, पता कर बताया जाए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जिस नाम पर वोट लिये थे, उसमें छात्र संघों का भला नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें। कृपया आप समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बस दो मिनट साहब, मैं तो पहली बार, आप कैसी बातें कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आप 'प्रशासन गांवों के संग', अभियान चलाने जा रहे हो। 'प्रशासन शहरों के संग', अभियान आपने चलाया। 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान चलाया। इसमें खाद्य मंत्री जरूर शुद्ध हो गये। राजस्थान के पड़ोस में मध्य प्रदेश की सरकार तीन रुपये किलो आटा ए.पी.एल. को दे रही है और यहां आटा जो 6 रुपये 20 पैसे में आता है उसको आप 9 रुपये किलो ए.पी.एल. को दे रहे हो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप इस आटे के टेंडर मेरे नाम से कर दो, मैं आठ रुपये किलो राजस्थान की जनता को

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आटा देने को तैयार हूं। आप यह लिखवा कर ले लो। मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि प्रदेश के ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): एक मंत्री को बेरोजगार कर रहे हैं।

श्री सभापति : कृपया शांत रहें। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): प्रदेश के कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री के किसान होते हुए भी किसानों के लिए कितनी इनकी सोच है कि प्रदेश में आज पशुधन काल-ग्रसित हो रहा है चारे और पानी के अभाव के अन्दर। नये एक भी अस्पताल राजस्थान के अन्दर नहीं खुले हैं। आक्सीटोसिन इंजेक्शन जो कि भारत सरकार ने बैन कर रखा है लेकिन मंत्रीजी की आंखों के आगे गांव-गांव और ढाणी-ढाणी के अन्दर आक्सीटोसिन इंजेक्शन बिक रहे हैं। +++ मैं तो यह आरोप लगाना चाहता हूं कि पशुपालन मंत्रीजी के +++ आक्सीटोसिन इंजेक्शन का इनके यहां पर ...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं आरोप लगाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इन तीनों कम्पनियों के सी.एम.डी. आर.जी. गुप्ता जिसको पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब अभी के वर्तमान मुख्य मंत्री और जो ऊर्जा मंत्रीजी हैं, वे यह कहते थे कि +++ बहुत बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति है, तो अब कौनसी जादू की छड़ी चल गयी कि 14 महीने से वह भ्रष्ट व्यक्ति आज ईमानदार हो गया? कांग्रेस सरकार को लोक सभा चुनावों के अन्दर +++ ने 200 करोड़ का चन्दा दिया था। यह राजस्थान की जनता जानती है। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अभी सिंचाई मंत्रीजी बोल रहे थे तो इनको भी मैं बता दूं कि सिंचाई मंत्रीजी, नागौर जिले के अन्दर राजस्थान कैनाल ...(व्यवधान) पानी लाने के लिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, आप एंडार्स कर रहे हैं चार्जेज को? आप एंडार्स कर रहे हैं क्या इन चार्जेज को? उप नेता महोदय, आप इन चार्जेज को एंडार्स कर रहे हैं क्या? आपकी पार्टी के माननीय विधायक चार्ज लगा रहे हैं, आप इसको कोट करते हैं क्या?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): राजस्थान की सरकार नागौर जिले को पानी पिलाने के लिए जो तीन हजार करोड़ की योजना लेकर आयी थी ... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उसके अन्दर आज तक पांच सौ करोड़ रुपये ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, चार्जेज को प्रूव करने की हिम्मत है क्या?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप बता दो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया विराजिये ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कुछ भी बोल रहे हो हाउस के अन्दर, मजाक करने के लिए थोड़े ही है हाउस। (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ीजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 500 करोड़ की योजना ...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। आपके वरिष्ठ नेता अब खड़े हो रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): राजस्थान की पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने नागौर जिले के अन्दर दी थी लेकिन सिंचाई मंत्रीजी हमेशा दुराग्रह रखते हैं, नागौर और खींवसर से दोनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं इसलिए नागौर जिले के अन्दर कैनाल के यह पीछे पड़ गये। यह आने नहीं देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आप समाप्त करें। विराजिये, माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इनको पता है कि नागौर जिले में जब तक ...(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। मैं आखिरी बार निवेदन कर रहा हूं, कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति : अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। श्री घनश्यामजी तिवाड़ी साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं तो यह समझ रहा था कि माननीय सदस्य के डिस्टिंक्शन मिलेगा, इनके तो सप्लीमेंट्री भी नहीं आयी। हम तो समझ रहे थे कि आप कोई डिस्टिंक्शन लेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय, कृपया विराजिये। मंत्री महोदय, कृपया आप विराजिये। घनश्यामजी तिवाड़ी का नाम मैंने बोल दिया है। मंत्री महोदय, घनश्यामजी तिवाड़ी का नाम मैंने बोल दिया है, अनाउंस कर दिया है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): हम नये हैं। मैं बहुत तैयारी करके आया हूं, मेरा नाम भी पुकारें। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कल मेरी ...(व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये। कृपया विराजिये, मंत्रीजी बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय सभापति महोदय, मैं भी तैयारी करके आया हूं। (व्यवधान)

स्पष्टीकरण

श्री विधायकों के फोन की टैपिंग

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, कल मेरी गैर-मौजूदगी में माननीय राठौड़ साहब ने हाउस में यह कहा कि 22 तारीख को सत्तारूढ़ दल की विधायक दल की बैठक में ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 23 तारीख को ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने '22' कहा है। '22', मैं तो प्रोसीडिंग्स की नकल पढ़ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवस्था बनाये रखें, मंत्रीजी बोल रहे हैं। कृपया सुनिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): प्रोसीडिंग्स ही पढ़ रहा हूं मैं, जिसमें आपने यह कहा, 'मेरा पाइंट आफ इंफार्मेशन यह है कि 22 तारीख को सत्तारूढ़ दल की विधायक दल की बैठक में आंतरिक लोकतंत्र के नाम कुछ स्वाभिमानी विधायकों ने अपनी बात कही। उसके बाद, माननीय सभापति महोदय, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के टेलीफोन टेप होने प्रारम्भ हो गये। राजनीति की शुचिता कहने वाली सरकार, राजनीति की शुचिता का बखान करने वाली सरकार ने पिछली सरकार पर भी टेलीफोन टेप के कई प्रकार के आरोप लगाये थे, मेरा आरोप है,' यह आपने कहा है- 'कि चूंकि गर्मा-गर्मी राज्य के गृह मंत्री के साथ हुई और उसके बाद प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार पर हनन करके टेलीफोन टेप करने जैसा काम किया गया। मैं यह समझता हूं कि यह निंदनीय है। इस प्रकार का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए था।'

पहली बात तो, माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिलकुल असत्य है और असत्य एक ही चीज नहीं है। '22' तारीख असत्य है, उस बैठक में मेरे साथ किसी भी व्यक्ति की, किसी भी सदस्य की कोई गर्मा-गर्मी हुई हो, यह भी असत्य है और तीसरी बात यह भी असत्य है, आपको आरोप लगाते वक्त यह भी जानकारी नहीं है कि अगर पुलिस इण्टरसेप्ट करती भी है तो किस आर्गेनाइजेशन के जरिए करती है। किस व्यक्ति के जरिए करती है। आपने इसमें बाद में लिखा है- 'एस.ओ.जी. के इशारे पर हो रहा है। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स आफ द राजस्थान पुलिस टेप कर रही है यह।' यह स्पेशल प्रोटेक्शन आफ फोर्स होता क्या है? इस तरीके का पुलिस में कोई आर्गेनाइजेशन नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप बता दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप कह दो न कि नहीं करवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): प्रूव आपको करना है। यह सवाल तो आप, यह तो प्रूव तो आपको करना है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं-नहीं, मेरे को क्यों प्रूव करना है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपको करना है बिलकुल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सदन में मेरे को ...(व्यवधान) । आप करो न, आप करो न। इस प्रकार से ...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): प्रूव आप करें। आरोप तो आपने लगाये हैं, प्रूव आप करें। आप प्रूफ दो इस बात का। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपको प्रूव करना चाहिए। इस तरीके का आरोप, माननीय सभापति महोदय, पिछले सदन में तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता ने लगाया था और माननीय कटारिया साहब जो उस वक्त होम डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा यह बात कही थी। उस बात को आज भी मैं एग्री करता हूं, जो आपने कहा था बिलकुल सत्य कहा था। श्री गुलाब कटारिया, गृह मंत्री ने कहा कि- 'अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने जो बहुत गम्भीर आरोप लगाये हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता के पास किसी प्रकार का कोई प्रमाण हो कि किसी एजेंसी के द्वारा या हम लोगों के द्वारा किसी का फोन टेप करवाया गया हो तो आप उसको सदन के पटल पर रखें, हम निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करवाएंगे पर आप प्रमाण के साथ रखें। अगर आप प्रमाण नहीं करेंगे तो आपको सदन में खड़े होकर माफी मांगना पड़ेगा।' यह आपने कहा था। मैं एग्री करता हूं, आपने बिलकुल सत्य कहा और बल्कि आपने यह भी कहा कि- 'टेप होता है, टेप होता है लेकिन क्राइम के इन्वैस्टिगेशन के लिए वक्त-वक्त पर टेप करवाना पड़ता है। टेप पहले भी होता आया है और बाद में भी होता रहेगा, लेकिन क्राइम के इन्वैस्टिगेशन के लिए होगा।'

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके के असत्य आरोप लगाने के पहले आप में इतना दम होना चाहिए कि आप यहां पर सदन की मेज पर रखें कि किसके टेलीफोन टेप हो रहे हैं। या इस तरीके के वाहियात, जिसके आप आदी हैं, वाहियात आरोप लगाने का मेहरबानी करके जो है वह ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, यह जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके आदी है। मैं सदन का सदस्य हूं और मेरी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जो जानकारी थी, मैंने सदन के सामने रख दी। यह एक ही नहीं अनेक माननीय सदस्य जानते हैं, टेलीफोन टेप करने की बात सदन के गलियारों में सब लोग कर रहे थे। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सभापति महोदय ... (व्यवधान) मंत्रीजी को कहा था कि + + + कर रहे हैं। खुद असंसदीय भाषा का उपयोग करते रहते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप सम्माननीय विधायकों को बोलने नहीं देंगे और उसके बाद टेलीफोन टेप करोगे। (व्यवधान) कह दो आप टेलीफोन टेप नहीं कर रहे, बात खत्म हुई। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप यहां पर सबूत रखिये न फिर। सबूत रखिये, या तो मैं पद छोड़ता हूं या आप छोड़कर जाइये। किस तरह के आरोप लगाना चाहते हैं आप? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप राज्य के गृह मंत्री हो, मैं राज्य का गृह मंत्री नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ऐसा मत करिये। सदन की प्रतिष्ठा बनाये रखिये। इस प्रकार का वातावरण आप यहां पैदा मत करिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप यह कह दो कि हम टेलीफोन टेप नहीं कर रहे हैं, मना कर दें कि हम कोई टेलीफोन टेप नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): फिर बात खत्म हुई। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप बिलकुल असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप कहो न, हिम्मत हो तो कहो टेलीफोन टेप नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवस्था यह है, आदरणीय मंत्रीजी ने ... (व्यवधान) आप पहले मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, इसी सदन के अन्दर विश्वास मत राजस्थान ... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इनसे माफी मंगवाई जाए। (व्यवधान) बाकायदा इस तरीके का आरोप लगाने के लिये या तो यह इनकी कही हुई बातों को स्पष्ट करें या इनसे माफी मंगवाई जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्यों माफी मांगूं? क्या माफी मांगूं? (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांति बनाये रखिये। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सभापति महोदय, यहां पर प्रमाण दें या माफी मांगे। (व्यवधान) यहां पर प्रमाण दें या माफी मांगें। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांति बनाये रखें। व्यवधान पैदा नहीं करें। अगर आपका आसन के प्रति कोई सम्मान है तो विराजें, आसन पैरों पर है। (व्यवधान) देखिये, एक बार जब गृह मंत्रीजी ने अपना वक्तव्य दे दिया, बात साफ हो गयी। यह वक्तव्य उन्होंने सदन में दिया है। आदरणीय मंत्रीजी ने यह वक्तव्य सदन में दिया है। जो आरोप लगाये गये, इन्होंने उनके प्रमाण मांगे, इसके बाद यह बात यहां पर समाप्त हो जाती है। अगर यह प्रमाण दे पाएंगे तो इनकी सत्यता देखेंगे और प्रमाण नहीं दे पाएंगे तो इनको अपनी गलती माननी पड़ेगी। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सभापति महोदय, बात समाप्त नहीं होती, या तो प्रमाण दिया जाए या माफी मंगवाई जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इनसे माफी मंगवाई जाए।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर रहा हूं, माननीय मंत्रीजी ने अपना वक्तव्य सदन में दिया है और सदन में ऐसा वक्तव्य देना एक जिम्मेदारी का काम है। इसके बाद असत्य आरोप के प्रति उन्होंने साफ मना कर दिया कि न तो टेप होते हैं और न ही ऐसी घटना हुई है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, इनसे माफी मंगवाई जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बिलकुल माफी नहीं मांगूंगा। (व्यवधान) माफी बिलकुल नहीं मांगूंगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: असत्य आरोप लगा रहे हैं, इनसे माफी मंगवाइये। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इनको आप डायरेक्शन दीजिये कि माफी मांगें यहां पर। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): पहले माफी मांगिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सदन के माननीय सदस्यों की कमेटी बनाकर जांच करवा लो, आपका भी पता लग जाएगा, इनका भी पता लग जायेगा। सभापति महोदय, इनका वक्तव्य आ गया। आप सदन की एक कमेटी बना दो, वह जांच कर लेगी कि टेलीफोन टेप हुए हैं या नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति : देखिये, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप सदन की कमेटी बना दीजिये। माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : देखिये, माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि प्रमाण दें, अगर आपके पास प्रमाण हैं तो प्रमाण दें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पहले सरकार प्रमाण कर देगी पूर्व सरकार पर भ्रष्टाचार के ... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी ने साफ शब्दों में कहा है कि प्रमाण हो तो दें और प्रमाण नहीं हो तो साफ व्यवस्था भी यही रहेगी। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसमें प्रमाण क्या होता है? (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, इन्होंने जो आरोप लगाया, वह किसी आधार पर तो होगा। प्रमाण मांग रहे हैं मंत्रीजी। यह प्रमाण दें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, सरकार पहले इस बात का प्रमाण देदे कि पूर्व सरकार के खिलाफ इन्होंने भ्रष्टाचार की जांच के लिये आयोग बिठाया था, उसके प्रमाण यहां रख दें तो हम भी यहां प्रमाण रख देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, यह दूसरा इश्यू हो गया। इसके साथ दूसरा इश्यू आ गया।... (व्यवधान)....

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पूर्व सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के लिये जो आयोग उन्होंने बिठाया, उसके प्रमाण यहां टेबल पर रख दें तो टेलीफोन टेप के प्रमाण हम भी रख देंगे। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इन्होंने माथुर आयोग बिठाया था, क्या हुआ हाई कोर्ट में? ... (व्यवधान)....

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय मंत्री महोदय ने पिछले बयान को कोट किया है या तो प्रमाण दिया जाना चाहिये या माफी मांगनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप इनके प्रमाण रखो। पूर्व सरकार के भ्रष्टाचार के प्रमाण यहां रख दो, हम भी टेलीफोन टेप के प्रमाण रख देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : देखिये, इस मुद्दे को आप खामख्वाह लम्बा कर रहे हैं। मंत्री महोदय ने साफ कहा है कि आपने आरोप लगाया है। जिन्होंने आरोप लगाया है, वह प्रमाण दें, इनका यह कहने का मतलब है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पता लग जाएगा, अगर साफ है तो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, इसी सरकार ने पिछली सरकार पर आरोप लगाया था कि राजस्थान ... (व्यवधान) इन्होंने पिछली सरकार पर ...(व्यवधान) जांच भी की। वह भी जांच पटल पर ... (व्यवधान)....

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, पिछली सरकार में टेप कराने की आदत पड़ी हुई थी, उसी टेप कराने की आदत में इन्होंने कहा कि सत्ता के गलियारों में मैंने यह बात सुनी है। सत्ता के गलियारों में इस प्रकार की बात सुनी है और सदन में अगर उस बात को उठाया है तो इसके लिये इनको माफी मांगनी चाहिये। (व्यवधान) पिछली बार जब सत्ता में रहे तो इन्होंने अपने मंत्रियों के फोन टेप कराये और उसी बात के आधार पर इन्होंने फिर सदन के अन्दर आरोप लगाये कि टेप किये जा रहे हैं। अगर कोई प्रूफ हो तो प्रूफ दें वर्ना माफी मांगें। सदन में इस बात को कहने के लिये माफी मांगनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्रीजी, आप विराजें। देखिये, प्रश्न बिलकुल साफ है, आदरणीय मंत्रीजी ने यह वक्तव्य सदन में दिया है, ... (व्यवधान) आप बैठिये। माननीय सदस्य, आप कृपा करके बैठें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, कृपया बैठें। (व्यवधान) आप धमकाने की कोशिश मत करिये, कृपा करके बैठें। (व्यवधान) कृपया आप बैठें। कृपया विराजें आप। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति : देखिये, आप आसन के प्रति सम्मान नहीं रख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, माननीय सदस्य, आप कृपया बैठिये और आसन के प्रति सम्मान रखिये, व्यवस्था बनाये रखिये। देखिये, मूल प्रश्न यह है ... (व्यवधान) आजाद साहब, कृपया आप बैठिये। (व्यवधान) बात को खत्म करके और कार्यवाही को चलने दें। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। देखिये, मूल प्रश्न यह है कि हमारे जिन माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है, वह आरोप जब लगाया गया था तो उस टाइम आदरणीय मंत्रीजी उपस्थित नहीं थे। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, उन्होंने यह कहा है कि उसका प्रमाण दें, तो जिसने आरोप लगाया है उनसे उन्होंने प्रमाण मांगा है। वह प्रमाण दे दें उसके बाद कोई दूसरा मूल प्रश्न होगा तो बात करेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति : यह मूल प्रश्न नहीं है। मूल प्रश्न यह है कि जो आरोप आपने लगाये हैं, उसकी बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति : उन्होंने अपना वक्तव्य मूल प्रश्न पर दिया है। उनका जो वक्तव्य था, मूल प्रश्न पर था और किसी बात पर नहीं था। इसलिये अगर दूसरे इश्यूज आप लाते हैं, उसके लिये अलग से चर्चा होगी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री रामकेश (संसदीय सचिव): ×××

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया विराज जाएं, मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं। माननीय सदस्य, व्यवस्था बनाये रखें, मंत्रीजी कुछ कहना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, बैठिये। मंत्रीजी बोलना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): × × ×

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री सभापति : देखिये, मंत्रीजी ने साफ कहा है कि टेप नहीं हो रहे हैं। उन्होंने सदन में वक्तव्य दिया है कि टेप नहीं हो रहे हैं। यहां बात समाप्त हो जाती है। बात समाप्त हो गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री सभापति : मंत्री महोदय, बैठिए। कृपया विराजें, माननीय सदस्य। देखिए, ऐसे ही विषय पर जो व्यवस्था दी गयी है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। आपने जो प्रश्न उठाया था उस प्रश्न के बारे में मेरी यह व्यवस्था है, 'अगर नेता प्रतिपक्ष, इस तरह के आपके पास कोंक्रीट सबूत हों तो आप बताएं, वर्ना इस तरह का वेग चार्ज लगाने के कारण आपको कम से कम सदन से माफी तो मांगनी ही चाहिए।' यह डाक्यूमेंट यहां पर है, उन्नीस तारीख का है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ×××

(समय : 15.43 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें, आसन पैरों पर है। अंकित नहीं होगा।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। आप मेरी बात सुनें। काफी देर से चर्चा हो चुकी, दोनों ओर से अपनी-अपनी बात स्पष्ट हो गयी। (व्यवधान) प्लीज, एक मिनट। आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद का अन्तिम दिन था, माननीय सदस्यों को जाना था त्यौहार की वजह से, उसके बावजूद भी प्रयास यह किया गया, 295 को पढ़ा हुआ मान लिया गया कि किसी प्रकार से, नये माननीय सदस्य जो आये हैं वह बोल पाएं। समय को हम उस ओर नहीं करके दूसरे इश्यू में इतना बढ़ा चुके हैं कि माननीय सदस्य बोल भी नहीं पाएंगे। इस चर्चा को कृपया यहीं समाप्त करें। जांच की बात आपने कही, इन्होंने कहा कि हो नहीं रहा। यदि हो रहा है तो जांच की बात भी करवा लें। यदि इन्होंने गैर जिम्मेदारी की बात की, यह साबित कर देंगे तो इनके

(श्री अध्यक्ष)

खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान नियमों में है। इस बात को लम्बा नहीं करते हुए इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं और वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अब सारे नामों को नहीं बुलाया जा सकता।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, किसी का अंकित नहीं हो रहा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री नगराज (धरियावद): ×××

(आसन से संकेत से माननीय गृह मंत्रीजी का अंकित करने के लिए कहा गया)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन अध्यक्ष की बाकायदा व्यवस्था है, इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले हैं और मैं आपको कौल एण्ड शकधर पढ़कर सुनाता हूं जिसमें प्रैक्टिस और प्रक्रिया पूरी दे रखी है। ''A Member has to be carefull while making allegation. He has to satisfy himself that the sources reliable and allegation are based on the facts. In fact, he …..(interruptions)he writes to the Speaker or the Minister….(Interruptions) इतना तक लिखा हुआ …(व्यवधान)… और +++ चार्जेज लगाये हैं।

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द को एक्सपंज कर दें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष की रूलिंग आ चुकी है। मीटिंग जब हुई, ये 22 तारीख बताते हैं, मीटिंग 23 को हुई। ये कहते हैं,

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

प्रोटेक्शन फोर्स कर रहा है। प्रोटेक्शन फोर्स नाम का आर्गेनाइजेशन पुलिस में है ही नहीं। जब आपको तथ्यों की जानकारी ही नहीं है तो आप सदन को गुमराह करके इस तरह के असत्य आरोप लगाने के बाद भी अगर आप माफी नहीं मांगना चाहते हैं तो यह आपका चरित्र बताता है कि आप किस चरित्र के हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कृपया विराजें माननीय सदस्य। आरोप लगा, जांच कराने की बात आयी, सरकार की तरफ से आरोप निराधार बताया गया। यदि आपके पास तथ्य हों तो रखिए, तो फिर जांच की बात करें। हर किसी आरोप पर जांच की मांग करने से सरकार जांच का आश्वासन दे दे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। दूसरी बात, अगर यह प्रतिष्ठा का प्रश्न है इस बात का कि ये माफी मांगें, अगर माफी शब्द इसमें जुड़वाने से संतोष होता हो तो आसन माफी मांग ले, अगर आपकी इसी से संतुष्टि होती हो तो। इस चर्चा को समाप्त किया जाए, समय बहुत कम रह गया है, माननीय सदस्यों को त्यौहार पर घर भी जाना है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बताएं कि तत्कालीन अध्यक्ष ने जो साफ-साफ कहा है कि अगर आप इस तरह के आरोप साबित नहीं कर सकते तो माफी मांगी जानी चाहिए, उसका क्या करेंगे आप? सभापति महोदय कह गये कि इनको माफी मांगनी चाहिए। साफ-साफ लिखा हुआ है, 'नेता प्रतिपक्ष, इस तरह के आपके पास कोंक्रीट सबूत हों तो बताइये, वर्ना इस तरह के वेग चार्जेज लगाने के उपलक्ष में आपको कम से कम सदन से माफी मांगनी चाहिए।' यह तत्कालीन अध्यक्ष महोदय की रूलिंग है। उसके बाद सभापति महोदय कह गये। अब आप यह बताइये कि माफी कौन मांगे? अगर ये चार्जेज साबित नहीं कर सकते तो माफी मांगो, वरना जो भी हो सबूत रखो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपके कहे अनुसार यदि ये माफी नहीं मांगें और इनके कहे अनुसार यदि आप जांच की घोषणा नहीं करो तो सदन नहीं चलने देंगे?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ये सबूत रखें, हम जांच की घोषणा करेंगे। जांच करवाएंगे हम। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह क्या सबूत रखेंगे? इनको तथ्य ही याद नहीं हैं। इनको यह ही याद नहीं है कि कौन तो इन्टरसैप्ट करता है, किस तारीख को बैठक हुई, किससे गर्मा-गर्मी हुई। ये फैक्ट्स ही मालूम नहीं हैं इनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: क्या आप नहीं चाहते कि आपकी पार्टी के उप नेता का भाषण शुरू कराऊं?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की बात आप करते हैं, यह तिवाड़ी साहब बैठे हुए हैं, और उनके बराबर में ही पुराने हमारे होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं जिनकी जानकारी के बगैर तिवाड़ी साहब के मकान पर दो सी.आई.डी. वालों को किस गवर्नमेंट ने भेजा था और उनका क्या हश्र हुआ था और बाद में ए.डी.जी. भारद्वाज को क्यों हटाया गया था? क्यों हटाया गया था? इस तरीके के धंधे आप की सरकार किया करती थी, आपकी सरकार द्वारा किये गये थे ये धंधे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, कृपया सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सबूत! सबूत तो सामने बैठे हुए हैं, यह मना कर दें। अगर यह खड़े होकर मना कर दें कि पिछली सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया, कि दो सी.आई.डी. वाले इनके यहां भेजे गये कि इन्हीं के यहां से निकल कर की उन आदमियों ने उनकी पिटाई की और फिर भारद्वाज, ए.डी.जी. को वहां से हटाया गया, अगर आप मना कर दें, मैं मेरी बात को विड्रा करता हूं। आप कर दो मना।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं हो रहा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री अध्यक्ष: क्या आप नहीं चाहते आपके दल के उप नेता बोलें? जब तक ...(व्यवधान) सम्माननीय नेता को मैं कैसे कहूं कि आप खड़े हो जाओ?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं हो रहा, अंकित नहीं हो रहा, अंकित नहीं हो रहा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया वातावरण को सदन को चलने के लिए सहयोग करें। चर्चा समाप्त करते हुए माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी से निवेदन करूंगा कि अभिभाषण पर वो अपनी बात कहें। अब आपको सवा तीन बजे बोलने का मैंने निवेदन किया था, 3.53 करा दिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): समय बढ़ाना आपके हाथ में है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में लगातार चार दिन तक अभिभाषण पर बहस हुई है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): चर्चा तो आपके नाम पर ही खतम हुई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जी हां, इसीलिए धन्यवाद दे रहा हूं मैं आपको। (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नहीं, जरूरी है क्या तो हरेक में इण्टरप्ट करना? जब इनको बोलने का अवसर दे रहा हूं तो कोई जरूरी है क्या? प्लीज, शांति बनाए रखें।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो नये आने वाले सदस्य हैं उन सब को बोलने का अवसर दिया और इस सदन में सब ने अपनी बात रखी। हम निश्चित रूप से आसन और सरकार का सहयोग करना चाहते हैं कि सदन में अधिक से अधिक सदस्य बोलें, अपनी बात रखें और उनकी समस्याओं का समाधान हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन राजस्थान की 6 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अब जब से चैनल्स पर यह सारा प्रसारित होता है तो सारी जनता और मतदाता हमारे आचरण को भी देखते हैं, हमारी कार्य पद्धति को भी देखते हैं और उसको देख कर हमारे प्रति धारणाएं बनाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, हमारी जो पवित्र संवैधानिक संस्थाएं हैं जब जनता के सामने इनकी प्रक्रिया जाती है, प्रोसीजर जाता है, वो देखते हैं और उनमें इसके प्रति अगर आस्था कम होती है तो आम जनता की यह पवित्र जो प्रजातंत्र है, उसके प्रति भी आस्था कम होती है। गुजरात की विधान सभा में पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिल कर यह किया कि वो विधान सभा चलाएंगे, कोई मुद्दा होगा, अध्यक्ष के चैम्बर में जाकर समझायेंगे, हंगामा नहीं करेंगे और निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से विधान सभा चल रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार का वातावरण आपने बनाया है, इस वातावरण को आप आगे जाकर रखें, हम आपका निश्चित रूप से सहयोग करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण राज्य सरकार का एक साल का जो कार्यकाल है, उसका और आगे आने वाले समय का एक प्रतिबिंब होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अभिभाषण के अंत में पांच लाइनें लिखी हैं, उनको पढ़ कर मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं- 'मेरी सरकार का यही प्रयास होगा कि सभी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय सदस्यों का जनहित में रचनात्मक सहयोग लेकर राजस्थान का सर्वांगीण विकास और आम आदमी के उत्थान के लिए हम सब मिलजुल कर कार्य करें। मुझे विश्वास है कि इस सदन में होने वाले गहन विचार-विमर्श और मंथन से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी।' माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उसमें सहयोग करना चाहते हैं लेकिन वो दिशा, मंथन और सहयोग बराबर आधार पर होगा।

अभी सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि किसी भी पार्टी का सदस्य हो, जब उसके विधान सभा क्षेत्र में या कहीं कोई काम होता है और उसका सहयोग अगर राज्य सरकार लेना चाहे तो वो सहयोग करेगा। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका अपमान किया जाए, उसके क्षेत्र में कोई काम हो और वो प्रतिपक्ष का सदस्य है इसलिए उसका निमंत्रण पत्र में नाम नहीं हो, वो आकर बैठे तो उसको सामने बैठाएं, उसका डायस पर भी नहीं बैठाएं, इस प्रकार का आचरण करने से यह सहयोग नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं आपको निश्चित रूप से, माननीय मुख्य मंत्रीजी, प्रशासनिक स्तर पर या अन्य किसी स्तर पर यह अगर गड़बड़ी होती हो, मैं धन्यवाद दूंगा हेमारामजी का, अभी गये थे और वहां पर एक इस प्रकार का कार्यक्रम था तो उन्होंने मना कर दिया कि वहां के अगर ओटारामजी देवासी नहीं आते हैं तो मैं उस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं करूंगा। उसके बाद अन्य कार्यक्रमों में सफलतापूर्वक सहयोग दिया। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको पूरा करना है आपको तो हम को साथ लेकर चलें, हम सरकार द्वारा जनता के विकास के कार्य में सहयोग देना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को दो और धन्यवाद देना चाहूंगा। एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार उन्होंने चौका लगाया- विधान सभा जीत ली, लोक सभा भी जीत ली, नगरपालिका जीत ली, पंचायत भी जीत ली। चौका लगाया, चौके के लिए आपको बधाई, आप जीत गये, बहुत-बहुत बधाई आपको। आपने फिर चौका भी लगाया और हाथ की सफाई भी दिखायी, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके हाथ में जादू है, आपने दिखाया।

श्री अध्यक्ष: वह जादूगरी का कमाल था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, वो जादूगरी का कमाल था। वो आपने ई की मात्रा हटायी। वो जादूगरी का कमाल था इन्होंने ई की मात्रा हटा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दी। हाथी, ई गायब, हाथ के साथ, यह हाथ की सफाई, छह के छह लोग आ गये और आपने एक बहुमत बना दिया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा कुनबा जोड़ा, जुड़ गया कुनबा। उसके बाद में, मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा जो श्रवणजी कर रहे थे, उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, भाषा अपनी-अपनी है, मैं उसका प्रयोग नहीं करूंगा, उन्होंने बोला, 'राजा'...अंत में था 'जलेबी खाते हैं', बीच में कई चीज बोलीं, उनको मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनसे कहना चाहूंगा, मैं अपनी तरफ से भाषा का प्रयोग करता हूं 'भाग्यम् फलति सर्वदा, न च विद्या न च पौरुषम', भाग्य फलता है, विद्या और पोरुष नहीं फलता। आप भी अगर हाथी पर सवार होकर आते तो आपकी हालत नहीं होती, आप हाथ पर आये हो इसलिए सब लोग अब मिल कर यह काम करें। और आपने सरकार बनायी, राज्यपाल महोदय ने।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आपने कड़ी से कड़ी तो जोड़ी लेकिन, मुख्य मंत्री महोदय, आपके अधिकारियों को, आपके पास बहुत बढ़िया-बढ़िया अधिकारी हैं अगर आप उनको थोड़ा-सा भी समझा देते कि यह कड़ी आपने किसके लिए जोड़ी, जनता के लिए जोड़ी या कुछ लोगों को प्रधान, जिला प्रमुख, सांसद यह बनाने के लिए जोड़ी? अगर जनता के लिए जोड़ी तो पहली मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, राज्यपाल महोदया से आपने वो बातें क्यों कहलवायीं जो आपको भी ध्यान में थीं कि ये बातें असत्य हैं? उदाहरण के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा आपने वार्षिक योजना के बारे में कहा, और मैं चाहूंगा कि आज आप इसका स्पष्टीकरण दें, बजट भाषण का आपका जो पैरा नम्बर पांच था, पिछली बार जो आपने बजट भाषण दिया था उसमें आपने वार्षिक योजना के बारे में बात की थी, इस बार का महामहिम का जो पैरा नम्बर 14 है उस भाषण में वार्षिक योजना की जानकारी देते हुए आपने उसको अप डेट नहीं कराया, उसको वो ही आप 18,634 करोड़ बता रहे हो जबकि आपने 18,634 करोड़ की योजना में 1300 करोड़ की कमी की। एक बात मैं आपको और कह रहा हूं, 1300 करोड़ की कमी नहीं है, आपने फरवरी तक इस योजना में सिर्फ 50 प्रतिशत पैसा खर्च किया है, केवल 7000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। कहां 18 हजार करोड़ और कहां 7 हजार करोड़!

यह कड़ी इसलिए जोड़ी क्या आपने? पचास परसेंट ज्यादा से ज्यादा। आपको अपडेट करके महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में बताना चाहिए था। और मैं आपसे अब मांग करता हूं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप अपने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जवाब में बताएं, कि 18,634 करोड़ की योजना का वास्तविक फरवरी तक कितना पैसा खर्च हुआ है? अधिकारी या ब्यूरोक्रेसी आपको इस प्रकार से अन्धेरे में रखकर राज्य की जनता को अभिभाषण राज्यपाल के द्वारा कराकर धोखे में रखना चाहें तो यह किसी प्रकार से बर्दाश्त की बात नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे, इसका आप जवाब दें।

(समय : 16.00 बजे)

अध्यक्ष महोदय, ऐसे दो तीन पाइंट और हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं कि अधिकारी वर्ग हमारी इस बात को आपसे सन्तुष्ट कराएं। उदाहरण के लिए गत वर्ष के बजट भाषण में पैरा नम्बर 24 में आपसे कहलवाया बांसवाड़ा में दो यूनिट 1320 मेगावाट की स्थापित किये जाने की स्वीकृति दे दी गयी है। बिजली के बारे में बजट में और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी कहलवाया, अभी वाले में पैरा नम्बर 17-बांसवाड़ा में निजी क्षेत्र में 1300 मेगावाट हेतु दो यूनिट स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। एक साल बीत गया। बजट में अधिकारी आपसे कहलाते हैं कि स्वीकृति दे दी गयी और एक साल बाद जब राज्यपाल क्रियान्विति के बारे में बताएंगे तो राज्यपाल ने बताया कि दो यूनिट की कार्यवाही की जा रही है। दोनों डाक्यूमेंट मेरे सामने हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से बजट भाषण के पैरा नम्बर 24 में आपसे कहलवाया गया कि छह परियोजनाएं स्वीकृत हो गयीं विद्युत की और अब कहलवाया गया पैरा नम्बर 17 राज्यपाल से कि छह विद्युत परियोजनाओं को सैद्धान्तिक स्वीकृति दे दी गयी है। बहुत प्रोग्रेस की, कड़ी से कड़ी जुड़ी, तो सैद्धान्तिक स्वीकृति है। इसी प्रकार से इसमें मैंने बहुत से छांटे हैं लेकिन एक और बात कहकर यह तुलना मैं खतम करूंगा। मैंने पच्चीस पाइंट ऐसे छांटे हैं जो बजट और अभिभाषण में बिलकुल फर्क नहीं है। मैं जानता हूं, बजट के लिए कमेटी बनती है, मंत्रिमण्डल की कमेटी देखती है, विभागों से सारी बात लिख कर आती है, वैसे की वैसे टाइप होकर चली जाती है, कई बार हम पूरा नहीं देख पाते हैं लेकिन जो अधिकारी होते हैं उनका तो देखने का यह काम है।

अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात, मदेरणा साहब नाराज होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, पैरा-31-गत वर्ष मुख्य मंत्री का बजट भाषण वर्ष

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

2009-10, 2316 करोड़ का प्रावधान किया गया पानी के लिए, यह कहा। इस बार, मदेरणा साहब, बाइस नम्बर का पैरा, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, जल संसाधन में वर्ष 2009-2010 में 921 करोड़ 77 लाख का प्रावधान किया गया। 2300 से सीधा 900, जवाब दीजिए। प्रावधान बजट में बता रहे हैं 2316 करोड़ का, इस बार कह रहे हैं 921 करोड़ हम खर्च कर रहे हैं। ऐसे मेरे पास बहुत उदाहरण हैं, मैं उनमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। ठीक हो सकती है आपकी महिपालजी से नहीं ....

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): I don't want to intervene you, कि उस समय जो योजना बनी थी वह फर्स्ट फेज आफ कंटिंजेंसी की थी और यह टोटल बजट का आपको बताया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह छिपाया क्यों है?

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): उस समय इतना ही था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उस समय छिपाया गया था, आज तो राज्यपाल .....

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आपको वस्तु स्थिति की जानकारी करवा दी, हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते आपसे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह सरकार राज्यपाल के मुंह से इस प्रकार की बातें छुपा-छुपा कर लाएगी तो कैसे काम चलेगा? मदेरणा साहब, आप तो बहुत डींगें मार रहे थे, मुझे पता है कि आपकी मुख्य मंत्रीजी से नहीं बनती है।

एक माननीय सदस्य: खूब बनती है आज तो।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आपकी और हमारी नहीं बनती।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लेकिन बने नहीं बने...।

श्री अध्यक्ष: आप दोनों की तो पटती है न?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरी पटती है।

श्री अध्यक्ष: वो पटाए रखो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के चौबीस पाइंट हैं, मैं इनको ले करूंगा हाउस के पटल पर और फिर मैं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहूंगा कि सरकार इस बात का जवाब दे कि इस अभिभाषण में और पिछला जो बजट था, क्योंकि जैसा मैंने, अध्यक्ष महोदय, कहा, वो जो बजट रखा था उस बजट की क्रियान्विति किस प्रकार होती है, उसको बताने की बात है अभिभाषण में।

योजना के आकार के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण पाइंट है वह है रोजगार देने की घोषणा। इस सरकार ने, मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में घोषणाएं की थीं, काफी तेज तेज तालियां बजाईं। इस बार तो राज्यपाल के अभिभाषण में ताली नहीं बजी, और मैंने जब कहा कि ताली नहीं बजी तो हमारे गृह मंत्रीजी तो बड़े मजेदार आदमी हैं, उन्होंने कहा, बार-बार ताली कौन बजाता है, तो मैंने तो उस समय जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि यह तो आप ही जानते हो, उनके बीच में आप ही रहते हो, तो वो ही बजाते हैं। लेकिन मैं, अध्यक्ष महोदय, एक बात आपको निवेदन करना चाहूंगा, 17229 शिक्षकों की भर्ती करेंगे और एक हजार शारीरिक शिक्षकों की भर्ती करेंगे, यह बजट में घोषणा की। पांच हजार कांसटेबलों के पद भरेंगे, यह बजट में घोषण की थी। एक हजार वन मित्र लगायेंगे, यह घोषणा की थी, 2375 कार्मिकों की भर्ती होगी, 16,600 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की होगी और 1990 पदों पर चिकित्सा विभाग में भर्ती की जाएगी। कुल 45,500, और रिजल्ट ? प्रश्न के जवाब में इन भर्तियों के बारे में आपकी राज्य सरकार ने इनमें से एक भी भर्ती नहीं की। इतना बड़ा क्या, किस बात का धन्यवाद देना चाहते हैं राज्यपाल महोदय को? क्या किया है सरकार ने इसमें? 45,500 की भर्ती की घोषणा करके सिफर जीरो, और उसके बाद में कहते हैं कि हमारा काम है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और कहना चाहता हूं, मैं गृह मंत्रालय के बारे में नहीं बोलूंगा ...(व्यवधान) नहीं बोलूंगा, मेरी मर्जी है। लेकिन मैं जयपुर के बारे में जरूर, गृह मंत्रीजी कहना चाहूंगा। मेरे भी गहलोत साहब से बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं क्योंकि कभी-कभी मेरा भी हाथ दबा देते हैं, क्योंकि वह हाथ दबाने की कला इनमें है। तो जयपुर में एक कहावत चल रही थी।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): वसुन्धराजी का नहीं दबाया क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभी मुख्य मंत्रियों का नहीं दबाते। राज नहीं है, अराज है। क्या यही अशोकजी का राज है? असल में अराजकता

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है, जयपुर में जंगल राज है, जयपुर में बीस हत्याएं, नकबजनी, चोरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। एक उदाहरण, अध्यक्ष महोदय, बड़ा जोरदार है, बीमा कम्पनी ने एक आदेश जारी कर दिया कि बोलेरो गाड़ी जो जीप आती है, इसका बीमा नहीं किया जाए। तो लोगों ने पूछा, इसका क्यों?, हमारी संजना आगरीजी हैं उनकी भी बोलेरो चली गयी, बोलेरो सबकी चली गयी, बहुत लोगों की चली गयी। तो मेरे पास एक कार्यकर्ता आये, हमारे सांगानेर के ही थे, उन्होंने कहा, मेरी गाड़ी चोरी चली गयी। कौनसी थी, बोलेरो। तो मैंने कहा, थाने में जाओ, मैं फोन करता हूं। वह थाने में चले गये, मैंने फोन कर दिया था, थानेदार ने बड़ा व्यवहार किया। लिखा- आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, उम्र, गाड़ी कब खरीदी, सारा बता दिया। गाड़ी का नाम बोलो, उसने कहा बोलेरो, तो थानेदार खुद बोल्यो, बोलेरो तो चुप, बोले क्यूं। बोलेरो गाड़ी बनी चोरी के लिए, बोलजो मत और गाड़ी चोरी। वाहनों की चोरी का नाम कायम कर दिया जयपुर में, सारे राजस्थान भर में वाहन चोरी की मैं, गृह मंत्रीजी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हम चर्चा करें, लेकिन जयपुर शहर हादसों का शहर बन चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस समस्या पर नहीं जाता हूं कि कितने परसेंट अपराध हुए कितने हुए, हम अपराधों को रोकना चाहते हैं, सब मिलकर सहयोग करना चाहते हैं लेकिन जो इमेज जाती है, इमेज खराब होती है। एक हिम्मत करे अपराधी कि पुलिस के कण्ट्रोल रुम के सामने जाकर कटा हुआ नर मुण्ड रखे, सीधा सीधा चुनौती है, राज्य सरकार को सीधा सीधा चुनौती है। कहां हत्या हुई, किसकी हुई, यह कोई नहीं पूछता, लेकिन यह होता है कि पुलिस कंट्रोल रुम के सामने कटा हुआ नर मुण्ड ले जाकर रखे, हम उसको पकड़ नहीं सके, पता नहीं कर सकें, यह हमारे लिए शर्म की बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये दूसरे राज्यों के जो बड़े-बड़े गिरोह आकर यहां काम कर रहे हैं जयपुर में, गृह मंत्री महोदय, उन पर कार्यवाही की जानी चाहिए। साम्प्रदायिक घटनाएं भी बढ़ी हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता।

दूसरी जो सबसे बड़ी तकलीफ की बात है, पुलिस के प्रति अवमानना और पुलिस को पीटने की घटनाएं बहुत बढ़ गयी हैं। पुलिस का, मुख्य मंत्री जी एक शब्द प्रयोग करते हैं, आपने किया था इकबाल शब्द का कि राज का इकबाल होना चाहिए, तो पुलिस को पीटने से राज का इकबाल कायम थोड़े ही होता है। राज का इकबाल कायम कम हो रहा है, मुख्य मंत्रीजी, इस बात को आप ध्यान से देखें। इस पर तो मैं यही कहकर समाप्त करूंगा कानून व्यवस्था के बारे में, क्योंकि जयपुर एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनने जा रही है, आप जरूर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बनाएं। हमारा जो भी सहयोग है। हम निश्चित रूप से देंगे। और जयपुर के बारे में एक मैं बता दूं कि जयपुर हिन्दुस्तान का एक मात्र प्राण प्रतिष्ठित शहर है, वृहदराज की मूर्ति को बैंगलोर से लाकर अश्वमेघ यज्ञ करके प्राण प्रतिष्ठा करके यंत्रों के आधार पर इस शहर की स्थापना की गयी थी। एक मात्र शहर जयपुर है जो प्राण प्रतिष्ठित शहर है। ईश्वरी विलास महाकाव्य में महाराज ईश्वर सिंह यहां पर रहे हैं, उनका यह महाकाव्य लिखा हुआ है। उस महाकाव्य में जयपुर का सारा विवरण है। आप कृपा करके अश्वमेध शहर के उस बाकी बचे ढांचे को न बिगाड़ें। बाकी वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएं आप। आप सुरंग निकालें, शांति पथ को चौड़ा करें, वहां सड़क ले जाएं, उसमें आपका सहयोग करेंगे। लेकिन अनफार्चुनेटली जयपुर को हिन्दुस्तान के 25 शहरों में अपराधों की श्रेणी में तीसरे नम्बर पर लाकर खड़ा कर दिया जो आज तक नहीं था। इसको आपको निश्चित रूप से देखना चाहिये, यह हमारे लिये बहुत ही दुःख की बात है।

अध्यक्ष महोदय, बहुत-सी नीतियां, मुख्य मंत्रीजी आपका पिछला अभिभाषण नीतियों को समर्पित था, आपका पिछला अभिभाषण नये कानून बनाने को समर्पित था, आपका पिछला अभिभाषण नया ढांचा खड़ा करने को समर्पित था। आज आप समीक्षा करें, पढ़ूं क्या मैं उनको ? ईको ट्यूरिज्म, पर्यावरण, कृषि व्यवसाय, उद्योग व बायो मास जल, ये नीतियां नहीं बनायी गयी। मुझे कहने की भी आवश्यकता नहीं है, हमारे शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे मुख्य सचिव महोदय ने पत्र लिखा सब सचिवों को, उन्होंने पढ़ा, कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात से नाराज हैं कि जो-जो बजट में घोषणाएं हुई उनकी क्रियान्विति में ढिलाई हो रही है। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बात की चिन्ता की और गृह सचिव या मुख्य सचिव को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पत्र लिखा। लेकिन राज्य की जनता के साथ क्या हुआ? ये निकाय बनने वाले थे, निकाय नहीं बने। बाल संरक्षण का आयोग नहीं बना। बाल संरक्षण बल नहीं बना। राज्य पर्यावरण मिशन नहीं बना।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): बाल संरक्षण आयोग बन गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बन गया ? ठीक है, बढ़िया किया आपने।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): बन तो गया। उनके बोलने से पहले बन गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बोलने से पहले बना दिया। कल ही बनाया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): प्रतिपक्ष के नेता हैं, सम्माननीय हैं हमारे। जानकारी तो सही लें आप। ईको ट्यूरिज्म बन गया है, बाल संरक्षण बन गया है..

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आप बुद्धिजीवी हैं और बुद्धिजीवी के अलावा आप बहुत समझदार हैं..

श्री अध्यक्ष: पूजनीय हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सारी की सारी ईको योजना चाहे जल नीति हो, सब बन गयी हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चलो ठीक है। बढ़िया है, बन गयीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। कृपया विराजये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुख्य सचिवजी के पत्र के बाद आपने बनाया तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। यह योजनाएं भी लागू नहीं हुई। कुछ उसके भी मैं कागज सदन में रखूंगा। ये कानून भी नहीं बने हैं। तकनीकी शिक्षा अधिनियम टाउन एण्ड प्लानिंग एक्ट ये सब जो कानून बनने थे, वे कानून भी नहीं बने। तो मुख्य मंत्रीजी, आप समीक्षा करें कि इस प्रकार के जो कानून बनने थे, वे क्यों नहीं बने।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया, और उसकी मैं सराहना भी करता हूं, 'हरित राजस्थान' उसमें हम सहयोग करेंगे। आपका काम है। वैसे तो जन्मजात ही है।, सारा राजस्थान हरा-भरा हो, जहां माली रूपाला हो वह तो हरा-भरा होना ही चाहिये। तो आप वह करें लेकिन जो पौधे लगाये आपने। मुझे ईमानदारी से पता नहीं था कि आप माली हो। मैं सही कह रहा हूं क्योंकि आपको मैं जानता हूं कि आप जातिवाद में विश्वास करते नहीं हैं। मैं भी नहीं करता, लेकिन यह अपना हरित राजस्थान का काम किया, वह बढ़िया किया। पेड़ लगाने का काम है, लेकिन इसका

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सोशल आडिट होना बहुत जरूरी है। राजस्थान में जितने पेड़ अब तक लगाये गये हैं उनमें अगर 30 परसेंट भी पौधे जीवित होते तो सारे राजस्थान में तरु छाया ही रहती। लेकिन वे जिन्दा नहीं रहते हैं। तीन करोड़ जो पेड़ लगाये आपने, चार करोड़ पेड़ लगाये, और पौधे अधिकांश नष्ट हो गये। उसका एक उदाहरण है। कई जगह ऐसे पौधे भी हुए हैं, कहावत हो गयी है, एक जगह पौधे लगाने के लिये आये तो पौधे नहीं मिले तो उन्होंने कहा क्या करें। तो नीम जो होता है न अध्यक्ष महोदय, उसकी डालियां कच्ची-कच्ची उगी हुई थीं, उनको तोड़कर ले गये और 25 डालियां जगह-जगह लगा दीं। आए तो उन्होंने देखा, अब भूल से एक डाली में निमोली लगी हुई थी, तो उन्होंने पूछा, यह पेड़ उगा, उगते ही निमोली कैसे लगी..(व्यवधान) सुन तो लो जरा..

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): तिवाड़ी साहब, आप इतने बड़े नेता है, सीनियर हैं, ऐसे असत्य तो नहीं बोलो कि डाली लगा दी..

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप सुन तो लो।

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): ऐसे असत्य नहीं बोलें कि डाली लगा दी..

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। कृपया विराजिये आप।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): इतना बड़ा असत्य तो नहीं बोलना चाहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह बोला निमोली लगायी..(व्यवधान) सुनो तो सही। निमोली लगायी तो उन्होंने कहा, क्या बात करते हो? अधिकारी गुस्से में आ गया, क्या बात करते हो? यह तो निमोली लगी है न, हमारे मुख्य मंत्री जादूगर हैं, हाथ में फूल लेकर आम बना देते हैं तो यह निमोली है, निमोली लग सकती है। इस प्रकार का जो हरित राजस्थान का काम है वह आपने किया, उसके लिये भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): जिसने कलम किया वहां नीम था, आपको पता नहीं था, तिवाड़ी साहब, इसमें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान में दो-तीन काम हो रहे हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, दो-तीन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। स्वाइन फ्लू राजस्थान में। वहां जब हम बैठे थे तो मलेरिया के बारे में इतना जबरदस्त हुआ था कुछ लोग मरे थे। स्वाइन फ्लू हमने बुलाया है। स्वाइन फ्लू के कारण से चार हजार से अधिक पाजिटिव केस आए, सौ से अधिक लोग राजस्थान में करे, हम उसकी व्यवस्था नहीं कर पाये। एक लेबोरेटरी भी स्थापित नहीं कर पाये लेकिन हमने एक काम किया बहुत बड़ा महामारी का एक्ट लागू कर दिया। महामारी का एक्ट लागू किया और हमने कहा स्वाइन फ्लू डैथ! रुक जा हमने एक्ट लागू कर दिया। कैसे? एक आदमी जा रहा था जंगल में उसके पास लाइसेंस था बंदूक का, शेर आ गया, लाइसेंस दिखा दिया कि मेरे पास लाइसेंस है, वह खा गया तो लाइसेंस थोड़े ही चलता है वहां बंदूक चलती है। तो मुख्य मंत्रीजी, जिस प्रकार का आपने एक्ट लागू किया, उसी प्रकार की अगर एक्ट की नवाब साहब कार्यवाही करते तो राजस्थान में स्वाइन फ्लू को रोकने में हमको सफलता मिलती जो हमको नहीं मिली। मुझे दुःख है..

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): मेरी बात सुनिये। यह असत्य बात नहीं बोल सकते। पूरे राजस्थान के अन्दर सब.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय विराजें आप। विराजिये आप। कृपया सुनें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ऐसा करेंगे तो हम भी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: नहीं, कृपया व्यवस्था बनाये रखें। मैंने बैठाया है। कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): स्वाइन फ्लू के बारे में मैं कहना चाहूंगा।

उसके बाद में स्थानान्तरण। मुख्य मंत्री महोदय, आप हमेशा स्थानान्तरण के विरोध में रहे हैं। स्थानान्तरण की राजनीति भी नहीं करते हैं। इस बार आपने खुली छूट क्यों दे दी ? जितने-जितने कैडर हैं अपने, उस कैडर का डबल कर लो, इतने स्थानान्तरण हो गये। चाहे आर ए एस हो, चाहे आई ए एस हो, चाहे आई पी एस के हों और कोई हों।

दूसरे, आपसे मुझे यह अपेक्षा नहीं थी कि सी एम ओ में भी आप इस प्रकार नियुक्तियां करेंगे कि यह ब्राह्मण है, यह जाट है, यह गुर्जर है, यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राजपूत है। यह क्या है? यह प्रचारित किया जा रहा है, आप खंडन करिये इसका कि मुख्य मंत्री सचिवालय में सब जातियों के लोग होने चाहिये। क्यों ? मुख्य मंत्री में सब जाति समाहित हैं। हम जाति के लिये नहीं करते हैं। अगर योग्य अफसर एक जाति के भी सब हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सब हो तो यह कैडर में कम, से कम आई ए एस, आर ए एस में हमारा जो प्रशासनिक कैडर है इनमें हमको जातीयता को रोकना चाहिये। यह बहुत बड़ा काम है और मैं समझता हूं, आप इस काम को कर सकते हैं। गांधीवादी आदमी हैं।

अध्यक्ष महोदय, और भी बहुत-सी बातें हैं लेकिन तीन बातों की ओर मैं मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा, जिसमें सरकार की छवि बनती भी है और बिगड़ती भी है। मेवाड़ टैक्सटाइल के बारे में कल यहां चर्चा हुई थी, हमारे माननीय मंत्री रामलालजी गुस्सा हुए थे। आप उसी पूरी जांच कराएं। 142 करोड़ राज्य सरकार ने न्यूनतम बोली रखी, 200 करोड़ रुपये की उसकी जमीन बताते हैं, 124 करोड़ रुपये में उसकी नीलामी हुई। डी आर टी ने 100 करोड़ रुपये उसकी न्यूनतम बोली रखी। यह नीलामी हो गयी उसके बाद में अवस्थीजी वहां पर गये, प्रदर्शन भी किया, सारी बात हुई। कल इसका खंडन हुआ। मैं चाहता हूं कि सरकार की छवि को बचाने के लिये पारदर्शी तरीके से सरकार को यह काम जरूर करना चाहिये कि मेवाड़ टैक्सटाइल की नीलामी एक बार रोकिये। और किसी से जांच नहीं कराएं आप अपने फाइनेंस सैक्रेटरी से जांच कराएं। यह नीलामी सही है, गलत है, यह सात दिन में जांच कर दें। आप चीफ सैक्रेटरी से जांच करा लीजिये। इसके बारे में जो अफवाह फैल रही है, सारी खबरें आ रही हैं कि इसके पीछे क्या-क्या है, तो वह सारा जो पीछे क्या है वह बेनकाब हो उसके पहले मैं यह समझता हूं कि आपकी छवि बनी रहे, सरकार की छवि बने, मैं चाहता हूं, इस मेवाड़ टैक्सटाइल के बारे में एक बार आप जांच करा लें।

दूसरी बात मुख्य मंत्रीजी मुझे समझ में नहीं आयी। और बातें तो समझ में आ जाती हैं आपकी प्रकृति को जानते हुए कि आप गरीबों को छूट दे रहे हैं, आप ब्याज कम कर दें, सब बातें समझ में आ सकती हैं, आपने शराब के ठेकेदारों को 222 करोड़ की छूट दी..(व्यवधान) आपकी योजना, हां, मैं बता रहा हूं आपको। आप चाहो, पत्र रख रहा हूं मैं। शराब के ठेकेदारों के लिये एमनेस्टी योजना आपने चालू की। एमनेस्टी योजना आपने चालू की, धरोहर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राशि जमा नहीं करायी, ठेके से भाग गये, बैक आउट कर गये, आपने कहा कि 5 परसेंट मूल राशि और ब्याज सारा का सारा माफ कर देंगे। 222 करोड़ रुपये.. (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): यह योजना तो आपने ही चालू की थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया शांति रखें। सरकार की ओर से जवाब आ जाएगा। कृपया शांति रखें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, 222 करोड़ रुपये शराब के ठेकेदारों को छूट दी गयी- 28 से 30 करोड़ की छूट कोटा में है, हनुमानगढ़ में 20 करोड़ की छूट और नागौर में एक समूह को 20 करोड़ की छूट। यह छूट आपके राज में दी गयी है, आपके राज में क्यों ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह कौनसी नयी परम्परा हो गयी, मुख्य मंत्रीजी जब जवाब देंगे तब सारे पाइंट का जवाब दे देंगे। मंत्री इस तरह से इंटरवीन करें ...(व्यवधान) यह नयी परंपरा कौनसी हो गयी? (व्यवधान) इस तरह से मंत्री इंटरवीन करें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सदस्य जो फर्मा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह क्या है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): यह 2004 से पहले का मामला है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मंत्रीजी इस तरह से इंटरवीन करें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, खास बात यह है कि उस वक्त ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): फिर हम भी पूछेंगे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): जो ठेकेदार थे उन ठेकेदारों के नाम पते भी सही नहीं हुआ करते थे ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो फर्मा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि यह नयी परम्परा नहीं डालें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें। कृपया आप विराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह कहां की नयी परम्परा हुई? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बात रख दें आप। (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सदस्य जो फर्मा रहे हैं, 2004 से पहले के मामले थे और उस वक्त जितने भी ठेकेदार होते थे उनके फर्जी नाम होते थे ...(व्यवधान) ड्राइवर का नाम होता था ...(व्यवधान) उनका कोई अता-पता नहीं था, ड्राइवर का नाम, खलासी का नाम, इस तरह के ठेकेदार थे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यही की यही बात मुख्य मंत्रीजी कह दें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमने आज यह व्यवस्था कर दी, आज जो कोई भी ठेके लेता है, हम उनका बाकायदा सर्वे करते हैं कि यह आदमी फर्जी तो नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): लेकिन उससे पहले के नाम थे, कोई ड्राइवर का है, करोड़ों रुपये उनके ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन की प्रक्रिया और नियम बने हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ड्राइवर हैं, खलासी हैं, छोटे-छोटे आदमी हैं ...(व्यवधान) इनका कोई अता-पता नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): प्रतिपक्ष के नेता बोलते हैं तो कोई टोकता नहीं है बीच में ...(व्यवधान) यह बीच में खड़े हो गये ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ऐसे लोगों को हमने एमनेस्टी स्कीम में डाला है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाएं। (व्यवधान)... माननीय तिवारी जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं आपको जांच के लिए कहना चाहता हूं, आप इसकी जांच करा लें। यह लिस्ट मेरे पास है। यह मेरी नहीं है, सूचना के अधिकार के अन्तर्गत मांगी गयी है और इसमें 222 करोड़ रुपये होता है। कुछ कम भी है, कुछ में जो राजेन्द्रजी बता रहे हैं वैसे लोग भी हैं। लेकिन इसमें तीन जगहों में- कोटा, हनुमानगढ़ और नागौर में एक जगह 20 करोड़ रुपये की है, एक जगह 28 करोड़ की और एक जगह 30 करोड़ की छूट कुछ लोगों को मिल रही है। कोई ड्राइवर या चपरासी के फर्जी नाम से लाइसेंस लेता तो 30-30 करोड़ की सम्पत्ति का उनको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता, इसलिए ये काम कैसे हो गये? अगर यह काम हुए हैं तो बहुत गलत हैं और हम चाहते हैं कि सरकार इसका निश्चित रूप से जवाब दे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें आप ...(व्यवधान)... माननीय तिवारी जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, यह किसी भी समय का हो, यह 2001 से पहले का हो, 2005 का हो, किसी गवर्नमेंट का हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। राजकोष हमारा और आपका सबका है। माननीय अशोक गहलोतजी आज मुख्य मंत्री हैं, आज की राजस्थान की सरकार का ही यह प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, यह राजस्थान की सभी सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं वह सदन के नेता के रूप में हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह 222 करोड़ की बात अगर सही है तो आप करें, इसमें बू आती है कहीं ना कहीं। अगर कोई 2-2, 5-5 की छोटी-छोटी बातें होतीं माफ करने की। तीन में इतने इतने करोड़ों का काम है इसलिए इसकी जांच करनी चाहिए तीन की, मैं यह आपको कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने भाषण दिया था कि हम राजनीतिक रूप से, इसको मैं बाद में लूंगा, पहले एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा, शिक्षा विभाग पर भी नहीं जाऊंगा। मैं एक ही बात पर जाऊंगा कि आप गांधीवादी हैं और मैं समझता हूं कि सदी का सबसे बड़ा पुरुष महात्मा गांधी हैं। इस देश में निश्चित रूप से आपके और हमारे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राजनीतिक मतभेद हैं, विचारधारा हैं, इसको मैं स्वीकार करता हूं। आपके आने के बाद में किताबों में से कुछ चीजें आपने हटायी हैं- डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी को हटा दिया, दीनदयाल उपाध्याय को हटा दिया। हटा दो, हम उसमें आपसे नहीं बोलते। लेकिन मैं दो बातों पर आपका ध्यानाकर्षित करूंगा और मैं आज सदन को यह भी बताऊंगा कि जो बात कह रहा हूं उस बात में घनश्याम तिवाड़ी का योगदान नहीं है, उस बात में पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी का योगदान है। वह विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। संस्कृतामृतम् दसवीं कक्षा की पुस्तक है, इसमें आपने एक पूरे पाठ को हटाया है इसलिए कि वह सांप्रदायिक है, लिखा क्या था उसमें स्वराष्ट्रम। हमारा राष्ट्र क्या है? उत्तरम् यत् समुद्रस्य हिमाद्रेस्य दक्षिणम् वर्षम तद भारतम भारती तत्र संततिः। एक श्लोक था कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिन्द महासागर तक जो यह देश का खंड है, इसका नाम भारत है और इसमें रहने वाले भारतीय हैं। इसको सांप्रदायिक मानकर आपने पाठ से हटा दिया। यह किताब मेरे पास है, इसमें एक और उदाहरण बहुत जोर का है, आप देखें।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा, कृषि): इस पूरे चैप्टर को पढ़कर के बताएं ...(व्यवधान)... क्या पता, अन्दर क्या लिख रखा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। कृपया विराजिये? (व्यवधान)

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा, कृषि): क्या लिख रखा है इसमें ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है, मुख्य मंत्रीजी इसके हटाने को अच्छा नहीं मानेंगे इसलिए मैं बोल रहा हूं। एक देखिये आप, आचार्य पूछता है, संवाद है' भवतु नामः किमः, कि आपका क्या नाम है? उसका जवाब दिया श्रीमन् ममः नाम सीताः, हटा दिया जाए। सांप्रदायिक है, हटा दिया। आगे सुनें, रमेशस्य पितृ नामः किमः, हे रमेश तेरे बाप का नाम क्या है उसने कहा ममः पितृनामः श्री नारायण, मेरे बाप का नाम नारायण है, अरे नारायण, यह तो सांप्रदायिक है, नारायण को भी हटा दिया। यह हटाया है। फिर आगे, कहा गया है, सीता! मातृ नामः किमः, कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सीता, तेरी माता का नाम क्या है। उसने कहा, ममः मातु नामः दुर्गाः, मेरी मां का नाम दुर्गा है। अरे दुर्गा। यह तो सांप्रदायिक है, इसको भी हटा दिया। लक्ष्मणः भगिना किम नामः? मम भगिना नामः सरस्वती, मेरी बहिन का नाम सरस्वती है। सांप्रदायिक है, हटा दिया, इसको भी हटा दिया। इस पाठ को भी हटा दिया। सावरकर के पाठ को भी हटा दिया। इसके बाद जो सबसे बड़ा काम किया है आपने, कुंभ मेले का पाठ था, पुष्कर मेले का पाठ था, वह भी हटा दिया। उसमें क्या था कि मैं पुष्कर में गया, मैंने पुष्कर सरोवर को देखा और वहां पर ब्रह्मजी का मंदिर देखा। अरे! ब्रह्मजी के मंदिर का नाम आ गया, इसको हटाओ, यह तो सांप्रदायिक है। इस किताब में से उस पाठ को भी हटा दिया और कुंभ मेला भी हटा दिया। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा, बहुत विचित्र बात लक्ष्मणः भ्राता किमः प्रश्न था, बच्चे एक्सरसाइज करते हैं न, कि लक्ष्मणः भ्राता किमः, तो उसने कहा, रामः, तो बदल दिया उसको। नहीं, रमेश करो, क्योंकि राम और लक्ष्मण की जोड़ी तो ठीक नहीं है। राम और लक्ष्मण तो सांप्रदायिक हैं, इसलिए रामस्य भ्राता किमः श्याम, अब नाम बदलवायेंगे आप, माननीय रामलाल जाट नहीं, श्यामलाल जाट होगा यहां पर। गंगा का नाम ही बदल दिया। गंगा देवी हमारी एम.एल.ए. हैं, बगरू से जीतकर आयी हैं, तीन हैं गंगा, तीनों गंगा हट जाएंगी। संस्कृतामृतम् में एक काम और किया कि संस्कृत भवन का पूरा पाठ तो हटाया ही हटाया आपने, इसमें यह लिखा हुआ था कि दुर्व्यसन मृत्यु द्वारमः- दुर्व्यसन, दारू पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना ये मृत्यु के द्वार हैं। इस पाठ को भी हटा दिया क्योंकि दुर्व्यसन समाप्त करना सांप्रदायिक है। व्यसन वाले होने चाहिंए, दारू पीने वाले होने चाहिए। दारू नहीं पीता है वह सांप्रदायिक है। और बहुत-सी बाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं आपको एक बात प्रमाणित करना चाहता हूं, कि यह कुंभ मेला जो आपने हटाया, यह गंगाजी को जो आपने हटाया, यह आपने अच्छा नहीं किया है। आपने किताब देखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने एक पुस्तक लिखी भारत की खोज, डिस्कवरी आफ इंडिया। वह जब जेल में थे तब प्रियदर्शिनी को उन्होंने पत्र लिखे थे और उसमें लिखा है आर्यों के निवास के बारे में। वह पंडित जवाहर लाल नेहरू का लिखा हुआ आपने हटा दिया क्योंकि वह सांप्रदायिक है। अगर आपको सीता, राम शब्द हटाने थे तो पतित पावन सीताराम करने वाले महात्मा गांधी के चित्र को आप हटाओ यहां से। अगर आप गंगा हटा रहे हो, एक स्नान का मंत्र था राष्ट्र का,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गंगे च यमुने च गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी जल आचमन कुरू:, वह आपने हटा दिया, सांप्रदायिक है। अगर ये हटाने वाली चीजें सांप्रदायिक हैं तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी सांप्रदायिक हैं। यह किताब शायद कांग्रेस के किसी माननीय सदस्य ने नहीं पढ़ी होगी। मैंने पढ़ी है पूरी। बहुत लोगों को कम जानकारी है कि श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत अच्छी किताबें भी लिखती थीं। उन्होंने एक किताब लिखी है इंटरनल इंडिया; श्रीमती इंदिरा गांधी, इस किताब में पेज तीन लगाकर लाया हूं जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिखा है, गंगा और यमुना के बारे में, कि पवित्र नीर गंगा का और श्यामल नीर यमुना का जहां इलाहाबाद में आकर मिलता है, वहां पर प्रयाग होता है और वहां पर कुंभ का मेला होता है। यह भारत की आत्मा और लघु भारत है। यह मैंने नहीं लिखा है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिखा है।

श्री अध्यक्ष: वहां संगम भी होता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने पढ़ा है इसको, उन्होंने गंगा के बारे में लिखा है, उन्होंने कुंभ के बारे में लिखा है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने आर्यों के निवास के बारे में लिखा है जो आपने काट दिया। उन्होंने कहा कि आर्यों का निवास भारत है क्योंकि ऋग्वेद ईशा से साढ़े तीन हजार वर्ष पूर्व लिखा गया। यह श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिखा है। अध्यक्ष महोदय, यह किताब श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिखी थी और यह भारत में कहीं छप जाती तो आप इसकी वैलिडिटी को भी चुनौती दे देते। लेकिन आपको पता है, यह कहां छपी है। इस किताब का प्रकाशन इटली में हुआ है। लिखी श्रीमती इन्दिरा गांधीजी ने है और उनकी समधनजी ने छपवाई है इटली में। इटली में छपी है, पब्लिश्ड इन इटली है, और वह किताब मैं आपको दिखाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: यह किताब कहां, छपी उससे आपको एतराज है क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं है। मैं प्रसन्न हूं, मैंने कहा, इतनी बड़ी जानकारी। और इसलिए ये जो सारे आपने हटाये हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात, और सुनिए, एक और बड़ा काम है, भाषा की जानकारी नहीं है। संघे शक्ति कलियुगे, लिखा हुआ, उसको हटा दिया और कह दिया कि संगठने शक्ति कलयुगे, इनको पढ़ा नहीं। प्रत्यय लगता है, संधि होती है, समास होता है, उसके बाद संघ शब्द होता है, बोल दिया मैंने, गोदावरी, सरस्वती वाला तो यह सारा आपने हटा दिया। श्रीमती इन्दिरा गांधीजी की पुस्तक, पंडित जवाहर लाल नेहरूजी की डिस्कवरी आफ इण्डिया, और अगर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इतना ही है तो जन गण मन भी साम्प्रदायिक हो जाएगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तरंगा, कहां किस जगह वाले? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे और आपके मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन यह अधिकार आपको कोई नहीं देता कि कुम्भ में जाने वाले यात्रियों का आप अपमान करें, गंगा का अपमान करें, जन गण मन का अपमान करें, महात्मा गांधीजी का आप अपमान करें। यह अधिकार आपको कोई नहीं देता। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन सारे विषयों पर आप पुनर्विचार करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब सरकार से अंतिम बात कहकर मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा कि महंगाई पर नियंत्रण करने का काम राज्य सरकार का भी है। राज्य सरकार का भी काम है। जब हम वहां बैठते थे तो आप सब लोग यहां खड़े होकर कह रहे थे, महंगाई बढ़ा रहे हो, पैट्रोल और डीजल के भाव कम नहीं करते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कड़ी से कड़ी जोड़ी और भारत सरकार से आपने 12,600 करोड़ रुपए मांगे अकाल के लिए, लेकिन क्या लेकर आये आप? जब हम लोग ला रहे थे तो यहां बोलते थे आप कि सर्व शिक्षा अभियान में कहां से खर्च कर रहे हो, भारत सरकार से ला रहे हो। हमने कहा, ला रहे हैं लाएंगे, हम हमारा हिस्सा प्राप्त करके रहेंगे। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने यहां कहावत है, बराबर का भाई होता है वह तो अपना हिस्सा बांट लेता है लेकिन घर में काम करने वाला मुनीम-गुमाश्ता नहीं बांट सकता। पर आप राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, 6 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आदर रखें मनमोहन सिंहजी के प्रति भी आदर रखें, सोनिया गांधीजी के प्रति भी आदर रखें, मैं भी आदर रखता हूं, लेकिन राजस्थान के हक के लिए तो, मुख्य मंत्रीजी, आपको लड़ना पड़ेगा। पानी की योजनाओं में आपने कटौती करा दी, अकाल का पैसा लेकर नहीं आये। 5 करोड़ पशुओं के लिए आप लेकर नहीं आए। अब भारत सरकार ने पैट्रोल, डीजल और गैस का भाव बढ़ाकर कल से महंगाई पर और अधिक चोट कर दी हिन्दुस्तान की जनता के ऊपर। आपका यह काम था, मैं आपको दो कामों के लिए धन्यवाद दूंगा, और मैंने दिया है, मैं ऐसी आशा करूंगा।

मैं अंतिम बात कहता हूं कि राजनीतिक रूप से आप बदला न लें। आपने कहा, हमने आपका विरोध नहीं किया, आपने माथुर आयोग बनाया, 3 मैम्बर इसके बनाये- मैं एच एल मीणा को भी जानता हूं, अपने जो पहले चीफ सैक्रेटरी थे इन्द्रजीत खन्ना साहब, उनको भी जानता हूं, आपने माथुर साहब

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

को आयोग का अध्यक्ष बनाया। इतने दिन तक काम किया आयोग ने। और काम किया कि नहीं किया, आयोग ने एक काम यह किया कि सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी को भ्रष्ट कह दिया। आपने खण्डन तक नहीं किया। माथुर साहब ने। कहा कि सारी कि सारी ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है और स्वेच्छाचारी के आधार पर काम कर रही है। राजस्थान की सारी ब्यूरोक्रेसी को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैंने विधान सभा में पेश किया, उसका आपको खण्डन करना चाहिए था। मैं कहता हूं की राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी हिन्दुस्तान की बहुत सी ब्यूरोक्रेसीज से बहुत बढ़िया है। सारी ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग खराब हो सकते हैं, पर सारी ब्यूरोक्रेसी को भ्रष्ट कह दिया। फिर दूसरा काम और हुआ, माथुर साहब ने ब्यूरोक्रेसी को भ्रष्ट कहा और हाई कोर्ट ने माथुर आयोग को असंवैधानिक करार दे दिया, उसके दो सदस्यों को भ्रष्ट घोषित कर दिया। उपलब्धियां? जीरो। आप यह कहकर नहीं टल सकते कि हमने तो हमारा काम कर दिया। आपने तो 22 हजार करोड़ की पुस्तक छाप दी, आपने लन्दन का मकान छाप दिया, आपने आरोप लगाए, हम तो बोले नहीं। 15 महीने हो गये, 25 प्रतिशत काम हो गया, आप 25 प्रतिशत में एक चूहा भी नहीं निकाल कर लाये। ये 22 हजार करोड़ रुपए आप यह कहकर टाल देंगे कि हमने तो हमारा काम कर दिया, है कि नहीं है यह पता नहीं। यह प्रचार कर-कर चुनाव जीतने के लिए नहीं है। चरित्र हनन की राजनीति ठीक नहीं है, मुख्य मंत्रीजी, आप तो माथुर आयोग के बारे में स्थिति स्पष्ट करें। आप इन सारी बातों के बारे में स्पष्ट करें।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक साल आपका निराशा का रहा है, एक साल आपका हताशा का रहा है, अव्यवस्था का रहा है, अराजकता का रहा है, निराशा का रहा है। इस अभिभाषण में किसी प्रकार की आशा नहीं थी, यह निराशा का सूचक था। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी कल बैठे थे, मैं इस बात के लिए पुन: आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, राजस्थान के विकास में जो भी आप मदद चाहेंगे, हम निश्चित रूप से करेंगे, राजस्थान में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए जो भी सहयोग चाहेंगे, हम करेंगे, राजस्थान में शराब और अपराधों में कमी के लिए जो भी आप हमसे मदद चाहेंगे, हम करेंगे, लेकिन आपको सदन में इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा कि आपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ क्यों छेड़खानी की क्यों घूमे? आप इसको माफ कर सकते हैं? जयपुर को आप छोटे समय में कहना चाहिए, वर्ल्ड क्लास सिटी बना रहे हो, दौड़ कर रहे हो, जिसको

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राजस्थान की हाई कोर्ट ने सज़ा दी हिरण मारने की, उस अभिनेता को सरकार बुलाकर उसके साथ दौड़ रही है। क्या मजाक है यह। जोधपुर की हाई कोर्ट ने उसको सज़ा दी, विश्नोई समाज ने जिसके पुतले जलाएं, वहां पर आप उसको उपकृत कर रहे हो? क्या खेल है यह अपराधियों के साथ? इसलिए मैं चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात का जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने वातावरण बनाया और, मुख्य मंत्रीजी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने सुना। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण का मैं विरोध करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण और केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद, बहस हुई और मुझे इस बहस में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देने के लिए खड़े होने का अवसर मिला।

हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अभी कार्यवाहक हैं, कार्यवाहक हैं, उप नेता को जब तक हाउस में, कोई न कोई नेता तो रहे, यह भी आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि यह नौबत कैसे आई। यह नौबत कैसे आई कि नेता गायब है और आप विराजे हुए हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): पिछले एक वर्ष से आपने ठीक कहा कि हर चुनाव जीते हैं, कड़ी से कड़ी जुडी है, जनता ने हमें साथ दिया, बहुमत मिला। तारागनर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य कल कह थे, एक परसेंट का फर्क है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसलिए कांग्रेस को इतराने की जरूरत नहीं है। उनकी फितरत में है इस प्रकार से बोलना कि कौन वहां पर खण्डन करेगा, कौन कागज देखेगा और मेरा काम चल जाएगा, इनकी फितरत में है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि हम लोक सभा चुनाव जीते तो, 49 परसेंट से 2004 में जीते थे आप लोग उस वक्त और अब 36.47 पर आ गए हैं, 13 प्रतिशत का घाटा हुआ। 13 प्रतिशत कम वोट आये आपके और कांग्रेस को 6 परसेंट की बढ़त मिली।

(श्री अशोक गहलोत)

विधान सभा में भी 39 परसेंट से आप 34 परसेंट पर आ गए। अभी जो लोक सभा चुनाव हुए हैं उनमें कांग्रेस की जो 96 सीटें जीतकर आए थे हम लोग, इसका सेगमेंटवाइज हम लोग देखें तो हम 96 के बजाय 143 पर आ गए, आप 78 जीतकर आए हैं, आप 43 पर आ गए इसलिए इस प्रकार से जो आंकड़े दिये गये, म्यूनिसिपल इलेक्शन के अन्दर भी हम लोग कामयाब हुए, 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई हमारे वोटों में। पंचायतों में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई और आप 43 से 41 पर आ गये। तो यह जो आपने कहा कि कांग्रेस को इतराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इतराते तो आप लोग थे, जब आप सत्ता में थे तो इतराए इसलिए आपकी यह दुर्गति हुई क्योंकि आपको अवसर मिला, आपने कोई चिन्तन नहीं किया।

आपने एक कार्टून देखा होगा, जब हमारा शिविर हो रहा था तो एक कार्टून आया उसमें कहा कि कांग्रेस 4 सीटों से 20 सीटों पर आ गई है, लोक सभा चुनाव के बाद भी वह इतरा नहीं रही, बल्कि चिंतन शिविर कर रही है। चिंता कर रही है, चिंतन कर रही है आगे के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया? 21 से 4 पर आ गई, तब भी घमासान चलता रहा, आपका घमासान ही चल रहा है। अभी तक पता नहीं उसका अन्त क्या होगा, वह तो आप जानो। मैं कहना चाहूंगा कि जिन परिस्थितियों में हम लोग सत्ता में आये हैं, आप भी जानते हैं। हमारा बेसिक थीम यही रहा, आते ही हमने कहा था गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। जो पहला आपका मेडन स्पीच था जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष नहीं है, वह तो आपको ही मानते हैं अभी तक, आपने जिस रूप से सब बातें रखी हैं और अन्य हमारे जो पक्ष और विपक्ष के साथियों ने जो हिस्सा लिया है बहस के अन्दर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और यह भी कहना चाहूंगा कि तमाम प्रश्नों के उत्तर तो दे नहीं पाएंगे पर जो आपने प्रश्न उठाये हैं, देने का प्रयास करेंगे। बाकी जो सवाल रह जाएंगे बचे हुए, कुछ बजट सैशन में उठाये जाएंगे तो उस पर भी जवाब देंगे, कुछ आपको एक लैजिस्लेशन चाहेगी तो हम अलग से दे देंगे। तो हम चाहेंगे, पक्ष और विपक्ष को संतुष्ट करके सदन चले। यह मेरी मान्यता रहेगी, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा आपको।

जैसा आपने शुरूआत की, वही मान्यता आज भी रहेगी। हम चाहेंगे, किस प्रकार से सब का सहयोग लेकर चलें हम लोग, चूंकि राजस्थान की भौगोलिक स्थितियां अलग तरह की हैं, राजस्थान अन्य राज्यों से अलग तरह

(श्री अशोक गहलोत)

का राज्य है। आज देश में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है भौगोलिक दृष्टि से। छत्तीसगढ़ बना है उसके बाद में, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। 10 परसेंट भू-भाग है। 5 परसेंट आबादी होगी देश की, पानी हमारे यहां एक परसेंट है। हमारे यहां की जो भौगोलिक स्थिति है, एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर हो गई। गांव भी ढाणियों में बस गये हैं, गांव नाम के रह गये हैं। इतने बड़े प्रदेश के अन्दर कास्ट आफ डिलीवरी जो है, कोई डवलपमेंट करना है, गांव के अन्दर, ढाणी के अन्दर, अन्य राज्यों के मुकाबले रात और दिन का फर्क है, कास्ट आफ डिलीवरी एक्स्ट्रा-आर्डिनरी लगती है। यहां पर सामाजिक अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं, सूखी सब्जियों से अलग-अलग प्रथाएं थीं। यहां 22 रजवाड़े थे, जातियां, धर्म सब बातें अलग-अलग रही हैं यहां पर। कांग्रेस के शासन में हमेशा यह प्रयास रहा है, जब से देश आजाद हुआ तब से सब धर्मों को, सब जातियों के लोगों को मिला कर चले हैं। वही एक सही रास्ता है देश के लिए। देश एक रहे, अखंड रहे। और मैं समझता हूं उसी देश के रास्ते में चले, चाहे कुर्बानी देनी पड़ी हो, त्याग किये हों, बलिदान किये हों। महात्मा गांधीजी का नाम ले रहे थे तब बार-बार आप, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। आपके मुंह से महात्मा गांधी की तारीफ हम सुनें, इससे बड़ी हमें क्या खुशी हो सकती है? महात्मा गांधी की हत्या हो गई, इंदिरा गांधी शहीद हो गईं, जो महान नेता थीं दुनिया की, राजीव गांधी शहीद हो गये, सरदार बेअंतसिंहजी शहीद हो गये, पर पंजाब को अलग नहीं होने दिया। इस देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए सब कुछ कुर्बान किया हो, प्रधान मंत्री की कुर्सी पर रहते हुए जिनकी हत्या हुई हो, पर मुल्क को एक रखा, अखंड रखा। यह हमारी सोच का अंग है। हम तो चाहेंगे, धीरे-धीरे पूरे मुल्क में माहौल बने, तो हमें खुशी भी होती है। कई बार आपके पक्ष के लोग भी आपकी पार्टी के लोग भी अपने अधिवेशन में महात्मा गांधी की फोटो लगा लेते हैं। कभी वापस हटा देते हैं, कभी माहौल देख कर वापस लगा देते हैं। मैं चाहूंगा, आप कम से कम सलाह दें कि वे फोटो को लगाएं, एक बार लगाये रखें जिससे कि संदेश जाएगा कि महात्मा गांधी का, सत्य, अहिंसा का जो संदेश था, वह आपके दिलों तक पहुंचे। आपने जो बातें कहीं, मैं उनको दिखवाऊंगा, कि किस रूप में वे हटी हैं, क्योंकि कमेटी बनती है, हम लोग बैठकर नहीं हटाते हैं। हम वह काम नहीं करते हैं, आपने जो काम किया है और मैं उसके लिए आपको दोषी बनाऊंगा। आपने किसी

(श्री अशोक गहलोत)

दीनदयाल उपाध्याय का नाम हटा दिया या स्कीमें बना दी होंगी। स्कीमें तो बनती हैं, नई सरकार आती है, बदलता है नाम, पर ऐसा कोई कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं किया। कभी चौराहे पर किसी की मूर्ति लगी हो, कभी भवन बना हो जिसमें नाम दीनदयाल उपाध्याय का हो, सतीशचन्द्र अग्रवाल का हो या किसी मुखर्जी का हो, जो आपके नेता रहे हैं, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, आज तक कभी कोई एक बार नामकरण हो गया, उसको कभी हटाया नहीं गया। एकमात्र हिन्दुस्तान में उदाहरण मिलेगा, जब आप शिक्षा मंत्री थे, मैंने आपको भी रिक्वैस्ट की थी। राजीव गांधी के नाम का जो भवन बना था शिक्षा संकुल, उसका शिलान्यास यह धारीवालजी बैठे हैं, मंत्री थे उस वक्त में, उसका शिलान्यास भी किया, उसमें पत्थर लगा, उसमें लिखा हुआ है राजीव गांधी शिक्षा संकुल। उद्‌घाटन के अन्दर पत्थर लगा उसमें लिखा हुआ है राजीव गांधी शिक्षा संकुल। आपकी पता नहीं क्या सोच थी, सरकार नई-नई बनी थी, मैंने आपको निवेदन भी किया, भाई, यह ऐसा मामला है, नामाकरण हो गया है। अब राधाकृष्णन साहब तो बहुत बड़ी हस्ती थे, देश के दार्शनिक थे, विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे जिनके ऊपर आप भी गर्व करते हैं संस्कृत पर, और करना भी चाहिए, पूरे देश को करना चाहिए। इतनी बड़ी महान हस्ती का नाम, इनका नाम, इनको भारत रत्न मिला हुआ है, जो राष्ट्रपति रहे हुए हैं, जो शहीद हो गये हैं देश के लिए, उनका नाम हटा कर आप उनका नाम लिखोगे तो आपके लिए भी अच्छा नहीं, देश के लिए भी अच्छा नहीं, आप कृपा करके इस काम को मत करो। और मैं आपको सुझाव देता हूं, मेरा सुझाव यह था कि जोधपुर के अन्दर जो विश्वविद्यालय बनाया है आयुर्वेद का- आयुर्वेद का संस्कृति का बहुत सम्बन्ध था, मैंने कहा उनका नामाकरण आप आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कर दीजिए जिससे एक मैसेज जाएगा। विश्वविद्यालय आयुर्वेद का अपनी अलग हस्ती रखता है, अलग महत्व रखता है। देश की आजादी के बाद में पहला विश्वविद्यालय बना है जोधपुर के अन्दर। जामनगर में जो विश्वविद्यालय है आयुर्वेद का, वह आजादी के बाद का है। तो हमने एक प्रकार से नई सोच के साथ में विश्वविद्यालय का काम किया, उसका नामाकरण कर दीजिए। पता नहीं आपने मेरी बात को तवज्जोह नहीं दी या आपकी चली नहीं कैबिनेट में, वह तो आपको मालूम होगा, परन्तु उसमें हमने बहुत कोशिश की, मुख्य मंत्री महोदय को कहलाने की कोशिश भी की हमने कि, भाई, यह आप ऐसा काम कर रहे हो, ऐसी परम्परा पड़ जाएगी कि सरकार बदलेगी और नाम

(श्री अशोक गहलोत)

बदलेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, पर मेरी बात नहीं मानी गई। आज हम देखते हैं कि एक छोटा-सा बोर्ड लगा हुआ है राधाकृष्णन के नाम का। हमने उसको नहीं हटाया। हमने तय कर लिया कि जो काम आपने किया है, कुकृत्य किया है, वह आपकी मिसाल कायम रहेगी कि कितनी बड़ी भारी भूल थी, आपकी सरकार की उस वक्त में। इतना बड़ा काम है, अन्दर पत्थर लगे हुए हैं राजीव गांधी शिक्षा संकुल के और बाहर लगा हुआ है राधाकृष्णन के नाम का। तो कमरे का नाम बताने के लिए रहेगा, आपकी पार्टी की और आपकी सरकार की क्या सोच होती है, कितना कथनी और करनी में अन्तर होता है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है इसलिए मैं कह रहा हूं, हमने तय कर लिया है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं, हमने तय किया है कि उसका नाम तो वही रहेगा, राधाकृष्णन के नाम और जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय जिसके लिए मैंने आपको कहा था, उसका नाम भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर करेंगे, यह मैं आज घोषणा करता हूं।

पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारी बेसिक जो सोच है वह सोच यही है कि हम किस प्रकार से आम जनता की कठिनाइयों को दूर करें, कैसे हम गांव, गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों का विकास करें, राज्य के चहुंमुखी विकास में हम लोग आप सब को साथ लेकर आगे बढ़ें, सर्वांगीण विकास हो। जो चुनौती आती है, चाहे पीने के पानी की हो, जिसके ऊपर आपसे अभी जिक्र करूंगा, अकाल-सूखे की हो, हम चाहेंगे कि उसमें आप सब का हमको सहयोग मिले। हमारी प्राथमिकता भी है, हम चाहते हैं कि बिजली बड़ा क्षेत्र है, जिसका अभी आपने जिक्र किया, मुझे भी कमेंट करने हैं। पानी अपने आप में बड़ी चुनौती है, मैं समझता हूं कि पानी की चुनौती तो इस बार सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। राजस्थान के लिए सड़कों की प्राथमिकता की रहेगी, ग्रामीण विकास की रहेगी, औद्योगिक विकास की रहेगी, कृषि क्षेत्र के विकास की है, कानून व्यवस्था की आपने बात कही है, वह हमारे जहन में है, हमेशा हम ध्यान रखते हैं इस बात का। फिजूलखर्ची नहीं करें, हम लोग, यह भी हमारी प्राथमिकता के अन्दर है। कल हमारे करणसिंहजी जो छबड़ा से आने वाले विधायक हैं, उन्होंने यहां पर अपनी बात रखी तब कहा कि छबड़ा के अन्दर 3 लाख रुपये के लड्डू बांटे गये। सरकारी खर्चे पर 3 लाख रुपये के लड्डू। जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैंने कहा कि यह नई बात नहीं है क्योंकि यह तो राजस्थान के अगर आंकड़े बनाकर देखोगे उस जमाने के कि

(श्री अशोक गहलोत)

कहां-कहां फिजूलखर्ची हुई, सब रिकार्ड टूटे हुए थे। बहुत अच्छी बात उठाई हमारे साथियों ने। बहुत ही अच्छा जसवंत सिंहजी जो अलवर से आते हैं, उन्होंने भी इस बात को रखा। यह भी हमारी चिंता का विषय है। पहले भी हाउस में कई बार इस पर डिसकशन हुआ है। जब शेखावत साहब थे विपक्ष में, तब भी हुआ था। एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, अल्पसंख्यकों यह हमारी प्रायोरिटी है कि कैसे इनका कल्याण हो, जो पीड़ित तबका है वह आगे बढ़े। इन तमाम कामों को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। किस प्रकार से काम हों, हमने योजनाबद्ध तरीके से काम करने का प्रयास भी किया है। हमने पुनर्गठन किया वापस प्लानिंग बोर्ड का जो पहले बना था हमारे वक्त में और आपकी गवर्नमेंट ने उसको समाप्त कर दिया था।

समाप्त नहीं किया, भंग भी नहीं किया, बल्कि बनाया ही नहीं था। हमने वापस बोर्ड बनाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सपर्ट की राय आएगी, उनका इनपुट होगा उसको हम काम में लेना चाहेंगे। आप लोग भी जो सुझाव देना चाहेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। पांच हमने राजीव गांधी मिशन बनाये हैं जिनका आप लोगों ने जिक्र किया- जल नीति पर, वन नीति पर, ईको टूरिज्म पर, आवास नीति पर और पशुधन नीति पर हमने कुछ पांच मिशन बनाये हैं, हम चाहते हैं कि मिशन बोर्ड के अन्तर्गत हम लोग इन बातों को आगे बढ़ाएं।

अब पीने के पानी की समस्या का जो मैं आपके सामने बार-बार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मेरी चिंता इस बात की है कि यह ऐसी स्थिति है, पूरे देश के अन्दर जिस प्रकार के हालात बने हैं उसको हमें समझना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: क्षमा करें, समय बढ़ाने के लिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: आप सब की इजाजत से समय बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): उप नेता महोदय, आप भी जानते हैं, पूरे हाउस में सब सदस्य जानते हैं कि राजस्थान की स्थिति पीने के पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की क्या है। जिस तरह के हालात पूरे प्रदेश के अन्दर बने हुए हैं, वह चिंता का विषय सब के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पानी है, 90 प्रतिशत ड्रिंकिंग वाटर ग्राउंड वाटर से हम लोग लेते हैं। हमारे यहां पर कोई पैरेनियल रिवर नहीं है राजस्थान के अन्दर चम्बल को छोड़कर। स्थिति नहीं है। डिपेंड रहना पड़ता है। चाहे नर्मदा की बात करें तो पानी पूरा आ नहीं पा रहा है। कोटा में अभी आपके पक्ष के लोगों ने बंद का काल दिया था तब भी हमने कहा था कि हमारे हिस्से का पानी हम ले चुके हैं, मध्य प्रदेश अपना हिस्सा देगा तो ही पानी दे पाएंगे, वर्ना नहीं दे पाएंगे। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय से दिल्ली में बात की, कल मैंने फिर उनको फोन किया, वो तैयार नहीं हैं। कहते हैं कि हमारे खुद के पीने के पानी की समस्या है। वहां पर उनकी अपनी समस्या हो सकती है। बादल साहब जो पंजाब के मुख्य मंत्री हैं, उनसे जब दिल्ली में मीटिंग में हम लोग मिले थे तब भी बात की थी और अभी वापस कल-परसों उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं इसको दिखवाता हूं। और कुछ पानी छोड़ा भी है। प्रधान मंत्री से भी हमारे जितने भी पार्लियामेंट के मैम्बर हैं, केन्द्रीय मंत्री हैं, वो कल वहां पर जाकर मिले हैं। तो हमारे प्रयास हम कर ही रहे हैं। इंदिरा गांधी कैनाल, गंग कैनाल, भाखड़ा कैनाल, वहां किसान अलग अपनी बात रख रहे हैं कि हमें और पानी चाहिए। साढ़े तीन बारी पानी कैसे मिले, उनकी अपनी अलग समस्या है। तो सवाल यह उठता है कि ड्रिंकिंग वाटर हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आज कई जिले ऐसे हैं, जैसे भीलवाड़ा है, अजमेर है, पाली है, नागौर है, और भी कई डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पीने के पानी की स्थिति खराब है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के सब जिलों में स्थिति बिगड़ी हुई है, पर 5-6 जिले ऐसे हैं जहां बिलकुल खारा पानी है और पानी पीने लायक भी नहीं हैं। इन हालात में एक तरफ तो हम चाहते हैं कि योजनाएं पूरी हों- चाहे इंदिरा गांधी कैनाल की योजना बने, चाहे चम्बल की सवाई माधोपुर की योजना बननी थी वो पूरी हो, चाहे लिफ्ट करके पानी लायें, चाहे भीलवाड़ा में लाएं या बूंदी में लाये या दूसरी जगह लाएं। दुर्भाग्य से समय के साथ-साथ में सरकार तो बदलती है, प्रायोरिटी भी बदल जाती है। पर कुछ काम ऐसे होने चाहिए, हम बात तो करते हैं कि हम मिलकर चलना चाहते हैं, आप सत्ता में थे तब भी यह बात करते होंगे, हम भी

(श्री अशोक गहलोत)

आज कहते हैं, पर मिलकर हम हकीकत में चल नहीं पाते हैं, उसके कारण स्थिति यह बनती है कि योजनाएं ठप हो जाती हैं। अब आपके वक्त में कोई 16 हजार करोड़ के टेण्डर जारी कर दिये, स्वीकृति जारी कर दी उसकी। आपके ही उस वक्त के प्रिंसिपल सैक्रेटरी ने कहा कि इतना पैसा है ही नहीं। उसके पहले भी जारी कर दिये थे। और आज वो योजनाएं सब ठप हो गईं। यह तमाम स्थिति ऐसी है जिससे कि हम आज जूझ रहे हैं। पानी आज बरस नहीं रहा है। मेरे ख्याल से भारत सरकार ने आंकड़े दिये हैं, 1972 के बाद में सबसे ज्यादा जो पानी की किल्लत हुई है देश के अन्दर, मानसून ने जो धोखा दिया है, उस सब में सबसे ज्यादा स्थिति इस साल खराब है। यह तो सौभाग्य से नरेगा योजना आ गई, अगर नरेगा योजना नहीं आती तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि देश के हालात क्या होते। कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमारे यहां पर 1987-88 में अकाल पड़े तब भी, 2001, 2002, 2003 अकाल पड़े तब भी जो हालात थे, सारे सदस्य गांव-गांव उस वक्त घूम रहे थे। आप और हम सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार के हालात बने थे, रोजगार की बहुत बड़ी चुनौती थी। आज कम से कम यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधीजी, प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी नरेगा की जो योजना लेकर आये हैं वह पूरे विश्व की सबसे बड़ी रोजगार की योजना है। आज कम से कम यह तो शांति है कि रोजगार लोगों को मिल रहा है। अगर 100 दिन का पूरा होगा तो हमें वचन दिया है कि हम उस काम को 50 दिन का और देंगे उनको, रोजगार की कमी नहीं आने देंगे। यह बात तो अपनी जगह है।

हमने व्यवस्था की है, फ्री किट बांटे हैं चारे की व्यवस्था के लिए। चारा जिस प्रकार से पैदा किया है उससे उम्मीद बंधी है, कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। चारे का भी हमने प्रबन्ध किया है, उससे काम चलाएंगे। कैटल कैम्प भी हमने खोले हैं, गौशालाओं को भी हम अनुदान दे रहे हैं 20 रुपये प्रति गाय जो नार्म्स बने हैं उनके अनुसार। सवाल यह आता है कि पीने का पानी चाहे पशु के लिए चाहिए चाहे इन्सान के लिए चाहिए, उसकी बहुत मुश्किल हम लोगों को दिख रही है। हम चाहेंगे कि आप सब के सहयोग से कम से कम पीने के पानी को लेकर जो हमने फैसले किये हैं कि जो प्रिंसिपल सैक्रेटरीज हमारे जिलों के इन्चार्ज हैं, जो प्रभारी बने हैं वो खुद हर जिले के अन्दर जाएं, हमारे मंत्रिमण्डल के साथी हैं वो जाएं हर फोर्टनाइट के अन्दर और पीने के पानी को केन्द्र बिन्दु में

(श्री अशोक गहलोत)

रखकर पूरे जिले के अन्दर मानिटरिंग करें। जिला कलक्टर को निर्देश दिये हैं, उनको शक्तियां दी हैं कि वो कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करें और कोई एक्शन 17 सीसीए के तहत कर सकते हैं। कोई हैण्डपम्प या ट्यूबवैल की जरूरत है, वहां पर ग्राउंड वाटर है, आया है तो सरकार वहां खोदे। साथ में टैंकरों से 10-12 हजार गांवों में पानी पहुंचाना पड़ेगा। वहां पानी पहुंचाने के लिए स्कीम बन गई है, सोर्स मालूम कर लिये गये हैं और हमारा प्रयास यह है कि हम पानी पहुंचाएं ताकि ये अप्रैल, मई, जून के महीने हैं, ये किसी तरह से निकलें और पानी की तकलीफ नहीं हो, यह हमारा प्रयास है, यह मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि पानी का स्तर नीचे जमीन में जा रहा है, डार्क जोन बन गये हैं। अब तो 237 से 248 ब्लाक बन गये हैं उनमें से 200 के लगभग ब्लाक डार्क जोन में आ गये हैं। 1980 के अन्दर 37 ब्लाक थे आज 198 के लगभग का फीगर है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भी डिसीजन आये हुए हैं, केन्द्र सरकार के भी निर्देश आये हुए हैं, 12 ब्लाकों को तो ब्लाक कर दिया है कि आप वहां पर बिना केन्द्र सरकार की परमिशन के ट्यूबवैल खोद ही नहीं सकते। यह नौबत राजस्थान में जो आ रही है, आपके वक्त में भी प्रयास हुए थे, आपने बिल पेश भी किया था, वो सलैक्ट कमेटी में भेज दिया गया, वहीं पड़ा होगा। तो एक वक्त आएगा कि आपको और हम सब को मिलकर फैसला करना पड़ेगा कि किसान को हम लोग कैसे क्या समझाएं, आम नागरिक को क्या बात बताएं जिससे कि वो समझ जाएं। अब समय रहते भी हम लोग नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। आने वाले वक्त में यदि जमीन में ही पानी नहीं रहेगा तो कहां से पानी आयेगा यह हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसे मामले में सभी स्तर पर हम मिलकर काम करेंगे तो कोई न कोई रास्ता निकलेगा। क्योंकि मैंने कहा कि समय आ गया कि हमने ऐसे फैसले नहीं किये तो हमें तकलीफ होगी। हमने प्रयास किये हैं और चीफ सैक्रेटरी स्तर पर टास्क फोर्स बनाया है कि विभागों में आपस में समन्वय करके मानिटरिंग करें। पीएचईडी के प्रिंसिपल सैक्रेटरी खुद पीएचईडी की मानिटरिंग करेंगे, जो कंटिंजेंसी प्लान हैं उनके अनुसार काम करेंगे। ये तमाम बातें जो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है। जिस प्रकार हैण्डपम्प और ट्यूबवैल खुदते गये हैं लाखों की संख्या के अन्दर, उनकी मरम्मत का काम भी चलेगा। पानी अगर नीचे हो गया तो ट्यूबवैल और हैण्डपम्प खराब भी हो रहे हैं, यह हमारे लिए

(श्री अशोक गहलोत)

बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, जब सुनते हैं कि राज्य में 58 शहर ऐसे हैं जहां 48 घंटे में पानी मिलता है, 15 शहर ऐसे हैं जहां 72 घंटे में एक बार पानी मिल रहा है और 9 शहर ऐसे हैं जहां 96 घंटे में एक बार पानी की आपूर्ति हो रही है, तो ये चौंकाने वाले आंकड़े मैं नये नहीं दे रहा हूं, आप सबको मालूम है कि किस तरह के हालात राजस्थान में बने हुए हैं, इसकी तरफ मैं आपका ध्यानाकर्षित कर रहा हूं।

(समय : 17.00 बजे)

बिजली के उत्पादन में तो पूरा राजस्थान जानता है कि पिछली गवर्नमेंट हमारी थी तब भी हमने पूरे मुल्क में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन किया था। छह प्लांट हमारे वक्त में आये, एक प्लांट पहले चल रहा था, उसका काम पूरा हुआ हमारे वक्त में और 1,750 मेगावाट का एडीशन हुआ था। पूरे देश के अन्दर नम्बर वन हम लोग थे। आपकी सरकार आई, आपने कुछ फैसले किये, डेढ़-दो साल लगा दिये फैसले करने के अन्दर। धौलपुर के और गिराल के जो काम शुरु हुए थे, वे जरूर आपके वक्त में पूरे हुए। बाकी आपके जो खुद के फैसले थे, वह अब हमारी सरकार आने के बाद में हम प्रयास कर रहे हैं कि उन कामों को पूरा करें। हमारी सरकार आते ही हमने छह पावर प्लांट लगाने का फैसला किया। जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे वह आपको कुछ गलतफहमी हो गई थी, वह मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं। तीन सुपर क्रिटिकल प्लांट, यह एक नई सोच आई है देश के अन्दर। 660 मेगावाट की एक इकाई गुणा दो, 1,320 मेगावाट की दो इकाई हैं। एक छबड़ा में लगेगी, एक सूरतगढ़ में लगेगी और प्राइवेट सैक्टर में लगेगी बांसवाड़ा के अन्दर। ये तो है हमारे छह प्लांट जो नये आये हैं करीब 4,000 मेगावाट के। 24,000 करोड़ रुपये के इन्वैस्टमेंट होंगे। उनका हमने जिक्र जो किया था, आपने जिसको पढ़कर सुनाया था बजट के अन्दर, उसका जिक्र था जो हमने आते ही स्वीकृति दे दी। उसके लिए टेंडर प्रोसेस चल रहा है, काम चल रहा है। अभी आपने जो पढ़कर सुनाया कि सैद्धांतिक मंजूरी दे दी और बहुत बड़ा अधिकारियों ने गुमराह कर दिया मुख्य मंत्री को, मैं समझता हूं, ऐसी कोई बात नहीं थी। आपको यह प्रसन्नता होगी, मैं समझता हूं कि आप पहले समझ नहीं पाये होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, वे छह प्लांट अलग हैं। उसके अलावा रामगढ़ के अन्दर भी और बीकानेर में लिग्नाइट बेस, वे

(श्री अशोक गहलोत)

अलग तरह के प्लांट हैं, उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। खाली आते ही हमने जो फैसले किये, उसका मैं जिक्र कर रहा हूं।

अभी हमने जो चिंतन शिविर किया था, आपको यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी, मैं समझता हूं, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि हमने क्या किया, कि जो 12वां प्लान आएगा 2012 से, अगली पंचवर्षीय योजना जो आएगी, उसके लिए हमने छह पावर प्लांट और स्वीकृत किये हैं। हमारी केबिनेट में बैठकर फैसले किये थे, हम सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि हमने छह प्लांट की स्वीकृति और दे दी। तो यह आपको बहुत खुशी की बात होनी चाहिए कि छह प्लांट की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी। उसमें बांसवाड़ा के अन्दर पहले वाला प्राइवेट सैक्टर का है, यह जो हम कह रहे हैं कि बांसवाड़ा के अन्दर कालीसिंध परियोजना में तीन और चार इकाई होंगी, वही सुपर क्रिटिकल। सूरतगढ़ के अन्दर 9वीं और 10वीं इकाई होगी। रामगढ़ विस्तार में 160 मेगावाट की इकाई होगी। धौलपुर गैस परियोजना चरण-सैकण्ड, 330 मेगावाट और केशोरायपाटन की परियोजना 300 मेगावाट, यह हमारी प्लानिंग बनी है और हम चाहते हैं, इनको कैबिनेट ने एक प्रकार से प्रिंसिपली एग्री किया कि ये प्लांट, इनकी तैयारी अभी शुरू करना चाहिए। इसी दूरदृष्टि से यह फैसला हुआ है, उसका जिक्र किया गया है। मैं समझता हूं, शब्दों में आपको गलतफहमी हुई, इस कारण से आपने यह बात कही है। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, बिना बिजली के आप हम सब जानते हैं कि कोई राज्य प्रगति कर नहीं सकता और न वह विकसित राज्य बन सकता है। डवलपमेंट राजस्थान के रूप में हम लोग चाहते हैं कि एक समयबद्ध सब काम हम लोग करें जिससे कि राजस्थान के अन्दर बिजली की कोई कमी नहीं रहे। हम लोग राजस्थान में चाहे किसानों की बात करें, आप सबको मालूम है, सरकार बनते ही जिस प्रकार से फैसले किये थे और जिस प्रकार से हमने कहा था कि पांच साल तक बिजली की दर नहीं बढ़ेगी, यह कम फैसला है? गांव में दूध वाला भी आता है, मैंने एक उदाहरण दिया विधायक दल की मीटिंग के अन्दर, तो एक किस्सा किसी ने सुनाया, हमारे ही कार्यकर्ता ने। उसने कहा, गांव वाले को जब हमने कहा कि दूध वाला भी आता है, उसको कहो तो वह कह सकता है कि पांच साल तक दूध के दाम नहीं बढाऊंगा? पान की दुकान वाला कह सकता है कि मैं पान के दाम नहीं बढ़ाऊंगा? पर सरकार ने कहा कि पांच साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। इससे बड़ी बात क्या कर सकते हैं? (व्यवधान) बिजली आ नहीं रही है तो आप

(श्री अशोक गहलोत)

देख ही रहे हैं, अगर बिजली नहीं आती तो अभी तक तो पता नहीं क्या हो जाता। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि 1,600 करोड़ रुपये हमने खर्च किये हैं खरीफ के अन्दर बिजली खरीदने के लिए। जब गर्मी में मानसून फेल हो गया था तो 1,600 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और अभी रबी के अन्दर 3,200 करोड़ रुपये के हमने पहले ही एग्रीमेंट कर लिये थे उस समय में ही, जिससे कि रबी की फसल बर्बाद नहीं हो। इस सोच के साथ में सरकार ने फैसले टाइम पर किये इसलिए किसी गांव में कोई शिकायत नहीं रही। इस बात की तकलीफ आप लोगों को जरूर रही है कि गांव के अन्दर शिकायत क्यों नहीं रही चुनावों के अन्दर।

अब हमारे माननीय तिवाड़ी साहब कह रहे थे, नीतियां बहुत बनाईं। अब इसमें तकलीफ क्या हो रही है, बताओ? एक नीति ही बनी है तो आप कम से कम पूछ सकते हो कि नीति बनने के बाद में नीति का होगा क्या? लागू हुई है कि नहीं हुई है? कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है? अगर सी.एस. साहब ने पत्र लिखा सभी सैक्रेटरीज को और प्रिंसिपल सैक्रेटरीज को, कन्वे किया कि सी.एम. की फीलिंग क्या है तो अच्छी बात है। क्योंकि आपको और हम सबको देखना पड़ेगा कि बजट मार्च में नहीं आया था, बजट जुलाई में आया था। उस समय घोषणा हुई थी, टाइम बहुत कम मिला था। नीति ऐसी चीज है, जब कोई पालिसी बनती है, उसमें वक्त लगता है, बनने में वक्त लगता है, सोचने में वक्त लगता है। और लगना भी चाहिए। उसको अगर हम लोग सोच-समझकर नहीं बनाएंगे, तो नीति भले ही तीन दिन में बनाकर रख दो आप। मैं समझता हूं कि उसके लिए बाकायदा विभिन्न एक्सपर्टस की राय ली गई है, इंटर-डिपार्टमेंट बात की गई, सबसे मिला-जुलाकर अच्छी नीति बनी है। आपको तो पढ़ने की अच्छी हैबिट है, आप पढ़ो तो आपको अच्छा लगेगा कि अच्छी नीति बनी है। जल नीति बन गई है, वन नीति बन गई है, बायो-मास आधारित ऊर्जा उत्पादन की नीति बनी है, बायो-मास आधारित पशुधन विकास नीति बनी है। कृषि व्यवसाय, उद्योग नीति, ईको-ट्यूरिज्म नीति बनी है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग और अल्प आय वर्ग के लिए नई आवास नीति बनी है, जो बहुत ही शानदार बनी है। ई.डब्ल्यू.एस. वीकर सैक्शन के लोग हैं, उनको करीब 1.25 लाख रुपये के टार्गेट का जब हमारे मैनिफेस्टो में दिया है तो हमारा सिस्टम आगे बढ़े और गरीबों का, मध्यम वर्ग के परिवारों का ज्यादा भला हो। राज्य में नई उद्योग और निवेश नीति बनी है।

(श्री अशोक गहलोत)

ये नीतियां बननी चाहिए। कुछ नीतियां अंतिम चरण में हैं। जो दो-तीन नीतियां हैं, मैं आपको बता रहा हूं। खनिज नीति जल्दी ही सामने आने वाली है। राजीव गांधी मिशन का मैंने आपको निवेदन किया ही है कि कृषि और पशुपालन मिशन, राजीव गांधी जनसंख्या एवं स्वास्थ्य मिशन, राजीव गांधी जल विकास और संरक्षण मिशन, राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा मिशन, राजीव गांधी शिक्षा और साक्षरता मिशन, ये पांच मिशन हमने बनाये हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनके अन्दर हम लोग जितने भी विशेषज्ञ हैं, उनकी राय लेकर आगे बढ़ेंगे और आपको लगेगा कि वास्तव में जो हमारी सोच है, उसके अनुसार काम हो रहा है।

महंगाई का मुद्दा आपने उठाया है। महंगाई का मुद्दा अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। महंगाई डेढ़-दो साल में बहुत ज्यादा बढ़ी है और अभी भी आशंका व्यक्त की जा रही है। आप और हम अख़बार पढ़ते हैं तो यह भी एक ट्रांसपेरेंसी की बात थी, भले ही आप किसी बात को छिपाओ, और कल फिर महंगाई बढ़े। अगर केन्द्र सरकार ने कहा कल कि महंगाई बढ़ने की सम्भावना हो सकती है, कि बढ़े तो आर्थिक वृद्धि दर बढ़ रही है, इसको हमको देखना पड़ेगा। महंगाई रुकनी चाहिए। हमारी सरकार की तरफ से, चाहे शुद्ध के लिए युद्ध हो, मैं समझता हूं कि एक मैसेज पूरे देश में गया उसका, कई लोगों ने फालो भी किया उसको, छापे भी डाले गये हैं जिस प्रकार से मानिटरिंग की गई है, उनका स्टाक बनाया गया, उसको फिक्स किया, टर्नओवर फिक्स किया गया, उसका असर पड़ा भी था। दालें और आटा बेचने का प्रयास भी किया गया। कल कुछ लोगों को लगा भी है, उससे प्रश्नकाल के अन्दर बात हो रही थी, मैं समझता हूं कि यह तो एक सिम्बोलिक होता है। प्रयास किया जाता है जिससे कि अगर दाल हो, आटा हो, गेहूं हो, आटा मार्केट के अन्दर गया तो डिमांड और सप्लाई की स्थिति के कारण से कुछ महंगाई कम हो सकती है, महंगाई रुक सकती है, इसलिए ये फैसले किये जाते हैं। इन फैसलों का प्रभाव होता है। मैंने कई राज्यों में देखा भी है और यहां भी हुआ है।

यह हमें मानना पड़ेगा कि इसके कारण से उपभोक्ताओं को लाभ भी मिला है। ऐसे प्रयास होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

और जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनके अन्दर आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, राजस्थान वह

(श्री अशोक गहलोत)

राज्य है जहां पर हण्ड्रेड परसेंट टेक आफ किया गया है गेहूं का। चाहे एपीएल का हो, चाहे बीपीएल का हा, चाहे अकाल राहत के अन्तर्गत स्पेशल स्कीम बनाकर गेहूं का आबंटन किया गया हो, वह पूरा गेहूं राजस्थान को मिला है। इस प्रकार से ये फैसले किये गये और इम्पोर्ट करने का प्रयास भी किया गया-दालों का इम्पोर्ट किया गया है, पीली मटर को इम्पोर्ट करने के प्रयास किये जा रहे हैं। तो सरकार अपने तरीके से प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से, अंत्योदय योजना वाले हों, बीपीएल हों, एपीएल हों, इनका विशेष ध्यान रखे, महंगाई कम कैसे हो इसके लिए हम लोग पूरी तरह प्रयत्नशील हैं, यह मैं आपको कहना चाहूंगा।

जमाखोरी, कालाबाजारी का मैंने आपको कहा कि कुछ एक्शन किया गया था, 123 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया राज्य के अन्दर। 2500 मामले दर्ज किये गये, 331 लाइसेंस कैंसिल किये गये, 51 एफआईआर लाज की गई, 100 लोगों के लाइसेंस निरस्त किये गये। इस प्रकार से प्रयत्न हुआ है कि किस प्रकार से महंगाई रुके राजस्थान के अन्दर। अभी दिल्ली में महंगाई को लेकर ही प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई थी तब भी हमने यह बात रखी उनके सामने। चीनी को लेकर कुछ दिक्कत आ रही है, राजस्थान के लिए भी आ रही है, अन्य प्रदेशों में आ रही है। चीनी मिलें कोआपरेट नहीं कर रही थीं, उसका ध्यान भी हमने आकर्षित किया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में उसमें भी कुछ सुधार होगा और अधिक चीनी मिल पाएगी।

सोशल सिक्योरिटी को लेकर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की प्राथमिकता में है। और बाकी तो कई योजनाएं बनी हैं, आप सब को जानकारी है, आपने देखी भी हैं। इस बात की मुझे खुशी है कि जो एक्साइज पालिसी बनी है नई, उसमें हमने कहा कि एक प्रतिशत जो है हम लोग रखेंगे उन लोगों के लिए जो लोग अवैध शराब बनाते हैं। हमारे माननीय सदस्यों ने यह कहा कि आपने शराब की दुकानें कम कर दीं, एक हजार दुकानें हमने कम की थीं और 156 दुकानें वे कम कीं जो स्कूल और मंदिर के पास आई हुई थीं। हालांकि मंदिर में तो आस्था हमारी भी है, आपकी भी है। राम का नाम, हमारे तो सब के नाम के साथ राम लगा हुआ है। परसराम मदेरणा, रामनिवास मिर्धा, रामलाल जाट, रामनारायण चौधरी । (व्यवधान) पर आश्चर्य, दुःख इस बात का होता है कि आपका राम में विश्वास नहीं होने के बावजूद भी राजनीतिक रूप से आपने राम को पकड़ लिया। हमारे दिल में राम है, आपकी

(श्री अशोक गहलोत)

जबान पर राम है। (व्यवधान) आपकी जबान पर राम है खाली, दिल में राम नहीं है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह आपको कैसे पता चला?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): इसलिए पता लगा कि आप लोगों ने राम के नाम पर पूरे देश के अन्दर जो कोहराम मचाया, जो दंगे भड़के, निर्दोष लोग मारे गये, सब कुछ कर दिया, सत्ता में भी आ गये और राम को भूल गये। इसलिए मैंने कहा है। (व्यवधान) छह साल सत्ता में रहे और राम मंदिर गायब हो गया, धारा 370 गायब हो गई, कामन सिविल कोड गायब हो गया। सब गायब हो गये थे, इसलिए मैंने कहा आपको। तो आप निश्चिंत रहो, हम लोग पूरी तरह जागरूक हैं।

एक हमारे जो ट्राइबल भाई हैं उनके लिए वन क्षेत्र में नियमन का जो बड़ा फैसला हुआ भारत सरकार का, उसके अन्तर्गत भी, कटारिया साहब का तो वह डिवीजन है विशेष रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, इनमें 14277 लोगों को तो अधिकार पत्र दे दिये गये हैं। 28 हजार योग्य पाये गये थे और हम उम्मीद करते हैं और निर्देश हमने दिये हैं कि जल्दी ही इस काम को पूरा करें ताकि लोगों का फायदा हो सके। वैसे तो भारत सरकार की योजनाएं जो आई हैं, वे तो आप सब की जानकारी में है, मैं समझता हूं, बड़े रूप में जब से यूपीए गवर्नमेंट बनी है, तब से नक्शा बदल गया है। क्योंकि आपको मालूम ही है कि जब हम सत्ता में थे यहां पर, हम भीख का कटोरा लेकर घूम रहे थे सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर। (व्यवधान) आपकी महारानी साहिबा ने खूब कहा कि भीख मांगते फिर रहे हैं मुख्य मंत्री दिल्ली की सड़कों पर, लोगों को अकाल से बचाने के लिए। हमने कहा, हमारा फर्ज है कि हम तो गवर्नमेंट चाहे एनडीए की हो, वाजपेयीजी प्राइम मिनिस्टर हों, जब भी हमारा फर्ज बनता है, हम जाकर अपनी बात कहें। उसको भीख का कटोरा बना दिया। क्योंकि हम तो पहले ही मैंने कहा आपको उस दिन, याद होगा आपको तो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मुझे पूरा याद है...(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): विराजो, विराजो। पर कम से कम आपके यहां नौबत ही नहीं आई, अच्छा हुआ, क्योंकि महारानी साहिबा कैसे भीख मांगतीं। वह कैसे भीख मांगतीं। हम तो मांगें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान के यहां देर है, अंधेर नहीं। उन्होंने क्या किया, सत्ता पलट गई, यूपीए की सरकार आ गई, एनडीए की चली गई, यूपीए आ गया।

(श्री अशोक गहलोत)

अगर यूपीए गवर्नमेंट नहीं बनती, एनडीए रहती और यहां महारानी साहिबा आ जाती। पता नहीं क्या हो जाता। क्या बर्बादी होती, कोई सोच नहीं सकता। वह तो ठीक हुआ, वह सरकार बदल गई, नीतियां बदल गई, हमारे वक्त में एनडीए गवर्नमेंट थी, एनडीए गवर्नमेंट खुद ही संकट में थी, किसको दोष दें? अधिकांश राज्य सरकारें वित्तीय संकट में थीं, ओवरड्राफ्ट चलते थे, एक-एक के बाद एक, सात दिन में, पन्द्रह दिन में, एक महीने में। और अब देखो, पिछले छह साल से एक स्टेट गवर्नमेंट ओवरड्राफ्ट में नहीं जा रही है, एक स्टेट गवर्नमेंट। जमकर के राज्यों को पैसा मिला है, जम करके। आप लक्की रहे, पांच साल तक आराम से, बिना गिड़गिड़ाये, भीख मांगे सब कुछ चल गया आपका। इसीलिए फिजूलखर्ची की। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...पिछली बार नहीं लिया था।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): इसीलिए फिजूलखर्ची की आप लोगों ने। तीन लाख के लड्डू जो हैं, तिवाड़ीजी, तीन लाख के लड्डू इसीलिए बांटे आपने, एक-एक छोटे कस्बे में तीन लाख के लड्डू। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी फिजूलखर्ची हुई होगी क्योंकि पैसा इतना आ रहा था। फिर भी कर्जे लिये गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मुख्य मंत्रीजी, आपके मुख से शोभा नहीं देता। (व्यवधान) आपके मुख से शोभा नहीं देता, तीन लाख। कहां तीन लाख?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): वह सूचना के अधिकार में दिया गया। (व्यवधान) क्वेश्चन के आंसर हैं, बताऊंगा मैं आपको। आप सोच सकते हैं, जिस प्रकार से खर्चे किये गये उस वक्त में। ऊपर से आपको कोई मनाही नहीं थी, सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मील स्कीम, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, जवाहर लाल नेहरू के नाम से शहरों की रिन्यूअल योजना, ऊपर से नरेगा, आप सोच सकते हैं। जिस रूप से इमदाद मिली है, उसको तो मानना पड़ेगा। हमें दुःख इस बात का हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र में जो संघीय ढांचा है उसके अन्तर्गत आपको मदद मिलेगी, सरकार किसी भी पार्टी की हो भले ही। पर यह कहना कहां तक उचित बात थी कि उनके बाप का पैसा है क्या? यह कहा जाता था, इस बात का हमें दुःख है। यह शिकायत नहीं है कि आप लोगों को पैसा मिला। हम चाहते हैं और अधिक पैसा मिले,

(श्री अशोक गहलोत)

राजस्थान का भला हो। पर कर्जे फिर भी आपने लिये थे। आप वित्तीय प्रबंधन की बात कर रहे थे, तीन दिन पहले, वित्तीय प्रबंधन, इससे बड़ा वित्तीय प्रबंधन क्या होगा? आप बता दीजिये कि आठ-दस हजार करोड़ रुपये तो नरेगा में आ रहे थे आपके...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): प्लान साइज काट रहे हैं...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): क्या बीच में बोल रहे हैं। आप सोच लीजिये, इस रूप में पैसा आ रहा था हर योजना का, उसके बाद में भी आपने कर्जे लिये 34 हजार करोड़ के। अगर पहले का हमारा 56 हजार करोड़ का कर्जा था, आप अगर सौ करोड़ कर्जे कम कर देते, हम मानते, आपका वित्तीय प्रबंधन शानदार था। आपने 56 से बढ़ा करके 84 हजार के कर्जे कर दिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपने एक लाख करोड़ कर दिये इस साल, एक लाख।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अभी तो शुरूआत हुई है। अभी तो शुरूआत ही हुई है। यही मैं कह रहा हूं। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं जब आपको मालूम है कि आपका जो रेवेन्यू है उसका नब्बे प्रतिशत जा रहा है तनख्वाहों में, सैलेरी में, वेजेज में, अन्य खर्चों में जा रहा है। तो आपकी गवर्नमेंट ने इतनी योजनाएं आने के बावजूद भी कर्जे लिये थे या नहीं लिये थे? और आपने हमें कहा, कर्जे चढ़ा दिये, कर्जे चढ़ा दिये। अब आपने क्यों लिये जब आपको इतना पैसा मिल रहा था? आप कम्फर्टेबल थे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हालात ये है जिस प्रकार से इमदाद आपको मिली उसके बाद में हमने कर्जे लिये। आपने दोष दिया केन्द्र सरकार को। आज नरेगा की एक योजना इतनी बड़ी योजना है, आपने पूरी वाहवाही लूट ली कि राजस्थान सबसे सिरमौर है देश के अन्दर।

वास्तव में हमारे केन्द्रीय मंत्री आते थे, यूपीए गवर्नमेंट के थे वो, वह भी सर्टिफिकेट देते थे कि राजस्थान नम्बर वन है। उस वक्त भी मैंने एप्रोच किया था इस बात को, आज भी मैं कहता हूं। सरकार हमारी है, तब भी मैं कहता हूं, यह योजना नीडबेस विशेष योजना है। अगर हम इस प्रकार खर्च करेंगे, जो इसमें किए जा रहे हैं, क्योंकि आपने अकाल राहत के हिसाब से काम शुरू करवा दिये, जाब कार्ड बना या नहीं बना, तब भी आपने काम दे दिये। एक घर में दो तीन जाब कार्ड बना दिये गये, सब कुछ हो गया। पैसे की

(श्री अशोक गहलोत)

लिमिट भी नहीं है। गरीब की जेब में पैसा जाता है, हमें भी खुशी होती है पर अगर बिचौलिये, मेट मान लीजिए या सरपंच, या बेइमान किस्म के लोग फर्जी मस्टरोल भरकर पक्के काम के नाम पर फर्जी मैडल बनाकर अगर साइफन करेंगे पैसा और आप हम लोग चुप बैठे रहेंगे तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। मेरी पीड़ा उस वक्त भी यही थी। इतना 8 हजार करोड़ रुपए आ रहा था, खर्च करना बहुत मुश्किल काम होता है। आपका बजट था 14 हजार करोड़ का, आप उसका पूरे देश में डंका बजा रहे थे कि 14 हजार करोड़ रुपए का आजादी के बाद सबसे बड़ा बजट लेकर हम आये हैं। आप लोग कहा करते थे, आपकी मुख्य मंत्री कहा करती थीं। इतना बड़ा बजट एक तरफ और 8 हजार करोड़ एक तरफ, 6 हजार करोड़ उसमें मिला लें तो 40 परसेंट बजट का खाली नरेगा में पैसा आता था। पैसा खर्च हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। हमारा प्रयास है, मैं आपको इसलिए यह बात कहना चाहूंगा, मेरा प्रयास रहेगा, और फिर मैं कहना चाहता हूं, चाहे सत्तापक्ष के हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें वास्तव में गरीब की जेब तक पैसा पहुंचे। यह सुनिश्चित करने का काम भी हमारा होना चाहिए। तब जाकर यह योजना जिस मंशा से बनाई गई है, उस मंशा से पूरी हो पाएगी, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। जिस प्रकार मैंने कहा, सिस्टम में पैसा चला गया, जैसे पीडब्ल्यूडी के अन्दर था, पीएचईडी के अन्दर, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, बरसों से, आजादी के बाद से एक परसेंट कमीशन, दो परसेंट कमीशन, तीन परसेंट कमीशन फिक्स हो गया वहां पर, अगर इस योजना में ऐसे ही हो गया तो आप सोच सकते हो कि गरीब का क्या होगा, जिसके लिए योजना बनी है उसका क्या होगा। इसलिए हमारा प्रयास है, अभी हमने समिति बनाई है ग्राम पंचायत स्तर पर, जिसमें जेईएन रखा है, सरपंच के अलावा वार्ड पंच, रोजगार सहायक, जेईएन इन सबको हमने रखा है। जिससे कम से कम पांच लोग मिलकर जब साइन करेंगे तब जाकर नरेगा का पैसा उठा सकता है। तो हमारा प्रयास जारी है, मानिटरिंग हम करवा रहे हैं जिला स्तर पर। तो मैं कहना चाहूंगा, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए जिससे यह योजना अपने जिस रूप में बनी, उस रूप में यह कारगर साबित हो सके।

हमने अभी 2 अक्टूबर को यूपीए चेयरपर्सन आई थीं नागौर में पंचायती राज के पचास साल के उपलक्ष्य के अन्दर तब एक घोषणा की थी, हम राजस्थान के अन्दर तमाम पंचायत समितियों में 245 पंचायत समितियों

(श्री अशोक गहलोत)

में 25 लाख रुपए प्रति लागत से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र खोलेंगे। इसी तरीके से 9168 ग्राम पंचायतों में भी 10 लाख रुपए लागत से प्रति ग्राम पंचायत में राजीव गांधी सेवा केन्द्र खोलेंगे। आपने राजीव गांधी पाठशालाएं खतम कर दीं उस वक्त ...(व्यवधान)... पहले मैं अपनी बात कह दूं। मैं तो आपको ही कहूंगा क्योंकि शिक्षा मंत्री आप थे। मैं यह कहना चाह रहा हूं आपको, मैं फिर इस बात को भावुक होकर कहना चाहूंगा, मुझे इसका जवाब दें कि एक योजना चल रही है, आपने यह भी नहीं सोचा, एक तरफ तो राजस्थान दिवस जो आजादी के बाद में अध्यक्ष महोदय, एक बार मनाते हैं एक दिन के लिए मनाते थे, वह शेखावत साहब थे, चाहे हरदेव जोशीजी थे मुख्य मंत्री, चाहे सुखाड़िया साहब थे, एक सिंबोलिक रूप में हम चाहते हैं कि हमारा संकोच रहे कि राजस्थान दिवस हम मना रहे हैं और उसकी खुशी मना रहे हैं। एक दिन नहीं सात दिन राजस्थान दिवस में नाच गाने होते रहे, कभी हेमामालिनी आ रही हैं, कभी और कोई आ रहा है, डांस हो रहे हैं, हम अखबारों में पढ़ते हैं। अच्छी बात है। आम जनता का इन्वाल्वमेंट नहीं था तो आपको जानकारी होनी चाहिए थी, वे राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं थीं। राजस्थान के गठन को 50 साल हुए थे उसके उपलक्ष्य में नाम किया गया था स्वर्ण जयंती पाठशाला, राजीव गांधी नाम हटा दिया तो कोई बात नहीं, अब स्वर्ण जयंती बना दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। मैथ्यू साहब उस समय सैक्रेटरी थे, ईजीएस की स्कीम थी और ईजीएस स्कीम को आपकी सरकार में स्वर्ण जयंती पाठशाला का नाम दिया था और उसमें बी.डी. कल्ला साहब का आर्डर था कि हम इनको प्राथमिक पाठशालाओं में बदलेंगे। यह पत्र मैंने एज ए मिनिस्टर विधान सभा में पेश किया था और मैंने कहा था, कल्ला साहब, यह आपका आर्डर है, हमारा आदेश नहीं है। हमने राजीव गांधी पाठशालाओं का नाम नहीं बदला। हमने पाठशालाएं खोलीं, केवल एक बात जो आपने कही, शिक्षा संकुल था, हमने केवल उसका जो बाहर का था उसमें राधाकृष्ण परिसर लगाया। शिक्षा संकुल आपके लगाए हुए वैसे के वैसे थे, राजीव गांधी नाम के थे वो पड़े रहे। मैंने यह कहा था कि भारत रत्न थे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका नाम हटाने की हमारी कोई मंशा नहीं थी। इसलिए राजीव गांधी पाठशालाओं का नाम हमने नहीं हटाया, वह शिक्षा मंत्री के नाते बी.डी. कल्लाजी का आर्डर था, यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अब बी. डी. कल्लाजी को दोष रहे हो, वह तो हाउस में हैं नहीं यहां पर। स्वाइन फ्लू की बात हमने की यहां पर। आप जानते हो कि जब स्वाइन फ्लू की आई प्रदेश के अन्दर तब प्रधान मंत्रीजी ने केन्द्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद साहब को कहा कि पूरे डिपार्टमेंट में ब्रेफ्रिंग होनी चाहिए। जिस रूप में यह सम्भावना थी, पूरे देश के अंदर जो खबर आ रही थी मैक्सिकों या अमेरिका से, उसी रूप में एडवाइजरी जारी हुई थी। हमने लोगों को उसी रूप में, हमारे हैल्थ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उन्होंने बाकायदा मानिटरिंग की, उसकी मीटिंग की और पहली बार लैब स्थापित की राजस्थान के अन्दर एसएमएस के अन्दर, डैंजर्ट मेडिसिन सेंटर जोधपुर में है केन्द्र सरकार का, हमने जिसको कन्वर्ट कराया वहां पर लैब के लिए। एक अलग से लैब होती है इसके लिए। फिर हमने आदेश जारी किए, तमाम डिवीजन हैडक्वार्टर पर लैब बननी चाहिए हमेशा के लिए, काम में आ जाएगी। जितने आइसोलेशन वार्ड बनाने थे, 60 वेंटीलेटर खरीद लिये गए। सब जगह भेजे गये। मैं समझता हूं कि अगर सरकार ने समय पर कदम नहीं उठाये होते, हो सकता है, इस प्रकार की महामारी थी, मुझे तो मालूम है, जोधपुर में कई लोग मरे हैं। जोधपुर में नहीं मरे हैं, पाली के थे, सिरोही के भी थे, नागौर के भी थे, बाड़मेर के भी थे। जो काम करते थे वहां पर लौट कर वापस आते थे और गांव में मालूम नहीं पड़ता था, समझते नहीं थे कि बीमारी क्या है। यह आपने देखा होगा कि कितना बड़ा लम्बे समय तक विज्ञापन केम्पेन किया गया जिससे कि कम से कम एक इंसान की जान बचनी चाहिए। यह सोच कर मैं समझता हूं कि जो डाक्टर ने हालात, आप जानते हैं, डाक्टर खुद को, हरेक आदमी को अपनी जान प्यारी होती है। तब भी मैं समझता हूं कि चाहे किसी हास्पिटल में डाक्टर थे, उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने पूरा प्रयास किया बचाने का, उसके बावजूद मैं समझता हूं कि 150-170 लोगों के आसपास डैथ हुई। वह बहुत दुर्भाग्य था हमारे लिए, पर रुक गया मामला, आगे बढ़ा नहीं। यह चिंता का विषय बना रहा उस वक्त हमेशा, हम सबको लग रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है।

प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग- प्रशासन शहरों के संग में आपकी शिकायत रही जो एक लिमिट तक सही हो सकती है। इसको मैं स्वीकार करता हूं। क्योंकि हमारे खुद के जो माननीय सदस्य हैं, हमारे खुद के कार्यकर्ता की भी शिकायत है कि इसमें जितना हम चाहते थे वह काम नहीं हो पाया। उसका कारण था क्योंकि चुनाव पंचायत के किए गए, माननीय अध्यक्ष महोदय, और इलैक्शन कमीशन की इच्छा थी कि इसे पोस्टपोन कर दें। पूरा

(श्री अशोक गहलोत)

कैम्पेन पोस्टपोन कर दें। हमने देखा, एक बार जब घोषणा कर दी इसकी तो कलक्टर बिजी रहेंगे गांव के अन्दर, तो बाकी काम हो जाएंगे और जो काम बचे हुए हैं उनके लिए वापस हम कैम्पेन कर देंगे। तो मैं कहना चाहूंगा आपको इस कैम्पेन में जो काम हुए उनका हम विश्लेषण करेंगे और जहां देखेंगे कि कोई कमी रही है तो वापस कैम्पेन कभी करेंगे। जिससे कि बचे हुए काम पूरे हो सके। इसमें तमाम शहरों की कच्ची बस्तियों का 15 अगस्त,2009 को हमने घोषणा की है कि नियमन करेंगे। तो उस काम में वक्त लगेगा। सर्वे भी हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि वह काम हम लोग समय पर करेंगे और कच्ची बस्तियों का विशेष ख्याल रखते हुए पूरे इस अभियान को उस रूप में चलाएंगे जिसमें काम कोई बाकी नहीं रहे। यह मैं आपको कहना चाहूंगा। प्रशासन गांव के संग में जैसे पहले हमने जब सरकार थी तब भी, एक अभियान चलाया था, उसी रूप में गांवों की समस्या के समाधान के लिए इस कैम्पेन को हम शुरू करेंगे जल्दी, हमने इसकी 1 अप्रैल की डेट दे रखी है। 1 अप्रैल को करेंगे या बाद में करेंगे, हम बाद में इसकी घोषणा करेंगे, क्योंकि अभी पंचायती चुनाव हुए हैं। एक राय बनती जा रही है कि एक बार सबके ट्रेनिंग कोर्स चल रहे हैं, ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है वह पूरा हो जाए। उसके बाद में इसको शुरू करें।

एक पाइन्ट आया था कि इस बार बजट की घोषणाएं जो हैं वे पूरी हुई नहीं है। उसके लिए भी आप लोग बहुत शिकायत कर रहे थे। मैंने कुछ आंकड़े निकलवाये हैं,

343 घोषणाएं हुई थीं बजट के अन्दर, 278 घोषणाएं तो पूरी हो गईं और बाकी जो हैं वो प्रोसेस में हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, हमारा बजट जुलाई में पेश हुआ इसलिए टाइम बहुत कम मिला, 5-6 महीने मुश्किल से मिले हैं इसलिए यह कमी रही है। फिर भी 81 प्रतिशत इसमें काम पूरे हुए हैं, घोषणाएं पूरी हुई हैं। जब आपका शासन था उसको मैं कंपेयर करना चाहूंगा, उसके अन्दर 2004-05 में 89 प्रतिशत घोषाणाएं पूरी हुई थीं, 2005-06 में 83 प्रतिशत हुई थीं 2006-07 में 73 प्रतिशत हुई थीं, 2007-08 में 67 प्रतिशत हुई थींऔर 2008-09 में सिर्फ 56 प्रतिशत हुई थीं। जाते-जाते आप लोगों ने खाली घोषणाएं कीं। घोषणाएं घोषणाएं ही रह गईं, कुछ काम नहीं हो पाया। इस प्रकार से ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 56 से भी कम कर दो, क्या फर्क पड़ता है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): ये तो आपके और हमारे गवर्नमेंट के जो आंकड़े होते हैं, वो तो कामन ही होते हैं, अलग तो आते नहीं हैं। कोई बढ़ा कर तो दे नहीं सकते हाउस के अन्दर। इसलिए मैं आपको यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी समस्या है वो तो आपके और हमारे सामने है, हमारा और आपका प्रयास यह होना चाहिए कि हम किस प्रकार से उन कामों को पूरा करें।

उप नेता महोदय ने कुछ बातें रखीं मेरे सामने, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि सब बातें तो मैं आपके सामने नहीं रख पाऊंगा जो आपने सवाल उठाये हैं, हो सकता है कुछ पाइंट मेरे पास अभी नहीं हों तो मैं आपको अलग से बताऊंगा, ब्रीफ करूंगा। पर इतना मैं कहना चाहूंगा कि ये जो छोटी-छोटी बातें आपने कही हैं, कि निमंत्रण पत्र में नाम नहीं रहा, मान लीजिये, तो जहां तक मैं समझता हूं, हमारा परम्परा तो फिर भी है, 'फिर भी है कह रहा हूं कि यहां भार्गव साहब थे...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इनके क्षेत्र में जो दो उद्‌घाटन हुए, शिलान्यास आपके द्वारा हुआ। एक तो शिलान्यास हुआ और दो उद्‌घाटन हुए, उनमें कालीचरण जी का और घनश्याम जी तिवाड़ी का नाम लिखवाया। इनको निमंत्रण दिया गया तो नहीं आये थे। कालीचरण जी आये, आप नहीं आये।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): हां, बिलकुल ठीक कह रहे हो आप। हमें इस बात का भय है आपसे, क्योंकि आप दामाद किसके हो, हमें मालूम है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इनसे भयभीत ही रहना। ...(व्यवधान)...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप दामाद किसके हो, हमें मालूम है। आप यह काम जल्दी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो, हम यह भी जानते हैं। हम आपसे सावचेत रहते हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उनको मात दे दी आपने, ये जिनके दामाद हैं उनको।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो तो ठीक है तिवाड़ी साहब, यह तो अच्छा हुआ कि इनकी कांशस ने कहा कि राज्य के हित में हमें कांग्रेस पार्टी की सरकार में जाइन करना चाहिए। मुझे खुशी है कि वो आये और दिल से आये। मुझे इस बात की खुशी है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि बिना शर्त आये। हिन्दुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं हुआ

(श्री अशोक गहलोत)

होगा कि बिना शर्त आये ...(व्यवधान) और राज्यों में तो जिस दिन आते हैं उसी दिन शपथ दिलानी पड़ती है। एक साल तक शपथ नहीं हुई इन लोगों की।

बोलेरो की बात कही,तिवाड़ी साहब, बोलेरो गाड़ी राजस्थान में ही नहीं चोरी हो रही है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, आप समझो बात को। आप भी जानते हैं, मैं क्या कहूं। मैं यूपी का इंचार्ज था, यूपी बड़ा स्टेट है, वहां पर रोज गाड़ियां चोरी हो रही हैं। बोलेरो गाड़ी चोरों के लिए इतनी पापुलर है कि कोई सोच ही नहीं सकता। बाकी चोरी सब जगह हो रही है इसमें कोई दो राय नहीं हैं। हमारे यहां भी हो रही हैं, हम पकड़ने का प्रयास करेंगे। आगे भी करेंगे, यह मैं कहना चाहता हूं। यह आपने जो बात कही है इससे वास्तव में मैं दुःखी हूं कि कंट्रोल रूम के सामने नरमुण्ड डाला गया, इसको मैं बड़ी घटना मानता हूं। कानून-व्यवस्था की स्थिति बनी रहे राजस्थान के अन्दर, इसमें हमारी सरकार पूरी सख्ती से काम करेगी। इकबाल कायम रहे, यह मैंने आपको पहले ही कहा। आपने ठीक कहा कि मेरे क्या शब्द होते हैं, बिना इकबाल के काम चलता नहीं है। सरकार का इकबाल भी रहे और पुलिस प्रशासन का भी रहे, जिला प्रशासन का भी रहे इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा यह मैं आपको कह सकता हूं कि आप निश्चित रहें तो आगे हम लोग करेंगे अब कोई घटना हो जाती है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। यह तो आप मानेंगे कम से कम एक साल निकल गया शांति के साथ, जब से सरकार बनी ...(व्यवधान)... जब से सरकार बनी, कम से कम यह तो मानेंगे आप। आपके राज में पूरे पांच साल ही कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं धरने हो रहे हैं, कहीं रेल पटरियों पर लोग बैठ रहे हैं। आप बताओ, कोई एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, 46-46 दिन रेल पटरियों पर बैठे रहे लोगबाग। या तो फिर एक इंसान नहीं मरता तो समझ में आती बात। आप बताइये, 21 बार फायरिंग हो गई, 90 लोग मारे गये थे। और हमने आते ही तो चाहे गुर्जर समाज हो, मीणा समाज हो, उनको एक करने का प्रयास किया। जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए यह प्रयास किया है कि सब जाति धर्म के लोग मिल कर रहें। कई तरह के सांप्रदायिक धरने भी होते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि धरना समाप्त कैसे हो, यह हम लोग प्रयत्न करते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं, एक साल पूरा हुआ, करीब-करीब एक साल दो महीने हो

(श्री अशोक गहलोत)

गये। कम से कम वो घटनाएं नहीं हुई जो आपने स्पेशल कैटेगरी बनाई अलग से पांच प्रतिशत की पता नहीं, किसकी बुद्धि काम की आपकी की, या किसी और की। आप ही की की?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था वो आपका।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दुर्भाग्यपूर्ण नहीं था वो सही फैसला था।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपने पांच प्रतिशत से 14 प्रतिशत मिला दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, जरूरी था वो। उन लोगों ने कोई अन्याय नहीं किया कि ब्राह्मण, बनिया और राजपूत जो गरीब आदमी हैं उन्होंने कोई अन्याय कर दिया।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): नहीं-नहीं, मैं सहमत हूं इससे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपने ही भेजा था वो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): बिलकुल ठीक कह रहे हो आप, वो ही पाइंट मैं कह रहा हूं। जब हमारी सरकार थी, पहली बार देश के अन्दर, पहली बार मुल्क के अन्दर हमारी गवर्नमेंट ने 14 प्रतिशत के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया। तिवाड़ी साहब, यह तो हम जानते हैं, कि हमने प्रस्ताव पास कर दिया और वाजपेयी साहब को निवेदन किया कि इसका संविधान में संशोधन करवायें। हम जानते हैं संविधान के संशोधन के बगैर इंपासिबल है, वो जानते हैं संविधान की मूल भावना उसमें नहीं आती है, हम इस बात को जानते हैं। हमने आपकी तरह पेश नहीं किया था, हमने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वैस्ट की कि आप इसके लिए अलग से कार्यवाही करें, संविधान में संशोधन करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अब आप उस बिल के विरोध में हैं न, साहब, यह तो कह दो।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) असत्य वाहवाही लूटने की कोई आवश्यकता नहीं है ...(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपने जो है ...(व्यवधान)... बैठ जाइये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): गुर्जर समाज का मामला है, समाज के मामले में किसी भी कीमत पर असत्य वाहवाही नहीं लूटने देंगे। इनकी केन्द्र में सरकार है, अगर पांच प्रतिशत की बात रखते हैं तो उसको नवीं अनुसूची में डलवाइये।

श्री अध्यक्ष: विराजिये आप।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): और रही लड़ाइयों वाली बात, तो आपने अगर नहीं किया तो फिर आंदोलन को तैयार हैं, हम, सम्भाल लेना आप।

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यह बहुत ही गम्भीर बात है क्योंकि 5 प्रतिशत के साथ में 14 प्रतिशत मिला दिया। हम लोगों ने बिल पेश कर दिया। मैं भी पक्ष में हूं कि गरीब चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे कोई कौम का आदमी हो, गरीब गरीब ही होता है, गरीब की जात नहीं होती है, मैं इसके पक्ष में हूं।

इसलिए हमने सोच समझ कर वह फैसला किया था। पर आपने जो 5 परसेंट की गुर्जर, गाड़िया लुहार, बंजारा की कैटेगीरी बनाई थी, उनको 5 परसेंट रखते तो हो सकता है हाई कोर्ट उसको फिर भी मंजूर करता, एग्जामिन करता। कई राज्यों में ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अभी तक पैंडिंग है सुप्रीम कोर्ट तक चल रहे हैं तो हो सकता है, वह मामला रुक जाता। पर आपने 19 परसेंट कर दिया, 19 परसेंट और 5 परसेंट में बहुत फर्क है। राज्यपाल महोदय भी आप जानते हो एक साल तक तो मैंने बिलकुल मना कर दिया, फिर हम लोग, आप लोग सब लोग उनसे मिले, गुर्जर समाज के नेता मिले, आखिर में उन्होंने बात को स्वीकार किया, राज्य के हित में सोच कर कि अनावश्यक रूप से और कोई घटना दुर्घटना नहीं हो जाए, उन्होंने मंजूरी प्रदान की। आप भी जानते थे, सब जानते थे कि चांसेज 100 प्रतिशत रहेंगे कि हाई कोर्ट में स्टे हो जाएगा और वह स्टे हो गया। गुर्जर समाज की मांग है कि हमारे इतने लोग मारे गये

(श्री अशोक गहलोत)

थे, हमारा इतना लम्बा संघर्ष चला, हमने इतना बड़ा त्याग कर दिया कौम के लिये और वह मामला हाई कोर्ट में अटक गया। उनकी मांग है जो वैकेंसी निकली हुई है 70 हजार के आस पास हमने पिछले बजट में डिक्लेयर की थीं। 71 हजार के आस-पास वैकेंसी हैं उसमें अभी तक 10 हजार करीब पूरी हुई होंगी बाकी अभी तक पैंडिंग चल रही हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का स्टे आ गया इस कारण से हम आगे नहीं बढ पाये। अब स्थिति यह है, उनकी मांग है कि जब तक हमें नहीं मिले आप किसी को मत दो। यह तो सम्भव नहीं हो सकता। तो हमें वह प्रोसेस शुरू करना पड़ा। मैं कहना चाहूंगा कि यह विषय आज के दिन कोई फैसला करने वाला नहीं है। यह आपके, हमारे, सबके सोचने का विषय है कि कैसे हम कोई रास्ता निकालें जिससे कि इस समस्या का समाधान हो। हम चाहेंगे, राजस्थान के हित में क्या हो, उस पर हम सब विचार करें इसलिए मैं यह मुद्दा आपके सामने रख रहा हूं।

बाकी आपने 2-3 घटना बताई हैं, मेवाड मिल के बारे में आपने कहा। मेवाड़ मिल के बारे जैसे ही मुझे उस दिन खबर लगी तो मैंने प्रिंसिपल सैक्रेटरी, इंडस्ट्री को फोन किया, कहा कि जानकारी प्राप्त करें। हमारे एडवोकेट जनरल की राय ली, सबकी राय हमारे सामने यह आई कि इसमें हाई कोर्ट का फैसला है, उसमें सरकार दखल नहीं कर रही है, सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझे कोई तथ्य देंगे कि सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, उसको दिखवा सकती है, उसको रुकवा सकती है, आगे की कार्यवाही रुक सकती है तो आप मुझे बता दीजिए मैं उसके लिये तैयार हूं। कमेटी बनाना चाहें तो कमेटी बना सकते हैं, जैसा आप कहोगे मैं तैयार रहूंगा। पर किसी कीमत पर पब्लिक को नुकसान नहीं हो। यह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह मैं आपको कहना चाहूंगा।...(व्यवधान)... लंकेश, चुप रहो।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आपको धन्यवाद देना चाहिये कि मैं आज चुप बैठा हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, धन्यवाद तो इस बात का दीजिए कि इतनी बडी लंका का लंकेश बना दिया आपको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह आपके स्तर का शब्द नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
आपकी गरिमा के अनुसार शब्द नहीं था। कृपा करके इस प्रकार का शब्द बोलकर आप इसको हल्का मत बनाइए।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): ऐसा है, उदयपुर से आने वाले जो माननीय सदस्य हैं यह बहुत भावुक आदमी हैं, दिल से बोलते हैं और मैं इनकी बहुत कद्र करता हूं, परन्तु यह जो शब्द है वह कोई मैंने पहली बार यूज नहीं किया है। पूरे हाउस के साथ फार्मल, इनफार्मल जब भी मिलते होंगे लंकेश के साथ तो हमारे संबंध उनके साथ अलग तरह के हैं, आप चिंता मत करो। मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी। अगर यह बात जो आपने कही है, वह लंकेश कहेंगे तो मैं मेरे शब्द वापस ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा .....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं यह कह रहा हूं, साहब, कि लंकेश जो है वह तो अशोक वाटिका में ही रहता है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): तभी तो मैं नाम ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य लंकेश अशोक वाटिका में नहीं रहता है, अशोक वाटिका में तो सीताजी रही थीं, वह तो लंका में ही रहता है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय उप नेता महोदय ने जो दूसरा पाइंट उठाया था 222 करोड़ रुपये शराब वाला, उसके लिये मुझे बताया गया कि आबकारी के बकाया में छूट की यह तीसरी योजना है, तीसरी बार योजना बनी है। पूर्व में भी इस तरह की दो योजनाएं आई थीं। 2006-07 में गत सरकार ने इस तरह की योजना की घोषणा की थी। इस छूट से ठेकेदारों को कितना लाभ हुआ, यह अभी नहीं कहा जा सकता। योजना की घोषणा 16.12.09 को हुई है। ...(व्यवधान) ...आगे पूरी बात आप सुन लीजिए। विभाग बनने से लेकर अब तक, एक्साइज डिपार्टमेंट जब से बना है तब से लेकर अब तक कुल बकाया 220 करोड़ है। विभाग बना होगा 30-40 साल पहले या 25 साल पहले बना होगा, तब से लेकर 220 करोड़ के आंकड़े हैं। आप 222 करोड़ के आंकड़े कहां से लेकर आ गये?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने दिया है कि तीन जिलों में-कोटा में, हनुमानगढ़ में और एक और जिला है जिसमें 28 करोड़, 22 करोड़ और 30 करोड़, वह लिस्ट है जिसमें उनको राहत मिलने वाली है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): इसमें यह भी लिखा गया है कि इस योजना में दी गई छूट 220 करोड़ नहीं है। योजना पूरी होने पर पता लगेगा कि वास्तव में कितनी छूट मिली है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसे आप जरूर दिखवा लें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): इसको और दिखवा लेते हैं। तीसरा आपका पाइंट था माथुर कमीशन का। माथुर कमीशन आपको सबको मालूम है कि हमने कैम्पेन में और कैम्पेन के पहले पांच साल तक आरोप लगाये थे आपके तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय पर, तत्कालीन सरकार के जो कारनामे थे, रामबाग होटल का मैंने आपको उदाहरण दिया, जो जो शिकायतें उस वक्त हुई थीं, जिस प्रकार के आरोप लगे, मैं नहीं समझता हूं कि राजस्थान की हिस्ट्री में कभी भी सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने अपने मुख्य मंत्री पर खुले आरोप लगाये हो, बिना कैबिनेट को विश्वास में लिये फैसले हो रहे हों, सेज में गड़बड़ हो रही हो, पता नहीं कितने ही उदाहरण हैं जो आपके सामने रखूं। मैं वापस क्यों रिपीट करूं पूरे हाउस को मालूम है, रिकार्ड में आया हुआ है। मैं उन बातों को नहीं छेड़ना चाहता था, अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने कहा कि हमारे ऊपर यह आरोप लगा कि आपने यह आरोप गलत लगाया है। मैंने कहा कि गलत लगा है ता आप खंडन कर दो, हम चुप हो जाएंगे। आपने लंदन के मकान की बात की, मैं कहना चाहूंगा, मैंने अभी एक महीने पहले कहा कि अगर खंडन आ जाता तो हमें मालूम पड जाता कि यह सच्चाई है तो हम चुप हो जाएंगे। अजयपाल सिंह आपके हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन बने, सिंघवी साहब आपके स्वायत्त शासन के मिनिस्टर थे, उनके खुद के प्रोजेक्ट या उनके रिश्तेदार के प्रोजेक्ट बंद हो जाएं, बंद हो जाएं तो कोई बात नहीं आप उन्हें जेल भेज देते, बंद क्यों किये गये यह बताये, बंद करके वापस शुरू क्यों कर दिये गये, क्या सौदेबाजी हुई? इस प्रकार के आरोप हम पहले दिखवा लेते तो मुझे बता दीजिए, क्या हमारा दायित्व नहीं था कि हम माथुर कमीशन बनाते?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): फेल हुए न आप?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): देखिए जुडीशियरी का सम्मान सबको करना पडता है, जुडीशियरी के ऊपर कोई नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जुडीशियरी ने यह कहा कि आपने गलत और असंवैधानिक काम किया है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यह आपकी चूक हो रही है क्योंकि आप तो बहुत पढ़ने-लिखने वाले व्यक्ति माने जाते हैं, इसमें आपकी कहीं चूक है। आप कहो तो जो डबल बैंच का फैसला है वह आज रात को ही आपको भेज देता हूं, आप पढ लीजिए। उसमें लिखा है, यह कमीशन बिलकुल ठीक बनाया गया है। शुरूआत यहां से की गई है। कमीशन के बारे में कोई नुक्ताचीनी उन्होंने नहीं की है। उन्होंने कहा, सरकार को अधिकार है कमीशन बनाने का। फिर उन्होंने कहा, इसमें खर्चा बहुत होगा, कमीशन रिपोर्ट देगा। हमने कमीशन इन्क्वायरी एक्ट में नहीं बनाया था। यह हमने जानबूझ कर नहीं बनाया। हम नहीं चाहते, राजस्थान में भी पंजाब और तमिलनाडु की तरह परम्परा हो, कि पूर्व मुख्य मंत्री को वहां जेल में डाला गया, अरैस्ट किया गया, तमाशे हुए। हम नहीं चाहते हैं और हम ऐसी गलती करना चाहते भी नहीं थे कि जब तक कोई प्रूव नहीं हो जाए किसी को सज़ा दे दो, खुद ही पुलिस को भेज कर। यह हमारे सोच में नहीं है। जानबूझ कर हमने कहा, प्रशासनिक आदेश, हमने कहा था बदले की भावना से सरकार कोई काम नहीं करेगी, नंबर वन। हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। हम चाहते हैं कि चाहे भाई भतीजा वाद हो, चाहे सच्चाई हो, चाहे दलाली हो जो भी हो, जिस प्रकार के किस्से- कहानियां थे कम से कम मैं खुद, मेरे मंत्रिमण्डल के साथी और आने वाली सरकारें भी, कम से कम कमीशन रिपोर्ट आएगी कि कहां-कहां गलती हुई, कहां-कहां प्रक्रिया में गलती हुई, कहां-कहां जानबूझकर गलती हुई, आने वाली सरकारों के मंत्री, मुख्य मंत्री भी इस चिन्ता में रहेंगे कि हम कोई गलती नहीं कर बैठें। मेरा पहले दिन से ही यह बराबर वर्जन रहा है उसी रूप में मैंने वह कमीशन बनाया, उसी रूप में उसकी प्रोसिडिंग हुई। अनफोर्चुनेटली निर्णय हो गया डीबी का। अब आगे गवर्नमेंट तय करेगी, वह एसएलपी में जा रही है तो क्या फैसला होता है । मेरे कहने का मतलब यह है कि दुर्भावना हमारी फिर भी नहीं थी। आप जो यह कह रहे हैं कि उसमें ऐसे मैम्बर्स ले लिए, मैंने तो कहा था कि ऐसे जिनकी मैम्बर्स इन्टीग्रिटी पैंतीस साल से अच्छी रही- आईएएस हो, आईपीएस हो, हमने जाबूझकर उनको रिकवैस्ट करके लिया। अब हाई कोर्ट का स्टे होना अलग बात है। पर सरकार की मंशा आज भी यह नहीं है कि बदले की भावना से काम करे, यह मैं कहना चाहूंगा आपको, लम्बी बात नहीं कहते हुए। काफी लम्बा बोल गया हूं मैं।

हमारे मित्रों ने जो यहां पर सवाल उठाये हैं उनको मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो-जो भावना प्रकट की है और जो-जो कमियां आपने बताई हैं

(श्री अशोक गहलोत)

सरकार के फैसले में, आप खुद देखेंगे कि सरकार के हर फैसले में, आने वाले फैसले में आपको लगेगा कि आपकी भावनाओं को, आपके जो सुझाव हैं उनको समाहित किया गया है। हम चाहेंगे कि हम सब पक्ष और विपक्ष के जितने साथी हैं, उन सबकी जो भावना थी हाउस में, मैं समझता हूं कि वह उनके अपने फीड बैक के अनुसार रखी हुई होगी, हम उनको गम्भीरता से लेंगे और प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग हल करें, किस प्रकार से गुड गवर्नेस इनको दें। यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद, जय हिन्द।

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि डा. रघु शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(व्यवधान) क्यों, आपको क्या तकलीफ है, आपको करना है क्या?

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2010 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.52 बजे दिनांक 9 मार्च, 2010 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

एकीकृत आवास एवं कच्ची बस्ती सुधार योजनान्तर्गत नगर परिषद पाली की बस्तियों में पाइप लाइन

52. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद पाली की किन-किन बस्तियों में एकीकृत आवास एवं कच्ची बस्ती सुधार योजना में पेयजल हेतु कितनी-कितनी राशि की पाइप लाइन कब-कब बिछवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पाइप लाइन से पानी का वितरण शुरू कर दिया गया? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों एवं अब पानी वितरण कब तक शुरू करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) नगर परिषद पाली द्वारा एकीकृत आवास एवं कच्ची बस्ती सुधार योजना (IHSDP) के अन्तर्गत 7 कच्ची बस्तियों में पेयजल हेतु पाइप लाइन बिछाई गई है। बस्तीवार विवरण संलग्न है।

(2) नगर परिषद पाली द्वारा बिछाई गई पाइप लाइन को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग पाली को हस्तान्तरित किये जाने हेतु लिखा जा चुका है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की वर्तमान में विद्यमान जल वितरण प्रणाली से परिषद द्वारा पाइप लाइन को जोड़ कर इन बस्तियों में जल वितरण शीघ्र शुरू करवाने के प्रयास किये जा रहे है।

कार्यालय नगर परिषद पाली

नगर परिषद पाली द्वारा एकीकृत आवास एवं कच्ची बस्ती सुधार योजना (IHSDP) में पेयजल व्यवस्था हेतु कच्ची बस्तियों में बिछाई गई पाइप लाइनों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	बस्ती का नाम	व्यय राशि	कब बिछाई गयी
1.	शहीद भगतसिंह आवासीय योजना	(A) 1481245.00 (B) 311880.00	दिसम्बर 2007 अप्रैल 2008
2.	जोगमाया की ढाणी	185650.00	जनवरी 2008

क्र. सं.	बस्ती का नाम	व्यय राशि	कब बिछाई गयी
3.	नया गांव	(A) 737195.00 (B) 121965.00	जनवरी 2008 मार्च 2008
4.	सुभाष नगर 'बी'	(A) 425350.00 (B) 208440.00	फरवरी 2008 मार्च 2008
5.	सरदार पटेल नगर	(A) 99875.00 (B) 37350.00	फरवरी 2008 मार्च 2008
6.	तेली कालोनी	114915.00	फरवरी 2008
7.	राम रहीम कालोनी	205510.00	मार्च 2008

कोटा जिले में ''सेज'' की स्थापना हेतु भूमि का चयन

53. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने कोटा में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये मंडाना के समीप स्पेशल इकोनोमिक जोन ''सेज'' स्थापित करने का निर्णय लिया हैं? यदि हां, तो उक्त के संबंध में भूमि अवाप्ति से अब तक क्या प्रगति हुई?

(2) क्या यह भी सही है कि मंडाना के पास स्थापित होने वाला सेज किसानों की कृषि योग्य भूमि पर है? यदि हां, तो किसानों को उनकी कीमती जमीन का रीको द्वारा कितना मुआवजा देना तय किया गया है?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने किसानों की मांग पर कृषि योग्य भूमि पर से सेज की योजना को निरस्त कर दिया है? क्या भविष्य में कोटा में अन्य किसी स्थान पर सरकार की सेज लाने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक और कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस संबंध में अवाप्तधीन भूमि का ड्राफ्ट अवार्ड अनुमोदन हेतु राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां। भूमि अवाप्ति हेतु ड्राफ्ट अवार्ड राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) किसानों की मांग पर इस प्रकरण की राज्य सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है।

बाड़मेर जिले की ढाणियों एवं बस्तियों को सड़कों से जोड़ने हेतु मानदण्डों में शिथिलता

54. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतु) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मरूस्थल एवं आदिवासी क्षेत्र में ढाणियों एवं मजरों को सड़कों से जोड़ने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या सरकार जिला बाड़मेर की ढाणियों एवं बस्तियों को जोड़ने हेतु निकटतम दो-तीन ढाणियों का कलस्टर बनाकर मानदण्डों में शिथिलता प्रदान कर सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विधान सभा क्षेत्र बायतू में प्रस्तावित ढाणियों एवं बस्तियों की सूची सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मरूस्थल एवं आदिवासी क्षेत्र में वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 250 व अधिक आबादी की बसावटों (ढाणियों एवं मजरों) को डामर सड़क से जोड़ने की योजना बनाकर भारत सरकार को माह अक्टूबर एवं नवम्बर, 2009 में भेजी गई है। जिसके अन्तर्गत 4921 बसावटों को लाभान्वित करने हेतु कुल रु. 3224.82 करोड़ लागत की 4828 सड़कों, जिनकी लम्बाई 14581.09 किमी. होगी, का निर्माण करा ढाणियों एवं मजरों को डामर सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मार्ग दर्शिका के अनुसार बाड़मेर जिला सहित राज्य के सभी जिलों के लिये 500 मीटर की परिधि के अन्दर स्थित ढाणियों का कलस्टर बनाकर उन्हें डामर सड़कों से जोड़ने की योजना बनाई है। योजना भारत सरकार को उपरोक्तानुसार माह अक्टूबर व नवम्बर 2009 में स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है एवं इनका निर्माण भारत सरकार से स्वीकृति पर निर्भर करेगा। अत: योजना के मानदण्डों में शिथिलता प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बायतु में ढाणियों एवं मजरों को डामर सड़क से जोड़ने हेतु प्रस्तावित कार्यों की सूची परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

बायतु विधान सभा क्षेत्र (जिला बाड़मेर) के केन्द्र सरकार को भिजवाये गये बसावटों (ढाणियों एवं मजरों) को डामर सड़क से जोड़ने के प्रस्ताव

(2001 की जनगणना के आधार पर 250 व अधिक की आबादी)

क्र.सं.	बसावट का विवरण		लम्बाई (कि.मी.)	राशि (रु. लाखों में)
	बसावट का नाम	जनसंख्या		
1	सियागगों की ढाणी	425	4.00	68.93
2	गुन्दा नाड़ी (गुदावाड़ी)	319	2.00	38.13
3	सुथारों की ढाणी	299	3.50	71.58
4	शोभानी गोदारों की ढाणी	275	4.00	90.30
5	कड़वासरों की ढाणी	260	4.00	70.43
6	मेघवालों की ढाणी	258	7.00	114.74
7	महेन्द्राणियों की ढाणी	257	6.00	122.22
8	भाटियों का वास	252	4.00	68.16
9	करनोटों का खेड़ा	250	3.00	52.94
10	जाटों की ढाणी	250	4.00	72.22
11	कुम्हारों की बस्ती	250	3.00	57.78
12	राजपूतों की ढाणी	250	4.00	70.06
13	बैरड़ियों की ढाणी	250	2.00	37.95
14	मेघवालों की ढाणीयां	250	5.00	80.03
15	कुम्भारों की ढाणी	250	3.00	49.69
16	साईयों की ढाणी	262	1.50	27.59
17	सुदलरियों की ढाणी	370	4.00	80.54
18	खाजूराणों की ढाणी	354	5.00	103.00
19	गोदारों की ढाणी	303	4.00	77.66

क्र.सं.	बसावट का विवरण		लम्बाई (कि.मी.)	राशि (रु. लाखों में)
	बसावट का नाम	जनसंख्या		
20	नूराणी रतनाणियों की ढाणी	300	4.00	83.40
21	जांगीड़ों व मसों की ढाणी	300	3.00	54.40
22	भइयों की ढाणी	297	6.00	108.62
23	सुथारों की ढाणी	276	3.00	50.82
24	कुन्तों की ढाणी	276	4.00	79.89
25	मेघवालों की ढाणी	276	7.00	119.77
26	सुथारों की ढाणी	256	3.00	62.53
27	खाजूराणों की ढाणी	254	4.00	77.44
28	राइकों मंगलियों की ढाणी	252	3.00	56.19
29	फोगलिया	251	4.65	97.68
30	अकबर शाह की ढाणी	250	5.00	95.55
31	मूलर नाड़ी	250	4.00	78.76
32	किरताणियों भूराणियों की ढाणी	250	2.50	57.84
33	मुसलमानों की ढाणी	250	7.80	161.73
34	रूपोणी डूंगरों की ढाणी	250	4.40	74.65
35	सूराणियों की ढाणी	250	4.00	74.50
36	आसोंणियों की बेरी	250	5.00	91.14
37	दुलाणियों की ढाणी	250	3.00	58.91
38	भीलों की ढाणी	250	3.00	47.71
	योग	**10372**	**153.35**	**2885.48**

राज्य की प्रस्तावित जल नीति

55. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में जल का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जल नीति बनाई गई है? यदि हां, तो कब? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नई जल नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य जल नीति सितम्बर, 1999 में बनायी गयी थी। प्रति प्रपत्र-अ पर संलग्न है। वर्ष 2005 में राज्य सरकार ने संशोधित जलनीति का प्रारूप तैयार किया गया था जो प्रपत्र-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। नई राज्य जलनीति के प्रारूप का अनुमोदन मंत्रीमण्डल द्वारा दिनांक 17.02.2010 को कर दिया गया है। निर्णय अनुसार नई जलनीति शीघ्र जारी करा दी जावेगी।

(प्रारूप पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र हेतु नगरीय बस सेवा

56. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या यातायात एवं परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र, शेरगढ़ में रोडवेज बसों के संचालन हेतु नई बस मार्गों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने व कौन-कौन से व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जोधपुर शहर से शेरगढ़ क्षेत्र के गांवों को सिटी बसों की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु सिटी बसों के नये मार्ग को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो, कितने, कौन-कौन से एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार तहसील शेरगढ़ में सवारियों में चल रही अनाधिकृत व बिना रूट पंजीयन गाड़ियों, छोटे साधनों के रूट पंजीयन कर वैध रूप से चलाने की अनुमति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन से रूट पर कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के अन्तर्गत निम्न राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है:-

क्र.सं.	शेरगढ़ तहसील में संचालित निगम बसों के मार्गों का विवरण	परिचक्र
1	जोधपुर-शेरगढ़	8
2	जोधपुर-रामदेवरा	10
3	जोधपुर-सुजासर	2
4	जोधपुर-अवाय	2
5	जोधपुर-जैसलमेर-तनोट	26
6	जालोर-रामदेवरा	2
7	फलौदी-अहमदाबाद	4
8	सांचोर-बीकानेर	2

उक्त मार्गों पर संचालित बस सेवाओं को पर्याप्त यात्रीभर नहीं मिलने के फलस्वरूप विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में निगम बसों के संचालन हेतु नये बस मार्गों को स्वीकृत कराने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(2) जोधपुर शहर से शेरगढ़ की दूरी 105 किलोमीटर है तथा शेरगढ़ क्षेत्र के गांव जोधपुर की नगरीय सीमा की परिधि से बाहर स्थित है अत: शेरगढ़ तथा शेरगढ़ क्षेत्र के गांवों में नगरीय परिवहन सेवा के परमिट स्वीकृत नहीं किए जा सकते हैं।

(3) सरकार का अनधिकृत रूप से चलने वाले वाहनों तथा बिना रूट परमिटधारी वाहनों को संचालन की अनुमति देने का कोई विचार नहीं है।

वर्तमान में निजी वाहन स्वामियों को शेरगढ़ क्षेत्र में 19 मार्गों पर 172 परमिट स्वीकृत किए हुये हैं तथा कोई परमिट आवेदन लम्बित नहीं है। शेरगढ़ तहसील क्षेत्र में सभी संभावित रूट्स का सर्वे करवाकर जनसुविधा को मद्देनजर रखते हुए व आवश्यकतानुसार परमिट देने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु कार्य योजना

57. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राज्य के पूर्व राष्ट्र स्तरीय खिलाड़ियों को राज्य की

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

खेल अकादमियों या खेल संघों में रोजगार उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सरकार राज्य को अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक दिलाने के लिए नियमों में संशोधन कर राज्य के विभिन्न खेलों के राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके खिलाडियों और पूर्व खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त संबंधी सरकार की कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पूर्व राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ियों को राज्य की खेल अकादमियों या खेल संघों में रोजगार उपलब्ध कराने का फिलहाल विचार नहीं है।

खेल संघों का पंजीकृत संस्था के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व है और वे अपने स्तर पर रोजगार देने हेतु स्वतंत्र हैं। जहां तक खेल अकादमियों का संबंध है, इनमें पूर्व राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ियों हेतु रोजगार उपलब्ध कराने का नियम नहीं है।

(2) राजस्थान खेल अनुदान नियम, 1986 के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक दिलाने, विभिन्न खेलों के राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके खिलाड़ियों और पूर्व खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रावधान किया हुआ है। राजस्थान खेल अनुदान नियम, 1986 में संशोधन नहीं किया गया है।

प्रश्न संख्या-58

(स्थगित)

उदयपुर नगर परिषद में भवन निर्माण हेतु लम्बित प्रकरण

59. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनवरी 2004 से 31 जनवरी, 2010 तक नगरपरिषद उदयपुर में कितने आवासीय/व्यावसायिक/काम्पलेक्स निर्माण अनुमति हेतु कब-कब से विचाराधीन हैं?

(2) क्या यह सही है कि भवन निर्माण अनुमति हेतु प्रकरण इतने लम्बे समय तक विचाराधीन रहना न्यायसंगत नहीं है? क्या उक्त प्रकरण निर्धारित मानदण्ड पूरे नहीं करते हैं? यदि हां, तो कितने समय में आवेदन निरस्त करने का प्रावधान हैं? उक्त मानदण्डों की पालना में नगर परिषद ने कितने आवेदन इस अवधि में निरस्त किये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(3) क्या लम्बे समय तक अनुमति नहीं देना या निरस्त नहीं करना नियम विरूद्ध है? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त समस्या का समाधान करने का विचार रखती है?

(4) क्या नगर परिषद से भवन अनुमति प्राप्त करने वाला अनुमति के अनुसार भवन नहीं बनाता तो उसके विरूद्ध कार्यवाही करने का नियमों में प्रावधान है? यदि हां? तो अब तक कितने व्यक्तियों को अनुमति के अनुसार कार्य नहीं करने पर दोषी बनाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी 2004 से 31 जनवरी, 2010 तक नगर परिषद उदयपुर में आवासीय/व्यावसायिक/काम्पलेक्स निर्माण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्तमान में 08 प्रकरण विचाराधीन हैं जिनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार प्रार्थी के आवेदन पत्र को दो माह में निस्तारण करने की समयावधि निर्धारित है एवं पूर्व में नगर पालिका अधिनियम, 1959 के तहत यह अवधि 45 दिवस थी। नगर परिषद उदयपुर द्वारा इस अवधि में 21 प्रकरणों को निरस्त किया गया जिसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। नगर परिषद उदयपुर को निर्धारित समय सीमा में ऐसे आवेदकों के प्रकरणों को निस्तारित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। समय सीमा के अन्दर निस्तारित नहीं करने के प्रकरणों पर जांच की जाकर उचित कार्यवाही की जावेगी।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 (4)(ख) में यह प्रावधान कर दिये गये हैं कि नगरपालिका आवेदन प्राप्ति की तारीख से दो मास की कालावधि के भीतर आवेदन विनिश्चित करेगी तथा अपने लिखित आदेश से संसूचित करेगी। यदि दो मास के भीतर अपने विनिश्चिय को संसूचित करने में विफल रहती है तो आवेदक नगरपालिका को एक मास का स्पष्ट नोटिस देने के पश्चात् इसे दी हुई अनुज्ञा मानते हुए संनिर्माण कर सकेगा।

(4) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 तथा पूर्व एक्ट 1959 की धारा 170 के अन्तर्गत अनुमति के अनुसार भवन नहीं बनाता तो उसके विरूद्ध कार्यवाही करने का नियमों में प्रावधान है। नगर

(स्वायत्त शासन मंत्री)

परिषद उदयपुर द्वारा अनुमति के विरूद्ध निर्माण करने वालों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का वर्षवार संख्या निम्नानुसार है:-

2004-72, 2005-81, 2006-92, 2007-103, 2008-78, 2009-90, 2010-11 कुल योग-527

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगढ़बास विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों की अपूर्ण जल योजनाएं

60. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र, किशनगढ़बास में विगत दो वर्षों में कितनी नई जल योजनायें तैयार एवं आरम्भ की गईं तथा उक्त योजनाओं पर कितनी राशि व्यय की गई?

(2) क्या ग्राम पाटनमेवान, गिरवास, पालपुर एवं भोजपुर हेतु सरकार द्वारा कोई योजना स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो योजना कब स्वीकृत हुई तथा योजना पर कार्य कब प्रारम्भ हुए, कब पूर्ण हुई तथा वर्तमान में योजना किस स्थिति में है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में विगत दो वर्षों (वर्ष 2008 व 2009) में विभिन्न पेयजल योजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के संबंध में वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। वर्णित ग्रामों हेतु पेयजल योजनाओं की स्वीकृति एवं इनके क्रियान्वयन के संबंधी विवरण संलग्न परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-61

(स्थगित)

जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने हेतु तय प्राथमिकताएं

62. श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो वर्ल्ड क्लास सिटी के लिये क्या–क्या प्राथमिकतायें तय की गई और भविष्य में कितनी नई योजनायें प्रस्तावित हैं?

उत्तर

जयपुर को एक विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार एक कार्य योजना तैयार कर रही है। इस हेतु, एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में यह टास्क फोर्स कार्यरत है। वर्ल्ड सिटी बनाये जाने वाले विजन डाक्यूमेंट/एक्शन प्लान की जिम्मेदारी आवास विकास लि. को सौंपी गई है। आवास विकास लि. द्वारा इस हेतु एक निजी कन्सलटेन्सी फर्म फिडबेक वेन्चर्स की सेवाएं ली जा रही हैं। टास्क फोर्स की अभी तक तीन बैठकें क्रमश: दिनांक 21.11.09, 05.12.09 एवं 19.12.09 को आयोजित की जा चुकी हैं। तथा अल्प अवधि की योजना हेतु भी दिनांक 09.12.09 को एक बैठक आयोजित की जा चुकी है। दिनांक 09.12.09 की बैठक में जयपुर टाउन प्लानर, वास्तुविद, बिल्डर्स, ट्रेड, कार्मस एवं इण्डस्ट्रीज से सम्बन्धित विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनकी राय भी ली गई थी। निजी सलाहकार मै. फीडबैक वेन्चरस ने जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाये जाने के संबंध में प्रथम ड्राफ्ट रिपोर्ट दिनांक 15.02.2010 को प्रस्तुत की है।

टास्क फोर्स द्वारा जयपुर शहर को वर्ल्ड सिटी बनाने हेतु प्राथमिकताओं में मुख्यत: जयपुर को साफ सुथरा व व्यवस्थित बेहतर यातायात सुविधायें, सड़क सुधार कार्य, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार एवं पर्यटन की दृष्टि से और भी आकर्षित बनाना है।

दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की योजना

63. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में मानदण्डों के अनुसार शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो रहा है? यदि हां, तो 70 एल.पी.सी.डी. से कम पानी कौन-कौन से ग्रामों में दिया जा रहा है? सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में किन-किन स्रोतों से कितना पेयजल प्राप्त किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के जिन ग्रामों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है, वहां के लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई तथा योजना पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में कन्टिनजेन्सी योजना में कितने ट्यूबवैल विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में बनाए गए तथा उनसे कितना पानी

(श्री अमराराम)

मिल रहा है? मानदण्ड से कम पानी मिलने वाले कितने ट्यूबवैल हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार पेयजल की समस्या वाले ग्रामों में कब तक पर्याप्त पानी पहुंचाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, दांतारामगढ़ में विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित कुल 211 ग्रामों में से 18 ग्रामों में वर्तमान में उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल की गुणवत्ता निर्धारित मानक अनुरूप नहीं है।

हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित 72 ग्रामों में पर्याप्त हैण्डपम्प वर्तमान में स्थापित एवं क्रियाशील हैं।

हैण्डपम्प योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाओं से लाभान्वित 139 ग्रामों में से 5 ग्रामों में जल सेवा स्तर शून्य से 25 प्रतिशत के मध्य (शून्य जल सेवा स्तर का ग्राम-1), 29 ग्रामों में 25 से 50 प्रतिशत के मध्य तथा 50 प्रतिशत से अधिक जल सेवा स्तर के 105 ग्राम (70 लीटर/व्यक्ति/दिन जल सेवा स्तर के कुल ग्राम-35) हैं।

क्षेत्र के 211 ग्रामों में वर्तमान में उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल संबंधी वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में जिन ग्रामों में निर्धारित मापदण्ड से कम पेयजल उपलब्ध हो रहा है, भारत सरकार के नवीन दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत प्राथमिकताओं के अनुसार ऐसे ग्रामों हेतु योजनाऐं बनाकर शीघ्र क्रियान्वित की जायेंगी।

केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश अनुरूप ऐसे ग्राम/ढाणी/बस्तियां जहां अभी तक कोई पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, को प्रथम प्राथमिकता, गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों को द्वितीय प्राथमिकता तथा ऐसे ग्राम जहां पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के उपरान्त निर्धारित मानदण्ड (गैर मरूस्थलीय एवं मरूस्थलीय क्षेत्रों में क्रमश: 40 व 70 लीटर/व्यक्ति/दिन) का जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ऐसे ग्रामों हेतु तृतीय प्राथमिकता तय की गई है।

उक्त क्षेत्र के 3 गांवों हेतु स्वीकृत पेयजल योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं तथा आवश्यकतानुसार 3 अन्य गांवों में कन्टीजेन्सी फेज-द्वितीय के अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृति दिनांक 20 फरवरी, 2010 को जारी की गई है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' में निहित है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) विभाग द्वारा गत तीन वर्षों (वर्ष 2007, 2008 व 2009) में कन्टीजेन्सी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र, दांतारामगढ़ में आवश्यकतानुसार 35 नलकूप वेधित किये जाकर 30 नलकूपों को पेयजल व्यवस्था से जोड़ा जा चुका है। शेष 5 नलकूप मार्च, 2010 तक चालू करना प्रस्तावित हैं। भू-जल स्तर नीचे चले जाने के कारण पेयजल व्यवस्था से जुड़े 3 नलकूपों में पेयजल आवक वर्तमान में कम है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(4) बिन्दु संख्या 2 के उत्तर के अनुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमंद जिले में बनास नदी से बजरी का अवैध दोहन

64. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2004 में राजसमन्द जिले में बनास नदी से रेती (बजरी) दोहन के कारण जल स्तर प्रभावित होने के चलते रायल्टी ठेका निरस्त कर दिया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार की रोक के बावजूद भी बनास नदी से बजरी का अवैध दोहन हो रहा है, जिससे राजस्व हानि हो रही है? यदि हां, तो कितनी?

(3) उक्त बनास नदी से बजरी के अवैध दोहन की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा उक्त हेतु कौन अधिकारी जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2004 में तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में बजरी दोहन के कारण जल स्तर प्रभावित होने से रायल्टी संग्रहण ठेका देना बन्द कर दिया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) खनिज बजरी के अवैध दोहन नहीं होने से कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नमक उत्पाद श्रमिकों के कल्याण हेतु योजना

65. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नमक उत्पादन में कार्यरत मजदूरों के कल्याण की योजना प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा सांभर साल्ट लिमिटेड एवं निजी नमक उत्पादकों के अधीनस्थ कार्य कर रहे मजदूरों के कल्याण के लिये भी कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। लवण श्रमिक कल्याण सहायता योजना-2009 दिनांक 3.9.2009 को अधिसूचित की गयी है। योजना की प्रति संलग्न है।

(2) लवण श्रमिक कल्याण सहायता योजना-2009 सभी लवण श्रमिकों के कल्याण हेतु बनाई गयी है।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
INDUSTRIES (GROUP-2) DEPARTMENT

No. F. 16(2) Ind./2/2009   Jaipur, Dated: 7 Sep., 2009

NOTIFICATION

THE RAJASTHAN SALT LABOUR WELFARE ASSISTANCE SCHEME -2009

PEREAMBLE

Rajasthan is third largest salt producing state in the country accounting for about 17 lakhs metric tones per year. Salt Industry is high labour intensive and provides direct employment to more than 25 thousand Person. In addition thousand of labourers are also engaged in other incidental and ancillary activities viz Processing, transporting and trending. Labourers are the backbone of salt industry.

Salt labourers are socially and educationally deprived of the society. They have to work in amidst harsh and barren climate of blistering heat during the day cold winds during night. The scheme aims to improve the working conditions and to provide social security net to the labouers engaged in production and processing of salt.

1. TITLE

The Scheme shall be known as “The Rajasthan Salt labourer’s Wel fare Assistance Scheme 2009.”

2. OPERATIVE PERIOD

The scheme shall be operative from 1.4.2009

3. APPLICABILITY OF THE SCHEME

The scheme shall be applicable to all bonifide labourers working in salt industry either as salt labourers or self employed person who has been working for preceding one year or more. A person working on a salt farm, processing unit for a major part of season i.e. not less than six months during the last year shall be regarded as salt labour.

4. DEFINITIONS

(i) SALT LABOURER

Means Bonafide gainfully employed labour in salt farm or in Iodization plant, or in Rafinery or in salt processing unit for a period of more than a year.

(ii) **SALT WORKS/FARM/IODISETION PLANT/REFINERY**

Any unit manufacturing salt/iodised salt/refining salt/salt processing.

(iii) D.I.C

District Industries Centre established by Government of Rajasthan in District Head Quarters.

(iv) GENERAL MANAGER

Senior most Officer deputed in District Industries Centre i.e. Joint Direct/Deputy Director,/Assistant Director,/ District Industries Office as the case may be.

(v) FAMILY

Means adult married member with spouse & Dependent Children.

5. ELIGIBILITY

All salt labourer's between age 18 to 60 years working in salt manufacturing, and salt refining processing units and gain fully enagaged for major part of season in more than one year.

6. EXECUTING AGENCY

GM DIC shall be executing agency, However he may take the help of N.G.O./Salt Producer/association. All activities shall be supervised by the Commissioner Industries of State of Rajasthan.

7. AUTHORITY TO GRANT BENEFIT UNDER THE SCHEME

GM DIC shall grant the benefit after the due verification and satisfaction.

8. (a) BENEFITS/INCENTIVES

The salt labour shall be issued identity cards, given gum boots & goggle, cycle salt labourers shall also be covered under Salt Labour Beema Yojana. This scheme shall be implemented with LIC. A premium of Rs. 200/- per labor has been fixed by LIC out of which a sum of Rs. 100/- will be borne by Social Security fund of the corporation and remaining amount of Rs. 100/- shall be given by nodal agency annually. A group of minimum 25 labourers would be decided under this Scheme. The Premium of Rs. 200/- would be may able on an annual bases.

(b) **DISTRIUBTON OF CYCLE**

Salt labourers shall be provided with a bicycle for easy transport Each family of salt worker's is to be given one cycle. A cycle costs around Rs. 2500/- out of which 300/- contribution is to be made by the beneficiary and remaining amount will be borne by State Government. It is proposed it cover 1000 beneficiaries every year.

9. **QUANTUM OF ASSISTANCE**

The maximum quantum assistance for the activities shall be as under :

i	Registration & Issuance of Identity card to card to salt labourers	Rs. 100/- per labour
ii	Salt labourer Insurance Scheme	Rs. 100 per labour from LIC Social Security fund & other Insurance Agencies
iii	For Providing Gum Boots & Goggles to Salt labourers engaged in Salt Production in farm Ponds	Rs. 400/- per labour
iv	For providing Bicycle to Salt labour (residence distance more then 2 Km.	Rs. 2200/- per labour

Note : The beneficiary contribution for cycle shall be Rs. 300/-

10. **AUTHORITY FOR IMPLEMENTATION/INTERPRETATION**

The District Industries Centre shall act as nodal implementing agency. Any matter pertaining to the interpretation of any clause of the scheme shall be referred to Industries Department whose decision shall be final in such matter.

11. **REVIEW APPEAL**

The Commissioner Industires shall hear and decide the appeal against the order passed by General Manager, District Industires Centre. Aggrieved applicant has to file appeal for revision within the period of 60 days from the date of communication of decision.

12. **REVISION BY THE STATE GOVERNMENT**

The State Government in Industries department may SOU-MOTO or other wise revise the order passed under this Scheme by Commissioner Industires, General Manager, DIC where ever it is found to be erroneous.

13. **REVIEW OR MODIFICATION OF THE SCHEME**

Review or modification in the scheme shall be done by the State Government in industries department.

14. **PROCEDURE FOR CLAIMING THE BENEFIT**

Salt labour shall submit an application before General Manager, District Industries Centre for grant of benefit provided in clause 8 of the scheme. General Manager, District Industries having satisfied with the candidature of the applicant, shall sanction the benefit.

This bears approval of Finance Department vide I.D. No. 100902678 dated 3-6-2009

Order By Governor,
Shakuntala Singh
Deputy Secretary

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक पार्कों के विकास हेतु व्यय राशि

66. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-10 में जोधपुर के सार्वजनिक पार्कों के विकास हेतु राशि 200 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया था?

(2) उक्त प्रावधान के अन्तर्गत कौन-कौन से पार्कों का विकास/प्रस्ताव कितनी राशि से किया गया?

(3) उक्त राशि में से जोधपुर के विधान सभा क्षेत्रवार व्यय अथवा प्रस्तावित राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-10 में पार्कों के विकास हेतु 200 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया था।

(2) 1.	पश्चिम जोन में विभिन्न योजना के पार्कों में वृक्षारोपण का कार्य एवं तीन वर्ष का रखरखाव।	15.00 लाख
2.	पश्चिम जोन में विभिन्न स्थानों पर सिविल रिपेयर का कार्य।	25.00 लाख
3.	पश्चिम जोन में विभिन्न स्थानों पर पत्थर की बैंच लगाने का कार्य।	5.00 लाख
4.	जोन पश्चिम के विभिन्न पार्कों में झुले लगाने का कार्य।	10.00 लाख
5.	चौ.हा.बो. क्षेत्र के पार्क, स्वामी विवेकानन्द, लक्ष्मीनारायण पार्क, सेक्टर 17 अल्पभाषा स्कूल के पीछे, वैष्णव देवी पार्क, 10/559 के सामने का पार्क आदि में प्रस्तावित कार्य।	20.00 लाख
6.	दक्षिण जोन में विभिन्न स्थानों पर सिविल रिपेयर का कार्य।	25.00 लाख

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

7.	दक्षिण जोन में विभिन्न स्थानों पर पत्थर की बैंच लगाने का कार्य।	5.00 लाख
8.	दक्षिण जोन के विभिन्न पार्कों में झूले लगाने का कार्य।	10.00 लाख
9.	रामेश्वर नगर बी-169 के सामने पार्क की चार दिवारी निर्माण का कार्य।	4.50 लाख
10.	दक्षिण जोन में विभिन्न पार्कों एवं सावर्जनिक स्थानों पर बैंचे झुले एवं अन्य विकास कार्य।	25.00 लाख
11.	उत्तर जोन में विभिन्न स्थानों पर सिविल रिपेयर का कार्य।	25.00 लाख
12.	उत्तर जोन में विभिन्न स्थानों पर पत्थर की बैंच लगाने का कार्य।	5.00 लाख
13.	उत्तर जोन के विभिन्न पार्कों में झुले लगाने का कार्य।	10.00 लाख
14.	बाल समंद पार्क में दीवार निर्माण का कार्य।	20.00 लाख
15.	किर्तीनगर योजना सेक्टर ए में पार्क की चार दिवारी एवं सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	20.00 लाख
16.	पूर्व जोन में विभिन्न स्थानों पर सिविल रिपेयर का कार्य।	25.00 लाख
17.	पूर्व जोन में विभिन्न स्थानों पर पत्थर की बैंच लगाने का कार्य।	5.00 लाख
18.	पूर्व जोन के विभिन्न पार्कों में झुले लगाने का कार्य।	10.00 लाख
	योग	**264.50 लाख**

(3)

1.	सूरसागर विधान सभा क्षेत्र	75.00 लाख
2.	शहर विधान सभा क्षेत्र	89.50 लाख
3.	सरदारपुरा विधान सभा क्षेत्र	100.00 लाख
	योग	**264.50 लाख**

जयपुर, श्रम शक्ति नगर के भूखण्डों का अवैध हस्तान्तरण

67. श्री बहादुर सिंह (वैर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड रजि. 2541/ एल की योजना नं. 7 श्रम शक्ति नगर, जयपुर में भूखण्ड आबंटित किये गये थे? यदि हां, तो कितने व किन-किन को?

(श्री बहादुर सिंह)

क्र.सं./आबंटी का नाम, पता/आबंटन संख्या/दिनांक/भूखण्ड की साइज/भूखण्ड संख्या-पुराना एवं रिवाइज नया नं. सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त योजना अन्तर्गत आबंटित प्लाट नं. ए-33 व ए-36 नया नं. ए-66 व ए-69 किसके नाम आबंटित किया गया है? उक्त प्लाट का पुराना व नया आबंटन पत्र मय साइट प्लान नक्शा सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्लाट पर अवैध कब्जा/निर्माण किया हुआ है? यदि हां, तो किसके द्वारा एवं किस आधार पर? क्या उक्त प्लाट के झूठे दस्तावेज तैयार कर अनाधिकृत व्यक्ति के नाम हस्तान्तरण किया गया हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण तथ्यों सहित सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या प्लाट नं. ए-33 व ए-36 नया नं. ए-66 व ए-69 के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों द्वारा, कब-कब एवं उक्त पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त प्लाटों को मूल आबंटी से अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरण किया जा चुका है? यदि हां, तो किस आधार पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण में शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ.नि.स.स. लि. की योजना स्कीम नं. 7, श्रम शक्ति नगर का रिकार्ड समिति द्वारा पेश नहीं किया गया है। अत: इस संबंध में वांछित विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं। श्रम शक्ति नगर की योजना अनुमोदित नहीं की गयी है।

(3) उक्त योजना समिति द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में रिकॉर्ड पेश नहीं किये जाने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण में शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ.नि.स.स.लि. की योजना स्कीम नं. 7, श्रम शक्ति नगर का रिकार्ड समिति द्वारा पेश नहीं किया गया है। अत: इस संबंध में वांछित सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

नगर सुधार न्यासों में अभियंताओं के रिक्त पद से प्रभावित समस्याएं

68. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर सहित प्रदेश के किन-किन नगर सुधार न्यासों में अभियन्ताओं के किस-किस स्तर के कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश की किस-किस नगर सुधार न्यासों की ड्राईंग शाखा तथा अभिलेख शाखा में कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रशासन शहरों की ओर अभियान में उक्त रिक्त पदों की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी थी? यदि नहीं, तो क्या रिक्त पदों के कारण इस अभियान में जनता की समस्याओं के मौके पर निवारण की कार्यवाही प्रभावित हुई?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यासों में अभियन्ताओं के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) नगर सुधार न्यासों की ड्राईंग शाखा तथा अभिलेख शाखा में रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

परिशिष्ट- अ

नगर सुधार न्यास, न्यासों में अभियन्ताओं के रिक्त पदों की सूचना

क्र.सं.	पद नाम	रिक्त पद	रिक्ति दिनांक
नगर विकास न्यास, अजमेर			
1.	कनिष्ठ अभियन्ता	5 पद	2 वर्ष
नगर विकास न्यास, अलवर			
1.	कनिष्ठ अभियन्ता	5 पद	14.12.09
नगर विकास न्यास, बीकानेर			
1.	कनिष्ठ अभियन्ता	7 पद	5 पद (3 वर्ष) 2 पद (4 माह)
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा			
1.	कनिष्ठ अभियन्ता	3 पद	14.07.04 13.07.05 11.12.09

क्र.सं.	पद नाम	रिक्त पद	रिक्ति दिनांक
नगर विकास न्यास, भिवाड़ी			
1.	कनिष्ठ अभियन्ता	2 पद	11.12.09 18.01.10
2.	सहायक अभियन्ता	1 पद	15.01.10
नगर विकास न्यास, श्री गंगानगर			
1.	कनिष्ठ अभियन्ता	4 पद	वर्ष 2005-06 (3 पद) 10.12.09 (1 पद)
2.	अधिशासी अभियन्ता	1 पद	नवम्बर, 2009
नगर विकास न्यास, जैसलमेर			
1.	अधिशासी अभियन्ता	1 पद	15.10.09
नगर विकास न्यास, कोटा			
1.	कनिष्ठ अभियन्ता	14 पद	वर्ष 2008 (4 पद) वर्ष 2009 (8 पद) वर्ष 2010 (2 पद)
नगर विकास न्यास, उदयपुर			
1.	कनिष्ठ अभियन्ता	9 पद	06.10.2004 (1 पद) 27.07.2007 (1 पद) 14.10.2008 (2 पद) 10.12.2009 (5 पद)
नगर विकास न्यास, आबू			
1.	कनिष्ठ अभियन्ता	2 पद	10.09.09
2.	अधिशासी अभियन्ता	1 पद	10.09.09

परिशिष्ट-ब

नगर सुधार न्यासों में ड्राईंग शाखा तथा अभिलेख शाखा में रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	पद नाम	रिक्त पद	रिक्ति दिनांक
नगर विकास न्यास, अजमेर			
1.	उप नगर नियोजक	1 पद	2 वर्ष
2.	सहायक नगर नियोजक	1 पद	2 वर्ष

क्र.सं.	पद नाम	रिक्त पद	रिक्ति दिनांक
3.	अनुरेखक	2 पद	5 वर्ष
4.	सर्वेयर	2 पद	10/08
5.	भू-अभिलेख निरीक्षक	1 पद	6 माह
नगर विकास न्यास, अलवर			
1.	कनिष्ठ प्रारूपकार	1 पद	जनवरी, 05
नगर विकास न्यास, बीकानेर			
1.	कनिष्ठ प्रारूपकार	1 पद	09.04.08
2.	अनुरेखक	3 पद	03.03.1990 18.05.1990 16.02.2009
नगर विकास न्यास, भरतपुर			
1.	वरिष्ठ प्रारूपकार	1 पद	16.06.07
2.	प्रारूपकार	1 पद	30.09.08
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा			
1.	अनुरेखक	1 पद	15.01.08
2.	फैरोमेन	1 पद	26.07.04
नगर विकास न्यास, श्री गंगानगर			
1.	सहायक नगर नियोजक	1 पद	जून, 1999
2.	फैरोमेन	1 पद	अप्रैल, 2008
नगर विकास न्यास, जैसलमेर			
1.	नवगठित नगर विकास न्यास, जैसलमेर में पदों का सृजन दिनांक 15.10.09 को किया गया है जिसके कारण सचिव एवं एक कनिष्ठ अभियन्ता को छोड़कर शेष सभी स्वीकृत पद रिक्त हैं।		
नगर विकास न्यास, कोटा			
1.	भवन निरीक्षक	3 पद	वर्ष 2004
2.	वरिष्ठ प्रारूपकार	1 पद	वर्ष 2007
3.	अनुरेखक	1 पद	वर्ष 2002
4.	फैरोमेन	1 पद	वर्ष 2002

(3) जी हां।

जिम/जिम्नेजियम संचालन हेतु नियम/निदेश

69. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में जिम चलाने के लिए किसी प्रकार की सरकारी अनुमति या मान्यता लेने की अनिवार्यता नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में हजारों की तादाद में जिम्नेजियम चल हे हैं एवं पूरे संसाधनों के अभाव में उक्त जिम आमजन का शारीरिक सौष्ठव बढ़ाने के बजाय हानि पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं? क्या सरकार इन्हें रेगुलेट करने हेतु कोई उपाय सुनिश्चित कर लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) युवा मामले एवं खेल विभाग से राज्य में जिम चलाने के लिए किसी प्रकार की अनुमति या मान्यता लेने की अनिवार्यता नहीं है।

(2) चूंकि राज्य में जिम चलाने के लिए किसी प्रकार की अनुमति या मान्यता लेने की अनिवार्यता नहीं है। अत: इन्हें रेगुलेट करने हेतु कोई उपाय सुनिश्चित कर लागू करने का विचार नहीं है।

अलवर जिले के पुलिस थानों में नरेगा के दर्ज प्रकरण

70. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले में नरेगा में भ्रष्टाचार के प्रकरणों से संबंधित अब तक कितने मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट थानों में दर्ज की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सभी दर्ज मुकदमों में जांच पूरी होने पर मुल्जिमान के विरूद्ध चालान पेश कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में नरेगा में भ्रष्टाचार से संबंधित अब तक 11 प्रकरण पुलिस थानों में दर्ज किये गये हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट- ''क'' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। दर्ज 11 प्रकरणों में से 4 प्रकरणें में एफ.आर. घटना घटित न होने तथा 2 प्रकरणों में एफ.आर. गलत तथ्य दर्ज होने के कारण लगायी गयी है । शेष 5 प्रकरणों में अनुसंधान पूर्ण होने पर विधि अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट -क

क्रम सं.	जिला	थाना	एफआईआर संख्या व दिनांक, धारा	एफआईआर दर्ज करने वाले का नाम पद व पता	नाम, पता अभियुक्तगण	वर्तमान स्थिति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	अलवर	राजगढ़	32/09, 420, 468, 471, 120बी भादसं.	श्री विकास खण्डेलवाल विकास अधिकारी पंचायत समिति रैणी	1. मोहनलाल मीणा सरपंच ग्राम पंचायत बबेली 2. गिर्राज मीणा निवासी ईसवाना	अनुसंधान जारी है।
2.	अलवर	राजगढ़	79/09, 420, 468, 471, 120बी भादसं.	श्री गिर्राज प्रसाद मीणा निवासी हिनोटी थाना राजगढ़	1. राजेन्द्र मीणा तकनीकी सहायक नरेगा पंचायत समिति रैणी 2. विनोद जैन सहायक 3. विकास खण्डेलवाल विकास अधिकारी पंचायत समिति रैणी	अनुसंधान जारी है।
3.	अलवर	राजगढ़	233/09, 420, 467, 468, 471, 120बी भादसं,	श्रीमती अनीता मीणा निवासी ईसवाना थाना राजगढ़	1. मोहनलाल मीणा सरपंच ग्राम पंचायत बबेली 2. घमंडी मीणा मेड़ नरेगा	अनुसंधान जारी है।
4.	अलवर	टहला	149/09, 420, 467, 468, 471, 120बी भादसं.	श्री गिर्राज प्रसाद सहायक उप निरीक्षक थाना टहला	1. महेश शर्मा ग्राम सेवक खोह 2. कम्पूरी देवी सरपंच खोह 3. विनोद शर्मा ग्राम रोजगार सहायक 4. जितेन्द्र सिंह राजपूत कनिष्ठ तकनीकी सहायक 5. बाबूलाल शर्मा डाकपाल	अनुसंधान जारी है।

1	2	3	4	5	6	7
5.	अलवर	प्रतापगढ़	57/09, 420, 406, 467, 468, 120बी भादसं.	श्री मोहन लाल उप निरीक्षक थानाधिकारी प्रतापगढ़	1. मोहनलाल पुत्र बाबूलाल 2. रामगोपाल पुत्र श्रवण 3. सरदारपुरा पुत्र गंगासहाय हाल सरपंच 4. पालचन्द सचिव 5. रामावतार शर्मा निवासी	एफआर अदमवकु तथ्य की भूल पाया
6.	अलवर	कठूमर	23/09, 420, 467, 468, 120बी भादसं.	श्री मुनीन्द्र सिंह उप निरीक्षक थानाधिकारी कठूमर	1. सुरेन्द्र पुत्र बाबू जाटव नि. भसारी	एफआर अदमवकु तथ्य की भूल पाया
7.	अलवर	कठूमर	24/09, 420, 467, 468, 471, 120बी भादसं.	श्री मुनीन्द्र सिंह उप निरीक्षक थानाधिकारी कठूमर	1. राजाराम पुत्र किशोरी जाटव 2. हरीओम शर्मा सचिव ग्राम पंचायत मसारी	एफआर अदमवकु झूठ
8	अलवर	कठूमर	26/09, 420, 467, 468, 471, 120बी भादसं.	श्री मुनीन्द्र सिंह उप निरीक्षक थानाधिकारी कठूमर	1. सुरेन्द्र पुत्र बाबू जाटव नि. भसारी 2. हरिओम शर्मा सचिव ग्राम पंचायत मसारी	एफआर अदमवकु झूठ

1	2	3	4	5	6	7
9	अलवर	कठूमर	139/09, 420, 467, 468, 471 भादसं.	कुशाल सिंह उप निरीक्षक थानाधिकारी कठूमर	नत्थूसिंह सरपंच ग्राम पंचायत सौख	एफआर अदमवकु झूठ
10	अलवर	खेडली	294/09, 420, 467, 120बी भादसं.	श्री राम खिलाड़ी पुत्र प्रभाती जाट निवासी नंगला गुमान थाना खेडली	1. लक्ष्मीदेवी यादव सरपंच खोह 2. अजीत, सचिव 3. कैलाश गुप्ता बीडीओ 4. नवलसिंह जाट निवासी जटवाडा 5. पुष्पा जाट निवासी नगलागुमानवास खेडली	एफआर अदमवकु झूठ
11	अलवर	मालाखेड़ा	358/09, 420 भादसं,	श्रीमती प्राची भार्गव कार्यक्रम अधिकारी रा.ग्रा.से. गारण्टी स्कीम पंचायत समिति उमरैण अलवर	1. सगनीराम निवासी बडेर हाल सरपंच ग्राम पंचायत बडेर 2. जगदीश यादव ग्राम सेवक बडेर 3. फूलसिंह चौधरी कनिष्ठ तकनीकी सहायक बडेर	अनुसंधान जारी है।

जोधपुर जिले में बढ़ते आपराधिक प्रकरणों पर रोक

71. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जोधपुर में गत दो वर्षों में चोरी, चैन लूटने, वाहन चोरी, हत्या एवं लूट के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? थानावार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अपराधों में अब तक कितने अभियुक्त पकड़े गये तथा कितनों के विरूद्ध चालान पेश किये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अपराधों की रोकथाम हेतु सख्त कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला जोधपुर में गत दो वर्षों में चोरी, चैन लूटने, वाहन चोरी हत्या एवं लूट के दर्ज प्रकरणों का थानेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरणों में पकड़े गये अभियुक्तों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-''ब'' व उनके विरूद्ध पेश किये गये चालानों की संख्या विवरण परिशिष्ट-''स'' पर संलग्न है।

(3) जिला जोधपुर में इन अपरोधों की रोकथाम हेतु नियमित रूप से गश्त, नाकाबंदी व विशेष दल गठित किये जाकर अपराधियों पर निगरानी रखी जाती है । चोरी, वाहन चोरों एवं लूट के अपराधियों की सूची तैयार कर सजायाफ्ता अपराधियों पर निगरानी रखी जाती है। शहर में महत्वपूर्ण सर्किलों पर 13 फ्लाईंग पार्टी लगायी हुई हैं, जो 24 घण्टे गश्त करते हैं तथा सायंकाल फिक्स पिकेट व प्रभावी गश्त करते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगानगर जिले में शस्त्र लाइसेंसों का नवीनीकरण

72. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला श्रीगंगानगर के पुलिस थानों व शस्त्र दुकानों पर कितने शस्त्र कितने समय से जमा हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार काफी लम्बे समय से नवीनीकरण हेतु जमा लाइसेंसों का नवीनीकरण कर निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला श्रीगंगानगर में पुलिस थानों व शस्त्रों का विवरण निम्नानुसार है-

पुलिस थानों में जमा हथियारों की स्थिति					**शस्त्र दुकानों पर जमा हथियारों की स्थिति**				
3 माह से कम	3 से 6 माह के बीच	6 माह से 1 वर्ष के बीच	1 वर्ष से उपर	योग	3 माह से कम	3 से 6 माह के बीच	6 माह से 1 वर्ष के बीच	1 वर्ष से उपर	योग
5588	229	531	1165	7513	189	8	20	914	1131

(2) जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है।

जोधपुर जिले के प्राचीन मन्दिरों का जीर्णोद्धार

73. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जिला जोधपुर में गत दो वर्षों में मन्दिरों के विकास एवं जीर्णोद्धार के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया और उक्त राशि में से किस मन्दिर में कितनी राशि का क्या कार्य करवाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील शेरगढ़ में प्राचीन मन्दिर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के प्राचीन मन्दिरों के विकास एवं जीर्णोद्धार के कार्य करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा जिला जोधपुर में गत दो वर्षो में मन्दिरों के विकास एवं जीर्णोद्धार के लिए राशि का प्रावधान एवं उक्त राशि से मन्दिरों में करवाये गये कार्यो का विवरण निम्नानुसार है:-

(देवस्थान मंत्री)

क्र. सं.	मन्दिर व कार्य का विवरण	वर्ष 2007-08		वर्ष 2008-09	
		प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
1.	मन्दिर श्री कुंज बिहारी जी, जोधपुर में शिखर का मरम्मत कार्य	0.50	0.50	--	--
2.	मन्दिर श्री कुंज बिहारी जी, जांधपुर में सीवरेज लाइन का मरम्मत कार्य	0.40	0.40	--	--
3.	मन्दिर श्री मदन मोहन जी, जोधपुर का मरम्मत कार्य	--	--	3.32	3.32
4.	मन्दिर श्री कुंज बिहारी जी, जोधपुर का मरम्मत कार्य	--	--	6.61	6.61
5.	मन्दिर श्री रसिक बिहारी जी, जोधपुर शौचालय का मरम्मत कार्य	--	--	0.19	0.19
6.	जसवंत सराय, जोधपुर का सीवरेज मरम्मत कार्य	0.45	0.45	--	--
7.	मन्दिर श्री अटल बिहारी जी, जोधपुर का मरम्मत कार्य	2.00	1.95	3.00	3.00
8.	मन्दिर श्री ज्वालामुखी जी, जोधपुर का मरम्मत कार्य	--	--	1.88	1.88
9.	जसवंत सराय, जोधपुर में मरम्मत का कार्य	--	--	3.97	2.98
10.	मन्दिर श्री लटीयाल माताजी, फलौदी का विकास कार्य	13.00	13.00	37.00	37.00
11.	मन्दिर श्री गौतमधाम सिरोही का विकास कार्य	32.00	32.00	93.00	93.00
	योग	**48.35**	**48.30**	**148.97**	**147.98**

(देवस्थान मंत्री)

(2) देवस्थान विभाग द्वारा सामान्यत: राजकीय प्रबंधित एवं नियंत्रित मन्दिरों/संस्थाओं का ही जीर्णोद्धार का कार्य किया जाता है। लेकिन राज्य शासन द्वारा कतिपय विशेष प्रकरणों में गुणावगुण के आधार पर अराजकीय मन्दिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया जा सकता है। शेरगढ़ तहसील में विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित कोई मन्दिर नहीं है। इस प्रकार देवस्थान विभाग के प्रबंधित एवं नियंत्रित मन्दिरों के अलावा अन्य प्राचीन मन्दिरों व उनके जीर्ण-शीर्ण होने के संबंध में विभाग के पास कोई जानकारी संधारित नहीं की जाती है।

धोद विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें

74. श्री पेमाराम (धोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद की कौन-कौन सी सड़कें टूटी हुई हैं, जिनसे आवागमन में परेशानी पैदा हो रही है?

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत एवं चौड़ाईकरण कराने या सुदृढ़ीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त सड़कों की चौड़ाईकरण या सुदृढ़ीकरण करने के कौन-कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं तथा अब कब तक उक्त सड़कों को सही करने का विचार है?

(4) उक्त सड़कों में से कौन-कौन सी सड़कों को सुदृढ़ीकरण करने की स्वीकृतियां कब-कब जारी की गई तथा कार्य कब तक पूर्ण होगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद की क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(2) जी हां। परिशिष्ट-1 में अंकित सड़कों में से 4 सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत है एवं शेष सड़कों की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण का कार्य राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर निर्भर करेगा।

(3) क्षतिग्रस्त सड़कों में से 4 सड़कों की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण के कार्य स्वीकृत हैं एवं शेष 4 सड़कों की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण का कार्य राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर निर्भर करेगा।

(4) स्वीकृति तिथि एवं कार्य पूर्ण करने की अनुबन्धानुसार प्रस्तावित तिथि परिशिष्ट-1 में क्रमश: कालम संख्या-7 व 9 पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र धोद की क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	मरम्मत/ सुदृढ़ीकरण कार्य स्वीकृत है या नहीं	स्वीकृत राशि (रु. लाख)	स्वीकृत लम्बाई किमी.	स्वीकृत तिथि	स्वीकृत कार्य की वर्तमान स्थिति	अनुबन्धानुसार कार्य पूर्ण करने की प्रस्तावित तिथि
1.	खूड़-बानूड़ा सड़क से माण्डेता किमी. 0/0 से 1/0	1.00	स्वीकृत है।	7.00	1.00	20.05.09	प्रगतिरत	5.8.2010
2.	खूड़-बानूड़ा गोठडा-तगेलान सड़क किमी. 0/0 से 2/0 एवं 7/0 से 11/0	6.00	स्वीकृत है।	42.00	6.00	20.05.09	प्रगतिरत	5.8.2010
3.	भढ़ाडर से सांवलोदा पुरोहितान किमी. 6/500 से 9/0	2.50	स्वीकृत है।	17.50	2.50	20.05.09	कार्य आबंटित	5.8.2010
4.	रसीदपुरा से सांवलोदा लाडखानी किमी. 0/0 से 4/0	4.00	स्वीकृत है।	28.00	4.00	20.05.09	कार्य आबंटित	5.8.2010
5.	सेवद बड़ी से शाहपुरा दयालपुरा सड़क किमी. 22/400 से 28/0	5.60	नहीं	-	-	-	-	-
6.	सीकर धोद सड़क से पुरां छोटी सड़क वाया रामपुरा व पुरां बड़ी किमी. 0/0 से 4/500	4.50	नहीं	-	-	-	-	-
7.	खूड़ी कूदन सड़क से अजीतपुरा किमी. 0/0 से 2/0	2.00	नहीं	-	-	-	-	-
8.	गोठड़ा कूदन सड़क से अजीतपुरा आकवा किमी. 0/0 से 2/0	2.00	नहीं	-	-	-	-	-

अलवर जिले में स्कूली व्याख्याताओं के रिक्त पद

75. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर में स्कूली व्याख्याताओं के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं उक्त में से कितने पद रिक्त हैं? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला अलवर में स्कूली व्याख्याताओं के 1272 पद स्वीकृत हैं। जिनमें से 503 पद रिक्त हैं। स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग को विभिन्न विषय व्याख्याताओं के 1622 पदों हेतु अर्थना भिजवाई जा चुकी है। अत: राजस्थान लोक सेवा आयेाग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली शहर एवं पंचायत समिति रोहट के प्रतिनियुक्त अध्यापक

76. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली शहर एवं पंचायत समिति रोहट के प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या कितनी-कितनी है? विद्यलयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के अध्यापकों के कितने कितने पद स्वीकृत हैं? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत पदों में किस-किस विद्यालय में कितने-कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) उक्त क्षेत्र में गत एक वर्ष में कौन-कौन से अध्यापक कितने

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

कितने समय किस-किस विद्यालय से किस-किस विद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली शहर एवं पंचायत समिति रोहट के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

(3) उक्त विद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

(4) राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा आशार्थी उपलब्ध करवायें जाने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(5) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र में गत एक वर्ष में किसी भी अध्यापक की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शैक्षणिक व्यवस्था के तहत एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्ति अध्यापकों का विवरण परिशिष्ठ "ख" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धौलपुर जिले में वितरित छात्रवृत्तियां

77. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

धौलपुर जिले में गत पांच वर्षों में सरकार द्वारा कितनी-कितनी छात्रवृत्ति किस योजनान्तर्गत किन-किन विद्यालयों में वितरित की गई? योजनावार राशि के वितरण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला धौलपुर जिले के विद्यालयों में पांच वर्षों में वितरित छात्रवृत्ति राशि का योजनावार विवरण परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान में पदस्थापना हेतु नियम

78. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतु) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि सर्व शिक्षा अभियान में कार्मिकों को अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है? यदि हां, तो क्या उक्त सम्बन्ध में चयन प्रक्रिया, नियम, राज्य, जिला एवं खण्ड स्तर पर एक समान है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार सर्व शिक्षा अभियान कार्मिकों हेतु समान नियम लागू एवं प्रतिनियुक्ति कार्मिकों की समीक्षा जिला स्तरीय कोर ग्रुप में करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सर्वर शिक्षा अभियान की निष्पादक समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 12.11.1998 के निर्णय के अनुसार चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त लिये जाते हैं। निष्पादक समिति के लिये गये निर्णय की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है। चयन प्रक्रिया के तहत राज्य, जिला एवं खण्ड स्तर के लिये कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त दैनिक पत्रिकाओं में विज्ञापन जारी कर वाक इन इन्टरव्यू/आवेदन पत्र आमन्त्रित कर योग्य अभ्यर्थी का चयन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित चयन समिति के चयनोपरान्त राज्य सरकार द्वारा कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

(2) जी नहीं। सर्व शिक्षा अभियान की समस्त गतिविधियां एवं संचालन से संबंधित समस्त शक्तियां सर्व शिक्षा अभियान की निष्पादक समिति में निहित हैं। चूंकि सर्वर शिक्षा अभियान में कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित चयन समिति के चयनोपरान्त राज्य सरकार द्वारा कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान में कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था ही उचित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में निर्धारित छात्र संख्या से कम संख्या के विद्यालय

79. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 100 से कम है, की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के प्राथमिक विद्यालय जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम है, की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(3) उच्च प्राथमिक विद्यालयों जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 70 से कम है की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा विभाग में वर्तमान में संचालित 100 से कम विद्यार्थियों वाले राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) प्रारंभिक शिक्षा विभाग में वर्तमान में संचालित 20 से कम विद्यार्थियों वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय की सूची विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) 70 से कम विद्यार्थियों वाले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची परिशिष्ठ "ग" पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में कार्मिकों के रिक्त पद

80. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में शिक्षकों के आधे से अधिक पद रिक्त हैं एवं कई शिक्षकों से कार्यालय का कार्य लिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? सरकार द्वारा उक्त स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कर्मचारियों की कमी के कारण विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम प्रभावित हैं और कई परीक्षाओं के परिणाम अगले वर्ष की परीक्षाओं तक नहीं आ पाते? यदि हां, तो विश्वविद्यालय के गत तीन वर्षों के परिणामों को जारी करने का परीक्षावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में शिक्षकों के आधे से अधिक रिक्त पद नहीं है, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में शिक्षकों के 127 पद स्वीकृत हैं और 42 पद रिक्त हैं।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की विभिन्न गतिविधियों हेतु शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त कार्यप्रभार दिया हुआ है, जो उनके द्वारा शैक्षणिक कार्य करने के उपरान्त ही किया जाता है।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(2) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की कमी के बावजूद परीक्षा परिणाम समय पर निकाले जा रहे हैं।

गत तीन वर्षों के परिणाम की प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-1)

अनुलग्नक-1

S. No.	Name of Exam	Date of Exam Completion	Actual Date of Result Declaration	Date of Exam Completion	Actual Date of Result Declation	Date of Exam Completion	Actual Date of Result Declaration
		2006-07		2007-08		2008-09	
1	B.Arch. I Yr. Old Scheme	April, 2007	27-08-07	04.04.08 to 16.04.08 (Back)	18.04.2009	31-08-09 (Back)	-
2	B.Arch. I Sem	-	-	21.01.08 to 29.01.08	24/07/8	25-03-09 to 06-04-09 (Main & Back)	12.07.09
3	B.Arch. II Sem	-	-	05.07.08 to 11.07.08	9.04.2009	31-08-09 (Main & Back)	08.12.2009
4	B.Arch. III Sem	-	-	11.12.07 to 17.12.08	15.5.2008	15-01-09 to 22-01-09 (Main & Back)	07.07.09
5	B.Arch. IV Sem	-	-	17.05.08 to 02.06.08	30.03.2009	12-08-09 (Main & Back)	03.11.2009
6	B.Arch. V Sem	-	-	-	-	16-01-09 to 23-01-09 (Main)	07.07.09
7	B.Arch. VI Sem	-	-	-	-	20-08-09 (Main)	01.12.2009
8	B.Arch. VII Sem	-	-	-	-	-	-
9	B.Arch. VIII Sem	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
10	B.Tech. I Yr. Old Scheme	April, 2007	27-08-07	04.04.08 to 29.04.08 (Back)	16.01.09	30-08-09 (Back)	-
11	B.Tech. I Sem	-	-	21.01.08 to 31.01.08	13.6.2008	25-03-09 to 06-04-09 (Main & Back)	25.08.09
12	B.Tech. II Sem	-	-	05.07.08 to 18.07.08	10.04.2009	15-09-09 (Main & Back)	-
13	B.Tech. III Sem	-	-	11.12.07 to 22.12.07	All Result declared upto 15.5.2008	15-01-09 to 28-01-09 (Main & back)	30.07.09
14	B.Tech. IV Sem	-	-	17.05.08 to 07.06.08	07.03.09	12-08-09 (Main & Back)	13.02.1010
15	B.Tech. V Sem	-	-	-	-	15-01-09 to 29-01-09 (Main & Back)	07.08.09
16	B.Tech. VI Sem	-	-	-	-	20-08-09 (Main)	20.2.2010
17	B.Tech. VII Sem	-	-	-	-	-	-
18	B.Tech. VIII Sem	-	-	-	-	-	-
19	M.Tech. I Sem	Jan., 2007	5.5.2007	12.02.08 to 22.02.08 (Main & Back)	6/1/2009	18-04-09 to 04-05-09 (Main & Back)	15.08.09
20	M.Tech. II Sem	June, 2007	18-12-07	16.09.08 to 26.09.08	22.04.2009	Oct-09 (Main & Back)	-

1	2	3	4	5	6	7	8
21	M.Tech. III Sem	-	-	13.02.08 to 15.03.08	4.10.2008	18-04-09 to 04-05-09	15.08.09
22	M.Tech. IV Sem	-	-	17.09.08 to 22.09.08	22.04.2009	Oct-09 (Main & Back)	-
23	M.B.A I Yr.	April, 2007	20-07-07	04.04.08 to 03.05.08 (Back)	27.8.2008	15-01-09 to 11-01-09 (Back)	12.07.09
24	M.B.A. Part II	-	-	03.04.08 to 09.05.08	6.9.2008	16-01-09 to 21-02-2009	12.07.09
25	M.B.A. I Sem	-	-	22.01.08 to 08.02.08	10.7.2008	25-02-09 to 16.3.09 (Main & Back)	07.08.09
26	M.B.A. II Sem	-	-	16.06.08 to 27.06.08	13.02.09	03-09-09 (Main & Back)	06.01.2010
27	M.B.A. III Sem	-	-	-	-	15-01-09 to 02-02-09	20.07.09
28	M.B.A. IV Sem	-	-	-	-	15-07-09 (Main & Back)	07.09.2009
29	M.C.A. I Sem	Jan., 2007	24-03-07	22.01.08 to 01.02.08	2.7.2008	25-02-09 to 06-03-09 (Main & Back)	12.07.09
30	M.C.A. II Sem	June, 2007	Dec., 07	16.06.08 to 25.06.08 (Main & Back)	06.04.2009	31-08-09 (Main & Back)	08.12.2009
31	M.C.A. III Sem	-	-	22.01.08 to 01.02.08	2.7.2008	15-01-09 to 24-01-09 (Main & Back)	12.07.09

1	2	3	4	5	6	7	8
32	M.C.A. IV Sem	-	-	17.06.08 to 26.06.08	06.04.2009	31-08-09 (Main & Back)	15.12.2009
33	M.C.A. V Sem	-	-	-	-	16-01-09 to 27-01-09	20.07.09
34	M.C.A. VI Sem	-	-	-	-	31-08-09 (Back)	13.10.2009
35	BHMCT I Yr.	April, 2007	08-10-07	04.04.08 to 08.05.09	22.01.09	20-09-09 (Back)	-
36	BHMCT Part II	-	-	03.04.08 to 21.04.08	22.01.09	20-09-09 (Back)	-
37	BHMCT Part III	-	-	-	-	20-09-09 (Main)	15.12.2009
38	BHMCT I Sem	-	-	22.01.08 to 04.01.08	10.1.2009	25-03-09 to 09-04-09	12.07.09
39	BHMCT II Sem	-	-	16.06.08 to 27.06.08	09.04.2009	20-09-09 (Main & Back)	22.12.2009
40	BHMCT III Sem	-	-	-	-	26-03-09 to 11-04-09 (Main)	12.07.09
41	BHMCT IV Sem	-	-	-	-	20-09-09	Pending for Varification

प्रस्तावित भरतपुर-जोधपुर चम्बल लिफ्ट जल परियोजना

81. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कपा करेंगे:-

(1) भरतपुर शहर में पेयजल संकट को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या–क्या योजनायें संचालित हैं और कौन-कौन सी योजनायें प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु भरतपुर-धौलपुर चम्बल लिफ्ट जल परियोजना को प्रारम्भ कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त परियोजना को प्रारम्भ करने के लिये क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं।

उत्तर

(1) भरतपुर शहर (वर्तमान जनसंख्या-250000) में वर्तमान में सतही पेयजल स्त्रोत बन्ध बारैठा एवं शहर में स्थित 72 नलकूपों से कुल 20.50 एम.एल.डी., जल उत्पादन कर 80 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शहर में 157 हैण्डपम्प वर्तमान में क्रियाशील हैं।

शहर में पेयजल व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु विभाग द्वारा प्रगतिरत एवं प्रस्तावित पेयजल योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। चम्बल नदी को मुख्य पेयजल स्त्रोत लेकर बनाई गई चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना के प्रथम, चरण-प्रथम भाग (मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्य) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह जुलाई, 1999 में राशि रुपये 166.50 करोड़ की जारी हुई थी।

उक्त स्वीकृत परियोजना के मुख्य प्रस्तावित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु प्रथम संवेदक (कार्यादेश दिनांक 15.11.2002) द्वारा कार्य अधूरा छोड़ देने के कारण अन्य संवेदक को दिनांक 5.10.2007 को कार्यादेश दिया जाकर योजना के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं।

इस योजना अन्तर्गत अब तक रु. 132.44 करोड़ का कार्य हो चुका है। अब तक किये गये कार्य की प्रगति का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-'अ'

भरतपुर शहर की पेयजल व्यवस्था हेतु प्रगतिरत एवं प्रस्तावित पेयजल योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत/ प्रस्तावित लागत	कार्यों का संक्षिप्त विवरण	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	विशेष विवरण
1.	कन्टीजेन्सी अक्टूबर, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक	127.50 लाख	3 नलकूप, 15 हैण्डपम्प व 15 एकल बिन्दु	8 नलकूप पूर्ण 15 हैण्डपम्प पूर्ण 6 एकल बिन्दु पूर्ण शेष का कार्य प्रगति पर	58.10 लाख	शेष 9 एकल बिन्दुओं का कार्य 15 मार्च, 2010 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।
2.	कन्टीजेन्सी जनवरी, 2010 से मार्च 2010 तक	147.00 लाख	15 नलकूप, 20 हैण्डपम्प व 5 एकल बिन्दु	-	-	कार्यों की सैद्धन्तिक स्वीकृति दिनांक 3-2-2010 को जारी हुई है। निर्माण हेतु दर संविदा कर ली गई है व कार्यादेश प्रक्रियाधीन है।
3.	बन्ध बारैठा मलाह हैडवर्क्स भरतपुर तक पुरानी जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइन को बदलने का कार्य	24.08 करोड़	600 मिली मीटर व्यास की 41.30 किलोमीटर पाइप लाइन	-	-	योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 01.10.2009 को जारी हुई। निविदा की तकनीकी बिड दिनांक 15-2-2010 को खोली गई है। वित्तीय बिड मार्च, 2010 के प्रथम सप्ताह में खोलकर दिनांक 31-3-2010 तक कार्यादेश जारी करना प्रस्तावित है। कार्यादेश के पश्चात कार्य एक वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत/ प्रस्तावित लागत	कार्यों का संक्षिप्त विवरण	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	विशेष विवरण
4.	आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा शहर के पांच जोन में उच्च जलाशय मुख्य पम्प हाउस इत्यादि का कार्य	20.94 करोड़	5 उच्च जलाशय, एक मुख्य पम्प हाउस, 01- बूस्टींग पम्प हाउस राइजिंग व वितरण पाइप लाइन	-	-	कार्य की निविदाऐं प्राप्त कर आर.यू.आई.डी.पी. की टी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित कर दी गई है एवं कार्य आदेश मार्च, 2010 में जारी किया जाना प्रस्तावित है। कार्यादेश के पश्चात कार्य आगामी दो वर्षों में पूर्ण करना प्रस्तावित है।
5.	आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा तृतीय चरण की डी.पी.आर. बनाने का कार्य	12.00	4 उच्च जलाशय, मुख्य पाइप लाइन मलाह हैडवर्क्स से हीरादास एवं तत्संबंधी पाइप लाइन का कार्य	-	-	आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा प्रस्तावित कार्यों की वर्क फाइनलाईजेशन कमेटी द्वारा दिनांक 18.12.2009 को स्वीकृति जारी कर दी गई है। डी.पी.आर. (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) बनाने का कार्य प्रगति पर है।
6.	चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना	परियोजना का कार्यवार प्रगति विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।				

परिशिष्ट 'ब'

चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना (प्रथम चरण-प्रथम भाग) की प्रगति का विवरण

भरतपुर जिले की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना की राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की 130वीं बैठक दिनांक 6.7.1999 में (अनुमानित लागत 166.50 करोड़ रुपये) की गई। इसके प्रथम चरण प्रथम भाग में भरतपुर जिले की तहसील भरतपुर (75 गांव), तहसील कुम्हेर (40 गांव), तहसील रूपवास (28 गांव), इस प्रकार कुल 143 गांव तथा जिला धौलपुर की तहसील धौलपुर के 47 गांव, तहसील सैंपऊ के 22 गांव (धौलपुर जिले के कुल 69 गांव) (1991 की जनगणनानुसार) एवं भरतपुर शहर को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

क्र. सं.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	भौतिक प्रगति
मलाह हैडवर्क्स, भरतपुर		
1	220 मिलियन लीटर क्षमता का रा-वाटर रिजर्वायर का निर्माण	लगभग 87 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष कार्य प्रगति पर है।
2	112 मिलियन लीटर क्षमता का जल संशोधन संयंत्र का निर्माण मय 2 नग स्वच्छ जलाशय	लगभग 52 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष कार्य प्रगति पर है।
3	33 के.वी.ए. विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य	सिविल कार्य लगभग 65 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है इन्स्टालेशन का कार्य प्रगति पर है।
4	चारदीवारी, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग व अन्य सिविल निर्माण कार्य	लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है फिनिशिंग एवं शेष कार्य प्रगति पर है।
5	1300/1200 मिलीमीटर व्यास की पाइप लाइन जोड़ने/बिछाने का कार्य (कुल लम्बाई 85.3 किलोमीटर)	लगभग 70.27 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है (82 प्रतिशत कार्य पूर्ण) एवं शेष कार्य प्रगति पर है।

क्र. सं.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	भौतिक प्रगति
इनटेक हैडवर्क्स, चम्बल नदी धौलपुर		
6	चम्बल नदी धौलपुर पर अनटेक वैल व पुल का निर्माण कार्य	लगभग 48 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष कार्य प्रगति पर है।
7	33 के.वी.ए. विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
8	पम्प व मशीनरी स्थापना का कार्य	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
9	रिटेनिंग वाल व केम्पस डवलपमेन्ट	लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष कार्य प्रगति पर है।
10	सर्ज प्रोटेक्शन व अन्य कार्य	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
11	25.60 मिलियन लीटर क्षमता के रा-वाटर टेंक मय पम्प हाउस (सागरपाड़ा धौलपुर) का निर्माण कार्य	लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष कार्य प्रगति पर है।
12	33 के.वी.ए. क्षमता का विद्युत सब स्टेशन, सागरपाड़ा धौलपुर का निर्माण कार्य	सिविल कार्य लगभग 60 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है इन्स्टालेशन का कार्य प्रगति पर है।
13	चारदीवारी, निरीक्षण गृह व अन्य निर्माण कार्य	लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष कार्य प्रगति पर है।

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) की ''घाट कैनाल'' योजना में निर्माण कार्य

82. श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) की ''घाट कैनाल'' योजना के लिये स्वीकृत बजट से कितना निर्माण कार्य हो चुका है तथा कितना शेष है? शेष निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर योजना चालू (आरम्भ) कर दी जायेगी?

उत्तर

घाट पिक-अप-वियर की मरम्मत एवं इसकी नहरों के जीर्णोद्वार हेतु राज्य सरकार के पत्रांक F-3(12)/AS/I/Cell/96/842 दिनांक 07.09.2007 द्वारा

(जल संसाधन मंत्री)

राशि रुपये 310.30 लाख की स्वीकृति जारी हुई थी। कार्य स्थल पर नींव हेतु स्टेटा का मुख्य अभियन्ता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग, जयपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, जयपुर के संयुक्त निरीक्षण पश्चात स्ट्रक्चर की सुरक्षा की दृष्टि से इसकी पुन: संरचना/डिजाइन कर संशोधित तकमीना राशि रुपये 1013 लाख का आंकलित कर लिया गया है, जो जांच की प्रक्रिया में है। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर यह कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

विदेशी भाषाओं के गाइडों की नियुक्ति

83. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पर्यटन विभाग में अन्य प्रातों व देशों की भाषाओं के जानकार गाइड नहीं होने से पर्यटकों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में त्वरित कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पाता हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार पर्यटन विभाग में अन्य प्रांतों व देशों की भाषाओं के जानकार व्यक्तियों की सेवायें लेने हेतु नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या तथा कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) पर्यटन विभाग द्वारा प्रशिक्षित किये गये राज्य स्तरीय एवं स्थानीय स्तरीय पथ प्रदर्शकों में से बहुत से ऐसे पथ प्रदर्शक हैं, जिन्हें विदेशी भाषाओं में दक्षता हासिल है तथा वे कुशलता से इन भाषाओं में पर्यटकों को गाइडिंग सेवायें दे रहे हैं।

लेकिन देश की अन्य प्रान्तीय भाषाओं के पथ प्रदर्शकों को प्रशिक्षित करने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

महिलाओं के विकास/संरक्षण एवं सशक्तीकरण हेतु विशेष प्रकोष्ठ

84. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग में एक विशेष जैण्डर सैल की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) उक्त जैण्डर सैल में महिलाओं के संरक्षण, विकास एवं सशक्तीकरण के सम्बन्ध में क्या-क्या प्रावधान रखे गये हैं? प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत निदेशालय महिला अधिकारिता में विशेष जैण्डर सैल की स्थापना दिनांक 8.9.2009 के आदेश से कर दी गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा जैण्डर सैल की स्थापना के सम्बन्ध में वर्ष 2009-10 के लिये 44.70 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

जैण्डर सैल की स्थापना का उद्देश्य निम्न प्रकार से है :-

1. महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये जैण्डर रेस्पान्सिव बजट बनाने की दृष्टि से प्रत्येक विभाग के बजट का जैण्डर आधारित विश्लेषण। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें वित्त विभाग, आयोजना विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव सदस्य के रूप में एवं सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य सचिव के रूप में रखे गये हैं। यह समिति समय-समय पर विभिन्न विभागों के बजट की जैण्डर आधारित समीक्षा करेगी और मार्गदर्शक सिद्धान्त तय करेगी।
2. राज्य में महिलाओं के संरक्षण, विकास एवं सशक्तीकरण के कार्यक्रमों का समन्वय एवं उनकी क्रियान्विति में गतिशीलता लाना।

महिलाओं के विकास, संरक्षण एवं सश्क्तीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से योजनायें और कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसी प्रसंग में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण और उन्हें उचित राहत दिलाये जाने के उद्देश्य से घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 भी राज्य में लागू है। इन सभी कार्यक्रमों के लिये अलग-अलग वितीय प्रावधान रखे जाते हैं तथा विभिन्न स्तर के अधिकारी सम्बन्धित कार्यक्रम के क्रियान्वयन और परीक्षण के लिये उत्तरदायी होते हैं।

जैण्डर सैल के लिये कोई अलग से विशेष योजना या कार्यक्रम नहीं बनाये गये हैं। जैण्डर प्रकोष्ठ का कार्य जैण्डर रेस्पान्सिव बजटिंग की प्रक्रिया लागू कराने तथा महिलाओं के संरक्षण विकास और सशक्तीकरण के लिये

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

क्रियान्विति कार्यक्रमों में समन्वय, उनका सामयिक प्रबोधन और उन्हें गतिशील दिशा-निर्देश आदि तैयार किये जाने हैं।

बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र के निगम बस सेवा रहित ग्राम

85. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या यातायात एवं परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय को निगम बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(2) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के कौन-कौन से ग्राम पंचायत मुख्यालय निगम बस सेवा से जुडे हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बसेड़ी से वाया नादनपुर होते हुए कैलादेवी के लिए बस संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रत्येक ग्राम पंचायत को जिला मुख्यालय से निगम की बस सेवा से जोड़ने की परियोजना प्रक्रियाधीन है। माह जनवरी, 2010 तक 115 ग्राम पंचायतों को निगम की बस सेवा से जोड़ा जा चुका है। शेष ग्राम पंचायतों को जोड़ने हेतु परियोजना बनाई जा रही है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के निम्न ग्राम पंचायत मुख्यालय निगम की बस सेवा से जुडे हुये हैं:-

1. आंगई	8. पिपरोन
2. अतरसूमा	9. रहरई
3. बरौली	10. रतनपुर
4. बसेड़ी	11. सलेमपुर
5. जारगा	12. सरमथुरा
6. महगुलावली	13. तिमासिया
7. ममौधन	

(3) जी नहीं। पूर्व में निगम द्वारा माह अक्टूबर नवम्बर 2008 में प्रायोगिक तौर पर बसेड़ी से कैलादेवी वाया नादनपुर होकर बस सेवा का संचालन किया गया था परन्तु उक्त मार्ग पंचम अध्याय (अराष्ट्रीयकृत) होने

(यातायात एवं परिवहन मंत्री)

के कारण तथा अवैध वाहन संचालन होने के कारण निगम की बसों को पर्याप्त यात्रीभार उपलब्ध न होने से इस सेवा की औसत आय Variable Cost से भी कम प्राप्त होने के कारण निगम को बस सेवा का संचालन बन्द करना पड़ा। ऐसी स्थिति में इस मार्ग पर निगम बस सेवा का संचालन पुन: प्रारम्भ किये जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

राज्य के टाडा एवं माडा क्षेत्र में आश्रम छात्रावास खोलने के मानदण्ड

86. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में आश्रम छात्रावास खोलने के निर्धारित मानदण्डों/आदेश/परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आश्रम छात्रावास गांवों की संख्या या जनजाति जनसंख्या के आधार पर तहसीलवार खोले जाते हैं? यदि हां, तो अनुसूचित क्षेत्र में तथा माडा क्षेत्र में कुल कितने छात्रावास हैं तथा खोले जाने का आधार क्या है? तहसीलवार एवं योजनावार पृथक-पृथक नामजद सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में मानदण्डों के अनुसार छात्रावास खोले गये हैं? यदि हां, तो पृथक-पृथक विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो अब तक रही इस कमी की पूर्ति हेतु कितने छात्रावास स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या माडा क्षेत्र की जिन तहसीलों में सरकारी आश्रम छात्रावास अभी तक नहीं खोले गये हैं, वहां सरकार अब महाराष्ट्र पैटर्न या अन्य स्त्रोत से छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार से केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में जनजाति छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में संशोधित दिशा-निर्देश पत्र क्रमांक 11022/06/07-शिक्षा दिनांक 9.7.2008 प्राप्त हुई है। जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) साधारणतया नवीन आश्रम छात्रावास स्वीकृत करते समय उस

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

स्थान पर संबंधित शैक्षणिक संस्था हो या शैक्षणिक संस्था आस-पास के क्षेत्र में हो वहां आस-पास जनजाति जनसंख्या का बाहुल्य हो एवं इसके लिए नि:शुल्क भूमि उपलब्ध हो, आदि का ध्यान रखा जाता है। बालक छात्रावास खोलने के लिये राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा 50:50 राशि उपलब्ध कराई जावेगी।

वर्तमान में विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में 171 एवं माडा क्षेत्र में 41 आश्रम छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-ब व स पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। बिन्दु सं. 2 में वर्णित मानदण्डों के अनुसार आश्रम छात्रावास खोले जाते हैं। टोंक जिले के देवली तहसील के राजकोट गांव में 50 बालकों की क्षमता का छात्रावास खोलने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत प्रस्ताव पत्र क्रमांक 11(4) टीएडी/मो./प्रस्ताव-शिक्षा/07-08 दिनांक 22.12.2009 द्वारा स्वीकृत हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये।

(4) आवश्यकता व मांग को दृष्टिगत रखते हुये उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत महाराष्ट्र पैटर्न/केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में आश्रम छात्रावास खोलने का प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयीं)

फलौदी स्थित पांच तालाबों को झील में परिवर्तन

मान्यवर,

राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के तहत आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि सरकार ने फलौदी शहर के पश्चिती छोर पर स्थित लगते हुए पांच तालाबों को झील में पेयजल एवं पर्यटन की दृष्टि से परिवर्तन करने की योजना स्वीकृत की जाकर कार्य नियमानुसार प्रारम्भ कराया गया। करीब 2 करोड़ 79 लाख का ठेका स्वीकृत हुआ एवं कार्य होने पर ठेकेदार को करीब 70 लाख का भुगतान किया जा चुका है। अभियन्ताओं की सूचना के अनुसार काफी कार्य हो चुका है, परन्तु कार्य का भुगतान नहीं होने से कार्य बन्द पड़ा है तथा निरन्तर अखबारों के माध्यम से इस विषय पर विपरीत टिप्पणी की जा रही हैं। मैंने स्वयं निर्माधीन झील का कई बार अवलोकन किया-यह योजना अत्यन्त ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण कार्य है। बताया गया है कि अब शेष कार्यों में आर.बी. को पूर्ण करना, वाक वे पर रेलिंग लगाने का कार्य, एवं अर्थ चेकर टाइल लगाने आदि पूर्ण करना है। साथ ही बिजली का कार्य भी करवाना होगा।

खींचन-फलौदी पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान घोषित है योजना पूर्ण करवाना जनहित में अति आवश्यक है।

अत: ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि इस कार्य की ओर अविलम्ब ध्यान दिया जाकर कार्य पूर्ण करवाए एवं आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जावे।

वर्ष 2009-10 एवं इस बजट में लम्बित कार्य हेतु बजट प्रावधान स्वीकृत कर अनुग्रहित करावें ताकि अधूरा कार्य पूर्ण हो सके।

ओम जोशी

(फलौदी)

बाड़मेर में कृषि भूमि बेचान के पंजीयन पर रोक

राजस्थान विधान सभा के कार्य प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार एवं माननीय मंत्री राजस्व विभाग का

ध्यान आकर्षित कर यह कहना चाहता हूं कि बाड़मेर में पंजीयन पर रोक के कारण राजस्व हानि हुई है।

राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के प्रावधानों के अनुसार कृषि भूमि के बेचान या क्रय करने पर राज्य सरकार निर्धारित दरों पर बेचान एवं क्रय दस्तावेजों पर राजकीय पंजीयन शुल्क लिया जाता है। यह राजस्व आय की लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वन में उपयोग ली जाती हैं। राजस्व सम्बन्धित नियम एवं कायदे राज्य सरकार द्वारा पारित किये जाते है जो कि प्राय: समूचे प्रदेश में समान रूप से प्रभावी होते हैं।

बाड़मेर जिले में जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा आदेश क्रमांक राज/2009/2655 दिनांक 18.05.2009 को जिले के सभी पंजीयकों को आदेशित किया गया कि एक बीघा या उससे कम भूमि के हस्तानान्तरण में यदि प्रयोजन अंकित नहीं हो तो अकृषि प्रयोजनार्थ हस्तानान्तरण मानते हुए दस्तावेज पंजीयन नहीं किये जाये। यह आदेश अपने आप में एक भ्रामक प्रतीत होते है। यानि एक कृषक जिसके पास कम कृषि भूमि हो या और उसकी सन्तानें अधिक हों एवं बंटवारे में उनके पास यदि एक बीघा या उससे कम भूमि उसके हिस्से मे हो और वह हिस्सेदार अपनी हिस्से की भूमि को बेचान करना चाहता है तो क्या राज्य सरकार इसे अकृषि भूमि मानकर पंजीयन करेगी। बाड़मेर जिले के जिला कलक्टर के उक्त अव्यवहारिक आदेशों से कई भूमिदारों एवं क्रयताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस कारण उक्त प्रकार की भूमि का क्रय-विक्रय नहीं हो पाने से आमजन परेशान हुआ है तथा राजस्व की भंयकर हानि हुई है। स्थिति यह रही है कि बाड़मेर जिले के मात्र उप पंजीयक कार्यालय जसोल में वित्तीय वर्ष 2008-09 में कुल 3989 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ जिसके एवज में 02 करोड़ 46 लाख 8 हजार 2 सौ 83 रुपये की आय हुई। उक्त आदेशों के प्रभावी होने से वित्तीय वर्ष 2009-10 में मात्र 1491 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ जिसके एवज में केवल 01 करोड़ 58 लाख 79 हजार 2 सौ 47 रुपये ही राजस्व के रूप में प्राप्त हुए जो राज्य सरकार की सकल आय में सीधी हानि है।

राज्यहित एवं जनता की भावनाओं के अनुरूप उक्त प्रकार के आदेश व्यवहारिक एवं जनहितकारी प्रतीत नहीं हो रहे हैं इसलिये राज्य सरकार को इस प्रकार के आदेशों को जारी करने वाले अधिकारियों पर पाबन्दी लगाकर उक्त आदेशों को तत्काल निरस्त करने का निर्णय लेना चाहिऐ।

मदन प्रजापत

(पचपदरा)

बीकानेर PBM अस्पताल में MRI मशीन की स्थापना

महोदय,

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) में बीकानेर सम्भाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय पी.बी.एम. चिकित्सालय है। इस चिकित्सालय में एम.आर.आई. मशीन लगाने की प्रक्रिया पिछले लम्बे अर्से से चल रही है। MRI जांच गंभीर दुर्घटनाओं में रोगोपचार आरंभ करने हेतु अनिवार्य है। जब 4 जिलों के रोगी इस अस्पताल पर निर्भर हैं। पडौसी राज्यों के पंजाब, हरियाणा के रोगी भी यहां आते हैं। अत: पी.बी.एम. अस्पताल में एम.आर.आई. मशीन अनिवार्य है। अगर एम.आर.आई मशीन लगाने में कोई परेशानी है तो सरकार इसे दूर क्यों नहीं कर रही। एम.आर.आई. मशीन नहीं लगने से प्रशासनिक खामी के कारण ना सिर्फ बीकानेर बल्कि हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू तक के दुर्घटनाग्रस्त लोगों को जान से हाथ धोना पडा या फिर जयपुर आना पड़ा। सरकार कब तक एम.आर.आई मशीन स्थापित कर देगी। मेरा निवेदन है कि सभी परेशानियों के खत्म करते हुए सरकार एम.आर.आई. मशीन तुरन्त प्रभाव से स्थापित करें।

सिद्धि कुमारी
(बीकानेर)

माण्डलगढ़ में कतिपय सड़कों का नवीनीकरण

महोदय,

मै राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से निम्नलिखित डामरीकरण सड़कों का निर्माण किया गया था :-

1. मानपुरा से रलायता बीलिया-4 किलोमीटर
2. काछोला से राजगढ़ - 5 किलोमीटर
3. श्रीनगर से जस्सू जी का खेडा – 5 किलोमीटर
4. आरोली से रसदपुरा – 3 किलोमीटर

उक्त सड़कों के निर्माण के बाद उन सड़कों को लावारिस हालत में छोड़ दिया गया तथा जिनकी अभी तक भी मरम्मत नहीं की गई। धीरे-धीरे सड़कों पर पेच गहरे होते गये तथा बर्मस नहीं भरने से किनारे भी टूटने लगे

हैं। आज उन सड़कों पर गहरे गड्ढों ने भयानक रूप ले लिया है। सड़कों पर डामर नाम मात्र ही नहीं बचा है। बार-बार कृषि उपज मंडी के अधिकारियों तथा माननीय कृषि विपणन मंत्री महोदय को व्यक्तिगत रूप से विधान सभा तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न तथा पत्राचार द्वारा बार बार निवेदन करने पर भी उक्त सड़कों की मरम्मत का कार्य करने की कार्यवाही नहीं की गई तथा बार-बार बजट का अभाव बता कर मेरे प्रश्नों को टाल दिया जाता रहा है।

अत: मैं आपके माध्यम से विभागीय मंत्री महोदय जी से तथा सक्षम अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन सडकों के पुर्ननिर्माण हेतु बजट प्रावधान किया जावे या फिर इन सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से नवीनीकृत किया जाकर क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान की जावे।

प्रदीप कुमार सिंह

(माण्डलगढ़)

नहरी क्षेत्र की फसलों को बचाने हेतु पानी की व्यवस्था

महोदय,

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत नहरी क्षेत्र की फसलों को बचाने हेतु पानी उपलब्ध कराने एवं अकाल ग्रस्त क्षेत्र में पशु शिविर प्रारम्भ करने हेतु निवेदन कर रहा हूं।

सम्पूर्ण राजस्थान की भांति सीमावर्ती जिला जैसलमेर इस समय अत्यन्त ही कठिन दौर से गुजर रहा है। आम आदमी मंहगाई से त्रस्त है। इस दौर में जिले के किसानों को एक मात्र सहारा नहरी भूमि में बोई हुई उनकी फसल थी। परन्तु सरकार की गलत नीतियों के कारण आज स्थिति यह है कि द्वितीय चरण के काश्तकार के फसलों की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है। फसलों को मात्र एक या दो पानी ही मिल पाया है। अधिकांश फसलें सूखी पड़ी हैं। सभी नहरें खाली पड़ी हैं। फसलों का पानी तो दूर रहा, नहरी लोगों को पीने का भी पानी मयसर नहीं हो पा रहा है।

जिले के सम्पूर्ण किसान आंदोलित हैं। जिला मुख्यालय पर धरने व प्रदर्शन चल रहे हैं। परंतु प्रशासन और सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। सरकार चुनाव की एवं पार्टी के लोगों को कमेटियों में सैट करने पर लगी हुई है।

जिले में पशुधन सूखे की चपेट में है, चारों ओर त्राहीमाम है। सरकार

पशु शिविर प्रारम्भ ही नहीं कर पा रही है। थोड़ी ही मात्रा में ही कई पशु शिविर प्रारम्भ किये गये है तो वहां भेदभाव हो रहा है। शिविर की स्वीकृतियों में पशु जनसंख्या को आधार नहीं बना कर मात्र कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं एवं उनके संबंधियों को रोजगार देने हेतु कुछ घरों की ढाणियों में शिविर स्वीकृत किये गये हैं। बड़े-बड़े गांव जहां पशुधन व्यापक संख्या में हैं, वहां शिविर ही प्रारम्भ नहीं किये गये हैं।

ऐसी स्थिति में जिले का किसान एवं मजदूर वर्ग आंदोलित है एवं सरकार द्वारा उचित ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

मेरी सरकार से यह मांग है कि जिले के नहरी क्षेत्र के कास्तकारों को तीसरी एवं चौथी बारी पानी उपलब्ध करवाया जाये तथा ऐसी नहरें जहां के कास्तकारों की बारी पिट चुकी है, उन्हें पानी उपलब्ध करवाकर फसलें बचाई जायें। इसके लिये पंजाब सरकार से बड़े स्तर पर सतत् संपर्क स्थापित कर तीन-चार दिनों में उक्त समस्या का समाधान किया जाये ।

जिन क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है वहां पीने का पानी पहुंचाया जाये तथा जिला प्रशासन को सख्त पांबद किया जाये कि पशु शिविर स्वीकृति में पशुओं की जनसंख्या को आधार मानकर बिना किसी भेदभाव के एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधि विधायक से राय लेकर स्वीकृतिया जारी की जाये।

छोटूसिंह भाटी

(जैसलमेर)

सोजत से हरिद्वार कुंभ मेले में गये माली समाज के दुर्घटनाग्रस्त बस यात्रियों को आर्थिक सहायता

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत के रायपुर गांव से तीन किलोमीटर दूरी पर हरिद्वार कुंभ के मेले में जा रही माली समाज के यात्रियों की बस दुर्घटना की ओर ध्यानाकर्षण करना चाहती हूं।

माली समाज के यात्रियों की बस दिनांक 9.2.2010 सोजत से हरिद्वार कुंभ मेले के लिये रवाना हुई थी। बस के रवाना होने के करीब एक घंटे पश्चात रायपुर से लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर यात्रियों से भरी हुई बस पलट गई । दुर्घटना में 48 यात्री घायल हो गये थे । दुर्घटना में घायल यात्रियों का

उपचार रायपुर एवं सोजत के राजकीय चिकित्सालय में किया गया । दुर्घटना में घायल मरीजों में 38 महिलाऐं एवं 3 लड़किया तथा 5 पुरुष व 2 लडके थे। दुर्घटना में एक यात्री श्रीमती सुकनी देवी पत्नी दीपाराम की मौत हो गई तथा राजकीय चिकित्सालय में उपचाराधीन 4 मरीजों को दिनांक 9.2.2010 को एवं 5 मरीजों को दिनांक 10.2.2010 को गम्भीर रूप से घायल होने के कारण अन्य चिकित्सालय में रेफर किया गया था । इस प्रकार कुल 9 गम्भीर घायल मरीजों को सोजत से अन्य चिकित्सालय को रेफर किया गया।

इतना गम्भीर हादसा होने के उपरान्त भी आज दिनांक तक मृतक के आश्रितों को एवं गम्भीर रूप से घायल मरीजों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अत: मेरा अनुरोध है कि माली समाज की बस जो हरिद्वार कुंभ के मेले में जा रही थी के दुर्घटना में मृतक के आश्रितों व घायलों को तुरन्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जावे।

संजना आगरी
(सोजत)

जायल में बस स्टैण्ड का निर्माण

महोदय,

मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल के उपखण्ड मुख्यालय जायल में बस स्टैण्ड की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

मान्यवर, जायल कस्बे की 15000 की आबादी है और जायल नागोर जिले के केन्द्र में स्थित उपखण्ड मुख्यालय है। सम्पूर्ण क्षेत्र के 140 गांव जो कि तहसील, उपखण्ड, सी.ओ. कार्यालय, पुलिस थाना, मुंशिफ कोर्ट एवं हाई स्कूल आदि कार्यालयों से जुड़े हैं तथा राज्य स्टेट हाइवे जायल से जयपुर, जोधपुर व अजमेर आदि कस्बों के लिए निकलता है जिसके कारण भारी यातायात व आवागमन रहता है। जायल में बस स्टेण्ड के नाम पर मात्र एक टिकिट खिड़की है और बस रूकने का कोई निर्धारित प्लेट फार्म नहीं है। टैक्सी, जीभ, ठेले आदि भरे पड़े रहते हैं जिसके कारण यात्रियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता हैं।

अत: परिवहन मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार रोडवेज

बस स्टैण्ड बनाया जाये ताकि यातायात सुगम हो सके तथा जनता की परेशानी खत्म हो सके।

बस स्टैण्ड हेतु पर्याप्त जगह भी उपलब्ध है।

मंजू देवी
(जायल)

जयपुर शहर में पेयजल की समुचित व्यवस्था

महोदय,

जयपुर शहर में मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की काफी समस्या है यज्ञशाला की बावड़ी, हरि जेठली का चौक, जाट के कुऐं का रास्ता, जयलाल मुंशी का रास्ता, ठनियारों का रास्ता, बगरू वालों का रास्ता, मिश्र राजाजी का रास्ता, चौड़े रास्ते में नाटाणियों का रास्ता, चाकसू का चौक, ऊंची कोठी, हल्दियों का रास्ता, मोचियों की गली, श्यामपुरी, श्रीराम कालोनी, लक्ष्मीनारायणपुरी में व्यास पार्क के सामने केशवपथ में पानी की लाइन डाली हुई नहीं है एवं लुहारों का खुर्रा, वनस्थली मार्ग, लालपुरा कॉलोनी, बापू कालोनी मोतीलाल अटल रोड, माली कालोनी, सीकर हाऊस, हीदा की मोरी, सी ब्लॉक, मण्डी खटीकान, तत्कालेश्वरपुरी आदि कई स्थानों पर लोगों को अपने घरों से काफी दूर जाकर पानी भरना पड़ता है व लोगों तक पीने का पानी भी बमुश्किल पहुंच पाता है। विभाग के पास जलीय उपकरणों की भी कमी है, जैसे बैरिंग, पाइप्स इत्यादि। जयपुर शहर में आने वाली भीषण गर्मी के मौसम में जयपुर शहर की आम जनता को जलापूर्ति हेतु चिंता होना स्वाभाविक है, जबकि इस सर्दी के मौसम में भी घरों को मिलने वाला पेयजल आधा-अधूरा, अशुद्ध एवं कम दबाव से प्राप्त हो रहा है तो भीषण व प्रचंड गर्मी में सरकार किस तरीके से आवश्यकतानुसार जल आपूर्ति एवं वितरण करेगी। भूमिगत जल का स्तर और नीचे चले जाना, बीसलपुर परियोजना से भी अभी तक शहर की जनता को जल की आपूर्ति न हो सकना व न कोई स्थायी राहत व समाधान हो पाना गम्भीर चिंता का विषय बना हुआ है। यह सब सरकार की क्षमताओं पर प्रश्न खड़ा कर रहा है। अत: आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस गम्भीर समस्या का तुरन्त स्थायी समाधान निकालकर जन-जन को किस तरीके से लाभान्वित किया जायेगा।

अत: माननीय जल संसाधन मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस गम्भीर समस्या से जन-जन को तुरन्त निजात दिलवाने एवं जलीय उपकरणों की कमी को पूरा करने का कष्ट करे।

मोहन लाल गुप्ता
(किशनपोल)

शाहपुरा शहरी क्षेत्र में पेयजल समस्या

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (मील) में शहरी क्षेत्र में पेयजल की समस्या को लेकर आये दिन जल वितरण व्यवस्था बाधित होती है। जबकि पेयजल के जो स्त्रोत हैं उनमें भरपूर पानी है वर्तमान में अमरपुरा स्थित दो खुले कुएं तथा चार बोर हैं, उनमें अभी तक 2 बोर तो कार्य में नहीं आये हैं शाहपुरा की 35 हजार जनसंख्या है जिसमें मात्र दो उच्च जलाशय जो वर्ष 1962 में व 1992 में बने हुये हैं जिससे पूरे शहर को प्रत्येक जलाशय से चार चार जोन में विभाजित कर जल वितरण होता है। बनास नदी से शहर की दूरी 35 किलोमीटर है जहां आये दिन विद्युत व्यवधान व सीमेन्ट के पाइप लाइन खुले होने से क्षतिग्रस्त होते हैं। इसकी वजह से पेयजल वितरण व्यवस्था एक दो दिन बाधित हो जाती है। अत: मेरा निवेदन है कि शाहपुरा की जनसंख्या व बढ़ते हुए शहरी क्षेत्रफल को मध्यनजर रखते हुऐ दो अतिरिक्त उच्च जलाशय का निर्माण होना अतिआवश्यक है। अभी भी काफी ऐसी एस.सी./एस.टी. की एवं नगरपालिका की आवासीय कालोनियां हैं जिनको पानी के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे है।

इसी प्रकार शाहपुरा के ग्राम पंचायत सणगारी के रामपुरा में पानी काफी उपलब्ध है किन्तु विभाग ने कोई पेयजल स्कीम नहीं बनाई है जिससे ग्राम पंचायत के पांच गांव अभी भी हैण्डपम्पों से पानी लेते हैं। अत: विभाग शीघ्र समस्या के निराकरण हेतु शाहपुरा शहर में दो उच्च जलाशय व ग्राम पंचायत सणगारी के ग्राम रामपुरा में एक जलाशय का निर्माण करावे।

उक्त वर्णित समस्याओं के निराकरण नहीं होने से क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है किन्तु विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है।

महावीर प्रसाद जीनगर

(शाहपुरा)

बसेड़ी में आपराधिक घटनाओं को रोकने की व्यवस्था

महोदय,

मैं, माननीय गृह मंत्रीजी एवं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि धौलपुर जिला डांग क्षेत्र है, जहां पर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से अपराधिक प्रवृतियों वाले लोग तथा कुख्यात डकैत अपनी गैगों के साथ चम्बल के दुर्गम बीहड़ों में आकर शरण लेते हैं। जिससे धौलपुर जिले के

साथ करौली एवं समीपवर्ती जिलों में रहने वाले लोगों का सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। ये कुख्यात दस्यु यहां के लोगों में भय बनाते हैं तथा उनसे अपनी नाजायज मांगों को बन्दूक की नोक पर पूरा करवाते हैं। श्रीमान जी विशेषत: बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में कई कुख्यात डकैतों का आतंक छाया रहता है। डकैत आकर पत्थर की खदानों को बन्द करा देते हैं। जिससे पत्थर व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। श्रीमान जी पत्थर व्यवसाय ही यहां की जनता की रोजी-रोटी का मूल आधार है। डकैत आये दिन इन मजदूरों के साथ मारपीट की जाती है। कभी-कभी उन पर जान से मारने का हमला किया जाता है।

श्रीमान जी बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में जनवरी 2009 से 2010 की समयावधि में 553 प्रकरण दर्ज किये गये हैं जिसमें कई घटनाएं अत्यन्त निन्दनीय एवं दर्दनाक है जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। नादनपुर में 20 जनवरी को कुछ लोगों ने कोली जाति की लड़की का अपहरण किया गया, जिसकी रपट सरमथपुरा थाना में दर्ज करायी गई परन्तु आज तक उन बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अपराधी निष्कंटक घूम रहे हैं। आये दिन गाड़ियां तथा मोटर साईकिलों की चोरी हो रही है। परन्तु आज तक किसी भी वाहन चोर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कई मर्डर कैसों में एफ आई आर लगा दी है।

श्रीमान उक्त घटनाओं को ध्यान में रखते हुए धौलपुर तथा बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र को विशेष पुलिस बल की आवश्यकता है तथा दस्यु उन्मूलन कार्यक्रम बनाकर प्रभावी कार्यवाही की जाए। जिससे यहां की जनता भयमुक्त जीवन जी सके। श्रीमान जी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में निम्न जगह थाना तथा नई चौकियां स्थापित की जाए।

1. नादनपुर में थाना स्थापित किया जाए।
2. धोबी की तिबरिया धौर मोड़, नादनपुर रोड पर चौकी (पूर्व में थी)
3. पिपरोन पुलिया बयाना रोड पर चौकी (पूर्व में थी)
4. सिहोली जगनेर रोड पर चौकी (पूर्व में थी)
5. चिलोचोद के पास सरमथपुरा रोड पर (नई चौकी)
6. बथुआ खोह करोली रोड पर (नई चौकी)

अत: श्रीमान जी एडीएफ के जवानों के लिए नये अत्याधुनिक

हथियार, नई गाड़ियां तथा जान पर खेलने वाले जवानों के लिए बुलेट प्रुफ जाकेट उपलब्ध हो। उक्त व्यवस्थाएं सरकार से करवाने की कृपा करें।

सुखराम कोली

(बसेड़ी)

रामगढ़ (अलवर) के मिडल स्कूलों को सैकण्डरी में क्रमोन्नयन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ जिला अलवर में ग्यारह पंचायत केन्द्रों पर अभी भी मिडिल स्कूल कार्यरत है। पूर्व सरकार से 27 पंचायत केन्द्रों पर मिडिल से सैकेण्ड्री स्कूल क्रमोन्नत करवा लिये बकाया 11 मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होने से रह गये हैं।

मेरे प्रदेश के विद्वान शिक्षा मंत्री एवं मा. मुख्य मंत्रीजी से विशेष निवेदन है कि इन स्कूलों को वर्तमान बजट में क्रमोन्नत करने का कष्ट करें। शिक्षा की दृष्टि से इनका क्रमोन्नत होना अति आवश्यक है क्योंकि छात्र तो फिर दूरदराज पढ़ने चले जाते हैं किन्तु छात्राएं (कन्याएं) दूर नहीं जा सकतीं।

अत: इन स्कूलों को आवश्यक रूप से क्रमोन्नत कर मुझे अनुग्रहित करने का कष्ट करें।

ज्ञानदेव आहूजा

(रामगढ़)

कोटा जिले में बिजली के करण्ट से हो रही मौतें

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय कोटा जिले में लगातार बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से अनेकों लोग मौत के मुंह में चले गये लेकिन ऐसा लगता है कि इस विभाग को किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं है। मैं नियम 295 के तहत आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी कि गत वर्ष रानपुर गांव में पूरे मकानों में करण्ट आने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। विभाग को गांव वालों न चेताया लेकिन विभाग एक वर्ष से आज भी सोया हुआ है। कल रात नौ बजे वापस इसी तरह की घटना घटित हुई और एक नौजवान युवक की मौत हो गई। लगातार इस तरह हादसे हो रहे हैं लेकिन विभाग को कोई

चिन्ता नहीं। विद्युत लाइनों के दुरस्तीकरण का कार्य इस विभाग द्वारा करवाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। आपको बताना चाहूंगी कि गत 21 फरवरी को रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र के अतरालिया फिडर पर इसी विभाग की लापरवाही के कारण एक युवक की मौत पुन: हो गयी।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस विभाग को चेताना चाहूंगी कि इस तरह की घटनाऐं लगातार होना बहुत बड़ी लापरवाही है। विभाग कुछ करे ताकि आये दिन होने वाली घटनाओं पर अंकुश लग पाये।

चन्द्रकान्ता मेघवाल

(रामगंजमण्डी)